(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] अष्ठम विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का पांचवा दिवस । [संख्या-3

सोमवार, 3 जुलाई, 1989

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष पदासीन ।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ।

साम्प्रदायिक दंगे

41. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद)
श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा)
श्री हरजीराम बुरड़क (लाड़नूं)
श्री अब्दुल अजीज (मकराना)
श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़)
श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़)
श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले दो वर्षों में राज्य में कितने व कहां-कहां साम्प्रदायिक दंगे हुए, कितने व्यक्ति मारे गये अथवा हताहत हुए तथा कितनी सम्पत्ति नष्ट हुई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त दंगों से पीड़ितों को मुख्यत: किस-किस प्रकार की क्या-क्या सहायता उपलब्ध करवाई गई ? सहायता का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सरकार की जानकारी के अनुसार उक्त दंगों के होने के क्या-क्या कारण थे ? क्या कोई जांच की गई ? यदि हां, तो प्रकरणवार रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त दंगों में किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया ? क्या दंगों में सरकारी, अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित पाये गए ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(5) दंगों में लिप्त कितने लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं और कितनों को सजा मिल चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) उक्त दंगों को रोकने हेतु सरकार ने क्या तात्कालिक प्रयास किए और भविष्य में पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

उत्तर

गृह राज्य मन्त्री (श्री महेन्द्र परमार) :

(1) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में 13 सम्पादयिक दगे घटित हुए। उनसे सम्बन्धित अपेक्षित सूचना की तालिका सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को दी गई सहायता उपरोक्त तालिका में अंकित कर दी गई है।

(3) प्रत्येक घटना के विशेष विभिन्न कारण तालिका में अंकित कर दिये गये हैं। केवल मकराना में हुई घटना के सम्बन्ध में अतिरिक्त जिलाधीश, नागौर द्वारा अभी जांच की जा रही है ।

(4) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध चालान कोर्ट में पेश किये गये हैं जिसकी सूचना तालिका में दर्शायी गई है। मनोहरपुर व मकराना में क्रमशः चार व एक सरकारी दंगों में सम्मिलित पाये गये । इनके विरुद्ध चालान प्रस्तुत हो चुके हैं।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, तालिका में क्या है यह बताते क्यों नहीं, यह साफ कीजिए, स्थिति साफ हो जायेगी। तालिका बता दें यह गम्भीर मामला है पूरे राजस्थान के सामने ।

श्री अध्यक्ष : यह क्या तरीका है ? यह तरीका बिल्कुल गलत है ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : पूरा-पूरा जवाब तो सुन लें। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र परमार : (5) अपेक्षित सूचना उपरोक्त तालिका में दर्शा दी गई है।

(6) उक्त दंगों को रोकने हेतु सभी सम्भव तात्कालिक प्रयास किये गये। आवश्यकतानुसार पुलिस बल को तैनात किया गया व उच्चाधिकारियों को मौके पर स्थिति पर काबू पाने के लिए भेजा गया। जिला प्रशासन द्वारा शान्ति समितियों के माध्यम से पारस्परिक सद्भाव बढ़ाने के लिए प्रयास किए गये । भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समाज विरोधी व साम्प्रदायिक तत्वों तथा धार्मिक कट्टर पंथियों पर और अधिक निगरानी रखी जा रही है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल में अभिवृद्धि की जा रही है। (व्यवधान)

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट सं. 1 देखें)

श्री अध्यक्ष : मैं किसी को अलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बहुत गम्भीरता से लेता हूं कि इस तरह के सवालों को आप राज्य मन्त्री से पढ़ायें। मुख्य मन्त्री जी इसकी गम्भीरता को समझें, गृह मन्त्री समझें हम कोई जवाब सुनना नहीं चाहते जब तक गृह मन्त्री खुद इसका जवाब नहीं देते। हम इस तरह के गम्भीरतम सवाल....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, यह गलत बात है शोपत सिंह जी ।

श्री शोपत सिंह : इस विषय की गम्भीरता के अनुसार इस सदन में इसका जवाब

(श्री शोपत सिंह)

देना चाहिए। इस तरह के गम्भीर मामलों में गृह मन्त्री बैठे हैं उनको देना चाहिए इसका जवाब।

श्री अध्यक्ष : वे देंगे, आप पेशेन्स रखिये।

श्री शोपत सिंह : इस सवाल की अह-मियतता को खतम करने का इरादा है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये तो सही। (व्यवधान)

आप इसको लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं।

श्री शोपत सिंह : इससे ज्यादा गम्भीर हम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल गम्भीर नहीं हैं।

श्री शोपत सिंह : इस पर लीपा-पोती करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप इस मामले पर बहस करना चाहते हैं।

श्री शोपत सिंह : इस मामले पर हम कोई जवाब नहीं सुनना चाहते।

श्री अध्यक्ष : मैं नम्बर दे रहा हूं।

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की शिकायत है कि जब इसका जवाब देते हैं। इसकी कापी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपका नम्बर आयेगा, आपका भी नम्बर आयेगा, माननीय शोपत सिंह जी। आपका नाम है और बोल रहा हूं।

श्री शोपत सिंह : नहीं, अगर आप इस सवाल को इस तरह गम्भीरता से नहीं लेते हैं तो मैं कोई सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछना चाहूंगा। आपने न तो इसमें दिया है मुझे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता तय कर लें।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक मौलिक आपत्ति है इस प्रश्न के प्रश्न संख्या 134 में हमने पूछा था 1981 से अब तक यानी 8 साल तक का ब्यौरा हमने चाहा था पुष्पा जैन, वसुन्धरा राजे, भंवरलाल जी शर्मा! न तो हमने इसमें मेन्शन किया न इससे पहले की वारदातों में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्ता।

सुश्री पुष्पा जैन : इसलिए सरकार ने जान-बूझ कर न तो मेंन्शन किया है, न ही 8 साल का ब्यौरा दिया गया है। आपने दो साल का ब्यौरा देकर सवाल की +++ कर दी। (व्यवधान) हमें 8 साल का ब्यौरा चाहिए। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : हमें ब्यौरा नहीं मिला है इसका। वह ब्यौरा जब तक नहीं मिलेगा मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहूंगा यह पूर्ण विवरण सारा सदन की मेज पर रखा जाय। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : माननीय पुष्पा जी बहस नहीं, बहस नहीं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++ शब्द कहा इस को एक्सपंज किया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैंने सुना नहीं, क्या कहा है ? (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, गृहमन्त्री महोदय का मौन टूट गया है क्या ? खड़े हो गये.... (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे मैं किसी भी मूल्य पर सन्तुष्ट नहीं हूं। मैंने पूछा था किन-किन को, कितना-कितना.... (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (गृह मन्त्री) : अभी हमारे माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया है सदन के सामने और यह कहने की कोशिश की है कि इस सवाल को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान में सबसे ज्यादा चुनौती जो राजस्थान की जनता के सामने है वह चुनौती है साम्प्रदायिकता की। इसलिए सरकार की मन्शा तो स्पष्ट है। सरकार चाहती है कि इस सवाल पर गम्भीरता से विचार करें। हम चाहते हैं इस पर चर्चा हो। मैं यह भी चाहता हूं हालांकि डिमाण्ड आ रही है इसके बावजूद सदन की राय है तो इसके ऊपर पूरे दिन भी डिबेट रखने के लिए तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में हमने मांग की थी साम्प्रदायिक तनाव पर, साम्प्रदायिक विषय पर चर्चा करने के लिए सदन का दो दिन का समय रखा जाये। मैं गृह मन्त्री जी की राय से सहमत हूं। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : इतना गम्भीरता से नहीं लिया मुख्य मन्त्री जी ने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कि इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से चर्चा करने के लिए समय निर्धारित किया जाये यह ज्यादा उचित होगा ताकि सारी बातों का विश्लेषण किया जा सके, कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो उस पर रोक लगायी जा सके। इस दृष्टि से इस पर विचार करना आवश्यक है। मैं समझता हूं सरकार समय निश्चित रूप से तय करेगी।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर प्लीज।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : इससे दूध का दूध पानी का पानी हो जायेगा।

मुख्य मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : कार्य सलाहकार समिति की बैठक में विगत में जब यह प्रश्न आया मैंने इसको स्वीकार किया कि हम इस पर गम्भीरता से पूरे दिन की चर्चा रखने को तैयार हैं। मैं समझता हूं कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(मुख्य मन्त्री)

की मीटिंग जब भी हो, उसमें आप समय निश्चित कर लें, पूरे दिन की डिबेट उस पर रख लीजिए इधर-उधर। दोनों तरफ हम इस प्रश्न पर खुल कर बात करना चाहते हैं और कोई न कोई समस्या का हल निकालें इसके लिए हम सब चिन्तित हैं।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सवाल पूछना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी अगर इस सवाल को गम्भीरता से लेते हैं तो प्रायोरिटी क्यों नहीं देते इसको। आप इसको लास्ट में रखेंगे जब सैशन खत्म हो जायेगा। (व्यवधान) आज सारा राजस्थान जल रहा है, पूरे राज्य में तनाव पैदा हो रहा है.... (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्य व्यर्थ में उत्तेजित हो रहे हैं। मैंने तो यह कहा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यह तय कर ले कि किस दिन इसको रखना है। मैं कोई लास्ट में या पहले रखने की बात नहीं कह रहा हूं।

श्री शोपत सिंह : 20 तारीख तक की तो आपने प्रोग्राम बना लिया है। आज के तीन दिन पहले चर्चा चली तो हम ने कहा इसको पहले रखिए। अगर आप इसको गम्भीरता से लेते तो प्रायोरिटी देते। इस साम्प्रदायिकता के इश्यू पर आप ड्रामा करना चाहते हैं। लोगों को +++ बनाना चाहते हैं, लोग मर रहे हैं, रोज तनाव पैदा हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : माननीय शोपतसिंह, जी आप विराजें तो सही।

श्री शोपत सिंह : आप तनिक भी गम्भीर होते.... (व्यवधान) आप को भी तकलीफ है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता ने कह दिया माननीय मुख्य मन्त्री ने कह दिया और क्या चाहिए ?

श्री शोपत सिंह : मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मन्त्री जी यदि गम्भीर होते तो सदन की बैठक के एक महीने बाद विचार क्यों होता।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बता दिया।

श्री शोपत सिंह : यह पहले दिन होना चाहिए था। आज प्रदेश के अन्दर इससे अहम् कोई भी समस्या नहीं है जितनी आज साम्प्रदायिकता की समस्या है। आप बड़े आराम से सदन के लास्ट दिन लेना चाहते हैं। पता नहीं भागेंगे या रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : इसकी तारीख तय कर दूंगा।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : तनाव करने वाले तो यहां बैठे हैं ? तनाव-वनाव कुछ नहीं है। जब तक विधान सभा चलेगी, तब तक, राजस्थान में तनाव रहेगा।

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शोपत सिंह : तनाव पैदा करने में आप भी पीछे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हैं ? मैं इसकी तारीख निश्चित कर दूंगा।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला है और सरकार कुछ नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष : सरकार खुद कर रही है, आपके कहने से इसका महत्व बढ़ेगा क्या ? (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : कल बहस रखें, परसों रखें, चार दिन बाद बहस रख लें।

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी कोई तारीख निश्चित कर दूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेण्ट्री करने के लिए आपने अलाऊ किया है।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया, आपने कह दिया, आप रूलिंग दीजिए।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, बी. ए. सी. में उस दिन ही तय हो जाता--

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : आप स्थगित मत कीजिए, सप्लीमेण्ट्री करने दीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने भी प्रश्न स्थगित करने के लिये नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। क्या यह चाहेंगे कि आज भी इस पर समय लगे और बाद में भी लगे। मेरे ख्याल से यह उचित नहीं होगा।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, उस दिन तो अलग ढंग से डिसकस होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो तब होता जब प्रश्न के ऊपर उत्तर ही नहीं दिया जाता, प्रश्न का उत्तर दे दिया तो सप्लीमेण्ट्री तो होगी।

श्री अध्यक्ष : मैं फिर कह रहा हूं कि इस पर करेंगे और उस पर भी करेंगे। कितना समय लेना चाहेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लिमिटेड एक प्रश्न।

श्री शिवचरण माथुर : लिमिटेड का तो जवाब दे दिया और आगे बहस करना चाहते हैं --

श्री अध्यक्ष : आप तय कर लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें तो प्रश्न पूछा गया था। सप्लीमेण्ट्री तो अब होगी।

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : अध्यक्ष जी, यह तो बड़े लोग हैं, यह तो बड़े पदाधिकारी हैं जरा अदने आदमी को भी सुनिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रश्न तो आने दीजिए।

श्री शोपत सिंह : आप तो बहुत बड़े दल के थे पर भगोड़े बन गये।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : यह किस पर बोल रहे हैं। फिर तो मैं भी बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मूल प्रश्न कर्त्ता दाऊदयाल जोशी है वह पहले बोलेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : यह डरा रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : यह क्या मैं बोल रहा हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा प्रश्न है. मैं प्रश्न करूंगा। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा— (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : संयम तो रखिये। मुझे सुनिये तो सही।

श्री यदुनाथ सिंह : टिकट नहीं मिलेगा।

श्री सी. पी. जोशी : यह तो टिकट बांटेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय यदुनाथसिंह जी, आप गाइड नहीं करेंगे। गलत बात है। मैं कहता हूं इसका इम्प्रेशन गलत होगा।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न पूछा गया था वह तथ्यात्मक जानकारी के लिये पूछा गया था वह दे दी गयी है। अब इसकी गम्भीरता को समझकर के क्या कारण हैं ? इस सारी बीमारी पर, बहस करने के लिये जब सरकार की तरफ से यह स्वीकार कर लिया गया है कि पूर्ण बहस हो जाय और आपके भी विचार आ जायं, इधर के भी आ जायं तो फिर क्या है ?

श्री अब्दुल अजीज : तारीख मुकर्रर कीजिए। कल होगा।

श्री शिवचरण माथुर : तारीख तो बी. ए. सी. मुकर्रर करेगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिम्मेदार गवर्नमेण्ट को खुद भी स्टेटमेण्ट लेकर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह शेखावत।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैंने 30 मई को एक कॉल अटेंशन मोशन दिया है इसलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर डेट फिक्स कीजिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : साम्प्रदायिकता के बारे में आपके कार्यकाल में राजस्थान में 9 व्यक्ति मारे गये और 300 व्यक्ति घायल हो गये इस पर आपका स्टेटमेण्ट आना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य है.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न पूछ लिया गया है. उत्तर आ गया है तो सप्लीमेण्ट्री तो होगी ही। प्रश्न का जवाब नहीं देते तो कोई बात हो सकती थी। ड्राप कर देते। लेकिन सरकार ने प्रश्न का जवाब दे दिया है तो सप्लीमेण्ट्री प्रश्न तो पूछे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं एक निवेदन करूंगा। एक ही विषय एक सैशन में दो बार डिस्कस कर लें, आज भी डिस्कस कर लें, उस दिन भी कर लें यह गलत है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आज ही अलाऊ कर दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर तो और भी बातें आ सकती हैं, सब ही बोलेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : कुछ नये तथ्य जो नहीं आये हैं आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : उस दिन भी आ जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा, इसको सीमित कर दीजिए। एक, दो, तीन बोल दें।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, सभी प्रश्न पूछना चाहेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, स्थगित नहीं होगा प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : स्थगित नहीं कर रहा हूं।

श्री प्रणवीर व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है। मैंने जानकारी चाही थी कि यह इतना गम्भीर मसला है कि जिसको पांच दस मिनिट में नहीं निपटा सकते हैं तो इसके ऊपर विस्तृत चर्चा कर ली जाय। यह ऐसा विषय कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात आ रही है। यह कौन लोग हैं? कौन लोग इस तरह के दंगे करवा रहे हैं वह राजस्थान की जनता के सामने, भारत की जनता के सामने उन लोगों के मुखौटे आ जायेंगे कि वह कौन लोग हैं जो इस तरह के दंगे करवा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि समय तय करें, जिससे कि इस पक्ष के और उस पक्ष के सभी माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकें और हम इस बात का पता चला सकें कि वह कौन लोग हैं जो देश के अन्दर और राजस्थान के अन्दर साम्प्रदायिकता के नाम पर इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं। पांच दस मिनिट और दो चार क्वेश्चन से इसका हल नहीं निकलने वाला है इसलिए इस प्रश्न को स्थगित करें और अगला प्रश्न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : यह मेहरबानी कीजिए, एक दो प्रश्न कर लें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मन्त्री महोदय, केन्द्रीय सरकार ने एक निर्देश आपकी सरकार को भेजा था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता के अलावा किसी को अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रश्न ही कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करूंगा और लिखा नहीं जायेगा किसी दूसरे का।

श्री दाऊदयाल जोशी : उसमें कहा था कि राज्य में बढ़ रहे साम्प्रदायिक दंगों के कारण कृपा करके आप एस. पी. और कलक्टर को जिम्मेदार ठहरायें, क्या इस प्रकार की सिफारिश आपके पास आयी थी, और आई थी तो जो 13 दंगे हुये, उन 13 स्थानों पर क्या आपने इन दंगों में किसी एस. पी. या कलक्टर को जिम्मेदार

(श्री दाऊदयाल जोशी)

ठहराते हुये उसके खिलाफ कोई समुचित कार्यवाही की ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो 13 जगह दंगे हुए हैं, जिसमें 9 व्यक्ति मरे हैं, 300 के लगभग घायल हुये हैं, मैंने सूची चाही थी किस-किस को कितना-कितना मुआवजा दिया गया ? मुझे खेद है कि मेरे क्षेत्र में कोटा जिले के अन्दर दंगा हुआ, एक व्यक्ति गोली से मर गया, 7 व्यक्ति घायल हुये। एक पैसा भी आपने मुआवजा नहीं दिया।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : क्योंकि वह सब हिन्दु थे .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय हरीश जी इन सवालों को नहीं उठायेंगे। संयत भाषा में बोलेंगे। यह कम्युनिटी का क्यों उठा रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन कर रहा था कि जो 13 जगह दंगे हुए हैं, मैंने पूछा था कि पहल किसने की ? तो आपने स्वयं स्वीकार किया है कि पहल 13 जगहों में से 11 जगह अल्पसंख्यकों के द्वारा की गयी। चाहे वह होली का जुलूस हो, चाहे वह मस्जिद की दीवार को धर्मशाला.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं। प्रश्न कीजिए। भाषण नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : कैथून के अन्दर जहां पर चार व्यक्ति घायल हुये, 18 व्यक्ति चोटों से पीड़ित हुये.... (व्यवधान)

माननीय मन्त्री महोदय, आपने जो मुआवजा दिया है कैथून में तीन हजार रुपया, 18 व्यक्तियों को घायल होने के बाद। तीन हजार में से दो हजार पांच सौ रुपया तो आपने एक व्यक्ति....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हीरालाल आर्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : दो सौ रुपये गुण्डों को दिये हैं, तेरा हाथ टूट गया ले यह मुआवजा ले जा। मेरा निवेदन करना है कि मुआवजे में भेद-भाव क्यों ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप भाषण नहीं देंगे। माननीय जोशीजी, आप भाषण नहीं देंगे।

श्री हीरालाल आर्य : (अनुपस्थित)

श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग 2, 3, 4 में जो जानकारी चाही थी उसका उत्तर राज्य सरकार ने बिल्कुल छिपा लिया। दो में हमने यह पूछा था कि किस प्रकार की क्या सहायता उपलब्ध कराई थी ? इन्होंने उत्तर में कुछ नहीं लिखा। तीन में हमने यह पूछा था कि क्या कोई जांच की गयी ? यदि हां तो प्रकरण वार रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। इन्होंने उत्तर में यह लिख दिया कि मकराना की जांच जिलाधीश, नागौर अभी कर रहे हैं। बाकी के बारे में कुछ नहीं कहा, न हमें कापियां दी गयीं।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

चौथे में हमने यह पूछा था कि दंगों में कौन-कौन व्यक्तियों को दोषी पाया गया ? इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, कह दिया गया कि तालिका में दर्शा दिया गया है। तालिका में क्या दर्शा दिया ? आप पढ़कर बतायें, कौन-कौनसे व्यक्ति दोषी हैं ? यह तीनों जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इनका उत्तर बिल्कुल नहीं दिया गया है। इसलिए आप इनका क्लियर उत्तर दिलायें। दो तीन और चार का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

श्री शोपत सिंह : इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : नोट अलाउड, नम्बर से, नम्बर से।

श्री शोपत सिंह : अजी आप काहे का जवाब दे रहे हैं, इसका जवाब ही नहीं है आप खुद पढ़िये।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरों के हक को क्यों छीन रहे हैं। मैं आपका नाम दे रहा हूं।

श्री अब्दुल अजीज।

श्री शोपत सिंह : यह अधूरा जवाब है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय ऐसे सेन्सिटिव मसले पर सदन वास्तव में चिन्तित है और ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी सदस्य इस उलझन को, इस परेशानी को, जो देश का यह दाग है इसको धोना चाहते हैं। मैं इत्तफाक से मुस्लिम समुदाय, जिसका कि सम्प्रदाय से सीधा रिश्ता ही कर दिया है। यह जितने 13 केसेज हैं, मुझे इसमें कोई सवर्ण जाति, पिछड़ी जाति कोई भील मीणा या राजपूत या जाट, यह कोई इसमें जितने 13 झगड़े हुये हैं, इसमें सीधा रिश्ता जो है मुस्लिम वर्ग से सीधा पड़ा है। इसलिए इत्तफाक से मैं उससे रिश्ता रखता हूं, उसमें हूं मेरे लिए सभी बराबर हैं इन्सान। एज ए इन्सान। लेकिन मैं इसलिए चिन्तित हूं कि यह 13 जो मामले हैं, कम्युनिटी विशेष हालांकि यह सम्प्रदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं इन मसलों का तो गुण्डों से ताल्लुक है या असामाजिक तत्वों से ताल्लुक है लेकिन सम्प्रदाय का अर्थ जो दुनियां और अखबारों के माहौल से बन जाता है उससे हम सभी पीड़ित हो जाते हैं और हम उस दिशा में देखने लगते हैं। इसलिए अध्यक्ष जी मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे सेन्सिटिव मसलों पर आप तारीख निश्चित करें, आप हमें समय दें.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री शोपतसिंह जी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप दूसरों के हक को न छीना करें, आपको मैं टाइम देता हूं, दिया करूंगा।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में कहा था कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसके सारे जवाब भी नहीं आये हैं। हम पूछना चाहते हैं कितने मुसलमानों की दुकानें जली, कितने मुसलमानों के कारखाने जले, कितने तबाह हुए ? कहां-कहां लोग जो पकड़े गये

(श्री शोपत सिंह)

उसमें कौन-कौन सी पार्टियों के लोग शामिल थे ? आपने किस अधिकारी को दोषी पाया ? किस को दोषी नहीं पाया ?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष जी, मैं शोपत भाई से इस सदन में तरमीम चाहता हूं कि हिन्दु या मुसलमान न कहें अपनी जुबान से यह कहें, अब्दुल अजीज, अब्दुल रहमान, इस भाषा को हम भूल जायें नहीं तो हमारे यहां गतिरोध होता है बोलने में।

श्री शोपत सिंह : अजीज भाई घबरा रहे हैं। किसी तूफान को देखकर आंख मीच लें तो वह तूफान निकल थोड़े ही जायेगा। एक असलियत है कि हर साम्प्र दायिक दंगों में मुसलमान मारा जाता है। हिन्दु और मुसलमान दोनों हैं मरने वालों में। (व्यवधान)

मेरा निवेदन करना है कि इस प्रश्न को पूरी जानकारी देने के लिए क्योंकि हमने कहा कि जो भी जांच करवाई गई हैं उस जांच के क्या नतीजे हुए हैं, उसमें कोई जवाब नहीं आया। हमने कहा है कि कौन-कौन लोग जिम्मेदार थे, आपने इसमें कोई विवरण नहीं दिया। आपने सीधा सा बता दिया 463 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है। यह लोग कौन है ? आखिरकार हमको पता तो लगे यह गुण्डे हैं, या बदमाश हैं, या भले आदमी हैं या साधु हैं, या मौलवी हैं, या पण्डित हैं आखिर कौन हैं यह लोग ? आप अगर इस तरह के अधूरे प्रश्न को टालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। हम चाहते हैं सारे फैक्ट्स लिखित में आयें। आप शरमा क्यों रहे हैं ? हमने पूछा बताइये कौन-कौन लोग है ? कौन-कौन लोग का मतलब हमारा नाम से नहीं था, हमारा मतलब था कौन-कौनसी पार्टियों के लोग इसमें इनवाल्व हैं ? कितने कांग्रेस के लोग हैं, कितने कम्यूनिस्ट हैं जो दंगों में दिलचस्पी रखना चाहते थे इसलिए यह सारे का सारा अधूरा है। इसको पोस्ट पोन कीजिए और सारी जानकारी दीजिए जिस दिन आप बहस करवायें। (व्यवधान)

क्या समझें हम इसको ? दो-तीन-चार आप पढ़ लीजिए। इसमें अगर जवाब हों तो आप इस सवाल को पुछवाइये, आगे सप्लीमेंट्री करवाइये। जवाब नहीं है इन तीनों सवालों का तो हम सप्लीमेंट्री काहे पर करें ? (व्यवधान) मैं पूछता हूं कितने हिन्दु पकड़े गये; कितने मुसलमान पकड़े गये? कितने-कितने कौन-कौनसी पार्टियों के लोग थे ? बताइये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये तो सही आप।

श्री शोपत सिंह : पहले मेरा जवाब दिलवाइये आप। चाहते क्या हैं आप, आप इसको कैसे आन रखना चाहते हैं ? मैं पूछता हूं कितने हिन्दू पकड़े गये। बताइये आप, मैं सप्लीमेंट्री पूछूंगा, पहले मेरा जवाब आना चाहिए; जवाब दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय विद्याजी।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं क्या यह सही है कि साम्प्र-

(श्रीमती विद्या पाठक)

दायिक दंगों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है ? क्या यह सही है कि संवेदनशील एरियाज में, जो आप ने आइडैण्टिफाई किये हुए हैं, अल्पसंख्यक प्रधान क्षेत्र हैं ? क्या यह सही है, आइडंण्टिफाइ, जैसा आप कहते हैं, अगर हो चुके हैं तो उस के बाद भी प्रीकाशन क्यों नहीं लिया गया ? ऐसे दंगों की पुनरावृत्ति क्यों हुई ? आप की सी आई. डी. इस में क्या कर रही थी ? एक ही जगह पर बार-बार दंगे हो रहे हैं। पकड़े हुए लोग किस-किस सम्प्रदाय के थे ? क्या यह सही है कि आप ने बैलेन्स करने की दृष्टि से बराबर-बराबर लोगों को अरेस्ट किया है चाहे वह इस के लिए दोषी थे या नहीं थे ? क्या यह सही है कि आप मन्त्रीगण ने अधिकारियों को उचित रिपोर्ट देने और कार्यवाही करने से रोका है ? मैं इंस्टांस बता सकती हूं। जिन केसेज की वजह से दंगे हुए हैं क्या आप ने उनके बेसिक रीजंस थे उनको रिमूव करने की कोशिश की नीतिगत रूप से ? जैसे, कहीं पीपल आ गया तो ताजिये नहीं निकल सकते, बैण्ड बज रहा है तो मस्जिद के सामने से नहीं निकल सकते, किसी एक सम्प्रदाय की लड़की को दूसरे सम्प्रदाय वाले उठा कर ले गये, गाय की आंखों में तेजाब डाल दिया, कान काट लिये या किसी को पकड़ कर पेड़ से बांध कर मारा। क्या आप ने अपराध को अपराध की तरह समझ कर उस पर तुरन्त कार्यवाही करने की कोशिश की ? सिर्फ एफ आई. आर. दर्ज करना तो काफी नहीं है इसके लिए कुछ एनविसेज भी करना चाहिए कि इस का मैग्नीट्यूड कितना बढ़ सकता है। क्या आप का प्रशासन इस में अटरली फेल रहा है ? अध्यक्ष महोदय, एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आप अपराध को अपराध की तरह नहीं देख कर उस को राजनीतिक वोटों के हिसाब से डील करते हैं, क्या यह बात सही नहीं है ? सबसे बड़ी बात मैं यह पूछना चाहती हूं कि आप ने साम्प्रदायिकता की परिभाषा क्या बनायी है ? क्या आप यह सोचते हैं कि कहीं कोई एण्टी-हिन्दू काम हुआ तो वह तो हो गया असाम्प्रदायिक और अगर कोई ने हिन्दू की बात बोली तो वह हो गया साम्प्रदायिक ? Isn't it very incorrect ? राजीव गांधी और श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसे करते-करते चली गयीं उसी तरह क्या आप भी हव्वा इस का खड़ा करके अपने राजनीतिक दोषों और असफलताओं को छिपाना चाहते हैं और लोगों को बांटना चाहते हैं ? क्या यह कांग्रेस की सीधी नीति नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय पुष्पाजी, आप का क्लब करने से रह गया।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय अध्यक्षजी मेरा एक निवेदन है, मैं आप से अर्ज करता हूं कि आधा घण्टा हो गया एक सवाल को। आप ने हाउस के अन्दर यह बात कही थी एक सवाल ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट होगा, छः मिनट होगा। इस सवाल को आधा घण्टा हो गया। दूसरा सवाल आ नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोदीजी, मैं जल्दी कर रहा हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय

(श्री मुक्ति लाल मोदी)

अध्यक्ष जी, इस का आप को फैसला करना पड़ेगा। सवाल मत लगाओ आप, बिल्कुल मत लगाओ। दूसरे लोग रह जाते हैं सवाल करने से। आधा घण्टा हो गया। हर आदमी भाषण देता है....

श्री अध्यक्ष : आप का कहना माना।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप कोई टाइम फिक्स कर दीजिए, शनिवार का कर दीजिए। छुट्टी मत रखिये जिस से झगड़ा तो मिटे यह। इन्होंने भाषण दिया उन्होंने भाषण दिया। तीसरा भाषण होगा, चौथा भाषण होगा। सवाल का तो टाइम खराब कर देते हैं आप। फिर सवाल क्यों पूछते हैं, और करते हैं यह करते हैं? मेरा आप से यह नम्र निवेदन है कि आप सवाल के लिए जब तक टाइम फिक्स नहीं करोगे तब तक यह धांधलेबाजी चलती रहेगी। कितने दिन चलेगी यह धांधलेबाजी? सवाल देते हैं, सरकार के अन्दर एक सवाल पर एक-एक हजार दो-दो हजार, पांच-पांच हजार खर्चे होते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं जल्दी कर रहा हूं, आप समय की बचत करने दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसलिए दुःख होता है कि हमारे खून का पैसा खर्च करती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोदी जी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सवाल, सवाल की बात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोदीजी, समय की बचत कर रहा हूं, मैं करता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह बात इस तरह से नहीं चलेगी। हमारा खून का पैसा बर्बाद करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप समय की बचत तो करने दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक इस सवाल के अन्दर आधा घण्टा खराब कर दिया आप ने। फिर सवाल क्यों पूछते हैं? एक सवाल के अन्दर पांच-पांच हजार, दस-दस हजार रुपया खर्च होता है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, समय की बचत करने दें। मैं अभी करता हूं इस को।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसका फैसला आपको करना पड़ेगा। सवाल मुफ्त के अन्दर नहीं होते हैं। आफिसरों का समय, पैसा, हमारा खून का पैसा खर्च होता है। ऐसे नहीं खर्च होता है कि धूल का पैसा खर्च हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय मोदीजी, आप बिराजें। माननीय पुष्पाजी, कृपया बोलें।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं गृह मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या यह सही है कि 1947 में इसी सदन में आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने यह घोषणा की थी कि राजस्थान में जितने भी साम्प्रदायिक दंगे अब तक हुए उनकी जांच राजस्व मण्डल के सदस्य श्री चन्द्रप्रकाश मीणा से करवायी जायेगी? मैं पूछना चाहती हूं कि

(१५)

(सुश्री पुष्पा जैन)

क्या वह जांच हो गयी ? यदि हां, तो सदन के पटल पर वह जांच रिपोर्ट आप रखें। यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं करवायी गयी ?

दूसरा प्रश्न मैं यह दोहराना चाहूंगी, आदरणीय प्रधान मन्त्रीजी के अनुसार जहां-जहां साम्प्रदायिक दंगे होंगे वहां के एस. पी. और कलेक्टर को तुरन्त प्रभाव से सस्पैण्ड कर दिया जायेगा इस सन्दर्भ में आप ने अब तक राजस्थान में इन दंगों के दौरान कितने एस. पी. और कलक्टर्स को कहां-कहां सस्पैण्ड किया ?

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) : आप की अनुमति से, अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल....

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे सवाल का जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : अभी दिला रहा हूं, अभी दिला रहा हूं। खत्म कर रहा हूं। (व्यवधान) आप पक्ष के भी एक-आध को सुन लेने दीजिए। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब तो दिलवाइये, इनको बाद में प्रश्न पूछ लेने देना।

श्री अध्यक्ष : एक-आध प्रश्न और कर लें। इतना ही टाइम फिर लग जायेगा। एक सवाल और बस। फिर इसके बाद में। (व्यवधान) शार्ट में, शार्ट में कृपया।

श्री पोकरलाल परिहार : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से गृह मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि साम्प्रदायिक दगे जहां-जहां भी होते हैं उन में बी. जे. पी. के लोगों का विशेष रूप से हाथ रहता है और कांग्रेस पार्टी को यह बदनाम करने के लिए सक्रिय रहते हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप को शर्म आनी चाहिए।

श्री पोकरलाल परिहार : क्या यह सही है कि जनता की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने का यह विपक्ष का षड्यन्त्र है ? (व्यवधान) बाली में दंगा हुआ, उसके पीछे किस का हाथ था ? बाली में साम्प्रदायिक दंगे हुए सोजत में साम्प्रदायिक दंगे हुए.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बी. जे. पी. का नाम ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी कृपया बैठें आप। कृपया बैठें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अनर्गल प्रलाप को कैसे बर्दाश्त करेंगे ? मर्जी आये जो बोल जायेगा ?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : इस प्रदेश में आजादी से पूर्व कभी भी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए, आजादी के बाद से यह बार-बार साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। इसका कारण क्या आपकी सरकार नहीं है,

(श्री देवीसिंह भाटी)

क्या इसके समाधान के लिए कोई प्रयास किया है ? आजादी से पूर्व इस प्रदेश में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ । सिर्फ कांग्रेस की यह नीति रही है कि आपस में लड़ाये । वोटों की राजनीति करते हैं यह ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी ।

श्री अशोक गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाये हैं, मैं समझता हूं कि जो सवाल आज हमारे सामने हैं, आपने निर्देश दिये हैं कि आने वाले वक्त में हम इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे । अभी जो सवाल उठाये गये हैं मैं पूरी गम्भीरता के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले एक अरसे से केन्द्र सरकार ने इसको बहुत गम्भीरता से लिया है । एक माननीय सदस्या ने कहा कि हमारे देश की महान नेता इन्दिराजी और राजीवजी ने जो आरोप लगाये हैं क्या उसी तरीके से....

श्रीमती विद्या पाठक : आरोप नहीं लगाये हव्वा खड़ा किया ।

श्री अशोक गहलोत : हव्वा खड़ा किया । हव्वा खड़ा करने वाली बात नहीं है । मैं ऐसा मानता हूं कि आज देश की जनता के सामने सारे तथ्य हैं । एक माननीय सदस्य अभी एक बात कह रहे थे कि आजादी मिली उसके बाद इतने सारे दंगे हुए । आज मुल्क यह समझता है कि साम्प्रदायिकता फैलाने के लिए कौन तत्व जिम्मेदार हैं । कौनसी राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवार हैं.... (व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं, आप मेरा जवाब तो सुन लीजिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जरा सुन तो लीजिये, जवाब आ रहा है, बीच में इन्टरप्शन नहीं ।

श्री दाऊदयाल जोशी : जवाब नहीं दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं ।

श्री अशोक गहलोत : जब सवाल किये जा रहे थे तो मैंने सब बातें बहुत ध्यान से सुनी .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप बोलने देना नहीं चाहते हैं.... (व्यवधान) बन्द कर दिया वह जवाब ।

श्री अशोक गहलोत : मुझे इसके बारे में कोई कहने की आवश्यकता नही हैं कि + + + इसलिए मैं कोई बात नहीं कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि सब लोगों को मालूम है, मेरा तो इतना निवेदन है कि....

श्री दाऊदयाल जोशी : + + + तो आपका जवाब है, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया आप सुन तो लें, पहले सुन लीजिये । (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री महोदय से कहूंगा कि हमने जो जवाब मांगा है वह बता दीजिये कि कितनी दुकानें हिन्दुओं की जलीं, कितनी मुसलमानों की जलीं ? (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री अध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप बहस करना चाह रहे हैं, (व्यवधान)

माननीय मन्त्रीजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : +++ कैसे सुनेंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) : यह तो जनता दल के अध्यक्ष जी ने कहा है।

श्री अशोक गहलोत : मुझे इस बात का दुख है कि अभी मैंने किसी संगठन का नाम नहीं लिया है, किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया है और किसी नेता का नाम नहीं लिया है उसके पहले ही ××× और जब नाम आयेगा तो क्या होगा ?

श्री शोपत सिंह : नाम लीजिये आप, बताइये क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी भाषा का प्रयोग किया है कि +++ इनसे माफी मंगवाइये, (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव(किशनपोल): यह +++ शब्द का जो आपने उपयोग किया है यह असंसदीय है, यह सदन में उपयोग करने का नहीं है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : कौनसी संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी थोड़ा इनको समझाइये यह कौनसी संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजनीतिक बहस में न पड़कर बहस करें, जवाब दें अगर राजनीतिक बहस करेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि +++।

श्री सी. पी. जोशी : कौन ?

श्री मोहन छंगाणी : +++ इक्वल बायस मैथेमैटिक्स मैथड बनाया था कान्स्टीट्यूशन में कि कितने मुसलमान टेलीपनेन के मेम्बर हैं, कितनों को मकान मिले हुये हैं— (व्यवधान) बाद में पूछ लेना.

"Equal bias does unequal harm to a particular community and the harm done to that particular community is equivalent to the bias."

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, संसद में रहे हैं, मन्त्री भी रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है मैं समझता हूं कि बाद में आप एक्सपंज करें उसके पहले वह विथड्रा कर लें। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है आप स्वयं यह कह रहे हैं कि न तो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं और न सुनना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस शब्द का प्रयोग किया है कि माननीय सदस्य +++

+++ अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह सदन में पहले कई बार प्रयोग किया है तो एक्सपंज किया गया है, मैं समझता हूं कि शायद माननीय मन्त्री महोदय को इस सदन की परंपराओं का ज्ञान नहीं है, हो सकता है बाहर का ज्ञान हो, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक्सपंज करें उसके पहले वह विथड्रा कर लें। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता इतने वरिष्ठ सदस्य हैं. मन्त्री महोदय जवाब दे रहे थे, जवाब सुनना नहीं चाहते हैं और भाषण देना चाहते हैं इस व्यवस्था में सुधार हो जाय आप जो चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा. (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, जवाब का मतलब गाली-गलौज तो नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली (बेंगू) : कौनसी भाषा असंसदीय है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को खतम करो और दूसरा प्रश्न लो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंह जी, आप बोल रहे हैं, वह बोल रहे हैं, वह कितने जोर से बोलते हैं, जरा उनसे कहिये धीरे बोलें।

श्री छोगाराम बाकोलिया (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने... (व्यवधान) मेरी बात सुनिये, यह आरोप लगाया है+++बिल्कुल गलत बात है इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं कहना चाहूंगा कि +++ऐसा नहीं कहना चाहिये था मैं उसको एक्सपंज करूंगा।

श्री मोहन छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्टेटमैण्ट तो सुन लीजिये, स्टेटमैण्ट अच्छी तरह से सुन लीजिये कि मैंने क्या कहा था....

श्री अध्यक्ष : मैं कहता हूं कि+++ ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने एक्सपंज कर दिया, क्या कहा है विधान के बारे में (व्यवधान) विधान का रेफरेन्स दे दिया इसमें कौनसी गलती की है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, रेफरेन्स +++यह नहीं कहना चाहिये। (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : इसमें बात दूसरी थी, अध्यक्ष महोदय आप सुन तो लेते। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप लिहाज क्यों कर रहे हैं यह विपक्ष की तरफ से+++ बात कहते हैं, रेफरेन्स दे दिया तो एक्सपंज कर दिया और गृह मन्त्री ने कह दिया आप उसको एक्सपंज नहीं कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोई नहीं बोलेगा अभी, पहले विथड्रा करवाइये। (व्यवधान)

+++- अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सी. पी. जोशी : आप धमका रहे हैं, बाहर निकालो इनको ।

श्री मोहन छंगाणी : कौन चेयर को धमका रहा है, आप धमका रहे हैं, हम तो आदर करते हैं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं सी. पी. जोशी से पूछना चाहता हूं कि + + + शब्द को प्रयोग करने के लिये हमें अनुमति देंगे क्या ? (व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : मैं तो अपने शब्द वापस लेती हूं । (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि माननीय विरोध पक्ष के नेता सदन की परम्पराओं के लिये बहुत चिन्तित हैं, होना तो यह चाहिये था कि सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते नये गृह मन्त्री जी का पूरा उत्तर आपको सुनना चाहिये था, आपकी पार्टी के लोगों को डिसिप्लीन रखना चाहिये बनिस्पत उसके अपने लोगों को ऐसी बात करके - (व्यवधान) पूरे प्रश्न का जबाब सुनते । .

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : वह सक्षम हैं, गृह मन्त्री को वकील की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : सुनना नहीं चाहते हैं या नहीं सुनना चाहेंगे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय गृह मन्त्री जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वह वापस लें इसमें क्या दिक्कत है ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय जोशी जी । (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आपका नैतिक कर्त्तव्य है, आप नये आये हैं, नये खिलाड़ी हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय, माननीय । बैठिये बैठिये । (व्यवधान) हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोडूं आपके । (व्यवधान) माननीय भैरोंसिह जी, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : + + + (व्यवधान)

श्री सी. पी जोशी : + + + (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आपको क्या है ? आपको हाऊस कन्ट्रोल करना है । आप फ्री-स्टाइल में क्यों छोड़ते हैं सदस्यों को ?

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह कह रहा हूं कि मैं ईयर प्लक लगाना चाहता हूं ।

श्री देवीसिंह भाटी : आपको नियमों में अधिकार है । (व्यवधान) हाऊस को चलने दो ।

श्री अध्यक्ष : मैं ईयर प्लक लगाना चाहता हूं । यह कहना चाह रहा हूं, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय विपक्ष के नेता ने जो कहा । मैं कहता हूं

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

जिस टोन में वह बोलते हैं, क्या हम उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं ? (व्यवधान) जो कुछ माननीय सदस्य बोलते हैं। उस भाषा को क्या कहा जाय उस आवाज को क्या कहा जाय क्या हम उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : आपको महसूस हो वहाँ एक्सपंज करिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं खुद परेशान रहता हूं कि धीरे बोलो, धीरे बोलो। मैं तो ईयर-प्लक लगाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : अध्यक्ष महोदय, आप उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। चिल्लाने को तेज स्वर में बोलने की बात भी कह सकते थे, जोर से बोलने की बात भी कह सकते थे। + + + कौन-सी भाषा का प्रयोग है। (व्यवधान)

श्री प्रणवीर व्यास : अध्यक्ष महोदय, हाऊस की परम्परा रखने की क्या इन्होंने बात की ? अध्यक्ष महोदय, हाऊस के अन्दर कोई नहीं हो उसके ऊपर यह आरोप लगा दें। (व्यवधान) उनको एक्सपंज करने की जरूरत नहीं है। छोटी सी बात कह दी उससे घबराहट मच गयी।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रणवीर व्यास, आर्डर प्लीज।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे से माननीय सी. पी. जोशी ने + + + शब्द को ही अशिष्ट बताकर निकलवा दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष इसको सुनना नहीं चाहता है। मैं नैक्स्ट क्वश्चन ले रहा हूं। विपक्ष नहीं सुनना चाहता है। नैक्स्ट श्री शिवचरणसिंह जी।

श्री शोपत सिंह : आप भी शान्त रहिए आप भी शान्त रहो। जवाब आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : यानी मैं कहता हूं उन्होंने कहा। इनको नहीं, मैं क्या कहूं। मेरी भाषा में मैं कहता हूं मुझे चिल्लाना पड़ता है।

श्री अशोक गहलोत : (गृहमन्त्री) : माननीय अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अशोक गहलोत (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्षी साथियों ने जो बातें कहीं हैं। मुझे पता नहीं कि + + + शब्द की क्या परिभाषा की गयी। मुझे याद नहीं है कि मैंने जो बात कही वह क्या रेकार्ड हुई है और माननीय विपक्ष के नेता ने जो बात कही है कि सदैव इस प्रकार की परम्परा रही है कि आज तक कभी इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया। अगर वास्तव में आज तक नहीं किया गया तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है और उसी परम्परा का निर्वाह करते हुए जो अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता, सदन के नेता बात करेंगे, मुझे

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अशोक गहलोत)

उसमें कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान) जहां तक जो माननीय सदस्य दीगोद से आने वाले हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में जो साम्प्रदायिक दंगे हुए उसके बारे में जो कहा है कि वहां किसी को मुआवजा नहीं मिला। वास्तव में जिला कलेक्टर के स्तर पर इसका फैसला होता है। किन परिस्थितियों में दिया गया है इसकी जानकारी करवा के आपको हम जानकारी दिलवा देंगे। जहां तक उन्होंने यह कहा ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री अशोक गहलोत : माननीय दीगोद से आने वाले सदस्य ने जो कलेक्टर और एस. पी. के बारे में निवेदन किया कि जो निर्देश हैं, भारत सरकार के उसी के अनुरूप यह ध्यान रखा जाता है कि जहां कहीं भी दंगा हो उस क्षेत्र के कलेक्टर और एस. पी का क्या रोल रहा या उनके खिलाफ में कोई शिकायत है तो अवश्य ही उनके खिलाफ में कार्यवाही की जाय। इस केस में ऐसी कोई बात नहीं थी जो नेग्लीजेंसी की बात हो। जिससे कि कलक्टर और एस पी. के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती इसलिए कार्यवाही नहीं की गयी।

तीसरा, जो उन्होंने अपना प्रश्न किया कि 11 जगह पर माइनोरिटी वालों ने पहल की। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। अगर ध्यान से जो कारण बताये गये हैं उनको पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं उससे आप स्वयं अंदाज लगायेंगे कि इस प्रकार से हम आरोप लगायेंगे कि सभी जगह पर उन्होंने पहल की यह बात सच नहीं है। यह सब-जूडिस मामला है। इसमें जांच चल सकती है। अभी हम इस स्थिति में नहीं कह सकते कि किस वर्ग ने, किस व्यक्ति ने पहल की थी। मैं समझता हूं.... (व्यवधान)

आपका सवाल बाद में आयेगा तब जवाब दूंगा।

श्री लालचन्द डूडी : 503 और 4 का जवाब दीजिए।

श्री हरजीराम बुरड़क : मेरे सवाल का जवाब दे दिया ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आप जरा सुन तो लें। चैन तो लेने दो आप।

श्री अशोक गहलोत : लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसमें हमने जवाब में लिखा है कि अभी इसकी जांच चल रही है। (व्यवधान)

अर्थात् जिलाधीश के माध्यम से जहां तक उन्होंने कहा है कि क्या-क्या उनको मकराना में सहायता दी गयी। मैं आपको बताना चाहूंगा।

श्री नवरंग सिंह : मकराना के बारे में जो आपने जांच करवायी उस रिपोर्ट का क्या करना है आपको ? मकराना के अलावा जो 12 जगह दंगे हुए हैं उनमें आपने कार्यवाही करवायी ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, असली मुद्दा तो यही है (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (गृह मन्त्री) : क्योंकि इसमें इस प्रकार के दंगों की गम्भीरता की बात थी। जो नुकसान हुआ

(श्री अशोक गहलोत)

है उसको देखते हुए जो राज्य सरकार ने कदम उठाये उसमें रिजर्व बैंक के माध्यम से, व्यावसायिक बैंकों द्वारा सहायता दिलायी गयी। आयकर विभाग को आयकर रिटर्न भरने की तिथि बढ़ाने के लिए निवेदन किया जा चुका है। कलक्टर कस्टम दंगों में हुई इस हानि को दृष्टिगत रखते हुए छूट देने के बारे में विचार कर रहे हैं। राजस्थान वित्त निगम ने 81 प्रकरणों में करीब 66.60 लाख की सहायता विभिन्न उद्योगों को दी है और व्यावसायिक बैंकों से आसान शर्तों पर दंगों में प्रभावित लोगों के जो उद्योग हैं, उनको ऋण प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार से वहां पर अतिरिक्त सहायता भी दिलायी गयी है। मैं समझता हूं कि जांच की जब रिपोर्ट आयेगी, तभी तथ्य सामने आ सकेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो इन्टरप्शन, नो इन्टरप्शन।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, आपने पढ़ा है क्या प्रश्न तीन उसका उत्तर क्या है ? हम पूछते हैं जब तो आप बीच में आ जाते हो।

श्री अध्यक्ष : जरा आप सुनेंगे तो सही। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जो बहुत ज्यादा चिन्तित लगते हैं। (व्यवधान) और वह होना भी चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया। जो दंगे हुए हैं उसमें सरकार की नीति यह रहती है कि जो दोषी हैं चाहे वह किसी वर्ग का हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। सरकार की नीति यह नहीं है। जैसा किसी सदस्य महोदय ने कहा था कि क्योंकि बैलेंस रखकर के केस बनाये जाते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तक जो चालान पेश हुए हैं। 127 मुकदमें दर्ज हुए उसमें 42 में चालान पेश किये गये और 463 लोगों के खिलाफ चालान पेश किये गये और 463 में से दोनों वर्गों के लोग शामिल हैं। (व्यवधान)

(12.00 म.)

श्री शोपतसिंह : कितने कांग्रेस के हैं, कितने कम्यूनिस्ट हैं, कितने दूसरे हैं.... (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : सी. पी. एम. नहीं थी।

श्री अशोक गहलोत : किस-किस पार्टी के लोग सम्मिलित हैं यह कोई जांच के आधार का मुद्दा नहीं है। मेरे पास कोई इन्फार्मेशन नहीं है। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : बस्तियां मुसलमानों की कितनी जली, यह बतला दीजिये।

श्री अशोक गहलोत : 463 लोग हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय अब्दुल अजीज जी ने कहा था ...

श्री शोपत सिंह : किस-किसकी बस्तियां जलीं, (व्यवधान) बात करते हुए शर्म आती है, आप डरते हैं। बताइये नंगा कीजिये उन पार्टीज को।

श्री अशोक गहलोत : जो 463 लोग उसमें थे....(व्यवधान) बात तो पूरी सुनें आप । (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : मन्त्री महोदय, क्या आपने हर दंगे में कारण जो थे, उन कारणों को भी दूर किया है । आप मेरे प्रश्न को टालते चले जा रहे हैं । क्या आपने दंगों के कारणों को दूर किया है ?

श्री अशोक गहलोत : आपका उत्तर दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : सुन तो लें ।

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्य जो हनुमानगढ़ से आये हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, 463 में से एक वर्ग से 268 हैं और दूसरे वर्ग से 195 लोग हैं ।

श्री शोपत सिंह : हम पार्टी पूछ रहे हैं । कौन-कौन लोग थे ।

श्री अध्यक्ष : सभी पूछ रहे हैं, आप नहीं पूछो तो दूसरे पूछ रहे हैं ।

श्री अशोक गहलोत : यह इन्फार्मेशन हमारे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : यह तो बहुत लम्बी लिस्ट हो जायेगी ।

श्री अशोक गहलोत : सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात कही उससे मैं सहमति प्रगट करता हूं कि पिछले तीन-चार सालों में लगातार साम्प्रदायिक घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है और यह चिन्ता की बात है । उसके लिए सरकार ने अपने स्तर पर कदम उठाये हैं । जो भी निर्देश हमें केन्द्र सरकार से मिले हैं उसके आधार पर भी कार्यवाही की जा रही है और राजस्थान सरकार ने भी समय-समय पर इस प्रकार से तैयारी की है जिससे कि जो संवेदनशील जिले हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुन तो लो, बीच में क्यों बोलते हो ।

श्री अशोक गहलोत : उनको आइडेन्टि-फाई भी कराया है । वहां पर जो इस प्रकार के तत्व हैं उनका आइडेन्टिफिकेशन हुआ है ।

श्रीमती विद्या पाठक : उनको कैसे दूर किया मैं तो यह पूछना चाहती हूं । क्या आपने उन कारणों को इरेडिकेट करके पब्लिसिटी की है उसकी ।

श्री अशोक गहलोत : पहले मैं पूरी बात समाप्त कर लूं उसके बाद आप बात करना ।

श्रीमती विद्या पाठक : आप तो साइड ट्रेक हो रहे हैं ।

श्री नवरंगसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी, नवलगढ़ में भी 4-3-89 को दंगा हुआ । उसके लिए मजिस्ट्रेट की इन्क्वायरी भी बिठाई । मैं पूछना चाहता हूं उसका क्या परिणाम आया ।

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लें।
(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : मजिस्ट्रेट की जांच का क्या परिणाम आया और सरकार ने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : आपने भी अपने मन की निकाल ली। माननीय मन्त्री जी।

श्री अशोक गहलोत : आइडेन्टिफिकेशन का काम बराबर चल रहा है और सरकार ने समय-समय पर राजस्थान भर के जो संवेदनशील जिले हैं उनकी पहचान करके निर्देश दिये हैं। एक सर्वे कराया गया है–सेन्टर फॉर रिसर्च इन रूरल डवलपमेन्ट, चण्डीगढ़ में एक एजेन्सी है उसके माध्यम से सर्वे कराया गया है। ऐसे जिले में जहां पर ज्यादा संवेदनशीलता है वहां के जिला प्रशासन को अलग से निर्देश दिये गये हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रश्न का उत्तर तो दिलवाइये पहले। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनका आ रहा है।

श्री अशोक गहलोत : नागरिक समिति का गठन किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आपको ग्रेस मार्क मिलेंगे।

एक माननीय सदस्य : आज तो परफोर्मेन्स ठीक रही। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रेस से पास किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : ग्रेस भी आप कैसे दे रहे हैं, मुझे आश्चर्य है। मुझे यह भी आश्चर्य है कि आप ग्रेस दे रहे हैं।

श्री अशोक गहलोत : सरकार तत्परता से, जहां घटनायें हो रही हैं वहां पर कुछ अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आज तो माथुर साहब की जीत हो गई।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : माथुर साहब खुश हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या ग्रन्थि बनाकर बैठे थे कि बोलने नहीं दिया जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज तो माथुर साहब खुश हो रहे हैं बैठे-बैठे, मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी कि राजस्व मण्डल के सदस्य श्री....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपना अन्दाज लगा सकते हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : राजस्थान में जितने भी दंगे हुए, उनकी जांच श्री चन्द्र प्रकाश मीणा कर रहे थे। मैं जांच रिपोर्ट के बारे में पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय पुष्पा जी सुनिये कृपया।

श्री अशोक गहलोत : पाली से आने वाली माननीय विधायिका ने जो सवाल

(श्री अशोक गहलोत)
किया है, उसका जवाब, पहले श्री चन्द्र प्रकाश मीणा को नियुक्त किया गया था उसके बाद में श्री नैयर जो राजस्व बोर्ड के सदस्य थे उनको जांच सौंपी गई। उनकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। वह अभी विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेष बात की ओर इस प्रश्न में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रश्न नम्बर 2 है। मैं यह तो नहीं कहता कि आप इस प्रश्न की अनुमति दें लेकिन मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में आया है कि इस प्रश्न से सम्बन्धित पत्रावली गायब है। मुख्य मन्त्री जी बता दें कि पत्रावली गायब है या क्या स्थिति है ?

श्री शिवचरण माथुर : समाचार पत्रों के आधार पर क्या जवाब दूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या ?

श्री शिवचरण माथुर : समाचार पत्रों के आधार पर क्या जवाब दूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : गायब नहीं हुई तो बता दीजिये कि गायब नहीं हुई।

श्री शिवचरण माथुर : जानकारी करनी पड़ेगी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जानकारी करनी पड़ेगी। आप यह भी नहीं कह सकते कि गायब नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आपने मेरा नाम पुकार लिया था।

श्री अब्दुल अजीज : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री देवीसिंह भाटी : प्रश्न संख्या 43 में आपने मेरा नाम पुकार लिया।

श्री अब्दुल अजीज : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं पुकारा।

श्री देवीसिंह भाटी : अब आपकी याददाश्त कमजोर हो....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हो गया।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खारे पानी की समस्या

64. श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने गांव ऐसे हैं जहां खारा पानी ही उपलब्ध है तथा पानी में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मापदण्ड से अधिक है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री मोहन छंगाणी)

(2) इन गांवों में से कितने गांवों की कितनी जनसंख्या केन्द्र सरकार की तकनीकी मिशन योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है ?

(3) उक्त गांवों को कब तक शुद्ध एवं मीठा पानी उपलब्ध करा देने की योजना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1973 के सर्वेक्षण के अनुसार 7152 एवं 5914 ग्रामों में क्रमशः निर्धारित माप दण्ड से अत्यधिक घुलनशील लवण व फ्लोराइड पानी में पाये गये। जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) मार्च 1989 के बाद शेष बचे 1259 समस्याग्रस्त ग्रामों जो कि अत्यधिक घुलनशील लवणों एवं फ्लोराइड से ग्रसित हैं, जिनको तकनीकी मिशन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, उनकी 1981 की जनगणनानुसार आबादी लगभग 4.70 लाख है।

(3) उपरोक्त शेष बचे ग्रामों को वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार शीघ्र पेयजल उपलब्ध कराया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

ग्रीनबेल्ट क्षेत्र में भवन निर्माण

65. **सुश्री पुष्पा जैन** (पाली) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में विभिन्न मास्टर प्लान की ग्रीन बेल्ट में आवासन मण्डल व अन्य राजकीय एवं निजी संस्थाओं द्वारा कितनी-कितनी योजनाएं बनाकर भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया है व क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान के पांच शहरों क्रमशः जयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं जोधपुर में मास्टर प्लान लागू है। उक्त शहरों में लागू मास्टर प्लान के अन्तर्गत बीकानेर, अजमेर एवं जोधपुर में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित आवासीय योजनाओं में से कोई भी योजना ग्रीन बैल्ट में नहीं बनाई गई है। परन्तु जयपुर शहर की सांगानेर स्कीम ग्रीन बैल्ट में बनाई जा रही है। जिसका क्षेत्रफल 361.23 हैक्टर है और इसमें 20,880 मकान बनाने की योजना है। कोटा शहर की रंगवाडी स्कीम भी ग्रीन बैल्ट में बनाये जाने की योजना है जिसका क्षेत्रफल 26.83 हैक्टर है। और इसमें 1309 मकान बनाने की योजना है। जयपुर नगर के मास्टर प्लान में 16 गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में 16 आवासीय योजनाएं बनाकर जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत की हैं जो प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दी गई हैं किन्तु कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण न हो सकने के कारण भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है।

राज्य में प्रतिबन्धित हथियार

66. **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरि कुमार औदिच्य)

(1) राज्य में किन-किन हथियारों को प्रतिबन्धित हथियार माना गया है और कब-कब से ?

(2) क्या इन प्रतिबन्धित हथियारों को रखने तथा क्रय-विक्रय का कुछ अनुबन्धों के साथ रखने तथा क्रय-विक्रय की अनुमति प्राप्त हो सकती है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसे प्रतिबन्धित हथियारों का किस-किस व्यक्ति के नाम पर किस आधार पर अब भी लाइसेंस हैं ?

उत्तर

(1) आयुध नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत संलग्न श्रेणी में अंकित श्रेणी 1 (क), 1 (ख) एवं 1 (ग) में वर्णित हथियारों को 1 अक्टूबर, 1962 से वर्जित बोर श्रेणी में माना गया है जो निम्न हैं :—

- i ·303 बोर राइफल्स
- ii ·410 बोर मस्केट्स
- iii ·38 बोर पिस्टल्स एण्ड रिवाल्वर्स
- iv ·9 एम. एम. पिस्टल्स
- v ·441 से ·445 बोर पिस्टल्स एण्ड रिवाल्वर्स एण्ड एनी इन्टरमीडियट बोर्स
- vi ·455/476 बोर पिस्टल एण्ड रिवाल्वर
- vii ·455/450 बोर पिस्टल एण्ड रिवाल्वर
- viii ·380 बोर रिवाल्वर
- ix 9.65 एम. एम. केलीवर रिवाल्वर (दिस वुड बी ट्रीटेड एज इक्वलेन्ट ऑफ ·38 बोर रिवाल्वर्स)
- x ·38 बोर पिस्टल्स/रिवाल्वर्स
- xi आल व्हीपन्स फायरिंग रिम्ड कार्टिजेज हेविंग बोर डायमीटर एक्रास लेन्ड्स इन दी रेन्ज विदीन ·340 एण्ड ·365 एण्ड
- xii आल .9 एम. एम. केलीवर पिस्टल विथ केन लोड एण्ड फायर सर्विस कार्टिजेज रिमलेस 9 एम. एम.

(2) जी हां। इन वर्जित बोर श्रेणी के हथियारों को रखने तथा क्रय-विक्रय की अनुमति आयुध नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत संलग्न श्रेणी II में अंकित प्रावधानों के अनुसार दी जा सकती है।

(3) सूची संलग्न है। यह अनुज्ञा-पत्र प्रशासनिक आधार पर दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शालाएं

67. **श्री माणक डाणी (ब्यावर)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वित्तीय वर्ष 1988–89 में

(श्री माणक डागी)

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोली गई हैं ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र वार खोली गयी स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोले जाने हेतु कोई मापदण्ड निश्चित किए गए हैं ? यदि हां, तो मापदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें। मापदण्ड के विपरीत राज्य में कहां-कहां स्कूलें खोली गयीं ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति वार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। ग्राम की जनसंख्या, स्कूल भवन की व्यवस्था, छात्र-छात्राओं की संख्या, ग्रामीण क्षेत्र की आय विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ग्राम्य जनों, जन प्रतिनिधियों एवं विधायकों के सुझाव का पूर्ण ध्यान रखा गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

रायपुर क्षेत्र में पशु चिकित्सालय

68. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रायपुर (पाली) निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम मुख्यालय कानूजा, नानणा, सेंदडा, कुशालपुरा, चण्डावल स्टेशन तथा खोडिया में पशुधन अत्यधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ?

(2) यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष में कहां कहां खोले जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

विकास अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के दौरे

69 **श्री केशरदेव मेहरड़ा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विकास अधिकारी, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर ने 1985 से लेकर 1988 तक कौन-कौन से गांवों का दौरा किया तथा उक्त अवधि का कितना-कितना टी. ए. डी. ए. उठाया ? उन्होंने कौन-कौन सी पंचायतों का निरीक्षण किया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विकास अधिकारी, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (सीकर) ने वर्ष 1985 से वर्ष 1988 तक जिन-जिन गांवों का भ्रमण व पंचायतों का निरीक्षण किया, उसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। उक्त अवधि में उनके द्वारा

(पंचायत राज्य मंत्री)

27,896.19 रुपये का यात्रा भत्ता उठाया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

बीकानेर में बिना इजाजत नेत्र शल्य चिकित्सा

70. **श्री मोहनलाल बारूपाल** (जायल)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या, गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर ने दिनांक 28-10-1988 को भिवानी नेत्र व सामान्य चिकित्सालय, बीकानेर के विरुद्ध बगैर इजाजत के नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर जामसर में लगाने की सूचना पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को दी थी ? यदि हां, तो पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो राज्य सरकार दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) भिवानी नेत्र चिकित्सक द्वारा जामसर में नेत्र शल्य चिकित्सा शिविर लगाने की कोई आज्ञा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर से नहीं लिये जाने के फलस्वरूप मुकदमा नं 42/89 धारा 337 भा. द. स. में दिनांक 28-6-89 को पुलिस थाना जामसर पर नेत्र चिकित्सक अधिकारी भिवानी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान जारी है। विलम्ब से कार्यवाही करने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक को दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

निवाई में डामर की सड़क

71. **श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निवाई की जनता एवं क्षेत्रीय विधायक द्वारा यह मांग की गई है कि चोहटी बाजार खारी कुई से नसियां मन्दिर के पास से चुंगी (पुरानी) तक सड़क का डामरीकरण कराया जावे ? यदि हां, तो अब तक क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या नगरपालिका (मण्डल) द्वारा जो पार्क बनाए गये हैं, उनके आसपास कालोनियों में सड़क निर्माण पुख्ता कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चौहटी बाजार खारी कुई से नसियां मन्दिर के पास से चुंगी तक सड़क का डामरीकरण कराना नगरपालिका की योजना में है, जिसकी स्वीकृति दिनांक 1-7-89 को दी जा चुकी है एवं शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करवा दिया जावेगा।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2 नगरपालिका द्वारा जो पार्क बनाये गये थे, उसके आस पास कालोनियों में सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है। केवल एक इन्द्रा कालोनी में सड़क निर्माण नहीं हुआ था। निर्माण कराने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

महावीर कालोनी किशनगढ़ (अजमेर) का सर्वे

72. श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित खसरा नम्बर 756 में विकसित महावीर कालोनी का सर्वे नगर परिषद् द्वारा कब करवाया गया ?

(2) क्या इस कालोनी का प्लान बनाते समय नगर नियोजन विभाग द्वारा आवासीय प्रावधानों का उल्लंघन हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या इस कालोनी में कई स्थानों पर आने जाने का रास्ता बन्द हो गया है व कई स्थानों पर रास्ता छोड़ा नहीं गया ? यदि हां, तो इससे यहां के निवासियों को हो रही असुविधा का क्या समाधान किया जा रहा है ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, किशनगढ़ द्वारा सर्वे नहीं कराया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) रास्ते बन्द नहीं हुए। नये रास्ते मांगे जा रहे हैं। जिस भूमि पर रास्ते मांगे जा रहे हैं, उसका रूपान्तरण नहीं किया गया है। प्रकरण विचाराधीन है।

बीकानेर में पाक विस्थापितों को भू-आवंटन

73. श्री उम्मेदसिंह (शिव), श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सादूल कालोनी बीकानेर में पाक विस्थापितों को रिहायशी भूमि के आवंटन से सम्बन्धित पत्रावली पुनर्वास विभाग, जयपुर को कब प्रेषित की गई तथा पत्रावालियां वापस मंगाने हेतु कब कब पुनर्वास विभाग को लिखा गया ? इस सम्बन्ध में कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रशासन शहरों की ओर अभियान के तहत सादूल कालोनी कैम्प में विक्रय विलेख की फोटो-स्टेट प्रति आवंटियों को प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो मूल विक्रय विलेख क्यों नहीं दिये गये तथा उपरोक्त फोटो स्टेट प्रति कहां से प्राप्त की गई ?

(3) अब कब तक आवंटियों को पट्टे दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा प्रदत्त सूचनानुसार सादूल कालोनी बीकानेर में पाक विस्थापितों को रिहायशी

(नगरीय विकास मंत्री)

भूमि के आवंटन संबंधी पत्रावली पुनर्वास विभाग में प्राप्त नहीं हुई।

(2) प्रशासन शहरों की ओर अभियान के तहत सादूल कालोनी कैम्प में विक्रय विलेख की फोटो स्टेट प्रति आवंटियों को प्रदान नहीं की गई थी।

(3) जिलाधीश (पुनर्वास) बीकानेर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आवंटियों को पट्टे न्यास द्वारा दे दिये जावेंगे।

पशु चिकित्सालयों की क्रमोन्नति

74 श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मन्डी) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1988-89 में कितने पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत किये गये, कितने नये खोले गये, तथा कितने खोलने की योजना थी ?

(2) नये पशु चिकित्सालय खोलने तथा क्रमोन्नति का क्या आधार तय किया गया है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1988-89 में योजनानुसार 150 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किये गये एवं 50 नये पशु चिकित्सालय खोले गये हैं।

(2) पशु चिकित्सालय खोलते समय क्षेत्र/कस्बे की जनसंख्या, नगर पालिका/तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय, पशुओं की संख्या, कार्यरत पशु चिकित्सा संस्थाओं की संख्या, उपलब्ध भवन, आवास आदि की सुविधाएं आदि का ध्यान रखा जाता है।

अलवर जिले में पत्थर की खानों हेतु लीज

75. श्री रघुवर दयाल (रामगढ) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अलवर जिले की कौन-कौन सी तहसील की किस-किस तरह के पत्थर की खान किस-किस के पास 31-3-1989 तक किस आधार पर थी ? उनकी वार्षिक लीज कितनी रही ? वर्तमान में कार्यरत खान अभियन्ता एवं इनसे पूर्व में रहे खान अभियन्ताओं के कार्यकाल में कहां-कहां की खान किस-किस को, कितनी-कितनी लीज पर दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

दिनांक 31-3-89 को अलवर जिले में विभिन्न खनिजों के स्वीकृत किये गये खनन पट्टों की सूची (परिशिष्ट–1) संलग्न है। यह खनन पट्टे नीलामी एवं आवेदन पत्रों के जरिये स्वीकृत किये गये हैं।

खनि अभियन्ताओं द्वारा स्वीकृत की गई खानों की सूची (परिशिष्ट–2) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिशु एवं महिला रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति

76. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या दुग्ध विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उरमूल ग्रामीण स्वास्थ्य शोध एवं विकास न्यास, बीकानेर शिशु रोग विशेषज्ञ तथा महिला व प्रसूती रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या उक्त संस्था ने चिकित्सा विभाग से शिशु रोग विशेषज्ञ तथा महिला व प्रसूति रोग विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति हेतु निवेदन किया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त संस्था ने राज्य सेवा में कार्यशील एक चिकित्सक की प्रतिनियुक्त के प्रयास किये थे। किन्तु उक्त संस्था इस प्रकार के चिकित्सक को देय वेतन देने में समर्थ न हो सकने के कारण यह व्यवस्था संभव नहीं हो सकी।

नवलगढ़ व मुकुन्दगढ़ में वर्षा के पानी का भराव

77. श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका नवलगढ़ व मुकुन्दगढ़ में वर्षा में अनेकों स्थानों पर पानी भरने से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है ?

(2) यदि हां, तो ऐसे कौन से स्थान हैं तथा किस कारण ?

(3) इस स्थिति के निराकरण हेतु कब तक कार्यवाही की जावेगी ? क्या तत्संदर्भ में कोई योजना है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। कभी-कभी अत्यधिक वर्षा होने पर कुछ स्थानों पर पानी एकत्रित हो जाता है, परन्तु जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाने जैसी बात नहीं है।

(2) अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में नगरपालिका नवलगढ़ में —

i वार्ड सं. 12, 20, 21 व गोगाजी के मन्दिर के सामने चौक में।

ii वार्ड सं. 3 में राजकीय चिकित्सालय एवं सेठ गजाधर जयपुरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास।

iii वार्ड सं. 16 में श्री नन्दलाल के घर से दक्षिण में तथा डराणा श्मशानों के दक्षिण में।

iv वार्ड सं. 4 में जयपुरियों के मंदिर के पास।

तथा नगरपालिका मुकुन्दगढ़ में—

(अ) वार्ड. 1 में श्री कल्याणबक्ष पारीक के मकान के पास।

(ब) वार्ड सं. 2 में घुडाराम गूजर के मकान के पास।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(स) वार्ड सं. 5 में श्री रमजान पुत्र नूरमोहम्मद के मकान के पास।

(द) वार्ड सं. 7 में श्री फूलचन्द सहल के मकान के पास।

(य) वार्ड सं. 13 में राणी सती के मंदिर के पास।

सही निकासी नहीं होने के कारण वर्षा का पानी कभी-कभी एकत्रित हो जाता है।

(3) ऐसी स्थिति में नगरपालिका मुकुन्दगढ़ द्वारा कच्ची नालियां बनाकर तथा नगरपालिका नवलगढ़ द्वारा डीजल इंजन की सहायता से एकत्रित पानी की निकासी की जाती है। इस संदर्भ में अभी कोई स्थाई योजना नहीं है।

पुलिस थाना श्री डूंगरगढ़ में दर्ज मुकदमें

78. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस थाना श्री डूंगरगढ़ में वर्ष 1988–89 में कितने मुकदमें दर्ज हुये हैं? दिनांक व जुर्म सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने मुकदमों में चालान किया गया व कितनों को झूंठा पाया गया तथा कितने मुकदमों की जांच विचाराधीन है?

उत्तर

(1) पुलिस थाना डूंगरगढ़ जिला चूरू में वर्ष 1988–89 में कुल 210 मुकदमें दर्ज हुए हैं। सूची संलग्न है।

(2) दर्ज 210 मुकदमों में से 153 मुकदमों का चालान किया गया व 34 मुकदमों में एफ आर अदम वकू दी गई 15 मामलों में अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता दिया गया व शेष 8 मुकदमें अन्वेषणाधीन हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अलवर जिले की पंचायतों में सचिव

79. श्री रघुवर दयाल गोयल (रामगढ़): क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनमें अल्प समय के लिये ही सचिव उपलब्ध हैं?

(2) ये किस-किस विभाग के हैं?

(3) क्या इन कर्मचारियों को कोई भत्ता इत्यादि अलग से राज्य सरकार द्वारा देय है?

उत्तर

(1) अलवर जिले में 206 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें अल्प समय के लिए ही सचिव उपलब्ध हैं।

(2) ये कृषि विभाग की कृषि विस्तार योजना के अन्तर्गत कार्यरत हैं।

(3) जी नहीं। जिस दिन ग्राम पंचायत से सम्बन्धित पंचायत समिति की

(पंचायत राज्य मंत्री)

बैठक में उपस्थित होते हैं उस दिन का यात्रा भत्ता पंचायत समिति द्वारा देय होता है।

बीसलपुर सिंचाई परियोजना क्षेत्र से आवृत गांव

80. श्री प्रभुलाल (नैनवा),

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर सिंचाई परियोजना के तहत बून्दी जिले के कितने गांव एवं नैनवा तहसील के कौन-कौन से गांव आते हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जिला बून्दी की नैनवा तहसील के प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर बीसलपुर परियोजना से 3 गांव (सूची संलग्न) दांयी नहर के सिंचाई क्षेत्र में प्रस्तावित हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

रायपुर तहसील के राजस्व ग्रामों की पेयजल

81. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील के राजस्व ग्राम सोड़पुरा, जगमालपुरा, बड़ीपोल तथा खाण्डा भाग में पेयजल का गम्भीर संकट है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके निवारण के लिए क्या उपाय कर रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मार्च 1988-89 के बजट में पाली जिले को जल संकट से निवारण की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या कारण है कि इन गांवों में अभी तक पेयजल निवारण की कोई योजना लागू नहीं की गई ?

(3) वर्तमान में इसकी क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, ग्राम सोड़पुरा, जगमालपुरा, बड़ीपोल तथा खाण्डा भाग को हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है।

(3) पाली जिले के सभी ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित किया जा चुका है।

जोधपुर शहर की पाइप लाइन

82. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जोधपुर शहर में पिछले वर्ष भयंकर पीलिया रोग फैलने के कारणों में एक कारण कई स्थानों पर गटर लाइन का पेयजल लाइन के पानी में मिलने की थी जिसकी शिकायतें प्राप्त हुई ?

(2) क्या शहर की कुछ पाइप लाइन

(श्री बिरदमल सिंघवी)

अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं व कुछ पाइप लाइनें बढ़ती हुई आबादी के संदर्भ में समुचित जल वितरण के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो रही हैं जिन्हें बदलना आवश्यक हो गया है ? क्या पाइप लाइनें बदलने का प्रस्ताव जोधपुर से राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है ?

(3) क्या राज्य सरकार कुछ पाइप लाइनें बदलने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी पाइप लाइनें कब-कब तक बदल दी जावेंगी ? यदि कोई समयबद्ध कार्यक्रम बना हो तो विवरण सदन की मेज पर रखें। इस कार्य के लिए कुल कितनी राशि की मांग की गई व कितनी स्वीकृत की गई है ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में पिछले वर्ष दूषित पेयजल की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन पर त्वरित कार्यवाही की गई।

(2) जी हां।

(3) जी हां। जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुरानी पाइप लाइनों को बदलने एवं नई पाइप लाइनें डालने हेतु मुख्य अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग जोधपुर द्वारा 51.56 लाख रुपये के प्रस्ताव बनाये गये हैं। उन प्रस्तावों की क्रियान्विति स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता होने पर संभव हो सकेगी।

अकाल राहत कार्यों के मार्फत विकास कार्य

83. **श्री प्रभूलाल** (नैनवा),

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष विभिन्न योजनाओं के तहत अकाल राहत कार्यों के माध्यम से विकास कार्य करवाये थे ? यदि हां, तो बूंदी जिले की नैनवा तहसील में कितने व क्या-क्या कार्य करवाये गये ?

(2) क्या उक्त कार्यों का भुगतान करना अभी तक बाकी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) उक्त सभी कार्यों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बूंदी जिले की नैनवा तहसील में संवत 2044 में विभिन्न योजनाओं के तहत अकाल राहत कार्यों के माध्यम से 1117 विकास कार्य विभिन्न एजेन्सीज के माध्यम से निम्न प्रकार करवाये गये हैं :—

(अकाल राहत मंत्री)

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्यों की संख्या	कार्य का विवरण
1.	सा. नि. वि.	23	सड़क निर्माण कार्य
2.	सिचाई विभाग	15	एनीकट बांध मरम्मत व नहरी कार्य।
3.	वन विभाग	14	क्लोजर, नर्सरी आदि कार्य।
4.	वन्यजीव विभाग द्वारा	3	क्लोजर कार्य।
5.	विद्युत विभाग	7	बिजली की लाइन लगाने।
6.	सहकारी समितियां	11	ग्रा. सेवा सहकारी समिति।
7.	तहसीलदार, नैनवा द्वारा	649	नवकूप गहरे कार्य
8.	पं. स. नैनवा	395	तलाई/खुरजा नाली, डोल आदि शिल्प गृह आवास शौचालय।
	कुल	1117	

(2) जी हां। बकाया राशि के भुगतान न होने का मूल कारण, मजदूरों का निवास स्थान पर उपलब्ध न होना तथा कुछ कुओं का मुआयना कराना है।

(3) यथा शीघ्र।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

अजमेर जिले में हैण्ड पम्प

84. श्री रमजान खां (पुष्कर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में लगातार चार वर्षों से कम वर्षा होने के

(श्री रमजान खां)

कारण भू-जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि 100 फुट से लेकर 200 फुट तक खुदे हुए हैंड पम्प प्रायः सूख गये हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में 200 फुट से ज्यादा गहराई के हैण्ड पम्प खुदवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार हैण्ड पम्प हेतु नलकूपों का वेधन किया जावेगा।

विकलांग कर्मचारी की नियमित नियुक्ति

85. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर अधिशाषी अभियंता के अधीनस्थ बर कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय में दैनिक वेतन पर विकलांग श्री भगवानसिंह पुत्र श्री दशरथ सिंह दिनांक 15-12-1983 से कार्यरत है और हायर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण है ? यदि हां, तो किन कारणों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विकलांग आरक्षित पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं दी जा रही है जबकि सचिव, समाज कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 25653-852 दिनांक 15-5-1986 द्वारा भी निर्देशित किया गया था ?

(2) अब कब तक उक्त कर्मचारी को किस तिथि से स्थाई कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान के परिपत्र 25653-852 दिनांक 15-5-86 के अनुसार तीन प्रतिशत रोस्टर में विकलांग हेतु पद आरक्षित किया गया है। वर्तमान में ब्यावर अधिशाषी अभियन्ता के अधीनस्थ कुल दस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हैं। उनमें से 9 पद भरे हुए हैं जिसमें एक विकलांग कर्मचारी कार्यरत है। मन्त्रालयिक वर्ग में भी एक विकलांग कर्मचारी कार्यरत है व कोई पद रिक्त नहीं है। इस प्रकार विकलांग कोटे में अब कोई पद रिक्त नहीं है।

(2) विकलांग कोटे के अन्तर्गत कोई पद रिक्त नहीं है। अतः कर्मचारी को स्थाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम रातीडान (अजमेर) में गांवाई सड़क का निर्माण

86. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर के तहत आने वाले ग्राम रातीडान

(श्री रमजान खां)

में गांवाई सड़क नगर परिषद् अजमेर ने अपूर्ण छोड़ दी ?

(2) यदि हां, तो इस सड़क को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) रातीडान ग्राम के अन्दर गलियों में लगभग 3500 स्क्वायर मीटर एरिया में सड़क निर्माण कराया गया था। इसमें कोई अपूर्ण नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिले में अप्रधान खनिज रियायती नियमों की अवहेलना

87. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची): क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 10-4-1987, 13-4-1987, 13-7-1987, 14-3-1988, 25-2-1988 को पाली जिले में की जा रही अप्रधान खनिज रियायती नियमों की अवहेलना व गैर कानूनी कार्य किये जाने बाबत मन्त्री महोदय को विधायक व जनता द्वारा शिकायतें की गई थीं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रश्न के भाग (1) में की गई शिकायतों में क्या-क्या मुद्दे उठाये गये कितने मुद्दे जांच में सही पाये गये व कितने मुद्दे गलत ?

(3) प्रश्न के भाग (2) में जो जो मुद्दे सही पाये गये उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की, तो क्यों नहीं ?

(4) प्रश्न के भाग (1) में प्राप्त शिकायतों पर मन्त्री जी ने क्या-क्या आदेश दिये व उनके बाद में क्या-क्या परिवर्तन किन-किन कारणों से किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 10-4-1987 एवं 13-4-1987 को शिकायत प्राप्त हुई थी। अन्य तिथियों को कोई शिकायत प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है। प्रतियां संलग्न हैं।

(2) उक्त दोनों शिकायतों में श्री राजेन्द्र सिंह कच्छावा एवं सोजत लाइम कम्पनी के पक्ष में नियमों में प्रावधान से अधिक क्षेत्र स्वीकृत करने एवं समयावधि उपरांत संविदा निष्पादन करने के सम्बन्ध में मुद्दे उठाये गये हैं। इन मुद्दों के अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री राजेन्द्र सिंह कच्छावा, सर्व श्री सोजत लाइम कम्पनी से रिटायर हो गये हैं एवं इन्हें जो 15 वर्ग कि. मी. का क्षेत्र स्वीकृत किया गया है वह राजस्थान अप्रधान रियायत नियम 1977 के प्रावधानों के अनुरूप ही है। जहां तक समयावधि के उपरान्त संविदा निष्पादन का प्रश्न है सर्वश्री सोजत लाइम कं. के मामले में शासन द्वारा विचार कर समयावधि बढ़ाई है एवं संविदा निष्पादन किया गया है। श्री राजेन्द्र सिंह कच्छावा के प्रकरण में समायावधि बढ़ाने का मामला विचाराधीन है।

(खनिज राज्य मन्त्री)

(3) जैसाकि प्रश्न (2) के उत्तर में स्पष्ट किया गया है, शिकायत पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(4) इन शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये थे। इन मामलों में विधि विभाग की टिप्पणी के अनुसार उपरोक्त नियमों के तहत एक व्यक्ति को 15 वर्ग कि. मी. तक क्षेत्र स्वीकृत करने का प्रावधान होने से खनन पट्टों के नवीनीकरण की स्वीकृतियां जारी की गई थीं जो उक्त प्रचलित नियमों के अनुसार थी। बाद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

दहेज की मांग को लेकर हत्या

88. श्रीमती रतन कंवर (शेरगढ़), **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले के पादूकलां थाने में दिनांक 6 दिसम्बर, 1988 को शैतान सिंह पुत्र भीमसिंह पुरोहित निवासी धर्मधारी अपनी पुत्री की उसके सुसराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर हत्या कर देने की रिपोर्ट एफ. आई. आर. नं. 119/88 द्वारा दर्ज कराई है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई ? प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा जाँच विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण में श्री शैतान सिंह की पुत्री मृतका श्रीमती शाँति का पोस्टमार्टम किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि मृतका श्रीमती शांति की रात को संदिग्धावस्था में मृत्यु हुई व सूर्योदय होने से पहले ही जला दिया गया ? यदि हां, तो इस बिन्दु पर की गई जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दहेज से संबंधित मुकदमें की जांच उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिये ? यदि हां, तो इस मामले में थानेदार द्वारा जांच कैसे की गई ?

(5) क्या सरकार इस प्रकरण की उच्च स्तर पर जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अपराध संख्या 119/88 दिनांक 6-12-88 थाना पादूकलां में अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 306/498ए/176/201 भा. द. स. में दिनांक 1-5-89 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पुलिस को सूचना मिलने से पूर्व ही मृतका श्रीमती शान्ति की लाश को जला दिया गया था।

(3) जी हां। चार्जशीट की प्रति सदन के पटल पर रखी गई है।

(गृह मन्त्री)

(4) जी हां। दिनांक 6-12-88 को रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज कर मुकदमें के महत्व को देखते हुए एस. एच. ओ. ने तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की व पुलिस उप अधीक्षक को सूचना दी गई। दि० 7-12-88 से पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ही मुकदमें की तफ्तीश की जाकर नतीजा दिया गया है।

(5) जी, नहीं। मुकदमे में बाद तफ्तीश मुलजिमान के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अब उच्च स्तर पर जांच करवाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अवैध निर्माण

89. सुश्री पुष्पा जैन (पाली), **श्री हरिकुमार औदिच्य** (रामगंज-मण्डी) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध प्राधिकरण क्षेत्र में अपने व अपने परिवार के सदस्यों के नाम अवैध निर्माण कराने की प्राधिकरण को जानकारी प्राप्त हुई है और कब-कब ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जिन कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध प्राधिकरण क्षेत्र में अपने अथवा अपने परिवार के सदस्यों के निर्माण करने की जानकारी प्राप्त हुई है उनका विवरण निम्न प्रकार है : –

1. श्री मोहन लाल वर्मा, सहायक, जविप्रा	क्वाटर नं. 13 परसरामपुरी में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में विभाग से रिकार्डेड चेतावनी दिनांक 6-5 85 को दी गई एवं न्यायालय से जे डी ए एक्ट की धारा 31(1) व 32 (7) में रुपये 500/– जुर्माना किया गया।
2. मोहनलाल अडवानी भू. पू. स्टेनो-ग्राफर (प्रतिनियुक्ति पर)	मकान नं. 2–झ–16 नाहरी का नाका हा. बोर्ड में दुकानों के अवैध निर्माण बाबत प्राधिकरण के सतर्कता प्रकोष्ठ में जांच विचाराधीन है।

(नगरीय विकास मन्त्री)

3. श्री निजामुद्दीन निरीक्षक जविप्रा	मिनार होटल एम. आई. रोड की सीढ़ियों का सरकारी फुटपाथ पर अवैध निर्माण किया गया। उसे ध्वस्त किया जा चुका है। तथा विभागीय जांच, जांच अधिकारी जविप्रा के यहां विचाराधीन है।
4. श्री निजामुद्दीन निरीक्षक जविप्रा	वक्फ की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किये जाने बाबत प्राधिकरण की सतर्कता अनुभाग में जांच जारी है।
5. श्री जीवराज सिंह भू. पू. पवर्तन अधिकारी।	प्लाट नं. 65, 66 पृथ्वीराज नगर नयाखेड़ा मे अवैध निर्माण किये जाने बाबत—इस सम्बन्ध में जांच के दौरान निर्माण वर्ष 1980 का पाये जाने पर शिकायत दफ्तर दाखिल की गई।
6. श्री चिरंजीलाल गुप्ता व. सहायक जविप्रा जयपुर	पत्रकार कालोनी में स्थित भू. सं. डी–51 बाबत प्राप्त शिकायत की कार्यवाही चल रही है दिनांक 3–5–88 को ज्ञापन दिया गया, जिस पर जांच की आगामी कार्यवाही चल रही है।
7. श्री सतीश कुमार शर्मा, सहायक नगर नियोजक (प्रतिनियुक्ति पर)	प्लाट नं. एफ 16 बनी पार्क में अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
8. श्री मनोहर कोहली, सहायक जविप्रा	शिकायत कई एक बिन्दुओं पर की थी जिसमें भवन निर्माण सम्बन्धित भी एक बिन्दु था। इस सम्बन्ध में जांच पश्चात पत्रावली दिनांक 25–10–88 को दाखिल दफ्तर की गई।
9. श्री मुखराम अति. निदेशक (भू. पू) प्रवर्तन अधिकारी के विरुद्ध (प्रतिनियुक्ति)	जोनल अधिकारी (जोन-2) द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 3 दिनांक 31–3–89 द्वारा सुश्री पुष्पा जैन (82) एवं श्री गणेश लाल बैरागी (26) के प्रति उत्तर में प्रेषित सूचना के आधार पर श्रीमती विजय लक्ष्मी

(नगरीय विकास मन्त्री)

	पत्नी श्री मुखराम द्वारा अवैध दुकानों के यथावत रखने हेतु माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हुए। इससे जाहिर है कि दुकानें श्रीमती विजय लक्ष्मी के ही नाम से हैं। माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण दुकानों को ध्वस्त नहीं किया जा सका है।
10. श्रीमान् वाई. सी. शर्मा उप वन संरक्षक (प्रतिनियुक्ति पर)	प्लाट नं. ए–53 कृष्णा कालोनी, लाल-कोठी में अवैध निर्माण किये जाने बाबत— इस सम्बन्ध में सतर्कता प्रकोष्ठ में जांच विचाराधीन है।
11. श्री मनमोहन लाल व सहायक	रामनगर कालोनी सोडाला में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में सतर्कता प्रकोष्ठ में जांच विचाराधीन है।

(2) प्रश्न सं. 1 के उत्तर के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

बज्जू में अनियमित जल कनेक्शन

90. **श्री उम्मेदसिंह** (शिव)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि बज्जू जल प्रदाय योजना में बज्जू तेजपुरा की मुख्य जल वितरण लाइन में नियम, निर्देशों के विरुद्ध बज्जू में तीन घरों में जल सम्बन्ध जारी किये गये ? यदि हां, तो किस अधिकारी के आदेश से किये गये ?

(2) उक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या उक्त जल सम्बन्ध हटा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) जिला बीकानेर की ग्रामीण जल प्रदाय योजना में मुख्य जल वितरण पाइप लाइन से किस-किस गांव में कितने कनेक्शन कब-कब किस अधिकारी के आदेश से जारी किये गये ? योजना का नाम, गांव, मकान मालिक का व पिता का नाम, कनेक्शन की तिथि, आदेश कर्ता अधिकारी के नाम की सूची व विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) बज्जू जल प्रदाय योजना के तहत बज्जू खालसा से बज्जू तेजपुरा जाने

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

वाली 100 एम.एम. व्यास की लाइन से तीन घरों में जल सम्बन्ध जारी किये गये थे। ये जल सम्बन्ध सहायक अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग, कोलायत के आदेश से जारी किये गये।

(2) उक्त अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है जिसके उपरांत आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) उक्त जल सम्बन्ध काट दिए गए हैं।

(4) जिला बीकानेर की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का हाईजिंग मैन से निजी कनैक्शन जारी नहीं किए गए हैं।

लाडनूं में बनाये गये फर्जी पट्टों का प्रकरण

91. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं में बनाये गये फर्जी पट्टे के सम्बन्ध में थाना लाडनूं में कई मुकदमें दर्ज हुये थे ? यदि हां, तो कौन-कौन से मुकदमे कब-कब दर्ज हुये और उनमें कौन-कौन व्यक्ति किस-किस जुर्म में मुलजिम थे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उनमें से कई मामलों के चालान भी हुए हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से मुकदमें में किन-किन व्यक्तियों का किस-किस धाराओं में कब-कब चालान प्रस्तुत किया गया।

(3) क्या उक्त मुकदमों में से किसी मुकदमें में से कोई कार्यवाही करनी शेष है ? यदि हां, तो किन-किन मुकदमों में क्या-क्या कार्यवाही शेष है, जो कब तक की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। मुकदमों व मुलजिमान का विवरण संलग्न तालिका में अंकित है।

(2) जी हां। संलग्न सूची में ही अंकित है।

(3) जी हां। अपराध संख्या 50/85 में चालान न्यायालय में पेश करना शेष है क्योंकि पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब की हुई है ?

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

ग्राम मोहम्मद फलासिया (उदयपुर) में एनीकट निर्माण

92. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या गांव मोहम्मद फलासिया पंचायत समिति झाड़ोल जिला उदयपुर में सरकार द्वारा मोहम्मद फलासिया नाम के एनीकट निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो कितनी लागत की एवं कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री कुबेर सिंह)

(2) क्या यह सही है कि इसका निर्माण कार्य अभी तक भी प्रारम्भ नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? अगर प्रारम्भ कर दिया गया तो आज दिन तक कितनी लागत का क्या-क्या कार्य हुआ ? प्रत्येक मदवार व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस स्वीकृत एनीकट को विभाग द्वारा निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? इस संबंध में वर्तमान में क्या कार्यवाही चल रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इसको पूर्व में स्वीकृत करने एवं बाद में निर्माण कार्य प्रारम्भ कर निरस्त कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर उस पर अभी तक लगा पैसा उनसे वसूल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) इसको पहले स्वीकृत करने एवं बाद में निरस्त करने के क्या-क्या आधार हैं ? आधारों के सन्दर्भ में विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति राशि 19.64 लाख की पत्र संख्या एफ–3 (17) सैल/82/395 दिनांक 1.1.1985 से एन. आर. ई. पी. मद के अन्तर्गत प्रदान की गई (प्रतिलिपि संलग्न है)

(2) जी नहीं। उक्त कार्य वर्ष 1986-87 में शुरू किया गया था एवं 1.90 लाख रुपये का व्यय (वाईवाश, फील्टर टो, कट आफ ट्रैन्च) पर किया गया।

(3) जी नहीं। एन. आर. ई. पी. मद के कार्य बन्द हो चुके हैं अतः इस कार्य को धनराशि की उपलब्धता के अनुसार किसी अन्य मद से पूर्ण कराने के प्रस्ताव बनाये जावेंगे।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) एन. आर. ई. पी. मद के कार्य राज्य सरकार द्वारा बन्द कर देने के कारण कार्य अधूरा रह गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

पाली जिले की नव सृजित ग्राम पंचायतें

93 श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पाली जिले की ऐसी कितनी नव सृजित होने वाली ग्राम पंचायतें हैं जिनका पुनर्गठन जिला कलक्टर द्वारा अनुमोदित होकर यहाँ पंचायत विभाग में लम्बित है व जिनकी किसी प्रकार की कोई आपत्तियां नहीं आई हैं। उक्त पुनर्गठित की जाने वाली पंचायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसी ग्राम पंचायतों के सृजन का निर्णय राज्य स्तर पर गठित कमेटी द्वारा किस-किस तिथि को लिया गया व क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलटक्टर, पाली ने 7 नवीन ग्राम पंचायतों के गठन में प्रस्ताव भिजवाये हैं जो विभाग में विचाराधीन हैं तथा इन प्रस्तावों बाबत, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिला कलक्टर द्वारा भेजे गये प्रस्तावों पर तत्कालीन पुनर्सीमा निर्धारण समिति की दिनांक 18-6-87 व 23-7-87 की बैठक में विचार किया गया था किन्तु कोई अन्तिम निर्णय राज्य स्तर पर नहीं लिया गया।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

श्री जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर के पदाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे

94. **श्री उम्मेद सिंह (शिव),**

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रवर्तन अधिकारी भविष्य निधि विभाग बीकानेर ने एक एफ.आई.आर. नं. 88 अध्यक्ष व मन्त्री श्री जैन पाठशाला सभा के विरुद्ध दिनांक 24–3–1988 को पुलिस स्टेशन कोट गेट में दर्ज करवाई गई? यदि हां, तो अब तक इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई है?

(2) क्या यह सही है कि श्री जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर के व्यायाम शिक्षक श्री नारायण सिंह द्वारा मंत्री श्री जैन पाठशाला सभा बीकानेर के विरुद्ध एक एफ.आई.आर. नं. 131 दिनांक 7-6-1988 को पुलिस थाना कोटगेट में दर्ज करवाई गई थी? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

(2) जी हां।

इस प्रकरण के अनुसंधान से अपराध घटित होता नहीं पाया गया व प्रकरण में अन्तिम प्रतिवेदन अदम वकुआ दिनांक 30-11-88 को दिया जा चुका है।

रामगढ़ पंचायत समिति में अकाल राहत कार्य

95. **श्री रघुवरदयाल गोयल (रामगढ़)** : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति रामगढ़ जिला अलवर में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत 1986-87 से 1989 तक पंचायत समिति रामगढ़ या पंचायतें, पंचायत समिति रामगढ़ के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से क्या-क्या कच्चे-पक्के कार्य कहां-कहां कराये गये हैं? पंचायतवार इनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कौन से कार्य पूर्ण हुए व कितने बाकी हैं और इन पर अब तक कितनी-कितनी लागत आई है।

उत्तर

(1) पंचायत समिति रामगढ़ क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1986–87 से 1989 तक कराये गये कार्यों का पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "क")

(2) पूर्ण एवं अपूर्ण रहे कार्यों की सूची मय लागत राशि के सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

राज्य में गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही

96. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर), **श्री नाथूसिंह** (टोडरायसिंह) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

एक अप्रेल, 1985 से लेकर अब तक राज्य सरकार ने किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध कब-कब गुण्डा एक्ट में कार्यवाही की ? नाम पता अन्य विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सूचना संलग्न तालिका में अंकित है।

(सूची बहुत अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सहकारी समिति द्वारा सस्ते राशन का वितरण

97. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार-शहर) : क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति रामसीसर मैंडवालिया तहसील सरदार शहर (चूरू) सस्ते राशन का वितरण करती है ? यदि हां, तो वर्ष 1985 से आज तक कब-कब कितना-कितना राशन उठाया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस समिति के बारे में समय-समय पर राशन वितरण नहीं करने, सरकारी दर से पैसा अधिक लेने, नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें तहसीलदार सरदार शहर को समय समय पर की गई ? यदि हां, तो इस समिति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति ने चार चार माह का राशन एक साथ उठाया है और तीन माह का राशन बाजार में बेच दिया ? यदि हां, तो इस समिति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1985 से माह जून, 1989 तक जब-जब जितना राशन उठाया है, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) ग्राम सेवा सहकारी समिति, रामसीसर मैंडवालिया, तहसील सरदार शहर के विरुद्ध मात्र चीनी की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर 5.25 प्रति किग्रा. से अधिक लेने के बारे में ग्राम रामसीसर मैंडवालिया के उपभोक्ताओं की ओर से तहसीलदार सरदार शहर को दि. 7-6-89

(खाद्य एवं रसद मन्त्री)

को मात्र शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच प्रवर्तन निरीक्षक, सरदार शहर से कराई जा रही है।

(3) जी, नहीं। उक्त समिति द्वारा केवल वर्ष 1989 में माह जनवरी, 89 से अप्रैल 89 तक की लेवी चीनी 1 जून, 89 को एक साथ उठाई है। इसको बाजार में बेचने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अत: इस समिति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

पंचायत समिति निवाई द्वारा ऋण वितरण

98. **श्री प्यारसीलाल परिड़वाल** (निवाई) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, निवाई द्वारा वर्ष 1988-89 में 28 जून तक कितने व्यक्तियों को कुल कितना ऋण देकर लाभान्वित किया गया ? ऋण किस योजना के तहत दिया गया ? नाम ग्राम व ऋणवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऋण लाभान्वित व्यक्तियों द्वारा क्या-क्या उद्योग, कहां-कहां लगा रखे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति निवाई द्वारा वर्ष 89-88 में 28 जून, 89 तक 92 व्यक्तियों को आई. आर. डी. पी. योजना में 4,20,050/-रुपये का ऋण देकर लाभान्वित किया गया। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सदन के पटल पर रखी गई सूची में इसका विवरण अंकित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

जिला सीकर के ग्राम कांकरी में टी. एस. एस. योजना

99. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर), **श्री कल्याणसिंह कालवी** (डेगाना), **श्री लालचन्द डूडी** (भादरा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर के ग्राम कांकरा में टी. एस. एस. योजना के अन्तर्गत कुएं पर बिजली लगी हुई है, लेकिन पानी नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या केन्द्र द्वारा स्वीकृत दो करोड़ रुपये की सीकर जिले की योजना में ग्राम कांकरा में 1.90 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं ? उक्त राशि को अभी तक क्यों नहीं वितरित किया गया है ? विलम्ब का कारण स्पष्ट कर, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजपुरा हरिपुरा योजना के अन्तर्गत दोनों ग्रामों को पाइप लाइन द्वारा मीठा पानी पहुंचाने की योजना थी ? उक्त योजना में विलम्ब होने का क्या कारण है तथा ढाई किलोमीटर गायब पाइप के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? निर्माणाधीन टंकी का निर्माण क्यों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रुका हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत कांकरा का राजस्व ग्राम दुलारपुरा बना है ? यदि हां, तो वहां पर हैण्ड पम्प आदि लगाने की सरकार की क्या योजना है तथा आस-पास की ढाणियों में पीने के पानी के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम कांकरा की ढाणियों में एक भी हैण्ड पम्प नहीं है ? ग्राम को मालियों की ढाणी व उजीवालों की ढाणी जिसकी आबादी 300 के करीब है तथा कांकरा गांव से 2½ किलोमीटर दूरी पर है में हैण्ड पम्प लगाने की विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

उत्तर

(1) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के ग्राम कांकरा में टी. एस. एस. योजना के अन्तर्गत कुएं पर बिजली लगी हुई है। गत कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा न होने के कारण कुए की जल आवक क्षमता में काफी कमी हुई है। जल वृद्धि हेतु 1.89 लाख रुपये की संवर्धन योजना ग्राम कांकरा के लिये बनाई गई है। सीकर जिले की चार तहसीलों के लिए लगभग दो करोड़ रुपये के संवर्धन प्रस्तावों का तकनीकी अनुमोदन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है जिसके अन्तर्गत ग्राम कांकरा की योजना भी सम्मिलित है। योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। धन उपलब्धता के अनुसार योजना क्रियान्वित की जा सकेगी।

(2) जी हां, ग्राम हरिपुरा एवं राजपुरा दोनों ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करा दिया गया था। योजना के कोई पाइप गायब नहीं हुए हैं। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ग्राम हरिपुरा में भूतल जलाशय के निर्माण हेतु ठेकेदार द्वारा को अप्रेल 88 में आदेश दिये गये थे। ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण उसे अन्तिम नोटिस दे दिया गया है। कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, ग्राम दुलारपुरा में दो हैण्ड पम्प लगाए जा चुके हैं। आस-पास की ढाणियों में तकनीकी उपयुक्तता एवम् धन उपलब्धि के अनुसार हैण्ड पम्प लगाये जा सकेंगे।

(4) जी नहीं। मालियों एवं उजीवालों की ढाणी में तकनीकी उपयुक्तता एवम् धन उपलब्धता के अनुसार हैण्ड पम्प लगाये जा सकेंगे।

नवलगढ़ पंचायत समिति में नये विद्यालय

100. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या पंचायत राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, नवलगढ़ में गत सत्र में कितने नये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं तथा उन्हें कब प्रारम्भ किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवरंग सिंह)

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, नवलगढ़ में छात्रों के अनुपात से अध्यापकों की संख्या कम है? यदि हां, तो कब तक विभाग अध्यापकों के नये पद सृजित करके रिक्त पदों को भरने का विचार रखता है? विद्यालयवार सूची व विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति नवलगढ़ में वर्ष 88-89 में 10 प्राथमिक दो उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं जिसका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। पंचायत समिति नवलगढ़ में छात्रों के अनुपात में 88 अध्यापकों की कमी है। विद्यालयवार सूची व छात्रों के अनुपात से अध्यापकों की कमी का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। शिक्षा विभाग अध्यापकों के अतिरिक्त पद आवंटित हो, पर इस कमी को पूरा किये जाने का प्रयास किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

जवाहर नगर, जयपुर की पार्क भूमि पर भवन निर्माण

101. श्री माणक डाणी (ब्यावर): क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान आवासन मण्डल जवाहर नगर, जयपुर में सेक्टर नं 4 में पार्क हेतु आरक्षित की गई जमीन में कोई मकान बनाकर श्री महेन्द्र सिंह आई. ए. एस. को आवंटित किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त मकान अधूरा बनाकर कम कीमत पर श्री महेन्द्र सिंह को सुपुर्द किया गया जिस पर बोर्ड नियमों के विपरीत बिना नक्शा की मंजूरी व डिजाइन के मकान बनाया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या बोर्ड नियमों में अधूरे मकान देने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो किन नियमों के तहत अपूर्ण मकान दिया गया, और नियम विरुद्ध निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी?

(2) क्या उक्त अधिकारी ने बोर्ड द्वारा आवंटित जमीन के अतिरिक्त 825 वर्ग फुट जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिस पर बोर्ड ने जयपुर विकास प्राधिकरण को भी लिखा? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जे को हटाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या बोर्ड ने उक्त जमीन का मार्केट दर पर पैसा वसूल कर लिया है? नहीं, तो उक्त कब्जा कब तक हटा दिया जायेगा?

(3) क्या उन्होंने बोर्ड द्वारा प्रस्तावित नक्शे के हिसाब से मकान नहीं बनाया तथा जयपुर विकास प्राधिकरण ने श्री सिंह का एक नया नक्शा नियमों के विरुद्ध राजस्थान आवासन मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र बिना पास कर दिया तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पासशुदा नक्शे के अनुसार भी न बनाकर अपनी मर्जी से उस समय के प्रचलित नियमों के विरुद्ध अधूरा मकान दिया गया?

(4) क्या उक्त मामले में राज्य सरकार बोर्ड की कार्यवाही को नियमानुसार नहीं मानकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्य-

(श्री माणक डागी)

वाही का विचार रखती है व नियमों के विपरीत आवंटन को रद्द करने का विचार भी रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सेक्टर नं. 5 में अन्य आरक्षित जमीन में एक अधूरा मकान बनाकर श्री मन्हेद्र सिंह, आई. ए. एस. को आवंटित किया गया है। हुडको की ऋण सीमान्तर्गत मकान अधूरा ही बन पाया। अतः उक्त प्रकरण में आवंटी को मण्डल के डिजाइनानुसार अधूरा मकान पूरी कीमत पर ही बनाकर दिया गया है। श्री सिंह ने मण्डल से मकान प्राप्ति के पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण से अतिरिक्त निर्माण व डिजाइन की मंजूरी प्राप्त कर निर्माण कार्य करवाया है।

(2) जी हां। यह सत्य है कि उक्त अधिकारी ने आवंटित भूमि के अतिरिक्त 721.18 वर्ग फुट जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में मण्डल द्वारा उक्त अधिकारी को नोटिस दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अवैध कब्जा हटाने के लिए मण्डल द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से सहयोग मांगा जा रहा है।

(3) श्री महेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत नक्शे दिनांक 16–5–85 को प्राधिकरण की समिति की बैठक में रखे गये थे जिन पर उनके द्वारा प्रस्तुत नक्शे को आवासन मण्डल से सहमति प्राप्त होने के पश्चात दि. 5–7–85 को स्वीकृत किया गया तथा स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध किये गये निर्माण को नियम बद्ध किया गया।

(4) बोर्ड ने नियमानुसार कार्यवाही की है। आवंटन नियम विरुद्ध नहीं है, अतः आवंटन रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर नगर परिषद द्वारा सफाई कार्य

102. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशन पोल): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर परिषद् सफाई कार्य पर अनुमानतः कितनी रकम प्रतिवर्ष व्यय करती है और इस कार्य हेतु कितने सफाई कर्मचारी वार्ड अनुसार कार्यरत हैं ? कृपया कर्मचारियों की संख्या की सूची वार्ड अनुसार व हाजिरीगाह के स्थानानुसार सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर नगर परिषद् शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पर प्रतिवर्ष औसतन कितनी राशि व्यय करती है और इस कार्य हेतु कितने कर्मचारी हैं और उनके वेतन पर कितनी राशि अनुमानतः व्यय की जा रही है ? गत तीन वर्षों में कितनी मर्करी सोडियम, ट्यूबलाइट व बल्ब खरीद पर राशि व्यय की गई है ?

(3) जयपुर नगर परिषद् का चालू वित्तीय वर्ष का बजट कितना है और इस वर्ष प्रत्येक मद पर कितना व्यय किया जाना प्रस्तावित है ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(4) क्या परिषद ने चालू वित्तीय वर्ष में सफाई कार्य में आने वाले उपकरण की खरीद व परकोटों के अन्दर की गन्दी गलियों को पक्का करने का प्रावधान रखा हैं ? यदि हां, तो कितनी धनराशि अलग-अलग मद पर व्यय की जायेगी ?

(5) जयपुर नगर परिषद् के मोटर गैराज में सफाई कार्य में आने वाले ट्रक, ट्रेक्टर एवं इसके अतिरिक्त कार्य में आने वाली गाड़ियां कितनी चालू व अनुपयोगी हालत में हैं ? गत तीन सालों में खरीदी गई गाड़ियों की कीमत-सम्पूर्ण गाड़ियों का ब्यौरा व कितने कर्मचारी गैराज में काम करते हैं, पद व वेतन दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर नगरपरिषद् द्वारा सफाई कार्य पर अनुमानत: प्रतिवर्ष 107843400 रु. व्यय किये जाते हैं एवं इस कार्य हेतु चारों जोंस-हवामहल, चांदपोल, सिविल लाइन व मोती डूंगरी जोन के कुल 50 वार्डों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सूची क्रमश: परिशिष्ट क, ख, ग, घ पर उपलब्ध है तथा हाजरीगाह के स्थान की सूची भी परिशिष्ट क, ख, ग, घ पर उपलब्ध है।

(2) जयपुर नगरपरिषद् द्वारा शहर की स्ट्रीट लाइट पर वर्षवार निम्नांकित व्यय हुआ है—

वर्ष 86-87	1847457/- रुपये
वर्ष 87-88	3214301/- रुपये
वर्ष 88-89	3781662/- रुपये

इन कर्मचारियों पर प्रतिवर्ष रुपये 18.75 लाख अनुमानत: व्यय किये जाते हैं। गत तीन वर्षों में मर्करी, सोडियम, ट्यूबलाइट व बल्ब खरीद पर निम्नानुसार राशि व्यय की गई है—

वर्ष 86-87	889087/-रुपये
वर्ष 87-88	667473/-रुपये
वर्ष 88-89	1388923/-रुपये

सूची परिशिष्ट "च" पर उपलब्ध है।

(3) जयपुर नगर परिषद् का चालू वित्तीय वर्ष का बजट 215301000 रु. का है। प्रत्येक मद पर प्रस्तावित व्यय का विवरण परिशिष्ट "च" पर उपलब्ध है।

(4) चालू वित्तीय वर्ष में सफाई काम में आने वाले उपकरण की खरीद पर 10 लाख रुपये का प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष 89-90 में किया गया है। परकोटे के अंदर गंदी गलियों को पक्का करने पर 3 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

(5) जयपुर नगर परिषद् के मोटर गैरेज सफाई के काम में आने वाले ट्रेक्टर गाड़ियों में 77 चालू व 25 गाड़ियां अनुपयोगी हैं। सूची परिशिष्ट "छ" पर उपलब्ध है। गत 3 सालों में खरीदी गई गाड़ियों की कीमत व सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट "ज" पर उपलब्ध है। गैरेज में कार्यरत कर्मचारियों के पद व वेतन का पूर्ण विवरण परिशिष्ट "झ" पर उपलब्ध हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

जयनारायण व्यास कालोनी, बीकानेर में प्लाट आवंटन

103. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल),

श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयनारायण व्यास कालोनी, बीकानेर में कुल कितने प्लॉट आवंटित किये गये थे और उन पर निर्माण कार्य करवाने की स्वीकृति लेने की अंतिम तिथि क्या थी ?

(2) उक्त तिथि तक निर्माण के लिये आवेदन करने वाले सभी आवंटियों को निर्माण स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ? यदि नहीं, तो किस-किस आवंटी को स्वीकृति नहीं दी गई है ? कारण सहित उनके नाम मय आवेदन की दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसे भी आवंटी हैं जिनके कागजात निर्धारित तिथि को प्राप्त होने के पश्चात कार्यालय में से गुम हो गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे आवंटियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि ऐसे आवंटियों से दुबारा कागजात मांगे गये हैं पर उन्हें निर्धारित तिथि के पश्चात् आया हुआ माना जाकर स्वीकृति नहीं दी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या अंतिम तिथि तक आये सभी निर्माण-स्वीकृति प्रार्थना पत्रों को शीघ्राति-शीघ्र निर्माण स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयनारायण व्यास नगर योजना में कुल 1890 प्लाट्स आवंटन किये गये थे। न्यास बैठक दिनांक 30.7.88 के अनुसार सन् 1980 से पूर्व के आवंटियों का निर्माण कार्य की अवधि दि० 31-10-88 तक तथा सन् 1980 के बाद वाले आवंटियों को निर्माण की अवधि दिनांक 31-12-88 तक निश्चित की गई।

(2) उक्त तिथि तक निर्माण के लिए सभी आवंटियों को निर्माण स्वीकृति नहीं दी गई। जिन आवंटियों को निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है, उनकी सूची आवेदन के दिनांक एवं कारण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) ऐसे आवंटी हैं ही नहीं इसलिये सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी नहीं है।

(4) ऐसे प्रकरण न्यास कार्यालय में विचाराधीन नहीं हैं।

(5) बिन्दु संख्या 2 में वर्णित सूची के अतिरिक्त अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को निर्माण स्वीकृति दे दी गई है ?

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें)

जयपुर की कच्ची बस्तियों का विकास कार्य

104. श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन शहर में कुल कितनी कच्ची बस्तियां हैं तथा उनमें प्रत्येक में कुल कितने परिवार बसे हुए हैं ?

(2) विगत पांच वर्षों में, जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन हो जाने के बाद इन बस्तियों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा बिजली, पानी सड़क, नाली, पार्क के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ? वर्षानुसार सूची तथा इस राशि से कितना-कितना व्यय वर्षवार बस्तीनुसार उक्त प्रयोजनार्थ किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के विकास हेतु धनराशि आवंटन करने का क्या आधार है और प्रति व्यक्ति या परिवार दी जाने वाली राशि क्या राज्य सरकार की दृष्टि में विकास कराने हेतु पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या राशि आवंटन करने के आधार को बदला जायेगा ?

(4) मिनर्वा सिनेमा के पीछे कच्ची बस्ती (लोधों का मौहल्ला) में 1971 में किए गये सर्वे के अनुसार अब तक आवंटन पत्र नहीं दिए जाने का क्या कारण है तथा कितने लोगों को आवंटन पत्र देना है ? सूची सदन की मेज पर रखें। अब कब तक इन्हें आवंटन पत्र दे दिया जायेगा ?

(5) क्या राज्य सरकार सन् 1985 में रहने वाले कच्ची बस्तियों के निवासियों को बसाने की अपने वायदे के अनुसार घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीन जयपुर शहर में कुल 142 सर्वेक्षित कच्ची बस्तियां हैं। उनके प्रत्येक परिवार की सूचना परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन के पश्चात् कच्ची बस्तियों के विकास यथा बिजली, पानी, सड़क, नाली, पार्क हेतु कोई धनराशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित नहीं की गई है, अपितु पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 से 1988-89 के मध्य तक अनुदान स्वरूप 116.10 लाख रुपया की राशि प्राप्त हुई है (सूची परिशिष्ट "ख" में संलग्न है) प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्तियों के विकास कार्यों पर वर्ष 1988-89 तक 402.18 लाख रुपयों की राशि व्यय की गई जिसका वर्षवार बस्तीनुसार विवरण परिशिष्ट "ग" में संलग्न है।

(3) पर्यावरण सुधार (कच्ची गन्दी बस्ती) के सुधार हेतु प्रति व्यक्ति रु० 300/- की राशि वर्तमान में निश्चित है, इसमें से 225/- रुपये राज्य सरकार का एवं 75/- स्वयं संस्था का अंशदान होता है। राशि आवंटन करने का आधार बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) मिनर्वा सिनेमा के पीछे कच्ची बस्ती लोधों का मौहल्ला में 1971 के सर्वे अनुसार

(नगरीय विकास मन्त्री)

758 सर्वेधारी हैं। इस बस्ती में अधिकांश पक्के मकान बने हुए हैं जो योजना बद्ध बसाये जाने वाली बस्ती में बाधक हैं। अतः बस्ती के सभी निवासियों का यदि योजना बद्ध बस्ती में बसाये जाने में सहयोग हो तो विधिवत् सुनवाई उपरान्त भू–आवंटन की कार्यवाही संभव है। कच्ची बस्ती वालों को सुव्यवस्थित बसाने के लिए कुछ आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों के लिए मकान भी निर्मित कराये हैं परन्तु ये लोग उनमें जाना नहीं चाहते हैं इसलिए इस कार्य में प्रगति नहीं हुई है।

(5) राज्य सरकार ने वर्ष 1985 की निर्वाचन सूची के अनुसार कच्ची बस्तियों के निवासियों का सर्वे कराने के निर्देश दिये हैं। सर्वे के पश्चात् गुणदोष के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। राज्य सरकार की मंशा कमजोर तबके के लोगों को लाभान्वित करने की है हालांकि इसमें कई व्यक्ति जो गरीब नहीं हैं वे भी जमीन हथियाने की कोशिश करते हैं अतः ऐसे व्यक्ति को लाभान्वित नहीं किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील निवाई के ग्रामों में पेयजल व्यवस्था

105. श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल (निवाई) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निवाई तहसील के कौन-कौन से ग्राम में पूर्णरूप से मानव एवं जानवरों के लिए समुचित मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस तहसील में सरकार पेयजल के लिए क्या व्यवस्था कर रही है ? कहां-कहां हैंडपम्प ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं और क्यों ? इन खराब हैंड पम्पों को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा।

उत्तर

(1) निवाई तहसील के 41 ग्रामों में मानव एवं 4 ग्रामों में जानवरों के लिये पीने के पानी की आंशिक समस्या है। इन ग्रामों की सूची परिशिष्ट "अ" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) धन उपलब्धि के अनुसार पेयजल व्यवस्था हेतु कार्य किये जायेंगे। गत हैण्ड पम्प अभियान के तहत मरम्मत योग्य सभी हैण्डपम्पों को ठीक कर दिया गया था। जिन ग्रामों में स्थाई तौर पर हैण्ड पम्प खराब हैं उनकी सूची परिशिष्ट 'ब' में सदन की मेज पर रख दी गई है। खराब हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प धन उपलब्धि एव तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर लगाये जायेंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें)

अजमेर शहर को अतिरिक्त जल की व्यवस्था

106. श्री माणक डाणी (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(54)

(श्री माणक डाणी)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1988 की गर्मी में अजमेर को अतिरिक्त पानी देने हेतु 20 लाख गैलन प्रतिदिन लगभग 65 लाख रुपये स्वीकृत कर कार्य करवाया गया ?

(2) क्या उक्त योजना से 30-6-1988 से 18-2-1989 तक कुओं व लाइन आदि से पानी नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्या उक्त अवधि में इतना पानी उपलब्ध हो गया था कि 65 लाख रुपये की इस योजना से कुएं व पाइप लाइन को बन्द रखना पड़ा ?

(3) क्या अजमेर योजना के पम्पिंग स्टेशन नं. 1 से 7 तक के पम्प व पाईप लाइन ने 30–6–1989 से 18–2–1989 तक पूर्ण क्षमता पर कार्य किया ? यदि हां, तो इस लाइन की पूर्ण क्षमता प्रतिदिन की क्या है और इस क्षमता के विरुद्ध कितना पानी अजमेर को मिला ?

(4) प्रत्येक पम्प हाउस की प्रतिदिन पम्पिंग आवर्स व पम्प की गई मात्रा का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) यदि पम्पस् 24 घण्टे प्रतिदिन नहीं चले तो आपात योजना पर करवाये गये कार्यों से 30-6-1988 से 18-2-1989 तक उत्पादन नहीं लेने का क्या औचित्य है ?

(6) यदि पानी की कमी नहीं थी तो नसीराबाद–ब्यावर पाइप लाइन का टेस्टिंग कार्य क्यों नहीं करवाया गया ? इस लाइन के टूटने की टेस्टिंग हेतु नसीराबाद से ब्यावर तक कब-कब कितना-कितना पानी दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(7) आपात योजना के तहत कार्य पूरा करवाकर 20-5-1988 से 29-6-1988 तक औसतन 12 लाख गैलन प्रतिदिन पानी लिया गया, दिनांक 18-2-1989 से 28-2-1989 तक औसत उत्पादन 9 लाख गैलन प्रतिदिन रहा, क्या 20 लाख गैलन प्रतिदिन क्षमता पर इतना कम उत्पादन लेना अक्षमता का द्योतक है ? इसके क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । बनास नदी में पानी आ जाने के कारण उक्त योजना से पानी लेने की आवश्यकता नहीं रही ।

(3) जी हां । पाइप लाइन की क्षमता पम्पिंग स्टेशन नं. 1 से सर्विस रिजर्वायर नं. 7 तक 80 से 50 लाख गैलन प्रतिदिन की है । पम्पिंग स्टेशन 1 से औसतन 70 लाख गैलन पानी प्रतिदिन पम्प कर रास्ते के कस्बों व ग्रामों को पानी उपलब्ध कराते हुए 45 से 50 लाख गैलन पानी प्रतिदिन अजमेर शहर को उपलब्ध कराया गया ।

(4) सूचना "परिशिष्ट–अ" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(5) 1 से 6 पम्पिंग स्टेशन के पम्पस् विद्युत अवरोध एवं पाइप लाइन के टूटने

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

के समय के अलावा प्रतिदिन 24 घन्टे चलें।

(6) नसीराबाद से ब्यावर तक की पाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य 13 दिसम्बिर से प्रारम्भ किया गया। उसे मेले, कर्मचारियों की हड़ताल व गर्मी के दिनों में अजमेर शहर में पानी की मांग अधिक होने एवं स्त्रोतों के सूख जाने के कारण पाइप लाइन टेस्टिंग का कार्य दिनांक 6.2.89 से 20.2.89 एवं दिनांक 13.5.89 से 20.6.89 तक बन्द रहा। पाइप लाइन की टेस्टिंग हेतु उपलब्ध कराये गये जल का विवरण "परिशिष्ट-ब" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(7) जी हां, आपात योजना से दिनांक 20.5.88 से 29.6.89 तक 10 से 19 लाख गैलन पानी प्रतिदिन उपलब्ध करवाया गया। दिनांक 18.2.89 से 28.2.89 तक औसतन 9 लाख गैलन पानी प्रतिदिन बीसलपुर आपात योजना से लिया गया एवं आवश्यकतानुसार शेष पानी नेगड़िया, छातडी, सांडला स्त्रोतों से प्राप्त किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुपस्थिति की अनुमति

श्री दलजीतसिंह को दि. 29 जून, 1989 से सत्रान्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री दलजीत सिंह, सदस्य विधानसभा ने अपने बड़े भाई की मृत्यु के कारण दिनांक 29 जून, 1989 से सत्रान्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. सुश्री पुष्पा जैन, श्रीमती रतन कँवर, श्री हीरासिंह चौहान, श्री गणेशलाल बैरागी, श्री मांगीलाल मेंघवाल, श्री जगन्नाथ वर्मा, श्री रघुवरदयाल, श्री हरीशचन्द्र, श्री हरलालसिंह खर्रा, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री शिवचरणसिंह, श्री हरिकुमार औदिच्य और श्री बिदरमल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए राज्य सभा को भेजे गये प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिये जाने से मजदूरों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

2. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर शहर में जल वितरण के लिए डाली गई पाइप लाइन टूटी होने के फलस्वरूप पीने के पानी में प्रदूषण बढ़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा के मुख्यमन्त्रियों के बीच रोपड़ थर्मल कोमन पूल से पानी दिये जाने सम्बन्धी करार की पालना किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4. श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में अकाल की स्थिति होने के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

5. श्री भैरोंसिंह शेखावत और श्री नाथूसिंह सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के बीगोद कस्बे में 30 मार्च 1989 को हुए साम्प्रदायिक दंगे में गिरफ्तार व्यक्तियों की जमानत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है मेरा। मेरा यह है कि चालान नहीं हो रहा है इसलिए जिनकी जमानत नहीं हो रही है उनकी जमानत हो जाएगी। यह क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : वह है कि 90 दिन हो जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 90 दिन हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मुझे मालूम है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मुख्य मन्त्रीजी भी यहीं हैं और गृहमन्त्रीजी भी हैं, दोनों जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : मैं यही कह रहा हूं। राज्य सरकार से इस मामले में तीन दिन में जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। विदिन थ्री डेज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तीन दिन में 90 दिन पूरे हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं होंगे। आपने उनमें कोई डेट नहीं दी है। वह अपन बात कर लेंगे। क्या होगा यह मुझे तो पता है।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री शिवचरणसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से करौली उप तहसील में स्थित वन क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा भेड़ों को चराने का परमिट दिये जाने से वन विनाश होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिशंकर भाभड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में डामर की सड़कों का निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की ग्राम पंचायत बगावर के सरपंच पर इसी गांव

(श्री अध्यक्ष)

के प्रभावशाली लोगों द्वारा पिटाई किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री काली चरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मालवीय नगर आवासीय कालोनी जयपुर में जन सुविधाओं की राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री ग्यारसीलाल परिडवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई विधान सभा क्षेत्र में राजस्व अभियान प्रशासन गांवों की ओर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरिकुमार औदिच्य, सदस्य विधान सभा की ओर से रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र की ताकली तथा आहू बांध योजना की शीघ्र स्वीकृति नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री जगजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति शिलोरा में विद्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में।

(9) श्री हंसराज मिढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से वर्ष 1987-88 में फसल पानी की कमी तथा घग्घर बांध एवं अनावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा नहीं दिये जाने के संबंध में।

(10) श्री मुक्तिलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली सीमेंट फैक्ट्री बेकार पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री माणक डाणी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में टेलीफोन आपरेटरों को कनिष्ठ लिपिकों की वरीयता सूची में सम्मिलित करने के उपरान्त भी पदोन्नत नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ओबेराय होटल ग्रुप को प्रदेश की राजधानी से सटे अभयारण्य तथा पुरातन महत्व के क्षेत्र नाहरगढ़ की पहाड़ियों में होटल बनाने की स्वीकृति दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को केवल पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री शिवचरण सिंह।

स्थगन प्रस्ताव-आदि पर चर्चा

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा 131 के तहत एक ध्यान आकर्षण है, वह कब आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह।

श्री जगतसिंह दायमा : आपने तो इसकी व्यवस्था ही नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा ।

श्री अब्दुल अजीज : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर सर ।

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, हरिजन की हत्या का मामला है । मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, आपने क्या व्यवस्था दी है, यह तो बता दीजिये....

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से चैम्बर में आकर बात कर लेना....

श्री जगतसिंह दायमा : एक हरिजन की हत्या कर दी....

श्री अध्यक्ष : मैं देख लूंगा । श्री शिवचरण सिंह ।

श्री अब्दुल अजीज : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री अध्यक्ष : यह तो कोई प्रश्न ही नहीं है पाइण्ट आफ आर्डर का ।

श्री अब्दुल अजीज : आप मेरी सुनिये ।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये ।

श्री अब्दुल अजीज : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ....

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, मेरे ध्यान आकर्षण का क्या रहा ?

श्री अध्यक्ष : चैम्बर में मिले लें ।

श्री जगतसिंह दायमा : अच्छी बात है ।

श्री अब्दुल अजीज : माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 मई को विशेष तौर से काल एटेन्शन मोशन मकराना के साम्प्रदायिक दंगे के सिलसिले में दिया था उसके ऊपर कोई व्यवस्था नहीं आई और वह हाऊस एडजार्न हो गया इसलिये मैं आपसे गुजारिश करता हूं वह कब जवाब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : जवाब आ गया होगा मेरे चैम्बर में बात कर लेना, मंगा लूंगा । श्री शिवचरणसिंह ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक छोटा सा स्थगन प्रस्ताव यह दिया था कि जयपुर शहर में जो....

श्री अध्यक्ष : पानी की लाइनों के बारे में ? वह जवाब मगाया है ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जानकारी की आवश्यकता ही नहीं है और जानकारी की आवश्यकता यूं नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, वाटर लाइन सारी जीर्ण-शीर्ण हो गई है शहर में हजारों जगह वाटर लाइन टूट जाने के कारण वाटर लीकेज हो रहा है और वाटर लीकेज होने के कारण वह गटर लाइन से जुड़ गया है तो गटर लाइन से जुड़ जाने के कारण जयपुर शहर में प्रदूषण हो रहा है । लोगों के पेट में गटर का पानी जा रहा है पेट में कीड़े पैदा हो रहे हैं और यही नहीं वाटर लीकेज के कारण न तो वाटर प्रेशर बन पाता है. प्रेशर की, पानी की शिकायत होगी, जल प्रदूषण हो रहा है और मैं

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

समझता हूं लोगों के पेट में बीमारी फैल रही है और इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है। गहलोत साहब के पास यह विभाग है वह मेरे सामने बैठे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। पानी का नमूना जयपुर शहर का मैं लेकर के आया हूं यह जो पानी का नमूना मैं पेश कर रहा हूं पानी में छोटे-छोटे सर्प हैं, कीड़े हैं और गटर का पानी मिला हुआ है। इसलिये कोई जानकारी करने की आवश्यकता नहीं, राज्य सरकार को तत्काल ही इन जीर्ण-शीर्ण लाइनों को रीप्लेस करने वाली बात जहां पर वाटर लीकेज हो गये हैं उनको ठीक करने वाली बात जहां से लाइन गटर लाइन से जुड़ गई है उसको ठीक करने वाली बात है इस लिये मेरा विनम्र निवेदन है कि यह तो राज्य सरकार की जानकारी के लिये नहीं यह तो आज ही और अभी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए और मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी तक यह जल पहुंच जाये इस सदन की टेबल पर शीशी उपस्थित कर रहा हूं जिससे कि वह आज उसकी कार्यवाही करावें।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण सिंह।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : माननीय अध्यक्ष जी, सारे राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की जो भेड़ें हैं उनका उत्पात पूर्वी राजस्थान में हो रहा है....

(समय 12.13 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

चाहे उदयपुर डिवीजन हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे कोटा हो, यह भेड़ों के परमिट देकर के राज्य सरकार जो भेजती है जगह-जगह पर गोली चलती हैं ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम खड़ी होती है वहां के स्थानीय किसान जिनको ग्रेजिंग राइट्स् हैं उनके हितों पर कुठाराघात होता है इस साल भी वही हो रहा है। इसी के अन्तर्गत मेरा यह 295 का नोटिस है। करौली उप जिले के अन्दर 1200 वर्ग किलो मीटर के अन्दर वन हैं उसमें से 100 किलोमीटर तो अभयारण्य चला गया केवल 500 किलो मीटर क्षेत्र वन का रह जाता है।

श्री सभापति : आप माइक के पास आयें, फिर पढ़ें।

श्री शिवचरण सिंह : मुझे जबानी याद है। मैं पढ़ रहा हूं। 500 किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर 1956 में जो सैटलमेंट हुआ था उससे स्थानीय किसानों को ग्रेजिंग राइट्स दिये गये थे और किसानों को ग्रेजिंग राइट्स होते हुए भी आज राज्य सरकार भेड़ों के परमिट देती है। इस वर्ष भी मुझे मालूम हुआ है कि डेढ़ लाख भेड़ों के परमिट इरादतन चीफ मिनिस्टर साहब ने और दूसरे वनमन्त्री ने मिल कर सवाई माधोपुर क्षेत्र के अन्दर दिये हैं। वहां भेड़ों का आवागमन यू. पी. से शुरू हो गया है, भेड़ें वहां घुस गई, बारिश अभी हुई नहीं है वहां ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम होगी और किसानों में आपस में झगड़े फसाद होंगे। मैं आपके माध्यम से

(श्री शिवचरण सिंह)

निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर राज्य सरकार को कोई कानूनी अधिकार नहीं है ..

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री शिवचरण सिंह : पढ़ रहा हूं साहब। 500 किलोमीटर में घनी आबादी है लाखों पशु स्थानीय किसानों के हैं उनको सैटलमेंट में ग्रेजिंग राइट्स हैं इस क्षेत्र में परमिट से अथवा बिना परमिट के चरने की इजाजत राज्य सरकार देती है यह सभापति महोदय उस इलाके के किसानों के विरुद्ध है, साथ में नियम विरुद्ध है क्योंकि फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट भी नान फारेस्ट एक्टीविटीज की इजाजत नहीं देता। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी को और निवेदन करना चाहता हूं, इनको मालूम है, इनके इलाके के अन्दर गोली चल चुकी है। क्योंकि फारेस्ट एक्ट के अन्तर्गत यह परमिट देते थे। अब फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट में, चाहे ऊंट हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे भेड़ हो, उनको परमिट देने का राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है। उन इलाकों के अन्दर जहां सेटलमेंट ने ग्रेजिंग राइट्स दिये हों, माननीय मुख्यमन्त्री जी, मैं यह आपको कानूनी पहलू बता रहा हूं। कानून को ओवर लुक करके जो आप परमिट दिला रहे हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पर्सनली भी मैं आपसे निवेदन कर आया हूं हमारे इलाके में यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है यह बिल्कुल मानवीय प्रश्न है हमारे सारे जिले के अन्दर एक डेढ़ लाख भेड़ घोर रिश्वत के माध्यम से जो आप घुसा देते हैं उससे अगर वहां के ला एण्ड आर्डर की सिच्युएशन बिगड़ेगी....

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री शिवचरण सिंह : मैं पढ़ रहा हूं साहब,

श्री सभापति : नहीं, आप अलग से भाषण दे रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मुझे याद आ रहा है(व्यवधान) करौली पूरे उप जिले में ऊंट, भेड़, और गधे के परमिट राज्य सरकार ने अगर दे दिये हों तो अपनी गलती महसूस करते हुए उनको निरस्त करने चाहिये। वरना वहां अगर मानलो हमको डाइरेक्ट एक्शन लेना पड़ा और ला एण्ड आर्डर की हालात खराब हुई तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी। माननीय सभापति जी, आपकी आज्ञा से, माननीय मुख्यमन्त्री जी यहां बैठे हैं मुख्य मन्त्री जी एक शब्द कह करके मुझे आश्वस्त कर दें कि वहां भेड़ों का उत्पात नहीं होगा वहां जितनी अवेलेबल लेण्ड है उसके अनुपात में देखें तो वहां ग्रेजिंग लैण्ड है नहीं, फारेस्ट के महकमे के जो लोग हैं इनको बताते नहीं हैं वहां 500 किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर चार पंचायतें हैं। वहां की पांच लाख पशुधन की चराई के लिये कोई जगह नहीं रहती। माननीय मुख्यमन्त्री जी पधार रहे हैं, इनसे पूछ लीजिये आप। आप कृपा करके मुझे यह फरमा दें कि करौली में जितनी फारेस्ट लैण्ड अवेलेबल है उसके रेशो से परमिट दिये जायेंगे और माण्डलगढ़ की भेड़

(श्री शिवचरण सिंह)

करौली में नहीं आयेगी, इतना कृपया मुझे से कह जायें। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा क्योंकि मुख्य मन्त्रीजी जा रहे हैं और होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं उनके लिये ला एण्ड आर्डर की सिच्यूएशन हो जायेगी ..

श्री सभापति : आप बोलें, गृहमन्त्री जी बैठे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : मुझे बाध्य होकर वहां जाना पड़ेगा। मैं भेड़ों को रोकूंगा। यू. पी. के बोर्डर से मेरे इलाके में घुसने नहीं दूंगा। मैं बता देना चाहता हूं आपको, अगर एक भी भेड़ मेरे इलाके में आ गई तो मैं वहां पर मरने मारने के लिये अनशन पर बैठूंगा। माननीय सभापति महोदय, वहां लाखों भेड़ों के आने के बाद यदि वहां पर गोली चली, या कोई झगड़ा हुआ तो उसकी सीधी जिम्मेदारी मुख्य मन्त्री और गृहमन्त्री जी की होगी

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पढ़ें इसको।

श्री शिवचरण सिंह : यही पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति : आप पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ें आप।

श्री शिवचरण सिंह : दस लाख आदमियों की रोटी रोजी पर भेड़ के परमिट गैर कानूनी तरीके से अगर दिलायें तो उसको रोका जाये उससे यहां का लॉ एण्ड आर्डर खराब होगा। माननीय सभापति जी इस प्रकार अगर इन्होंने भेड़ों को नहीं रोका, कानून की व्यवस्था खराब की तो वहां के सारे जिले के लोग एकमत हैं मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, इस मामले पर हम एक हैं। कांग्रेस के हों या विरोध पक्ष के हों यह सारे जिले के जीवन मरण का प्रश्न है। आप अन्दाज कीजिये, मेरे क्षेत्र में कम आती हैं सपोटरा क्षेत्र के एम. एल. ए. हैं वह आपके कांग्रेस के हैं, वह पहलें ही चले गये। सारे लोग बिना पार्टी पालिटिक्स के जिले के सारे प्रतिनिधि किसान वर्ग के लोग वहां के 15 लाख जो वहां की आबादी के लोग हैं उनका 20 लाख पशुधन है उसको भूखों नहीं मरने देंगे, इसके बड़े खराब परिणाम निकलेंगे। आप इनको ताड़ना दें। दोनों आपकी ताड़ना से भाग गये इनसे जवाब ले लो आप कृपा करके मुख्यमन्त्री, गृह मन्त्री, फारेस्ट मन्त्री, भेड़ मन्त्री और भेड मन्त्रालय को कहें कि यह गलत मेनीपुलेट कर यह जो जंगल में घुस जाती है....

श्री सभापति : भेड़ मन्त्री नहीं पशुपालन मन्त्री हैं।

श्री शिवचरण सिंह : श्री मांगीलालजी भेड़ मन्त्री हैं। माननीय सभापति जी, आपको मालूम होगा कि ये कितना विनाश करेंगी इनको पाबंद नहीं किया गया तो राजस्थान भर में यह बीमारी फैलेगी, चित्तौड़गढ़ में आपको तंग करेगी। मांडलगढ़ में माननीय मुख्य मन्त्री को तंग करेगी, सवाई माधोपुर में मुझे तंग कर रही है। कृपा करके इनको पाबन्द करें। धन्यवाद।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदय, करौली से आने वाले

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

माननीय सदस्य ने बिल्कुल सत्य कहा है। सवाई माधोपुर जिले में भेड़ व ऊंट ने उपद्रव मचा रखा है जितना इनको परमिट दे रखा है उससे अधिक आकर फसलों को चौपट कर रही हैं। मैं भी इनका समर्थन करता हूं।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सदस्य कितने संवेदनशील हैं।

श्री सभापति : वे आप से सहमत हैं ये कह रहे हैं।

श्री किरोड़ीलाल मीणा (महुआ) **:** जिनको धौलपुर का परमिट दे रहे हैं वे भी करौली में चले जाते हैं।

श्री सभापति : मैं आसन की ओर से सरकार को कह रहा हूं कि वे इस समस्या को गम्भीरता से लें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा।

श्री शिवचरण सिंह : सरकार परमिट देगी तब भी नहीं जाने देंगे।

श्री सभापति : मैंने आसन की ओर से कह दिया है। श्री भाभड़ा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) **:** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान नियम (295) के अन्तर्गत राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके खासतौर से चूरू जिला और मेरा क्षेत्र रतनगढ़ में डामर की सड़क बनाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके पहले कि मैं पढ़ना शुरू करूं मैं आप से निवेदन करूंगा कि सरकार के जो जिम्मेदार मन्त्री यहां पर बैठे हैं वे कृपया नोट करें।

श्री सभापति : श्री रामकिशन जी वर्मा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्योंकि मैं सड़कों के नाम गिनाने जा रहा हूं।

श्री सभापति : मैंने मन्त्रीजी का नाम ले लिया है वे कृपया नोट करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सरकार नई सड़कें तो बना नहीं रही है लेकिन जो थोड़ी बहुत पुरानी सड़कें हैं उनकी मरम्मत की ओर भी ध्यान नहीं देती है। सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में यदि डामर की सड़क बना दी जाये तो वहां की पचास प्रतिशत समस्या अपने आप हल हो जायेगी। यदि वहां औषधालय नहीं हैं तो सड़क बनने से मुख्य स्थान पर लोग साइकिल से जा सकते हैं। यदि स्कूल नहीं है तो अपने लड़कों को दूसरी जगह भेज सकते हैं। सड़क के होने से शहर में जो सुविधा उनको प्राप्त है, उन सुविधाओं का उपभोग भी गांव के लोग कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रख कर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

मैं राजस्थान सरकार का ध्यान रतनगढ़ क्षेत्र में डामर की सड़क निर्माण करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रतनगढ़ क्षेत्र में रेगिस्तानी इलाके में सड़कों का नितान्त अभाव है व राज्य सरकार इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है। यहां तक कि इस क्षेत्र में कृषि मण्डी द्वारा तीन

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सड़कें : 1. सम्पर्क सड़क हुडेरा,
2. सम्पर्क सड़क परसेनेऊ,
3. सम्पर्क सड़क लाछड़सर

बनाई गई हैं। कृषि उपज मण्डी के द्वारा बनाई गई सड़कों को अभी तक पी. डब्ल्यू. डी. को नहीं संभलाया गया है जिससे इन सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है जिन पर लाखों रुपया व्यय हुआ है। कृषि मण्डी द्वारा वह टूट रही हैं। इस सम्बन्ध में मैंने कई बार कृषि मन्त्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित किया लेकिन बेअसर रहा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि कृषि मण्डी की तीन सड़कों की मरम्मत के लिये पी. डब्ल्यू. डी. को लिखेंगे कि संभाल लें लेकिन अभी तक उनको संभाला नहीं गया है और उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। इसी तरह से रतनगढ़ सालासर सड़क पर पिछले 35 वर्षों से अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कार्य चल रहा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि यह सड़क कुल 45 किलोमीटर की है जिसमें से 14 किलो मीटर डामर हुई है 35 साल में, 5 किलोमीटर मेटल रोड है, 10 किलोमीटर ग्रेवल रोड है और 19 किलोमीटर तक अस्त-व्यस्त रेत बिखरी है। अभी तक इस पर 14 लाख रुपया खर्च हुआ है और 48 किलोमीटर की यह सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इतना रुपया खर्च होने के बाद भी अधूरी पड़ी हुई है। इस वर्ष भी इस सड़क को पूरा करने के लिये विभाग ने प्रस्ताव दिये हैं लेकिन सरकार ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस सड़क को इस वर्ष पूरा करवाने के लिये बजट में प्रावधान रखा जाये और रुपया अलाट किया जाये। इस सम्बन्ध में मैं लगातार मन्त्री महोदय, सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखता रहा हूं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस क्षेत्र में समय-समय पर निम्न सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं लेकिन इसके बावजूद उन पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है :—

1. रतनगढ़ बछरारा सम्पर्क सड़क,

2. छापर राजलदेसर सम्पर्क सड़क,

3. राष्ट्रीय राजामार्ग नं. 11 से टिडियासर तक

4. लोहा से तोबा तक,

5. रतनगढ़ गौशाला से सरदार शहर सड़क,

6. रतनगढ़ भाड़ोदा विदावतान वाया गोलसर, हंसासर, मेरीसर पावूसर

7. एप्रोच सड़क भरपालसर ... आपको मैं ध्यान दिलाऊं कि यह वही भरपालसर है जहां पर कि प्रधान मन्त्री पधारे थे और प्रधानमन्त्री ने आदेश दिया था कि यह टुकड़ा बनना चाहिये। प्रधानमन्त्री को आकर गये कई साल बीत गये लेकिन जिन राजीव गांधी की प्रशंसा रोज तालियां बजा बजा कर की जाती है और यह सरकार उन्हीं के आदेशों की अवहेलना कर रही है। यह एक किलोमीटर की छोटी सी सड़क है।....जो विशेष बात है वह बता रहा हूं सभापति महोदय,

8. लोहा से खतोड़ी तक

9. सैला से मोलीसर

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

10. रतनगढ़ से कुसमदेसर

11. गोगासर से मेलूसर

12. राष्ट्रीय राजमार्ग स. 11 से बीना-देसर वाया बंडवा

13. नूवास सम्पर्क सड़क,

14. लाछ्रणसर मोमासर सम्पर्क सड़क।

इन सड़कों की स्वीकृति होने के बावजूद भी कई वर्षों से स्वीकृति पेंडिग है और इन पर काम नहीं किया जा रहा है। इन सड़कों को बार-बार भिन्न-भिन्न योजनाओं में बनवाने की स्वीकृति देने पर भी ये सड़कें अभी तक नहीं बनायी गयी हैं। इस इलाके में डामर की सड़कें बनाना इस इलाके के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है। राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत को, तहसील मुख्यालय से जोड़ने की घोषणाएं बार-बार करती रही है। हर बजट में इस बात की घोषणा हुई है कि हम ग्राम पंचायत को तहसील मुख्यालय से जोड़ेंगे। यह घोषणा पिछले कई वर्षों से होती जा रही है लेकिन अभी तक इस पर काम नहीं किया गया है। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि रतनगढ़ क्षेत्र में जो स्वीकृत सड़कें हैं और जो चालू सड़कें हैं उनको अविलम्ब डामर की सड़क बनायी जाये। सड़कें बन जाने से ग्रामीण लोगों की बहुत सी समस्याएं अपने आप ही हल हो सकती हैं। इसलिये इस क्षेत्र में सड़कें बनाने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आगामी बजट में इस क्षेत्र में अधिक से अधिक डामर की सड़कें बनाने का प्रावधान करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार पंचायतों को मजबूत करने के लिये बहुत सहायता कर रही है। कोटा जिले की ग्राम पंचायत बापावत के सरपंच श्री किशनचन्द गुप्ता ग्राम की पेयजल समस्या को हल करने के लिए पेयजल के अधिकारियों के साथ ट्यूबवैल के पाइन्ट का सर्वे करने के लिए गये थे। जब ट्यूबवैल का सर्वे चल रहा था उस समय कुछ देर के लिए वहां गांव की बिजली को बन्द करना पड़ा तो उस गांव के धनाढ्य और प्रभावशाली लोगों ने मिलकर उस सरपंच को उस अधिकारी के सामने पीटा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पुलिस वाले सामने ही थे लेकिन उन्होंने इन लोगों को नहीं पकड़ा। सरपंच की सुरक्षा के लिये क्या सरकार यही कर रही है। पहला सवाल तो यह खड़ा होता है। सभापति महोदय, पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। सभापति महोदय पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा। पुलिस के अधिकारी सरपंच की पिटाई कराते रहे। बचाओ, बचाओ, सरपंच पिट रहा है लोग चिल्लाते रहे।

श्री सभापति : आप पढ़ें।

श्री हरीश शर्मा : यह सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं।

यह लोकतन्त्र के आधार पर चोट थी। इस मारपीट से सरपंच बुरी तरह

(श्री हरीश शर्मा)

घायल हो गया। हाथ पैर की हड्डियां टूट गई। शरीर के अनेक अंगों से रक्त बहने लगा तथा सरपंच 15 दिन तक महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में भर्ती रहा। पूरे पंचायत क्षेत्र में आतंक व्याप्त हो गया। किन्तु प्रशासन ने मुलजिमों को आज तक भी गिरफ्तार नहीं किया। यदि ऐसी मारपीट जन प्रतिनिधि के साथ न होकर किसी अधिकारी के साथ होती तो प्रशासन एवं पुलिस पूरे गांव को ही रोंद डालती।

सभापति महोदय, यह गम्भीर मामला है। स्पेसिफिक सवाल यह पूछूंगा मैं इन मन्त्रियों से, सरकार से कि कभी जनता का झगड़ा हो गया इन अधिकारियों से तो पूरी पुलिस पीटती, गांव में लट्ठ मारती वहाँ की एक-एक औरतों और बच्चों को बाहर निकाल देती। लेकिन सरपंच की पिटाई करने वाले और सरपंच भी कहाँ था, सरकारी अधिकारियों के साथ ट्यूबवैल का सर्वे करने गया था उसको मारने वालों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या सरकार जवाब दे सकती है ?

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री हरीश शर्मा : पंचायत को मजबूत करने की रोज असत्य घोषणाएं कर रहे हैं। लगातार पंचायत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह आप-हम से जुड़ा हुआ है, हरेक का सवाल है।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री हरीश शर्मा : पुलिस एवं प्रशासन की निष्क्रियता देख कर पंचायत समिति सांगोद के सभी सरपंचों ने राजस्व अभियान का बहिष्कार कर दिया। सभापति महोदय, एक बार पहले पटवारियों की हड़ताल से पंचायत समितियों में राजस्व अभियान नहीं चला, दुबारा पंचायत के सरपंचों के बहिष्कार करने से राजस्व अभियान फेल हो गया, असफल हो गया।

श्री सभापति : आप पढ़ें। इससे सिक्वेंस नहीं बनता अलग-अलग बोलने से। पढ़ते रहें तो सिक्वेंस बनेगा सारी बात का।

श्री हरीश शर्मा : सरपंचों ने मांग की कि जब तक सरपंच श्री गुप्ता के साथ मारपीट करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जावेगा तब तक सरपंच किसी भी सरकारी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे।

माननीय कल्ला साहब, पंचायत समिति सांगोद के सरपंच भाग नहीं लेंगे जिनकी आप रोज वकालत करते हो। सरपच और अधिकारियों, जो सरकारी काम करते हैं, को पीटने वाले मुलजिमों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? कौन जिम्मेदार हैं? क्या एस. पी. के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे? उस थानेदार के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जो खड़ा-खड़ा समय पर देखता रहा? राजस्व अभियान एक बार फिर असफल हो गया। पंचायत समिति, सांगोद के सरपंच किसी योजना में भाग नहीं लेंगे। सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं। कोटा जिले के सरपंचों ने नोटिस दिया है कलक्टर को, अगर जल्दी कार्यवाही नहीं की, जल्दी

(श्री हरीश शर्मा)

मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो एक भी पंचायत में कोई काम नहीं होगा। सभापति महोदय, ध्यान देने योग्य बात है कि वह धनाढ्य परिवार है, पीटने वाले मुलजिम चुनाव में चन्दा, फण्ड देते हैं इसलिये कार्यवाही नहीं हो रही है, मुख्य बात यह है।

श्री सभापति : इसमें लिखा हुआ है उसको पढने से सिक्वेंस रहेगा, नहीं तो सिक्वेंस नहीं बनता बात का।

श्री हरीश शर्मा : मुख्य बात यह है कि आप अगर एस. पी. को गाली दे दें तो तुरन्त पुलिस आ जाती है।

श्री सभापति : आप ठीक बात उठा रहे हो, लेकिन पढ़ें।

श्री हरीश शर्मा : सोजत में गिरफ्तार किया बिना बात ही। सरपंच को मारने के बाद भी सरकार चुपचाप बैठी रही। सरपंच को मारने के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। इनसे अगर तू भी कह दें तो हमारे पास पुलिस आ जाती है। यह है सवाल मेरा साफ, आप इस पर दबाव दीजिये, लोकतन्त्र की बेइज्जती है, यह बेइज्जती है आपकी, हमारी।

श्री सभापति : मैं आसन की ओर से कह रहा हूं, इस बारे में कार्यवाही करे सरकार।

श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के तहत जयपुर शहर में आवासन मण्डल द्वारा निर्मित मालवीय नगर आवासीय कालोनी में अभी तक जन–सुविधाओं के अभाव की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा मालवीय नगर जयपुर के निर्माण होने के करीब 7–8 वर्ष उपरांत भी वहां अभी तक अपेक्षित नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। राज्य सरकार का इस ओर बार-बार ध्यान आकर्षित करने के उपरांत भी अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाये गये हैं जिसकी वजह से वहां रहने वाले करीब 40 हजार व्यक्ति नारकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो रहे हैं।

मालवीय नगर में वर्तमान में 13 सैक्टर्स हैं जिनमें से अधिकांश सैक्टर्स में पूरी सड़क व नालियां तथा गटर लाइनें ही नहीं हैं। जहां कहीं भी बनी हुई हैं वहां सड़कें टूटी हुई हैं। नालियों एवं गटर लाइनों में मिट्टी भरी हुई है जिससे पानी सड़कों पर बहता है। पूरे क्षेत्र में सड़ांध पैदा हो रही है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जन–प्रतिनिधियों ने जब इस सम्बन्ध में नगर परिषद का ध्यान आकर्षित किया तो उनका कहना था कि उक्त सुविधायें आवासन मण्डल द्वारा ही की जानी हैं। इसी प्रकार जब मैंने आवासन मण्डल से सम्पर्क किया तो उनका कहना यह था कि यह कार्य नगरपालिका का है। विभागों के फेर के कारण वहां के निवासी त्रस्त हैं तथा उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है

(श्री कालीचरण सराफ)

कि इन व्यवस्थाओं के लिए कौनसे विभाग के पास जाया जाय।

मालवीय नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में उक्त सुविधाओं के अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट का पूर्ण अभाव है। जहां कहीं भी लाइट व्यवस्था है, वह पूर्णतः अपर्याप्त है जिसके कारण रात्रि में समूचे मालवीय नगर क्षेत्र में अंधकार रहता है और इसके कारण चोरियां होती हैं। पूरे क्षेत्र में अंधेरा रहता हैं।

समूचे मालवीय नगर में मात्र एक सरकारी चिकित्सालय है चालीस हजार लोगों पर, वह भी सुबह शाम अपने निश्चित समय पर खुलता है। यदि रात्रि में कोई नागरिक गंभीर रूप से बीमार हो जाय तो उसे मालवीय नगर से 10 किलोमीटर दूर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जाना पड़ता है वह भी यदि कोई वाहन की व्यवस्था हो जाय तो। वहां कोई वाहन की व्यवस्था भी नहीं है। यही हाल वहां के पार्क स्थलों का है। आवासन मण्डल ने पार्क के लिए स्थान तो खाली छोड़ दिये परन्तु स्थान खाली छोड़कर अपनी इति श्री समझ ली। आज 6–7 वर्ष होने के बाद भी आवासन मण्डल द्वारा एक भी पार्क का विकास नहीं किया गया। नगरपालिका ने उनको कचरे के डिपो बना रखे हैं। जहां पर्यावरण की सुविधा होनी चाहिए वहां दुर्गन्ध आती है, सड़ांध मारते हैं सब पार्क। इसी प्रकार उक्त कालोनी में एक भी राजकीय विद्यालय नहीं है। मजबूरन गरीब लोगों को पब्लिक स्कूलों के शोषण का शिकार होना पड़ता है। आवागमन के नाम पर यात्री सुविधाओं का नितान्त अभाव है। बार-बार मांग करने के उपरांत भी अभी तक नगर बस सेवा शुरू नहीं की गई है। यहां तक कि निजी वाहन हेतु इस इलाके में पेट्रोल पम्प ही नहीं है। यदि किसी स्कूटर, मोटर साइकिल में पेट्रोल खतम हो जाय तो उसको पैदल–पैदल 13 किलोमीटर शहर में आना पड़ता है और वहां से पेट्रोल भरवाना पड़ता है वहां पेट्रोल पम्प की भी व्यवस्था नहीं है। मालवीय नगर के पश्चिम से दिल्ली कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है जिससे वहां भारी वाहनों के आवागमन से निरन्तर दुर्घटनायें होती रहती हैं। हर एक सैकण्ड में एक के बाद एक ट्रक जाता है। पिछले 6 महीने में कम से कम दस लोग दुर्घटना के शिकार होकर मृत्यु के शिकार हो गये हैं।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें। सिक्वेंस नहीं बनता है।

श्री कालीचरण सराफ : वही कर रहा हूं, साहब। बीच में आप डिस्टर्ब करते हैं इसलिये गड़बड़ हो जाता है।

श्री सभापति : सिक्वेंस बिगड़ जाता है।

श्री कालीचरण सराफ : अतः मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि मालवीय नगर में समुचित सफाई व्यवस्था, सड़कों नालियों एवं गटर लाइनों की मरम्मत एवं अधूरी सड़कों का निर्माण, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सी. टी. एस. बस सेवा प्रारम्भ करना, पेट्रोल पम्प की सुविधा, सैटेलाइट

(श्री कालीचरण सराफ)

हास्पिटल की व्यवस्था, पार्कों का समुचित विकास, कम से कम एक राजकीय महाविद्यालय, दो हायर सैकेण्डरी स्कूल और पांच प्राथमिक विद्यालय मालवीय नगर क्षेत्र में खोले जाने चाहिए जिससे निवासियों को समुचित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकें एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कोटा–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग वहां से गुजरता है, को वहां से स्थानान्तरित किया जावे। जिससे आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

धन्यवाद। आवासन मन्त्री यदि यहां हों और इस बारे में कोई आश्वासन दें तो मेरे ख्याल से ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री ग्यारसी लाल परिड़वाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी मालवीय नगर की स्थिति बहुत खराब है। इतनी दूर ले जाकर दस-दस मील लोगों को पटक दिया गया है वहां कोई सुविधा नहीं है।

श्री सभापति : उन्होंने कह दिया, आप बीच में कहां से आ गई।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह जो रह गई, आये दिन चोरियां हो रही हैं उन चोरियों को रोके जाने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रवन्ध नहीं किया गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कालीचरण जी ने यह बात कह दी है। श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं शहर की इस बहुत बडी समस्या के लिए कहना चाहूंगी। न केवल मालवीय नगर बल्कि मानसरोवर और दूर दूर कालोनियों, जहां यह बसाई गई हैं, में सुविधा शीघ्र सरकार उपलब्ध करावे।

श्री सभापति : नोट नहीं करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जो प्रक्रिया सदन द्वारा अपनाई गई है उसी से तो चलेगा ना। आप बोल लिये ना।

श्री कालीचरण सराफ : मालवीय नगर में आज तक कोई सुविधा नहीं हुई है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने कह दी यह बात।

श्री कालीचरण सराफ : जे. डी. ए. में जाते हैं तो वह कहता है कि नगर परिषद् में जाओ। नगर परिषद् में जाते हैं तो वह कहते हैं कि जे. डी. ए. के पास जाओ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सभापति जी, मैं मालवीय नगर में रहता हूं इसलिए मैं तस्दीक कर सकता हूं कि वहां लोग बुरी तरह से परेशान हैं लेकिन जिस तरीके से मालवीय नगर को राज्य सरकार या नगर परिषद् या हाउसिंग बोर्ड देख रहा है यह सही है कि वहां सारी सड़कें, जिन पर पुल

× × × माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

बने हुए हैं, टूटी हुई हैं। उन पर कोई जा नहीं सकता और फर्लांगों तक इतना सड़ा हुआ पानी बह रहा है। आप देखें, मेरे घर के पास कचरे का अम्बार लग रहा है, मरे हुए पशु रोज वहां डाले जाते हैं और रोज सूअर वहां भीड़ लगाये रहते हैं और इतनी दुर्गन्ध आती है कि भगवान् जाने लोग कैसे रह रहे हैं।

नगर परिषद् कोई सफाई के लिए नहीं आती। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से कोई देखरेख नहीं है। लाईटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सिटी बसेज की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं और लोग दस-दस कि. मी. से पैदल आ रहे हैं। इसलिए या तो इस कालोनी को बन्द करवाइये। काहे का प्रचार कर रहे हैं, काहे की सिटी, आप व्यवस्था नहीं कर सकते हो तो ? इसलिए जो बेसिक आधारभूत आवश्यकताएं लोगों की वह तो उपलब्ध होनी चाहिए।

श्री सभापति : बेसिक एम्युनिटीज की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं सरकार से कि बेसिक, आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : वहां जो स्कूल नहीं चलाते उनको तो मुफ्त में जमीन और जो स्कूल चलाते हैं उनसे लाखों रुपया लूट रहे हैं। कमाल है, कोई तमाशा कर रखा है।

श्री कालीचरण सराफ : गरीब लोग मजबूर हो रहे हैं उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए....

श्री सभापति : आपने गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाया है सरकार का। मैं भी आसन की ओर से कह रहा हूं कि आवश्यक सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इससे पार नहीं पड़ेगी आसन की ओर से कह दिया उससे क्या होगा। मेरा तो सीधा लगाव है। जयपुर शहर का प्रश्न है और सोसाइटीज से जमीन लेकर मालवीय नगर की योजना जिस समय मैं यू. आई. टी. का चेयरमैन था, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमन्त्री थे, उस समय की योजना है। इसलिए मेरा भी सीधा लगाव है। बताया तो मैंने मेरे वाले समय में है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं वहां आज की हालत, सड़कें टूटी हुई हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है। पार्क कूड़े के स्थान बने हुए हैं और विधान सभा में कह रहे हैं कि पार्कों का विकास कर दिया जाएगा।

श्री सभापति : नोट नहीं करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ××××

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव नहीं है। जो प्रक्रिया तय कर दी गई, 295 की प्रक्रिया आप लोगों ने ही तय की है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ×××

+++

+++

××× माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ चर्चा माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सभापति जी, नियम 295 के अन्दर माननीय सदस्य बोलते हैं उनसे संबंधित मिनिस्टर यहां बैठने चाहिये। जिनका सवाल नहीं है, वह मत बैठो। दूसरे किसी मिनिस्टर के बैठने से क्या फायदा ? आप भी इस बात को मानेंगे कि दूसरे मिनिस्टर के बैठने से क्या फायदा ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : पिछली बार जो 295 के प्रस्ताव दिये, उनका जवाब आज तक नहीं आया....यही तो व्यवस्था थी कि तीन दिन के अन्दर जवाब आना चाहिए। कितने जवाब आये तीन दिन में ? (व्यवधान)

श्री मुक्तिलाल मोदी : संबंधित मिनिस्टर यहां मौजूद रहना चाहिए। यह व्यवस्था आपको देनी चाहिए। आप व्यवस्था नहीं देते इस बात की।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय मिनिस्टर यहां मौजूद बैठे हैं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह इनको भी ज्ञान है कि मन्त्री यहां बैठे हुए हैं। इनका मतलब इतना सा है कि जिस मिनिस्टर से सम्बन्धित 295 है उनको एक दिन पहले नोटिस चला जाता है....

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसी कोई व्यवस्था आसन ने दी नहीं है। न लोक सभा में है, न विधान सभा में है।

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : कौनसे मन्त्रीगण किस समय बिराजेंगे इसकी व्यवस्था सदन में है और उस समय निश्चित तौर पर बैठते हैं। जहां तक 295 का सवाल है उसके उत्तर आ रहे हैं....

श्री कालीचरण सराफ : कहां आ रहे हैं, सभापति महोदय, तीन दिन पहले 295 उठाया गया उसका जवाब आज तक नहीं आया। यह जवाब तीन दिन में आ जाने चाहिए यह नोट कर लीजिए आप। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, 295 का जो प्रोसीजर अडाप्ट कर रखा है सदन ने और आसन ने जो व्यवस्था दी वह इसका वैकल्पिक था कि एडजोर्नमेंट मोशन अलाऊ नहीं किया जाय और उसकी बजाय 295 के माध्यम से हमारी बात कह दें। अब 295 का उत्तर भी समय पर नहीं मिले और इस पर दूसरा सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन करना है कि आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप मंत्रिमण्डल के सदस्यों से बात कर लें और उनको कहें कि जब 295 का नोटिस एक दिन पूर्व दे दिया जाता है और एक प्रति सम्बन्धित मन्त्री को भी जाती है तो वह तो कम से कम उपस्थित रहें। यह कहना कि केबीनेट की जाइंट रेस्पांसिबिलिटी है, कोई मन्त्री बैठे सब मान लिये उसके अन्दर। यह चलने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ मुख्यमन्त्री एक ही केबीनेट चला लेता। सारी केबीनेट होने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो कन्सर्न मिनिस्टर मस्ट हियर एण्ड सर्टेन थिंग्स आर दी कन्वेंशंस। तो रूल में हो यह कोई आवश्यक नहीं है। माननीय कल्ला साहब ने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कन्वेंशंस होते हैं। आप अगर हेल्दी कन्वेंशंस डालेंगे तो

(श्री दिग्विजय सिंह)

हेल्दी डेमोक्रेटिक-वे में सेट-अप चलेगा और आप इस तरह से ग्रेड करेंगे हाऊस को तो अव्यवस्था ही रहेगी। इसलिए मैं आसन से चाहूंगा कि 295 को बिल्कुल सीरियसली लें। आखिर हम भी हमारी बात कहते हैं और उसका अगर सही तरीके से हम को उत्तर नहीं मिले तो फिर हम कहां जाएं, कौन से सदन में जाकर चर्चा करें। आप इसकी व्यवस्था दें कि मिनिस्टर शुड बी प्रेजेण्ट हीयर जब 295 का उल्लेख होता हो। ताकि हमको उसका उत्तर मिल सके।

श्री बुलाकीदास कल्ला : लोक सभा और राज्य सभा में जहां 295 का नियम लागू है, वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जब कोई माननीय सदस्य 295 के अन्दर प्रस्ताव उठाये तो सम्बन्धित मिनिस्टर उपस्थित रहे। लेकिन जो प्रश्न उठाये जाते हैं उनका लिखित उत्तर दिया जाता है।

मैं कह सकता हूं, मेरी जानकारी के अनुसार 90% से ज्यादा जो 295 के मुद्दे उठाये गये उनका लिखित में जवाब दिया गया है। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : तीन दिन में जवाब दिया जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था है और आप तीन-तीन महीने तक जवाब नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल मेघवाल : मैं कह रहा हूं नवें सेशन के जवाब आज तक नहीं मिले हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, यों तो पूरे राजस्थान की जानकारी प्राप्त करना, पूरी तहसीलों और गांवों की, उसमें समय लग सकता है लेकिन मैं कह रहा हूं कि.... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आप एक भी 295 का बता दीजिए, किसी का भी तीन दिन में जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप ऐसा करें, कार्यवाही चालू करें, मैं विभाग से पता करके बता देता हूं कि कितने प्रश्न आये और कितनों का उत्तर दिया गया।

श्री सभापति : आप बता दें.... (व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज आप मन्त्री हैं, आप सभापति हैं। वे मन्त्री हैं, वे अपना काम करवा लेंगे, आप सभापति हैं इसलिए काम करवा लेंगे। जनता, जिसने चुन करके भेजा है वह यदि कहे कि मान्यवर एम. एल. ए साहब, यहां हमारे काम नहीं हो रहे हैं। यह सडकें टूटी पडी हैं, यहां सफाई नहीं है, यह पार्क में कूड़ा पडा है, लाइटें नहीं हैं, यह स्कूल कॉलेज नहीं खुले और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जो अंगूठा छाप आपने मीठालालजी की जगह बनाया है, वह रोजाना, नित नई घोषणा करते हैं। यह कर दूंगा, यह कर दूंगा हरेक को धोखा देते फिरते हैं। मैं समझता हूं किसी को कुछ नहीं देने वाले हैं। मैं समझता हूं वे थोथी घोषणा करते जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आज जयपुर में अच्छी कौनसी हैं। मालवीय नगर की हालत, नाहरी का नाका की हालत, शास्त्री नगर की हालत, जवाहर नगर की हालत, आज सड़कें टूटी पड़ी हैं, मानसरोवर की हालत आज खराब है। इसलिए मेरा निवेदन है आखिरकार हम जायें कहां, माननीय सभापतिजी, यह बताइयेगा।

यह 295 की आपने जो व्यवस्था करी है, इसका अर्थ यह था कि हम यहां पर अपनी बात कहेंगे। मंत्रीजी ध्यान देंगे। मंत्रीजी ध्यान रखना अगली बार आप जब इधर बैठे होंगे और 295 की हम यही गति मति करेंगे ना तो आपको गुस्सा आयेगा।...

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह मौका हम नहीं लेंगे, यह मौका आपको देंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह मौका आयेगा, यह मौका तो आ गया। यह तो आप केवल बारूद के उसमें टिके हुए हैं। जाने वाले हैं आप तो, खत्म हो गयी लीला और दो, चार, छह महीने के हैं। इसलिए 295 की जो गति मति आपने स्थगन प्रस्ताव की की है, यह 295 जो है वह आपको ले जायेगा.... (व्यवधान)

श्री सभापति : यह भविष्यवाणियां आप लोग नहीं करें। कृपया....(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बिल्कुल होगा। मैं समझता हूं कि इसको टाल नहीं सकते। इसलिए मेरा निवेदन करना है, यदि हम जन प्रतिनिधि हैं तो आखिकार विधान सभा जब चल रही है, आखिकार अपनी बात कहां कहें।

श्री सभापति : आपने कह दी बात। श्री ग्यारसीलाल।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन करना यह है कि मालवीय नगर की जो भी शिकायतें यहां रखी हैं लोगों की मांग है, इस वाजिब मांग के बारे में मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : आप अपनी व्यवस्था दे दो।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस प्रकार टालना नहीं चाहिए। यह केवल आप नियमों के आधार पर हमको अडा करके हमें अपनी बात कह नहीं सकते। माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं, हम अपनी बात यहां पर रोजाना कहते हैं कहीं पर कोई इसका उपचार नहीं होता है। आप यह चाहते हैं कि हम हर बात के लिए धरना दें, हर बात पर इन-डिसेंट यहां कार्यवाही पैदा करें, टेबल पर खड़े हों, धरना दें, यहां पर भूख हड़ताल करें।

श्री सभापति : अब आप विराजें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हम अनुशासनप्रिय होकर के नियमों में अपनी बात को आपके सामने कहना चाहते हैं, नियमों में रहना चाहते हैं, अनुशासित पार्टी के हम व्यक्ति हैं। हमारी वाजिब बात को टालना, मैं समझता हूं, सरकार धर्म समझती

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है और इसलिए सरकार नहीं मानेगी तो मैं समझता हूं फिर हमको कोई दूसरी कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

श्री सभापति : श्री ग्यारसीलाल।

श्री कालीचरण सराफ : तीन दिन की व्यवस्था है, तीन दिन में जवाब आ जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुन लें तब ना। (व्यवधान)

आसन की ओर से मैं व्यवस्था दे रहा हूं, आप सुनना चाहें तो ना। मैं यह व्यवस्था दे रहा हूं कि अभी तक ऐसे 103 प्रस्ताव गयी बार आये थे 295 के तहत उसमें से 20 का जवाब आना बाकी है। मैं सरकार से कह रहा हूं कि उनका...

श्री कालीचरण सराफ : साहब, तीन महीने से नहीं आये हैं।

श्री सभापति : आप सुनो मेरी बात। आप सुन तो लें पहले। 103 में से 20 का जवाब आना बाकी है, 83 का जवाब दे दिया है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इन 20 का जवाब आप शीघ्र दें। दूसरा ...(व्यवधान)

आप सुनें, आप सुनिये। आगे यह निर्देश देना है आसन की ओर से कि चूंकि सात दिन में जवाब देने का प्रक्रिया में तय किया हुआ है। मैं सरकार से चाहूंगा कि जो प्रस्ताव आ रहे हैं उनका जवाब सात दिन में दें। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें उत्तर देर से आना है, राजस्थान भर से कोई सूचना कलेक्ट करनी है तो उसमें आप समय मांग लें तो कोई ऐसी बात नहीं होगी मैं समझता हूं ...

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जवाब से भी हमारा पेट नहीं भरे तो क्या करें।

श्री सभापति : माननीय श्री ग्यारसीलाल।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मान्यवर सभापति जी; काम नहीं हो, 295 का उत्तर आ गया, उत्तर आयेगा गोलमोल। यह ऐसा हो गया, यह हो जायेगा.... (व्यवधान)

आप हमारे माननीय सभापतिजी हैं, आप तो कानून के ज्ञाता हैं। आप तो हमें बता दीजिये कि विधान सभा का सदस्य विधान सभा के फ्लोर पर अपनी बात कह कर कैसे जन जीवन की समस्या का समाधान कर सकता है। यह बता दीजिये आप तो।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदय, मैंने पिछली बार सत्र में जामडोली गाँव के पास एनीकट अधूरा पड़ा था उसको बनाने के लिए.

श्री सभापति : यह अलग से बता दीजिये, मेरे को तो मालूम नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : मेरी सुन तो लें एक मिनट। एक मिनट सुन लीजिये। उसका जवाब आज तक नहीं आया।

श्री सभापति : आप अलग से लिख कर दे दीजिये, मैं जवाब मंगवा लूंगा।

श्री कालीचरण सराफ : लिख कर दिया है ना।

श्री सभापति : आप एक लिख करके भेज दीजिये मैं जवाब का इन्तजाम करूंगा। मैं खुद कह रहा हूं। श्री ग्यारसी लाल। (व्यवधान) नाथूसिंहजी क्या कहना है ?

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, एक मिनट, विद योर परमिशन। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने बता दिया ना आपको कि बाकी 20 का जवाब रहा है वह आ जायेगा। कोई.... (व्यवधान)

मैंने व्यवस्था दे दी मेरी ओर से। कोई नहीं सुनना चाहे तो फिर उसका क्या हो।

श्री कालीचरण सराफ : आपकी व्यवस्था को सरकार मानती नहीं है।

श्री सभापति : मैंने कह दिया है सरकार से। श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह): सभापति महोदय, 295 की आप व्याख्या पढ़िये। राजस्थान से सम्बन्धित बड़े-बड़े मामले होते हैं जिनमें 10 दिन की आवश्यकता होती है, 15 दिन की आवश्यकता होती है उनको 295 में चेयर पहले ही अस्वीकार कर देती है, उनमें अतारांकित प्रश्न आते हैं, तारांकित प्रश्न आते हैं जैसा अभी माननीय मन्त्रीजी कह रहे थे। तो 295 तो एक घटना विशेष से सम्बन्धित है और बिल्कुल उसमें टाइम लिमिट होता है। उस विशेष घटना से, विशेष पर्टिक्युलर टाइम पर जो घटना घटी है उस सम्बन्ध में 295 दिया जाता है। यह व्यवस्था पहले ऐसी थी जैसे कि 10–11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कोई घटना घट गयी, 295 में यहां रेफर किया करते थे, उसी में व्यवस्था यह कर दी कि 50 के अन्तर्गत नहीं देकर 295 में दे रहे हैं। उन मामलों को पर्टिकुलर एक घटना विशेष का जो अभी मन्त्रीजी कह रहे हैं कि पूरे राजस्थान भर के आंकड़े हों ऐसी चीजों का जिनमें 295....

श्री सभापति : ऐसे प्रस्ताव हो सकते हैं।

श्री नाथूसिंह : एक मिनिट, मेरी सुनिये तो। आपने 295 एक्सेप्ट किया है इसका मतलब वह चीज पर्टिक्युलर समय के लिए है, पर्टिक्युलर घटना को लेकर के उसका जवाब तीन दिन में आना ही चाहिए। पांच दिन हो सकते हैं, सात दिन हो सकते हैं लेकिन 4–4 महीने, चार महीने पहले सदन चला था उसके 295 के आज तक—

श्री सभापति : इसलिए मैंने कह दिया कि जल्दी जवाब दें।

श्री नाथूसिंह : इसका मतलब यह है कि.... (व्यवधान)

ऐसे मामले 295 जिनमें बड़े-बड़े आई ए. एस., आई. पी. एस. आफीसर्स फंसे होते हैं, जिनमें सरकार फंसने वाली है उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं। (व्यवधान) तो आप इनकी जांच करायें, 20 के जिन्होंने जवाब नहीं दिये वे कौन कौने से मामले हैं और किस-किस व्यक्ति से सम्बन्धित हैं –

श्री सभापति : मैं दिखवाऊंगा।

श्री नाथूसिंह : और इसकी जानकारी सदन में आप देवेंगे।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, 10 महीने हो गये।

श्री सभापति : इसको मैं दिखवाऊंगा। श्री राजेशजी।

श्री राजेश (थानागाजी) : सभापति महोदय, पिछली से पिछली वाली विधान सभा में एक क्वेश्चन के बारे में मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया था कि एक महीने में जांच करके विधान सभा में रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी। दूसरा सत्र चल रहा है अभी तक वह विधान सभा में रिपोर्ट नहीं आयी। चारा घोटाला काण्ड है उसको भी पेश करवाया जाय।

श्री सभापति : श्री ग्यारसी लाल।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, पिछले एक साल से चल रहा है कि नगर परिषद् और पालिकाओं के चुनाव करवा दिये जायेंगे।....

श्री सभापति : आप अपनी सीट पर विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हर सत्र में यह बात होती है। बड़े दुःख की बात है कि सरकार घोषणा करती है और चुनाव नहीं करा रही है। जबकि 20 सूत्री कार्यक्रम का पहला सूत्र चुनाव करवाया जाना है.... (व्यवधान) उसमें पचास पर्सेण्ट फैल हो गये।

(12:57 म प:)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या बैठें अपने स्थान पर बैठें प्लीज। श्री ग्यारसीलाल।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यह बता दीजिये, आपको ज्ञान हो तो कि एक विधान सभा का सदस्य यहां पर अपनी बात को, जनता की समस्या को कैसे मनवाये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : व्यवस्था हो गयी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : व्यवस्था हो गई, साहब। हम तो आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अगली बार आपको इधर आना है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारी भलाई मत सोचें, आप तो अपनी भलाई सोचें। आपकी भलाई उसी में है कि आप वहीं रहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह समझ लो, 295 फिर हम आपको पढ़ने नहीं देंगे, यह व्यवस्था भी खत्म कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बैठें आप। यह मैटर इसमें नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है मैं नहीं बोलूंगा पर आखिरकार इस सम्बन्ध में थोड़ा विचार जरूर करना।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप ।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब तक 20 दण्ड बैठक लगा चुका हूं उसके बाद मुझे मौका मिल रहा है ।... (व्यवधान)

आप कहें तो मैं और लगा लूं 10 ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला टौंक विशेष कर निवाई वनस्थली कान्स्टिट्यूएंसी के अन्दर जो राजस्व अभियान प्रशासन गांवों में, मैं कहूंगा उसको परेशान गांवों में । यह जो लोग गये थे उनको एक विशेष मुद्दा जो अलाट किया गया, जिसमें घोटाले हुए हैं उस विषय पर मैं आपको बताने जा रहा हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निवाई विधान सभा क्षेत्र में जब से प्रशासन गांवों में गया है, प्रत्येक पंचायत पर पहली बात तो तहसीलदार, बी. डी. ओ., एस. डी. एम., पटवारी यानी जो भी सम्बन्धित अधिकारी हैं वे लगभग एक बजे के करीब, लंच टाइम के कुछ पहले पंचायत भवन पर पहुंचते हैं ।

(म. प. 1.00)

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ लीजिए अब आप लोग नहीं बोलें....(व्यवधान) ठीक है, आप बोलिये ।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : बोल रहा हूं साहब । उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि जब यह अधिकारी पंचायत भवन पर पहुंचते हैं तो इनकी ऐसी आवभगत की जाती है, विशेष कर सरपंचों द्वारा एवं जो वहां के लोग हैं विशेष कर जिनको जवाहर रोजगार योजना का लाभ मिला है चाहे वह पंचायत क्षेत्र नगर से कस्बा निवाई से 20–25 किलोमीटर हो, बरफ की सिल्लीं जाती हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह लिखा नहीं है, आप पढ़िये अपना । मेरी बात नहीं करं पाएंगे, आप पढ़िए इसको ।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : इसी से सम्बन्धित है, बता रहा हूं कि कितना घपला हुआ है, आप देखिये .

वहां जिस पंचायत में पहुंच कर जिस जमीन को सवाई चक जिसको अलाट किया जाने वाला है, उसके लिये पहले से बिल वगैरह बना लिये जाते हैं । जिन लोगों के फार्म भरवाये जाते हैं और जिन लोगों का जिस जमीन पर दस-दस साल से कब्जा है और दस साल से वे बाकायदा पेनल्टी देते हुए आ रहे हैं उन लोगों के नामों की उद्घोषणा मौके पर होती है और यह मेरे सामने की बात है कि जिस व्यक्ति की जमीन की उद्घोषणा हुई और दूसरे दिन उन्हीं अधिकारियों द्वारा....

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़िये ।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख कर बिल्कुल वही बोल रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख रहा हूं, आपसे इसीलिये तो कह रहा हूं बार-बार ।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : जिस जमीन का दूसरे आदमी के नाम अलाटमेंट कर दिया जाता है, दूसरा मैं आपसे बताऊं

(श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल)

पंचायत स्तर पर जो अलाटमेंट किया जाता है, वह इस तरह से किया जाता है कि जिस व्यक्ति द्वारा जिस जमीन का वर्षों से लगान है, पेनल्टियां देता आ रहा है, उस व्यक्ति को जमीन अलाट न करके किसी दूसरे व्यक्ति को अलाट कर दी जाती है जिससे झगड़ा-फसाद होने का डर है और कई लोग तो अदालतों में पहुंच गये हैं, अपीलें कर रखी हैं, स्टे लगा रखे हैं, उस जमीन तक का भी अलाटमेंट कर दिया गया है। जहां वर्षों पहले ग्राम हिंगोनियां जो पूरा का पूरा बाढ़ में बह गया था और वहां के लोगों की जो जमीन बिल्कुल बह गयी थी और बेकार हो गयी थी, उन लोगों को जो जमीन दूसरी जगह अलाट की गयी थी, उन लोगों की जमीन को निवाई पंचायत समिति के प्रधान द्वारा अपने चहेतों को यानि खुद के अपने बेटे को 9 बीघा 10 बिस्वा जमीन अलाट करायी है। जबकि उक्त व्यक्ति के कम से कम 25 बीघा जमीन है। ऐसे व्यक्तियों को नाजायज तरीके से अधिकारियों को दबा कर प्रधान द्वारा वहां के जो लघु कृषक हैं, नौ एकड़ की जिनके पास प्रचुर मात्रा में जमीनें हैं, उन लोगों को अलाट करवाई हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें Not to be recorded. इनका अंकित नहीं करेंगे। हरिकुमार औदिच्य....

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : रेकार्ड नहीं हो रहा है। हरिकुमार जी।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपके कंट्रोल में है You are going beyond the record.

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गत चार वर्षों से जो रामगंज मण्डी क्षेत्र में विशेषकर प्रमुख समस्यायें हैं, जिससे वहां के सारे इलाके प्रभावित हैं और विशेष बात यह भी है कि राजस्थान में रामगंज मण्डी उन स्थानों में से है, जहां पर सिंचाई के अनेकों साधन राज्य सरकार चाहे तो जुटा सकती है, किन्तु यह होने के बावजूद सरकार साधन नहीं जुटा पा रही है इसलिये वहां पर कृषि की जितनी तरक्की हो सकती थी, वह नहीं हो पा रही है और सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारी कितने इसके प्रति उदासीन हैं मैं इसका विशेष उल्लेख रख रहा हूं।

रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र सिंचाई सुविधाओं की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी तक इस क्षेत्र में कृषि विकास के लिये एक भी छोटी मध्यम योजना अथवा बड़ी योजना स्वीकार नहीं की गयी, जबकि इस क्षेत्र में सिंचाई साधन उपलब्ध कराने की पर्याप्त क्षमता है। 1982 में ताकली बांध की योजना तैयार की गयी थी जिसे स्वीकृति के लिये केन्द्रीय जल बोर्ड ने राजस्थान व मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों को आपस में निर्णय लेकर स्वीकृत करने की अनुमति दे दी है, किन्तु खेद है कि पिछले तीन वर्षों की बैठकों में इस योजना पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी जबकि वर्तमान में इस बोर्ड

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(78)

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

के अध्यक्ष हमारे राजस्थान के ही मुख्य मन्त्री जी हैं जिन्होंने आज से डेढ़ दो महीने पहले भी उसकी एक बैठक हुई थी. उसमें इसकी चर्चा नहीं की। कृषि विकास की दृष्टि से इस योजना को अविलंब स्वीकृत किया जाना नितांत आवश्यक है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में बहने वाली दूसरी आहू नदी पर बांध बना कर सिचाई की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है किन्तु विभाग द्वारा इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। रामगंज मण्डी में नया गांव, चौबारा उंडवा, अरलाई आदि में अनेक बड़े तालाब हैं, जिनसे कम खर्च व कम समय में अधिक सुविधा देकर भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है किन्तु सिचाई विभाग ने अनेकों बार अधिकारियों को इस विषय में सुझाव देने के बाद भी सिचाई योग्य तालाबों को ठीक कराकर सिचाई सुविधा उपलब्ध कराने की अभी तक चिन्ता नहीं की गयी। इसी प्रकार क्षेत्र में चल रहे पत्थर की खानों से पंप लगा कर भारी मात्रा में पानी को बाहर निकाल कर नदी नालों में बेकार बहा दिया जाता है, जिसका उपयोग पानी को समीप के तालाबों में डाल कर सिचाई के काम में लिया जा सकता है, किन्तु इस पानी के उपयोग में लिये जाने की योजना पर भी विभाग ने कभी विचार नहीं किया। वर्तमान में कृषि के उत्पादन में बढ़ोत्तरी के लिये सिंचाई की इस क्षेत्र में नितांत आवश्यकता है। सारे इलाके में केवल मात्र बिजली के पंपों से ही कृषि की जाती है। जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती। अभी भी तहसील में करीब 800 बिजली कनेक्शन की फाइलें विचाराधीन हैं।

अत: मैं अपने इस विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि रामगंज मण्डी में सिचाई क्षमता की उपयोगिता के लिये ताकली बांध तथा आहू नदी पर बांध की स्वीकृति दी जावे तथा कृषि योग्य तालाबों की मरम्मत कराई जा कर सिंचाई योग्य बनाया जाये। ताकि सिंचाई साधनों में इस पिछड़े हुए क्षेत्र की कृषि उपज बढ़ाने में सहयोग मिल सके।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में अनेक छोटी-छोटी योजनाएं हैं, जिन पर राज्य सरकार द्वारा कम व्यय में लोगों को अधिक सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, किन्तु अधिकारी लोग इन छोटी योजनाओं पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इनसे उनको मिलता क्या है ? जहां अधिकारी बड़ी योजना काम में नहीं लेंगे जिसमें उनका कमीशन और दूसरे स्वार्थ निहित हों....
(व्यवधान)

मैं विशेष रूप से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की छोटी-छोटी योजनाओं को तालाबों की मरम्मत करने के लिये और सिंचाई की व्यवस्था कराने के लिये सरकार ध्यान दे तो गांवों के लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी। इतना ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगजीत सिंह जी, उठिये-उठिये।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा क्योंकि पंचायत राज्य मन्त्री जी यहां विराजमान हैं। नियम 295 के तहत मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ समय पूर्व पंचायत राज मन्त्री द्वारा किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति सिलोरा की एक मात्र ग्राम पंचायत भदूण में ही चार प्राथमिक शाला खोलने के लिये आदेश प्रदान किये। जबकि स्कूलें खोलने से पूर्व में लिखित में विधायकों, पंचायत समिति के प्रधानों व जिला परिषदों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं। किन्तु पंचायत विभाग ने विधायक, स्थानीय प्रधान व जिला परिषद, अजमेर के प्रस्ताव की अनदेखी करके एकमात्र ग्राम पंचायत भदूण में चार स्कूल खोलने के आदेश प्रदान कर दिये। जिसकी वजह से बाकी की सभी पंचायतों में रोष व्याप्त है। स्कूल खोलने की लिस्ट मिलते ही मैंने व स्थानीय पंचायत समिति, सिलोरा के प्रधान ने जिला परिषद के प्रस्ताव की नकल लेकर पंचायत राज्य मन्त्री जी को लिखित में निवेदन किया गया कि हमारे प्रस्तावों के अनुसार निम्न स्थानों पर प्राथमिक शालाएं खोलने के आदेश प्रदान करावें :—

1 भगत की ढाणी
ग्राम पंचायत सिनोदिया

2. केरीया की ढाणी
ग्राम पंचायत अमरपुरा

3. पेड़ी भाटा
ग्राम पंचायत पाटन

4. राजपुरा
ग्राम पंचायत नंवा

महोदय, ऐसा लगता है कि पंचायत विभाग आंख मींचकर कार्य कर रहा है। इसका उदाहरण मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की ग्राम पंचायत बुहारू के ग्राम रामपुरा में एक प्राथमिक शाला खोलने के आदेश प्रदान किये गये मगर ग्राम रामपुरा में प्राथमिक शाला पहले से ही चल रही है।

महोदय, मैंने दो बार मन्त्री महोदय को लिखित में भदूण में जो चार स्कूलें खोली गई उनके स्थान पर दूसरी ग्राम पंचायतों के गांवों में स्कूल खोलने का निवेदन किया किन्तु खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः आपके माध्यम से निवेदन है कि इस कार्यवाही के लिए आप मन्त्री महोदय को शीघ्र कार्यवाही करने के लिए आदेश प्रदान करें ताकि अन्य ग्राम पंचायतों में जो रोष व्याप्त है, वह समाप्त हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय भी बिराजे हुए हैं, इसमें कोई इन्फोर्मेशन आने की भी जरूरत नहीं है, यह तो एक करेक्शन करना है ..

श्री उपाध्यक्ष : आपको जवाब आ जायेगा।

श्री जगजीत सिंह : मगर इनको निर्देश तो दीजिए साहब। एक तारीख से स्कूल खुलने के बाद असंतोष बढ़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर जल्दी भिजवा इयेगा। श्री मांगी लाल जी।

श्री मांगीलाल मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बहरी सरकार को, जो कहकर के बदल जावे ...

श्री उपाध्यक्ष : यह लिखा हुआ नहीं है आपका।

श्री मांगीलाल मेघवाल : नहीं है, पर कह रहा हूं, दो शब्द।

श्री उपाध्यक्ष : वो लिखा नहीं जायेगा।

श्री मांगीलाल मेघवाल : जो कह करके बदल जावे और ऐसे मामले में....

श्री उपाध्यक्ष : सुना भी नहीं जायेगा।

श्री मांगी लाल मेघवाल : जो राजस्थान की सबसे बड़ी, प्रसिद्ध और सबसे बड़ी विख्यात मिल केशोराय पाटन सहकारी शूगर मिल है दुर्भाग्य की बात है कि पिछले चार सालों से इसके पहले भीषण अकाल पड़ा। उस समय किस तरह से इस मिल के मजदूरों को सरकार ने धोका देकर अपनी बात बदल दी, उसकी बात नियम 295 के माध्यम से, आपके माध्यम से बताऊंगा।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल श्री केशोराय पाटन सहकारी शूगर मिल वर्ष 87–88 में भीषण अकाल के कारण पश्चिमी राजस्थान में पशुओं की मौत से बचाने हेतु चारा भेजने के कारण बंद रखी गई। उस समय मिल के मजदूरों ने एवं स्थानीय कृषकों ने मिल बंद रखने के विरोध में आंदोलन किया तब राज्य सरकार ने कृषकों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र का सम्पूर्ण गन्ना चारा हेतु खरीद लिया जायेगा। सरकार ने वादा निभाते हुए सम्पूर्ण गन्ना खरीदा। उसी प्रसंग में तत्कालीन श्रम एवं सहकारिता मंत्री महोदय ने सीजनल मजदूरों को भी उस सीजन का भुगतान करने का आश्वासन दिया था परन्तु दुख एवं अफसोस का विषय है कि इतना लम्बा समय हो जाने पर भी इस भयंकर मंहगाई में उन 500 मजदूरों को भूखों मरने पर विवश किया जा रहा है। मजदूरों में मात्र 350 को वेतन का 25 प्रतिशत मात्र भुगतान किया गया। 100 मजदूरों को 50 प्रतिशत तथा 50 मजदूरों को मात्र 10 प्रतिशत भुगतान किया गया। इसके विपरीत मिल द्वारा कृषकों से उस वर्ष 1.50 प्रतिशत क्रय कर के रूप में जबरदस्ती कटौतियां कर साढ़े सात लाख रुपया वसूला जबकि मजदूरों का वेतन मात्र दो-ढाई लाख रुपये चुकाना है जो अब तक नहीं चुका रहे हैं। इसके अलावा भी जो गन्ने के भावों में वृद्धि की गई वो वृद्धि की गई राशि भी सीजन के कृषकों को नहीं दी गई। श्री केशोराय पाटन सहकारी शूगर मिल 17 दिसम्बर, 88 से चालू की गई। पिछले सेशन की बात है। वो अप्रेल, 89 तक चली। मिल द्वारा जो राशि बढ़ाई गई वो एक फरवरी 89 से कृषकों को दी गई। बकाया कृषकों को पांच लाख रुपया मिल ने अभी तक नहीं चुकाया है।

इस तरह से मिल द्वारा क्रय कर राशि एवं बकाया राशि साढ़े बारह लाख रुपया किसानों का है जो अभी तक मिल में बाकी है। इसी प्रकार दूसरी ओर मिल द्वारा मजदूरों के साथ भी भारी कुठाराघात

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

किया जा रहा है जो न्यायसंगत नहीं है। अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि अतिशीघ्र मजदूरों का वेतन भुगतान मय ब्याज के चुकाया जाय और किसानों से जबरदस्ती काटा हुआ साढ़े बारह लाख रुपया अतिशीघ्र किसानों को चुकाया जाय। यह क्षेत्र बहुत अपेक्षित है, अगर पैसा चुकाया नहीं जाय तो उस पैसे से किसानों के लिए उस क्षेत्र में सड़कें बनवाई जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का उदाहरण उत्तर प्रदेश की बिजनौर चीनी मिल में भी इस तरह का सीजन जब बंद किया गया था तब किसानों को भुगतान किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि यह न्यायोचित मांग है और सरकार अभी तक पन्द्रह महीनों से सुन नहीं रही है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हंसराज मिढा।

श्री मांगीलाल मेघवाल : इसलिए सरकार के कान पर जूं रेंगें, आप सरकार को ताड़ना दें और यह पैसा अतिशीघ्र भुगतान करवाया जाय और मजदूर विरोधी सरकार को ताड़ना देकर मजदूरों के हितों की रक्षा की जावे। धन्यवाद।

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आप बिराज रहे हैं, चार मंत्री और बिराज जावें तो न्याय की मांग है, किसान बैठे हैं, सब बातें अन्दर सुनने वाले हैं ...

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : आशा है क्या ?

श्री हंसराज मिढा : आशा है या नहीं है, मगर मांगें तो किससे मनवाये।

सरकार तो मांग है जनता की और किसानों की तो खासकर। ऐसा है चार ...

श्री उपाध्यक्ष : आप छोड़िये इसको। पढ़िये आप अपना।

श्री हंसराज मिढा : मैं थोड़ा समझा तो दूं।

श्री उपाध्क्ष : फायदा नहीं होगा कुछ भी।

श्री हंसराज मिढा : कुछ थोड़ा-थोड़ा होगा। मुख्यमन्त्री जी भी हैं, कृषि मन्त्री जी भी हैं, सिंचाई मन्त्री हों तो उनका ध्यान इस तरफ जावे कि हालात क्या हो रहे हैं ? नियम 295 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव। सन् 1987–88, पानी की कमी से फसल को नुकसान। घग्घर बाढ़ से, ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा। मुआवजे का वायदा करके मुआवजा नहीं दिया। सरकार ने वायदा किया था कि देगें मगर कुछ नहीं दिया। काफी समय से यह मांग की जा रही है और सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया जाता रहा कि घोषणा करेंगे मगर आज तक घोषणा छोटी सी की है। मगर आज तक घोषणा ईमानदारी से नहीं की गई, सिर्फ धोखा ही किया गया है।

(श्री हंसराज मिढा)

सन् 1987-88 में नरमा कपास पर पचास प्रतिशत सिचाई कर में छूट दी गई तो नरमा कपास की सिंचाई में छूट दी गई। बाकी फसलों को क्या पानी पूरा मिला ? 45 दिन में सिर्फ साढ़े तीन दिन पानी मिला। बाकी जो फसलें हैं उनको कहां से पानी आया ? यहां मैंने मूंगफली के सैम्पल भी रखे थे जिनमें कोई अनाज नहीं था मगर सरकार ने यह भेदभाव रखकर सिर्फ धोका ही दिया है। रकम में छूट दी। मगर बाकी की फसलों में छूट नहीं दी जैसे चना, सरसों, चावल, गेहूं, बरसीम, ज्वार, मक्का मूंगफली व ग्वार, सब्जी आदि। जब 45 दिन में सिर्फ साढ़े तीन दिन ही पानी मिला तो बाकी फसल बिना पानी के नष्ट हो गई। इसी तरह घग्घर फ्लड की बाढ़ से जिला गंगानगर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। आपको मालूम हैं उनको भी नुकसान हो गया मगर उनसे सिंचाई कर वसूल किया जा रहा है, ओलावृष्टि से फसल नष्ट हो गई मगर उनसे भी सिंचाई कर वसूल किया जा रहा है। यह अन्याय न करे सरकार। यह पैसा तो यहीं रह जायेगा, अपने सब चले जायेंगे।

21-22 मार्च को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देने की घोषणा की थी मगर सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया। सिंचाई कर जरूर वसूल कर लिया गया हैं। क्या सरकार ने जिला गंगानगर के किसानों के साथ अन्याय करने का फैसला कर लिया है क्योंकि राजस्थान के 26 जिलों में अकाल रहता है। उनके अन्दर तो सरकार केन्द्र से सहायता लाने में और सहायता बांटने में लगी रहती है। जो सिर्फ एक ही जिला अन्न की उपज करके सारे राजस्थान की भूखी जनता का पेट भरता है उसके साथ भेदभाव बरता जा रहा है। 45 दिन में पानी मिला तो क्या बिना पानी के किसान की फसल को कोई फायदा पहुंचा ? सिंचाई कर में छूट दी जानी चाहिए। मन्त्री महोदय, यह फैसला किया था कि कृषि मण्डी समिति की उपज के मुताबिक सिंचाई कर वसूल किया जायेगा। फिर क्यों सिंचाई कर वसूल किया गया ? मूंगफलियों में दाना नहीं था। जब यह फैसला कर दिया कि कृषि मण्डी समिति की उपज के मुताबिक वसूली की जायेगी, मगर उसको आज भी उसी तरह सबसे वसूल कर लिया ? घग्घर बाढ़ में भी करा, ओलावृष्टि में भी करा। कब तक यह जुल्म होता रहेगा ? सरकार इस ओर ध्यान दे। हमारी तो रिक्वेस्ट है, नहीं तो यह धरना हमारे लिए तैयार है। आप इसके अन्दर घोषणा करें, नहीं तो मैं बैठने वाला हूं और यहीं मरने वाला हूं और मेरे पास कोई इलाज नहीं है

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुक्तिलाल मोदी।

श्री हंसराज मिढा : मेरी बात सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। मैं दुखी होकर यह यह बात कहता हूं। उनके बच्चे भूखे हैं, गंगानगर जिले के किसान के बच्चे भूखे हैं, उनके पशु भूखे हैं। आज उनसे वसूली की जाती हैं। तीन साल से लगातार एक पैसा उनके पास नहीं, मगर उनको कोई रियायत

(श्री हंसराज मिढा)

नहीं दी। गंगानगर जिले में यह नहीं समझें कि वह कमजोर है। वह भी उत्तेजित हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह मेरा जो 295 का प्रस्ताव है। मैंने पहले भी सरकार को लिखकर भी दिया था, बजट पर भी बोला था परन्तु सरकार इसके लिये इसलिए ध्यान नहीं दे रही है कि आज राजस्थान के अन्दर स्वदेश फैक्ट्री सीमेंट की निर्मल कुमार रूंगटा ने लगायी। जब उसकी रिपोर्ट आयी थी तब ही मैंने कहा था कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार का करीब 8 करोड़ रुपया इसमें है। इसने 8 करोड़ रुपया आई.डी.पी.आई. से लिया, 40 लाख रुपया रीको से लिया और उसके बाद खुद ने एक पैसा खर्च नहीं किया और डेढ़ करोड़ के शेयर दे दिये, डेढ़ करोड़ रुपया जनता से लिया। 6 महीने वह फैक्ट्री चली और उसके बाद वह फैक्ट्री बंद पड़ी है सन् 1987 से। आज जो माइन्स थीं वह एक माइन्स उसके नाम से थी। वह बेच दी और उसका पैसा भी खा गया वह माइन्स दूसरे के नाम हो गयी। आज जो माइन्स साढ़े पांच किलोमीटर में है....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय से अलग हो रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं यह कहना चाहता हूं रूंगटा राजस्थान सरकार और भारत सरकार का 15 करोड़ रुपया खाकर के बैठा है और राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसे पूंजीपति को जो इस तरह की फैक्ट्री लगाये उसको जेल भेजा जाना चाहिए। मैं कहता हूं माननीय उपाध्यक्षजी, विधान सभा के अलावा हम कहां कह सकते हैं। आज वह मजदूरों का प्रोविडेण्ट फण्ड नहीं देता हैं। तीन वर्ष हो गये मजदूर भूखे मर रहे हैं। वह न तो माइन्स चलाता है, गवर्नमेण्ट माइन्स आर. एस. ई. बी. को देते, माइन्स डेवलपमेण्ट कारपोरेशन को दे दें पहले जैसी दी थी जिससे रायल्टी आये, सैल्स टैक्स आये परन्तु वह भी तीन वर्ष से बंद पड़ी है। मजदूर क्या मर जाये ? मैं तो इन मिनिस्टरों के घर भेज दूं 100–100 मजदूर आप कह दें। आप कम से कम यह व्यवस्था तो कीजिए कि वह इसे आर. एस. एम. डी. सी. को दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें माइन्स के बारे में लिखा हुआ ही नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सीमेंट फैक्ट्री का लिखा हुआ है। सीमेण्ट फैक्ट्री के तत्वाधान में ही वह माइन्स है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार इस पर ध्यान दे, कह दिया मैंने।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने जो लिखा है सीमेण्ट फैक्ट्री का वह बद पड़ी है उसके अन्दर यह आती है। तो आप कम से कम व्यवस्था तो दीजिए

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कह दिया है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह कम से

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

कम भूखे तो नहीं मरें। मजदूर तीन वर्षों से भूखे मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माणक डाणी – अनुपस्थित श्री नाथूसिंह – अनुपस्थित।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कितनी दफा चिल्लाया सरकार ध्यान ही नहीं देती कुछ रूंगटा की पैरवी भी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में व्यवस्था।

श्री कालीचरण सराफ : Point- of information.

श्री उपाध्यक्ष : What is that ?

सूचना

आटो रिक्शा चालकों का प्रदर्शन

श्री काली चरण सराफ : आटो रिक्शा वाले पांच हजार लोग बाहर खड़े हैं। पांच दिन से उनका चक्का जाम हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। मैं यातायात मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वह उनसे मिलें और उनकी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह ऐसे ही कह देते। उनके चेम्बर में जाकर मिला देते।

श्री कालीचरण सराफ : आटो रिक्शा वाले बाहर खड़े हैं, घण्टे भर से इन्तजार कर रहे हैं। उनका शिष्टमण्डल तैयार खड़ा है।

श्री हीरासिंह चौहान : सिंधी बस स्टेण्ड पर साइकिल रिक्शा वाले 20 रुपया मांग रहे हैं।

श्री रामकिशन वर्मा : मैंने उनको ऊपर बुलवा लिया है। माननीय सदस्य को ख्याल ही नहीं है। खड़े रहना चाहिए, खड़े रहेंगे तब ही बात करेंगे। समाधान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम व्यवस्था तो दे सकते हैं, व्यवस्था तो दे दीजिए। मजदूरों का तो भला करें, यह तो कह दें।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से कह दिया इस पर जल्दी ध्यान दे।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि-मैं इतनी सी बात जानना चाहता हूं जो एक्स एम. एल. ए हैं उनके लिये सरकार ने नियम बताये थे....

श्री उपाध्यक्ष : This is not the forum to speak.

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे आदेश निकाले हुए 6 महीने हो गये कि एक्स एम.एल.ए. को रोडवेज के पास मिलेंगे जो अब तक क्यों नहीं मिले ? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पास क्यों नहीं मिल रहे हैं।

व्यवस्था

अनुदान की मांगों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगे समूह में प्रस्तुत की जायेंगी मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह संभव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके। जैसा कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये हुए समझा जाय और उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके आग्रह पर सरकार की ओर से सम्बन्धित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जाये ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री हीरासिंह चौहान : कटौती प्रस्तावों के जवाब आज दिन तक नहीं आये हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आते हैं, बराबर आते हैं। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी उसमें आप एक संशोधन करें कि आग्रह नहीं, उत्तर देंगे, कटौती प्रस्तावों का उत्तर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : That is agreed. माननीय मन्त्री जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या–41, सामुदायिक विकास प्रस्तुति

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (राज मन्त्री पंचायत) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41–सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 23 करोड़ 71 लाख 14 हजार रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान कर दी जाय।

मांग संख्या 41 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) :

1. पंचायत समिति द्वारा संचालित विद्यालयों में निर्धारित मापदण्ड से अधिक छात्र संख्या होने पर अध्यापकों के अधिक पद सृजित न करने पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्रुप सचिव उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

3. दो सौ से अधिक जनसंख्या वाली ढाणियों में पंचायतों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

4. ग्राम पंचायतों की निजी आय बढ़ाने के लिये कम अनुदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

5. ग्राम पंचायतों में वार्ड पंचों को 15 रु. मानदेय भत्ता नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

6. पंचायत समितियों में सहायक लेखाधिकारी का पद सृजित नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

7. पंचायत समिति परबतसर, जिला नागौर में जीप उपलब्ध नहीं होने से विकास कार्यों में आने वाली कठिनाईयों पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान

8. राजस्थान में प्रधानों को विकास कार्यों के लिए रोडवेज व रेल्वे यात्रा में सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. ग्राम पंचायत बांसेड का पंचायत मुख्यालय जनसंख्या के अनुसार ग्राम बस्सी में कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) :

11. जिला उदयपुर गोगुन्दा, कोटड़ा, झाड़ोल, खैरवाड़ा, सराड़ा, सलुम्बर आदिवासियों की पंचायत समितियों में सामुदायिक विकास की कमी पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री रेवतराम चौधरी** (डूंगरगढ़) :

(2) **श्री इन्द्र सिंह पूनिया** (सादुलपुर):

12. चूरू जिले की पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

13. ग्रुप सचिवों के पद पर कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा कार्य नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

14. गत 2–3 वर्षों से ग्राम पंचायतों को अनुदान की राशि का भुगतान न करने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

15. पंचायत राज के अधीनस्थ प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों

(श्री हीरासिंह चौहान)

के पद सृजित नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

16. ग्राम पंचायतों को अनुदान की राशि कम दिये जाने से विकास कार्यों में गतिरोध उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये ।

17. ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं पुन: सीमांकन हेतु गठित कमेटी के निर्णयों को शीघ्र लागू कराने हेतु चर्चा के लिये ।

18. पंचायत समिति रायपुर (पाली) की नव सृजित ग्राम पंचायतों की शीघ्र घोषणा कर पिछड़े गांवों के विकास में सरकार द्वारा उपेक्षा करने पर चर्चा के लिये ।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़) :

19. किशनगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायतों भांभोलाव के ग्राम डांग में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये स्वीकृत कुएं का फर्जी भुगतान उठा लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

20. किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत भांभोलाव में इन्द्रा आवासीय कॉलोनी के निर्माण कार्य की मजदूरी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री चन्द्र शेखर (खेरथल) :

21. अलवर जिले में ग्राम जलोता के हरिजनों को जलधारा योजना के तहत कुआ बनाने के लिये पंचायत समिति को अनुदान दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।

22. अलवर जिले के बड़े गांव के हरिजनों के लिए पंचायत समिति द्वारा धर्मशाला निर्माण करवाने के क्रम में चर्चा के लिये ।

(1) श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर):

(2) श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़):

(3) श्री इन्द्र सिंह पूनिया (सादुलपुर):

23 सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार तथा घपलेबाजी की बढ़ती स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी):

24. बाड़मेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समितियों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी से उत्पन्न स्तिथि पर चर्चा के लिये ।

(1) श्री हेमाराम चौधरी :

(2) श्री मोटाराम (सिवाना) :

25. बाड़मेर जिले की पंचायतों के लिए ग्राम सेवकों/ग्रुप सचिवों के पदों की स्वीकृति कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

26. बाड़मेर जिले में पंचायतों को कई वर्षों का अनुदान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

27. पंचायत समिति सिणधरी, धोरीमन्ना, बायतु, सिवाना, चौहटन एवं शिव को

(श्री हेमाराम चौधरी)

जीप आवंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ़) :

28. रावलों एवं ढाणियों को सरपंचों द्वारा आवासीय भूमि के पट्टे आवंटन की इजाजत देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

29. गांव एवं ढाणियों में 250 की जनसंख्या वाले गांव में पंचायत समिति द्वारा प्राथमिक पाठशाला खुलवाने हेतु चर्चा के लिए।

30 पंचायत समिति अनूपगढ़ में 300 प्राथमिक पाठशालाओं की कमी से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

31. पंचायत समितियों के स्कूलों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

32. पंचायत समिति अनूपगढ़ में स्कूल 90 जी. बी. में तीन साल से अध्यापक की गैर हाजरी से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

33. चक 5 बी. एल. डी. में पंचायत समिति की प्राथमिक पाठशाला खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

34. घडसाना तहसील में पंचायत समिति न होने से विकास कार्यों में गतिरोध हो जाने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. विजय नगर तहसील में पंचायत समिति न होने से विकास कार्यों में आये गतिरोध पर चर्चा के लिये।

36. ग्राम पंचायत 28 जी. बी. घग्घर फ्लड एरिया से हटाकर शिवपुरी ग्राम पंचायत बनाने पर विकास कार्य में उत्पन्न बाधा पर चर्चा के लिए।

37. चक 2 बी. डी. में पंचायत समिति की प्राथमिक पाठशाला खुलवाने हेतु चर्चा के लिए।

(1) **श्री जगजीत सिंह** (किशनगढ़) :

38. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की ग्राम पंचायत देवपुरी के सार्वजनिक कुएं की खुदाई का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(1) **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) :

39. जिला बांसवाडा में पंचायत समिति द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिए।

40. ग्राम पंचायत को अधिक अधिकार दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41. बड़ी जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों का विभाजन कर छोटी ग्राम पंचायतों का रूप देकर विकास की गति बढ़ायी जाने हेतु चर्चा के लिए।

42. जिला परिषद् बांसवाड़ा में अस्थाई अध्यापिकाओं को लगाने के राज्य सरकार के आदेश होने पर भी व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(1) **श्री मुल्ताना राम** (जैसलमेर) :

43. जैसलेमेर जिले में ग्राम पंचायत चादन सोढा कोर लाठी में लघु सिंचाई

(श्री मुल्ताना राम)

योजना हेतु विशिष्ठ संगठन विभाग से शीघ्र कार्यवाही करवाई जाने हेतु चर्चा के लिए।

44. पंचायत समितियों में दो रेग्यूलर कनिष्ठ अभियन्तयों के स्थायी पद स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

45. जैसलमेर जिले की पंचायत समितियों को जिप्सी वाहन दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. ग्राम पंचायतों की कार्यालय व्यवस्था हेतु एक एक कनिष्ठ लिपिक का पद सृजित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. जैसलमेर जिले में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा बुनकरों के अपूर्ण करघा शेढों को पंचायत समितियों द्वारा शीघ्र पूरा नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

48. जैसलमेर जिले में रेगिस्तानी दूर-दराज ग्राम पंचायतों में पक्के भवन निर्माण हेतु अतिरिक्त पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

49. जैसलमेर जिले में ग्राम पंचायतों की प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की पूर्ति करने हेतु चर्चा के लिए।

50. जैसलमेर जिले में अनुसूचित जाति के ग्रामों व मौहल्लों में पंचायत समिति द्वारा सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने पर चर्चा के लिए।

51. जैसलमेर जिले की पंचायत समितियों में जवाहर रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति की बस्तियों में अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

52. जैसलमेर जिले की पंचायत समिति सम के लिए एक अतिरिक्त जीप वाहन स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. जैसलमेर जिले में विभिन्न योजनाओं का ग्राम जनता में प्रचार करने हेतु राजस्थान विकास पत्रिका के माध्यम से लाभान्वित कराने हेतु चर्चा के लिए।

(1) **मुक्तिलाल मोदी** (कोटपूतली) :

54. कोटपूतली, जिला जयपुर में सामुदायिक विकास सम्बन्धी योजनाओं में गति लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. कोटपूतली जिला जयपुर की ग्राम पंचायतों में चीजों की व्यवस्था करना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

56. कोटपूतली जिला जयपुर में ग्राम पंचायतों को समुचित अनुदान नहीं मिलने से उत्पन्न पर स्थिति चर्चा के लिए।

57. कोटपूतली जिला जयपुर में पंचायत समितियों की प्राथमिक एवं माध्यमिक

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) :

58 भरतपुर जिले में पिछले दो वर्षों से 24 लाख रुपये की अनुदान राशि का पंचायतों को भुगतान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

59. पंचायतों को स्वावलम्बी बनाने हेतु भू-राजस्व ग्राम पंचायतों को देने सम्बन्धी प्रावधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. राज्य सरकार द्वारा बार-बार घोषणा करने पर भी पंचायतों को समुचित अधिकार नहीं देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

61. विकास हेतु भरतपुर जिले में पंचायत राज्य संस्थाओं को समुचित धन राशि नहीं दिये जाने से उत्पन्न समस्या चर्चा के लिए।

(1) **श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :**

62. पंचायत समिति नवलगढ़ (झुंझुनूं) तथा खण्डेला (सीकर) में विभाग द्वारा नई जीप नहीं देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

63. पंचायत समिति नवलगढ़ के कार्यालय के सामने बने विकास बाजार की दुकानें समय पर चालू न होने से उत्पन्न कठिनाई पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

64. नवलगढ़ पंचायत समिति के विद्यालय में अध्यापकों के अभाव से छात्रों की पढ़ाई में आ रही बाधा पर भी दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

65. नवलगढ़ उपखण्ड में सामुदायिक विकास की गति अवरुद्ध होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

श्री केशरदेव मेहरड़ा (लक्ष्मणगढ़) :

66. तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के बड़ी जनसंख्या वाले गांव बीदासर में ग्राम पंचायत कायम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. जून, 1989 में ग्राम रिणू पंचायत धीसनाऊ, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में कुछ ग्राम वासियों द्वारा गांव के चौक में नाजायज बाड़ बना देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिए।

68. ग्राम पंचायत भीलुण्डा के सरपंच के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में सीकर जिलाधीश की जांच के बाद अभी तक भी सरपंच को निलम्बित नहीं किये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

69. मीलों की ढाणी तन बीदासर में नया प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. ग्राम पंचायत बीडोदी बड़ी के भूतपूर्व सरपंच द्वारा घोटाले किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्यपर चर्चा के लिए।

(श्री केशरदेव मेहरड़ा)

71. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के विकास अधिकारी द्वारा जीप का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिए।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) :

72. पंचायत समिति नीम का थाना क्षेत्र में बिना मापदण्ड तय किये पक्षपात पूर्ण तरीके से इन्दिरा आवास योजना में बनाये जा रहे हरिजन आवास पर भी विभाग को दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

73. विकास अधिकारी की मिलीभगत से पंचायत समिति नीम का थाना में सरपंच दरीबा द्वारा अपने निजी कृषि कूप ढाणी ढेरड़ी में नियम विरुद्ध निर्माण कार्य कराने एवं बरते जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिए।

74. पंचायत समिति नीम का थाना द्वारा मरु विकास योजना में खेल कोठा निर्माण के कार्यों में किये गये भेद-भाव पर चर्चा के लिए।

75. ग्राम पंचायत घासीपुरा के कार्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु चर्चा के लिए।

76. पंचायत समिति नीम का थाना में ग्राम दानी ग्राम सभा पुठीयाला में किये गये निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिए जा रहे अनु-दान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

77. ग्राम दानी, ग्राम सभा लादिया में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यक पर चर्चा के लिए।

78. ग्राम भीराणा (भूदोली), बेबा (राज-पुरा) भोलागढ़ (बिहारीपुर) में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. पंचायत समिति नीम का थाना के विकास अधिकारी द्वारा जीप के नाम भारी किराया खर्च कर पद का दुरु-पयोग करने पर भी दिए जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

80. पंचायत समिति नीम का थाना के ग्राम दानी की ग्राम सभाओं में हो रही अनियमितताओं पर भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) :

81. रामगंज मण्डी क्षेत्र में सामुदायिक विकास की अनेकों योजनाएं अधूरी पड़ी हैं उन्हें शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(1) **श्री महेन्द्र शास्त्री** (मुण्डावर),
(2) **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (पिलानी) :

82. पंचायत स्तर पर शिक्षकों के भारी अभाव को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. ग्राम विकास कोष धन व्यवस्था समुचित नहीं की जाने से पंचायतों

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

के समक्ष उत्पन्न संकट पर चर्चा के लिए।

84. पंचायती राज को दिए गए अधिकार सामान्य जन को भ्रमित करने वाले हैं इस पर चर्चा के लिए।

85. पंचायत समितियों को डी. आर. डी. ए. द्वारा दिए गए अनुदान के कारण उत्पन्न होने वाले घोटालों पर चर्चा के लिए।

86 पंचायत समिति द्वारा जवाहर रोजगार योजना एक भ्रामक योजना है इस पर चर्चा के लिए।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

87. विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने तथा मोनिटरींग व्यवस्था की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

88. पंचायत समिति के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना के तहत हो रहे कार्यों पर खर्च राशि पर निगरानी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

89. तहसील कोलायत के गांव बेज्जु व बजर तेजपुरा में सामुदायिक विकास के माध्यम से मिडिल पाठशाला, सैकेण्डरी पाठशाला व बच्चों के लिए छात्रावास के निर्माण कार्यों को पूरा कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

90. ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय बनवाने में विकास विभागीय असमानता पर चर्चा के लिए।

91. विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक रिहायशी प्लान बनाने में असफलता पर चर्चा के लिए।

92. गांवों की हरिजन बस्तियों में पंचायत समितियों द्वारा प्राथमिक पाठशाला भवन निर्माण में बरते जा रहे भारी पक्षपात पर चर्चा के लिए।

93 चयनित परिवारों को ऊंटगाड़ा, भेड़ बकरी, दुधारू पशु आदि देने में विभाग द्वारा बरते जा रहे भारी पक्षपात पर चर्चा के लिए।

94. 200 की जनसंख्या के आबादी वाले गांवों में प्राथमिक पाठशाला खोलने में विकास विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

95 गंगानगर जिले के रावतसर गांव में पंचायत समिति द्वारा एक भी पाठशाला नहीं खोलने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

96. विभाग द्वारा छोटे बुनकरों को उनके आर्थिक विकास हेतु सहायता दिलाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए।

97. ग्राम पंचायतों खासकर बीकानेर जिले में पंचायतों द्वारा कार्य तो सम्पन्न करवा दिये हैं लेकिन धनराशि

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

का भुगतान करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए।

98. राजस्थान में जिला प्रमुखों, पंचायत समिति के सदस्यों व जिला परिषदों के सदस्यों को स्टेट रोडवेज के पास दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. राज्य की ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों के सरपंचों हेतु अनुसूचित जाति तथा जन जाति के व्यक्तियों एवं महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

100. ग्राम पंचायत दतोरा में लगभग 30 हजार मतदाता व लगभग 70 हजार की जनसंख्या एक ही पंचायत में है उन्हें अलग पंचायत बनाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

101. ग्राम पंचायत पूंगल उप-निवेशन व राजस्व उप तहसील होते हुए भी पंचायत को अलग-अलग करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

102. गांवों व ढाणियों में पीने के पानी की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

103. पंचायत समिति लाडनूं द्वारा कलेक्टर की बिना स्वीकृति के हाई-कोर्ट में वकील करना व उसका खर्चा पंचायत समिति से करने पर विकास कार्यों में आ रही बाधा पर चर्चा के लिये।

104. पंचायत समिति की ओर से नियम विरुद्ध बिना कलेक्टर की स्वीकृति के वकील करके उपखण्ड अधिकारी डीडवाना की अदालत में मामला दर्ज कराने से विकास कार्यों में हो रही बाधा पर चर्चा के लिये।

105. पंचायत समिति लाडनूं में सेवारत कर्मचारियों के विरुद्ध नियम विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

106 ग्राम पंचायत रोडू के निलम्बित सरपंच को बिना जांच के बहाल कर दिये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।

107 नागौर जिले में भूतपूर्व सरपंचों द्वारा नव निर्वाचित सरपंचों को चार्ज नहीं देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

108. नागौर जिले की पंचायत समितियों द्वारा निजी आय से प्राप्त राशि जिला परिषद को नियम विरुद्ध देना और निजी आय के खर्च के लिये बनाये नियमों का उल्लघन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. ज़िला परिषद् नागौर द्वारा सीमा से अधिक पैट्रोल खर्च करने पर चर्चा के लिये।

110. ग्राम पंचायत रोडू के पंचों के बहुमत द्वारा विरोध करने के बावजूद सरपंच को नाजायज संरक्षण देकर फर्जी कार्यवाही करने के मामले की जांच कलक्टर द्वारा पंचायत प्रसार अधि-

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कारी के बजाय तहसीलदार से कराने पर चर्चा के लिये।

श्री रामदेव चौधरी (मूंडवा) :

111. पंचायत समिति मूंडवा, जिला नागौर द्वारा कलक्टर के मना करने के उपरान्त भी सत्र काल में पंचायत समिति की बैठकें सम्पन्न करने पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) :
(2) **श्री रामदेव चौधरी** (मूंडवा) :

112. जिला परिषद् नागौर की कारों का नियम विरुद्ध संचालन करने तथा सीमा से अधिक राशि खर्च करने पर नियन्त्रक अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

113. जिला परिषद् नागौर द्वारा निजी आय को नियम विरुद्ध खर्च करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. जिला परिषद नागौर की कार को जिले व राजस्थान से बाहर लेजाकर प्रमुख द्वारा दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

115. पंचायत समिति केशवराय पाटन क्षेत्र में हैण्ड पम्प सुधार हेतु प्रति हैण्ड पम्प सुधार राशि 500/– रु. नहीं दिये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

116. केशवराय पाटन क्षेत्र के हर गांव में पंचायतों द्वारा खरन्जा बनवाया जाने हेतु चर्चा के लिये।

117. केशवराय पाटन क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सार्वजनिक वाचनालय सुविधा मुहैय्या नहीं करवाने से उत्पन्न जन-असंतोष पर चर्चा के लिये।

118. केशवराय पाटन तहसील में सभी पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत भवन बनवाये जाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

119. केशवराय पाटन क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सम्पर्क सड़कों से न जोड़े जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

120. केशवराय पाटन क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के अभाव से उत्पन्न जन-आक्रोष पर चर्चा के लिये।

121. केशवराय पाटन क्षेत्र की पंचायत द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों को भवन सुविधा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

122. केशवराय पाटन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि अति-शीघ्र दी जाकर विकास कार्य करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

123. केशवराय पाटन क्षेत्र में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कर जनता की समस्याओं का समाधान करवाने पर चर्चा के लिये।

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

124. पंचायत समिति केशवराय पाटन क्षेत्र में एन. आर. ई. पी. के तहत अधूरे कार्यों को पूरा करवाया जाकर जन-समस्या का समाधान करवाया जाने पर चर्चा के लिये।

125. पंचायत समिति केशवराय पाटन क्षेत्र में ग्रामीण जनता को पंचायतों द्वारा सुलभ शौचालय हर गांव में बनवाये जाकर समस्या का समाधान करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

126 केशवराय पाटन क्षेत्र के गांवों में पंचायत समितियों द्वारा निर्धूम चूल्हे उपलब्ध कराने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

127. केशवराय पाटन क्षेत्र की रडी जैथल घाट का बराना, आजदा, बड़ा खेड़ा आदि ग्रामों की पंचायतों द्वारा पेयजल योजनाओं में सुधार कर क्षमता बढ़ाई जाकर सुविधा मुहैय्या करवाने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

128. केशवराय पाटन क्षेत्र की चोतरों का खेड़ा ग्राम पंचायत को सम्पर्क सड़कों से जोड़े जाने हेतु पंचायत समिति द्वारा योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

129. केशवराय पाटन क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार हेतु हैण्ड पम्प सुधार प्रशिक्षण तथा ट्रेक्टर सुधार प्रशिक्षण सुविधा पंचायत समिति के माध्यम से प्रदान करवाई जाने पर चर्चा के लिये।

(1) श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) :

(2) श्री केदार नाथ शर्मा (गंगानगर) :

130. सरकार द्वारा सीधा ही पंचायतों को अनुदान राशि भेजकर राज्य की स्वायत्तता पर हो रहे अतिक्रमण के औचित्य पर चर्चा के लिये।

131. पंचायत समिति के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना की क्रियान्विति का प्रचार अधिक एवं क्रियान्विति नगण्य होने पर चर्चा के लिये।

132. आर्थिक अधिकार व सिविल तथा फौजदारी अधिकार पंचायतों को दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. बलवन्तराय, व्यास कमेटी तथा मेहता कमेटी की सिफारिशों को पंचायतों में लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) :

134. पंचायत समिति द्वारा संचालित नीम का थाना क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी पर चर्चा के लिये।

135. पंचायत समिति द्वारा संचालित बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय डाबना व हमायपुर (नीम का थाना) में स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिए

136. पंचायत समिति नीम का थाना द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के विकास हेतु हैण्ड पम्प लगाने के लिए अनुदान नहीं देने पर चर्चा के लिए।

(96)

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

137. सीकर जिले को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति को कम रुपया स्वीकृत करने पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

138 विकास अधिकारियों के चयन में विभाग द्वारा की गई अनियमित कार्यवाहियों पर चर्चा के लिए।

139. सरपंचों को दो सौ रुपये प्रति माह पंचायत की निजी आय के बजाए सरकार द्वारा दिलाने जाने पर चर्चा के लिए।

140. पंचायतों को प्रति व्यक्ति दिया जाने वाला अनुदान गत वर्षों में नहीं दिए जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

श्री चम्पालाल बाँठिया (पचपदरा) :

141. सिरली (बालोतरा) के दोनों भावों तिलवाड़ा एवं कालवडी पंचायतों से पृथक कर कुछ गांव मिलाकर अलग पंचायत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. कुंपलिया पंचायत (बायतु) में गत वर्ष के ऊंटों के केम्प को बकाया राशि के भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

143. पचायत समिति द्वारा संचालित जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कों के निर्माण एवं पाठशालाओं की चारदिवारी बनाने पर चर्चा के लिए।

144. प्रत्येक पंचायत में ग्राम सेवकों की कमी को पूरा कराए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

145. उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति एवं शालाओं के संचालन के लिए जिला परिषदों को अधिक धन नहीं देने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

146. पंचायतों को भू-राजस्व एवं खनन का हिस्सा दिलाये जाने बाबत चर्चा के लिए।

147. पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जन जाति व महिलाओं का वांछित प्रतिनिधित्व नहीं होने से पंचायत भंग-कर दुबारा चुनाव कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

148. पंचायत समिति के माध्यम से पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में गत वर्ष में बने सामुदायिक टांकों का भुगतान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

149. प्रदेश का सबसे बड़ी पंचायत पाटोदी (बालोतरा) को तीन पंचायतों में विभक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. गत वर्षों में बाड़मेर जिले को पंचायतों को अनुदान राशि का राज्य सरकार द्वारा अकाल राहत में बगैर पचायतों की स्वीकृति से खर्च कर देने और अनुदान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए।

(श्री चम्पालाल बांठिया)

151. राज्य में पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान राशि नगरपालिका के समकक्ष 10/–रुपया प्रति व्यक्ति नहीं करने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) :

152. जिला परिषदों में कार्यरत पंचायत प्रसार अधिकारियों को कानूनी अधिकार नहीं होते हुए भी पंचायतों का निरीक्षण किये जाने पर चर्चा के लिए।

153. सरपंच ग्राम पंचायत रोडू द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार को सरकार द्वारा संरक्षण दिए जाने पर चर्चा के लिए।

154. सरपंच ग्राम पंचायत रीगन पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर द्वारा बनाये गये पानी के सार्वजनिक होदों को जलदाय विभाग द्वारा काम में लेने से पहले हो फूट जाने पर चर्चा के लिए।

155. पंचायतों को अधिक अधिकार देने की घोषणाओं के औचित्य पर चर्चा के लिए।

156. विकास आयुक्त द्वारा राजस्थान विकास मासिक पत्र में हर पंचायत में सचिव लगा देने की झूंठी घोषणा करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री किरोड़ी लाल मीणा (महुवा) :

157. 1982 में ग्राम पंचायत नाहिड़ा पंचायत समिति महुवा में पुलिया निर्माण में घटिया सामग्री लगाकर भूतपूर्व सरपंच व कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा गबन किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

158. ग्राम पंचायत नाहिड़ा पंचायत समिति महुवा के भूतपूर्व सरपंच द्वारा मेहतर मुहल्ले में स्वीकृत नलकूप की राशि फर्जी मस्टर रोल भरकर गबन करने व जांच अधिकारी को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

159. ग्राम ऊकरूंद पंचायत समिति महुआ में नलकूप हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्देश प्रदान करने के बावजूद कोई भी कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

160. ग्राम पंचायत समलेटी पंचायत समिति महुआ के अन्तर्गत रायपुर तलाई के निर्माण की मजदूरी का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

161. ग्राम पीलोदा, पंचायत समिति गंगापुर द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के मौहल्लो में कोई भी नलकूप नहीं लगाये जाने से व्याप्त जन आक्रोश पर चर्चा के लिए।

162 ग्राम पंचायत समलैटी, पंचायत समिति महुआ द्वारा गांव गढ़ी पट्टी व बिडोंदा की जोगी बस्तियों से जल समस्या के निवारण के लिए नलकूप नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

163. ग्राम पंचायत खोंचपुरी पंचायत समिति महुआ में बनी जलदाय टंकी को पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164. ग्राम पंचायत ढण्ड पंचायत समिति महुआ में गरीबी रेखा में गलत चयन से उत्पन्न जन आक्रोष पर चर्चा के लिए।

165. ग्राम पंचायत बाड़ाबुजुर्ग पंचायत समिति महुआ के अन्त्योदय योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों की माहवारी पेंशन का भुगतान पंचायत समिति द्वारा रोक दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

166. ग्राम पंचायत बाडाबुजुर्ग पंचायत समिति महुआ के सरपंच द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं से अमीर लोगों का चयन कर ऋण उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

167. ग्राम पीलोदा पंचायत समिति गंगापुर सिटी द्वारा इन्दिरा आवास योजना में कोई काम नहीं किये जाने के बावजूद भूतपूर्व सरपंच व ठेकेदार ने मिलकर गलत भुगतान उठा लिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

168. ग्राम पंचायत छोटी ऊदई पंचायत समिति गंगापुर सिटी के सरपंच द्वारा अपने अपने पूर्व कार्यकाल में सिन्दूरिया तालाब निर्माण की फर्जी भुगतान उठाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

169. ग्राम पंचायत महानंदपुर पंचायत समिति गंगापुर सिटी के सरपंच ने अपने पूर्व कार्यकाल में कूप निर्माण का बिना निर्माण कराये हुए ही भुगतान उठा लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

170. ग्राम पंचायत गहनोली पंचायत समिति महुआ के सरपंच के साथ प्रधान द्वारा दुर्व्यवहार करने व प्रधान के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

171. ग्राम पंचायत चनानी पंचायत समिति निवाई के ग्राम हिनौतिया बुजुर्ग में जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त नलकूप नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172. ग्राम ठेकड़ा व खोंचपुरी पंचायत समिति महुवा के बीच बनी सड़क की मजदूरी का भुगतान पंचायत समिति द्वारा नहीं हो पाने से मजदूरों में व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।

173. ग्राम पंचायत बाड़ा बुजुर्ग पंचायत समिति महुवा द्वारा ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत लिंकरोड का अब तक पूरा नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

174. पंचायत समिति टोडाभीम में स्वीकृत नलकूपों को अधिकारी/कर्मचारियों

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

द्वारा समय पर नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

175. ग्राम गढ़ी पट्टी पंचायत समलैटी पंचायत समिति महुवा द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिंकरोड से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

176. ग्राम पंचायत बौल पंचायत समिति टोडाभीम में उच्च प्राथमिक शाला के अधूरे पड़े शाला भवन से उत्पन्न जन असंतोष पर चर्चा के लिये।

177. ग्राम पंचायत बौल पंचायत समिति टोडाभीम में तालाब निर्माण कार्य को रोक दिये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये।

178. ग्राम पंचायत हुड़ला पंचायत समिति महुवा के निर्मित बांध की मजदूरी का भुगतान पंचायत समिति द्वारा नहीं हो पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

179. ग्राम टोकरी ग्राम पंचायत हुड़िया खेत पंचायत समिति महुवा द्वारा टोकरी को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

180. ग्राम रायसिंहपुरा पंचायत समिति बामनवास में स्वीकृत पेयजल योजनान्तर्गत सरपंच व विभागीय अधिकारियों द्वारा मनमानी कर टंकी निर्माण कार्य बंद कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

181. विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत तालचिड़ी पंचायत समिति महुवा को ग्रामीण विकास हेतु जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

182. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में पंचायत समिति द्वारा निर्मित पंचायत भवनों की मरम्मत हेतु सहायता नहीं दिये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

183. पंचायत समितियों को वाहन के उपयोगार्थ पेट्रोल व डीजल सहायता समान रूप से दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. ग्राम पंचायतों के सरपंचों को 200 रु. प्रति माह भत्ता देने के लिये सहायतार्थ अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

185. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी को कर वसूली हेतु अनुदान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

186. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी को जीप के बजाए मारुती देने से पंचायत समिति क्षेत्र में विकास कार्यों व अन्य कार्यक्रमों की क्रियान्विति में आ रही बाधा पर चर्चा के लिये।

187. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी को चिकित्सा एवं पुनर्भरण हेतु

(180)

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

सामान्य अनुदान की राशि कम दिये जाने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

188. जयपुर जिले की पंचायत समिति चाकसू को भवन मरम्मत के लिये सहायता नहीं दिये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

189. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में ग्रामीण शौचालयों के निर्माण लिये पर्याप्त सहायता न दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

190. विभाग द्वारा जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में भू-जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण 90 प्रतिशत पेयजल कूप सूख जाने, कई ग्रामों में कड़वा व जहरीला पानी हो जाने से उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को भुगतान हेतु अनुदान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

191. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी को सभा भवन के निर्माण हेतु सहायता नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।

192. जयपुर जिले की पंचायत समितियों द्वारा बनवाये जा रहे उन्नत प्रकार के चूल्हों के निर्माण सामग्री यथा पाइप, सीमेन्ट पर अधिक व्यय किये जाने तथा बनाने की मजदूरी कम होने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये ।

मांग संख्या 41 पर विचार

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सन् 1959 में पंचायत राज की स्थापना हुयी । तब से लेकर आज तक उसमें क्या प्रगती हुई उसको यदि मैं हमारे माननीय प्रधान मन्त्री के शब्दों में रखूं जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहे हैं । पहली बात तो उन्होंने यह कही कि अब तक पंचायतों में जितना रुपया हम भेजते रहे हैं उसमें से 85 प्रतिशत रुपया लोग सत्ता के दलाल बीच में खा गये और पंचायतों को केवल 15 प्रतिशत रुपया पहुंचा । यह सर्टिफिकेट हमारे प्रधान मन्त्री ने दिया है । मैं इसका हवाला दे रहा हूं और इसके लिये जिम्मेदार उन्होंने सारे देश की राज्य सरकारों को ठहराया है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान के संदर्भ में नहीं कहा आन्ध्र और पश्चिम बंगाल के लिए कहा होगा ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उन्होंने हिन्दुस्तान की सम्पूर्ण राज्य सरकारों के लिये जिसमें कहा कांग्रेसी सरकारें भी शामिल हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : रात को आया है मैंने भी पढ़ा है आपने भी पढ़ा है ।

श्री बिरदमल सिंघवी : फिर क्या कर रहे हैं ? सो रहे थे क्या ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने भी कोई नाम नहीं लिया है । मैंने किसी का नाम नहीं लिया है आप अपने आप+++

+++अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

वाली बात हुई। प्रधान मन्त्री ने कहा है कि जब तक पंचायत राज संस्थायें-यह आपके द्वारा सप्लाईड मैटर हैं जो मैं पढ़ रहा हूं। इसमें-उस समय अधिकारों की सुपुर्दगी का काम हम ने राज्यों को दिया था लेकिन राज्य सरकारों ने यह जिम्मेदारी ठीक से बांटी नहीं और जैसा कि मैंने कहा था यदि बांटी भी थी तो एक हाथ से दी और दूसरे हाथ से वापस ले ली। ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। यह सर्टिफिकेट प्रधानमन्त्री ने सम्पूर्ण राज्य सरकारों के लिये दिया है। राजस्थान उसमें अपवाद नहीं है। इसमें राजस्थान को अपवाद उन्होंने माना नहीं है। खैर उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे आशा है कि इससे लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत होंगी। उसके लिये हम ने बिचौलियों याने सत्ता के दलालों की जकड़न कम करनी होंगी। जिला, ब्लाकों और गांव को उनके जरिये वहां रहने वाले लोगों को वास्तविक अधिकार देने होंगे। यह प्रधानमन्त्री का सर्टिफिकेट है जो राज्य सरकारों को मिला है। जिसमें राजस्थान की राज्य सरकार भी शामिल है। इससे स्पष्ट है कि....

श्री बुलाकीदास कल्ला : हरियाणा, आंध्र प्रदेश इन सबके सन्दर्भ में कहा है अब आप इसको यहां फिट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बार-बार हरियाणा का नाम ले रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। उन्होंने समस्त राज्य सरकारों को इसमें लिया है। इसमें राजस्थान की सरकार भी शामिल है।

श्री नवरंग सिंह : आप रकम माफ करके आये हैं, अखबारों में आया है जो ऐलान किया है उसमें भी झगड़ा हो गया है वहां मुख्य मन्त्री और मन्त्री में....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इस सर्टिफिकेट को दृष्टि में रखते हुये हम यदि पंचायती राज की ओर दृष्टिपात करें तो कुछ बातें, जिसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, हमको माननी पड़ेगी कि आज पंचायती राज के चुनावों के कारण गांव का शान्त और सरल जन-जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गया है। अब एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम पंचायतों के चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं करना चाहते, उसमें राजनीति नहीं लाना चाहते और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल चुनाव हो जाते हैं उसके बाद में घोषणा करता है कि इतने हजार सरपंच हमारी पार्टी के जीत कर आये, इतने ब्लोक्स पर हमनें कब्जा कर लिया, इतने प्रधान हमारी पार्टी के जीत कर आये, इतने जिला प्रमुख जीत कर आये। तो इससे बात साफ है कि राज्य सरकारों की यह नीति कि हम पंचायतों में राजनीति नहीं लाना चाहते हैं, पार्टी बाजी को बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं यह कहना गलत है और सरकार की नीयत साफ नहीं है और इसलिए चुनाव के बाद यह दावा करती हैं सत्तारूढ़ दल कि हमने इतने हजार सरपंच जिला दिये। इतना ही नहीं इन पंचायतों के संचालन में जिस प्रकार से भेद-भाव बरता जाता है उसके भी मैं दो तीन ग्लेरिंग इन्स्टांसेज

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

देना चाहता हूं। सत्तारूढ दल एक ओर तो पंचायत को राजनीति से अलग रखने की बात करता है और दूसरी ओर जिन पंचायत समितियों में, जिन पंचायतों में विरोधी पक्ष के लोग चुन कर आते हैं उनको हर तरह से परेशान किया जाता है। पिछले साल 1988 के बजट सत्र में यह सवाल पूछा गया था प्रश्न संख्या 9', कि दिनांक 9–3–88 तक कितने सरपंचों को निलम्बित किया गया है ? राज्य सरकार ने अपने जवाब में बताया कि 108 सरपंचों को निलम्बित किया है और उनमें से अधिकांश वे सरपंच हैं जो विरोधी पक्ष के हैं। दूसरी ओर ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ गबन के आरोप हैं ऐसे लोगों को ...

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वह किसी राजनैतिक पार्टी के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे कोई।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ नहीं सका। ऐसा उत्तर हुआ नहीं कि अदर देन कांग्रेस के हो, विपक्ष के हो ऐसा जवाब नहीं दिया है।

एक माननीय सदस्य : सरपंच तो विपक्ष के नेता हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं बता रहा हू यह तो कि आपने 108 सरपंच मार्च 88 तक उसमें अधिकांश विरोधी पक्ष के हैं, मैं बता रहा हूं मेरी जानकारी के अनुसार आपने संख्या दी है उस संख्या के हिसाब से।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप बता देना। सरपंच को राजनैतिक दृष्टिकोण से आंका नहीं गया है। (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : वोट के हिसाब से आंकते हैं, पार्टीबाजी के हिसाब से ...

श्री उपाध्यक्ष : No interruption like this

श्री हरिशंकर भाभड़ा : चाकसू में प्रधान के चुनाव हुये। पंचायत मंत्री महोदय वहां पर मौजूद थे। चुनाव के दिन वहां मौजूद थे चाकसू में, वोट के एक दिन पहले।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : तीन-चार दिन पहले थे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वहां पर कांग्रेस ने बी. एल. मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया प्रधान के लिए जो पहले राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन में जूनियर एसिस्टेण्ट थे। उनको स्तीफा देकर चुनाव लड़ने की बात की। उन्होंने जब स्तीफा दिया तो सैक्रेटरी राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज ने जो जवाब दिया वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने जवाब दिया।

"Conditional resignation dated 20-8-88 tendered by you from the post of Junior Assistant can be considered for accpetance provided you clear all the following payments :

Payment of pump-set for the year 1985-86 to 1987-88 upto

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

date and other receipts amounting to Rs. 4 lakhs approximately.

Deposit stores, if any and obtain N. O. C. from the Corporation about above."

यानी चार लाख रुपये की बकाया होने के बावजूद इस तरह की बात अच्छी नहीं है।

श्री शिवचरण सिंह : चोरी नहीं करते तो कांग्रेस ने की.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : चोरी नहीं करते थे।

श्री नाथू सिंह : आपके प्रधान मन्त्री तो रोज ऐसा....

श्री बुलाकीदास कल्ला : शिवचरण सिंह जी आप भी कांग्रेस में थे।

श्री शिवचरण सिंह : मैंने इसीलिए चोरी नहीं की।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप तो खुद परेशान है इस पार्टी में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। पंचायत मन्त्री जी बैठें आप। प्लीज सिट डाउन। इस सीरियस रिपोर्ट को इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं। इसको एक्सपंज कर दूंगा बीच में इस तरह बोलेंगे तो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं कल चाकसू गया था और मुझे यह सूचित किया गया कि इस व्यक्ति को प्रधान चुनाने के लिए पंचायत मन्त्री स्वयं आये और वहां के सरपंच, वार्ड पंचों को उन्होंने धमकी दी कि मैं 17 (4) के अन्तर्गत अभी आपको सस्पेण्ड कर दूंगा यदि आप इसको वोट नहीं देंगे। यह मुझे वहां बताया गया। जो बात मुझे बताई गई वह मैं आपके सामने....

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : बिल्कुल गलत है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यह आपत्ति जब नोमिनेशन दाखिल हुआ तब की थी कि उनके 4 लाख रुपये बकाया हैं इसलिए यह चुनाव नहीं लड़ सकते उस आपत्ति को रद्द करके ही इस व्यक्ति को चुनाव जिताया गया। जो बहुत थोड़े से 25 या 27 वोटों से जीत कर आये है। स्वयं पंचायत मन्त्री मौजूद हैं ऐसी हालत में पंचायतों में पार्टीबाजी को बढ़ावा और उसके परिणाम स्वरूप गांवों का जन जीवन....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बीच में तो नहीं बोलना चाहिए। 10 दिन 8 दिन पहले मैं चाकसू में चला गया....

श्री उपाध्यक्ष : मेरे ख्याल में आप जवाब दे दीजिए आप पाइंट नोट कर लें। नाथूसिंह जी बैठिये। प्लीज सिट डाउन

नाथू सिंह जी का नोट नहीं करेंगे।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसी प्रकार पंचायत के प्रशासन में किस तरह से भेद-

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

भाव बरता जाता है विरोधी पक्ष में और सत्ता पक्ष में इसका मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। देवगढ़ पंचायत के प्रधान धरमीचंद जी चुने गये, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पंचायत समिति के 8 सदस्यों में 28-2-79 को पेश किया और नोटिस जारी होकर 18-3-79 की डेट तय हो गयी, जिसकी सूचना 1-3-79 को निकाली गयी। दिनांक 17-3-1979 को सिविल जज ने स्टे दे दिया। कलक्टर ने 18-3-79 की बैठक तो स्थगित कर दी लेकिन 19 तारीख को दूसरा नोटिस निकालकर 20 तारीख को बैठक रखकर अविश्वास प्रस्ताव 10 मिनिट के अन्दर पास कर दिया गया जबकि वह स्टे जारी था। वह स्टे सैशन कोर्ट का लगा हुआ था। इन्होंने नया नोटिस जारी करके अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया। अब यह मामला हाई कोर्ट में पेण्डिग है। हाई कोर्ट ने स्टे किया है। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन वहां कलक्टर ने, निश्चित रूप से कलक्टर का अपना कोई इन्ट्रेस्ट नहीं हो सकता। उसको सत्तारूढ़ दल की ओर से इशारा किया गया। एक तो यह प्रमाण है जो विरोधी के पक्ष में है।

दूसरा, मेरे रतनगढ़ में एक गौरीसर पंचायत है उसके सरपंच कांग्रेसी हैं, शिवदत्त जी शर्मा। उनके खिलाफ 10 सरपंचों ने आज से चार महिने पहले अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, कलक्टर ने तारीख दे दी, सरपंच हाई कोर्ट में गया, स्टे मिल गया, पहली पेशी पर ही स्टे वेकेट हो गया। स्टे को वेकेट हुये आज तीन महीने हो गये। कलैक्टर के पास जब हमारे लोग गये और उन्होंने डेट देने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि फाइल चीफ मिनिस्टर के पास है। मैं चीफ मिनिस्टर से मिला, उन्होंने कहा कि फाइल मेरे पास है, मैं जल्दी ही वापस भिजवा रहा हूं पंचायत मन्त्री जी को। फिर पंचायत मन्त्री जी से मैं मिला, पंचायत मन्त्री जी ने भी कहा, हां मैं भिजवा रहा हूं और उन्होंने पिछले महीने की 29 तारीख को वह फाइल कलक्टर को भिजवा दी लेकिन आज तक कलक्टर ने उसकी तारीख नहीं दी है उस अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने की। उल्टा जिन दस लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था वह अब सक्षम नहीं हैं, सदस्य नहीं हैं क्योंकि बीच में अविश्वास प्रस्ताव जब आ गया उसके बाद में सरपंच ने अपनी मीटिंग करके उनको एबसेण्ट घोषित करके और अब वह डिसक्वालिफाइड हो गये हैं, इसका नोटिस कलक्टर से जारी करवा लिया। जबकि कायदा यह है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर डिसीजन नहीं होगा तब तक दूसरी कोई मीटिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन कलक्टर ने उसके लिए तो नोटिस जारी कर दिये और अविश्वास के प्रस्ताव की तारीख अभी तक नहीं दी है। कलक्टर महोदय का कहना है कि उन पर सत्तारूढ़ दल के जिले भर के सदस्यों का, ऊपर के लोगों का भारी दवाब है। इस तरह के उदाहरण एक तरफ सत्तारूढ़ दल के सरपंच को बचाने के लिए कलक्टर को इन्स्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है कि अविश्वास

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

के प्रस्ताव की तारीख नहीं दें और दूसरी तरफ एक प्रधान को एक दिन में नोटिस जारी करके दूसरे दिन मीटिंग करके उसको हटा दिया गया है। इतना ही नहीं रतनगढ़ का प्रधान अपोजीशन का है. वहां बुकरेरी पंचायत का सरपंच अपोजीशन का है उन दोनों में वहां पर राशन के डीलर की गड़बड़ियों को पकड़वाया, उसके रजिस्टर की जांच करने के लिए वह एक इन्सपैक्टर को वहां लेकर गये, इन्सपैक्टर ने सीज कर लिया माल और कहा कि यह सप्लाई नहीं कर रहे हैं, माल ब्लैक में बेच रहे हैं, इस पर एक्शन होना चाहिए, मैं वापस जाकर इस पर एक्शन लूंगा। सरपंच और प्रधान एस. डी. ओ. कोर्ट में गये और उन्होंने पूछा कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ ? आफिस में कहा गया कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, इस तरह की कोई जांच नहीं हुई है। उन्होंने जोश में आकर टेबिल पर मुक्का मारा जिससे टेबिल का कांच टूट गया। मुक्का मारकर कहा कि यह नहीं हो सकता। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस प्रधान को और उस सरपंच को पद से हटाने का नोटिस दे दिया गया और वह कागजात पंचायत मन्त्री जी के पास पेण्डिंग हैं. यह ग्राउण्ड हैं उनको हटाने के 17 (4) के तो यह 17 (4) इस पंचायत के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को दूषित करने के, लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। एक तरफ तो प्रधान मन्त्री कह रहे हैं कि हम पंचायत को मजबूत करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ जब तक 17 (4) मौजूद रहेगा आपकी पंचायत कभी मजबूत नहीं हो सकती, सरपंच, प्रधान कभी भी ईमानदारी से, इण्डिपेण्डेण्टली काम नहीं कर सकते।

कई पंचायतें ऐसी हैं जहां बी. डी. ओ. नहीं है अटरू पंचायत में तीन साल से बी. डी. ओ. नहीं है, एक एस. डी. आई. काम कर रहा है, जो इनकाम्पीटेंट है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। हालत यह है कि पिछली बार 88-89 के बजट भाषण में हमारे वर्तमान मुख्यमन्त्री जी ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए तथा अधिक अधिकार दिये जाने के लिए एक और व्यापक योजना बनाने का प्रस्ताव है हमारा यह प्रयास रहेगा कि राजस्थान पंचायती राज को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व देने में अग्रणी राज्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सके कौनसा अधिकार दे दिया आपने ? अधिकार दिया है जिला परिषदों के अन्तर्गत मिडिल स्कूल्स और औषधालयों को प्राथमिक शालाओं को यह अधिकार दे दिया इसका परिणाम क्या हुआ ? शिक्षा का गांवों में स्तर वैसे भी गिरा हुआ है वैसे भी वहां शिक्षकों की कमी है, पढ़ाई ठीक ढंग से होती नहीं। अब इस अधिकार का दुरुपयोग यह होगा कि वहां पर पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ होगी नहीं और सारे शिक्षक अब तक तो प्राथमिक शिक्षा के ही थे अब उच्च प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक भी केवल अपना ट्रांसफर कराने के लिए राजनीति करेंगे और वहां पर जिला प्रमुख और प्रधान जो कुछ कहेंगे उसी के अनुसार सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर उनकी राजनीति को पूरा करने में लग जायेंगे। शिक्षा का भट्टा तो बैठने वाला ही है साथ-साथ में उन शिक्षकों का भी भट्टा बैठेगा।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

इस अधिकार का भयानक दुरुपयोग होगा। इस दुरूपयोग को रोकने की कोई व्यवस्था आपने नहीं की है। आपने इस मद में रुपया नहीं दिया उनको कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हम जिला परिषदों को, या पंचायत समितियों को या पंचायतों को इतना अधिक रुपया दे रहे हैं ताकि वह शिक्षा के स्तर को बढ़ायें अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करें, क्वालिफाईड शिक्षक रखें, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना अधिकार देकर आपने उन सारे शिक्षकों को राजनीति करने के लिए बाध्य कर दिया और यही परिस्थिति औषधालयों की होती है वहाँ काम वाम कुछ करेंगे नहीं। केवल सरपंच या प्रधान या जिला प्रमुख को प्रसन्न रखने के लिए सारा अपना ध्यान उधर केन्द्रित करेंगे। जनता रोती रहेगी, उनका इलाज होगा नहीं। इस अधिकार के सिवाय आपने कौनसा अधिकार दे दिया ? 88–89 के बजट भाषण की बात है। मुख्य मन्त्री जी ने घोषणा की है मगर उसके बावजूद उन्होंने कोई अधिकार इस तरह के नहीं दिये जिससे पंचायतों को सुदृढ़ बनाया जा सके, 1989–90 में उन्होंने कहा कि हम सारी पचायत समितियों में जो पुरानी जीपें हैं उनको बदल देंगे। मुझे और का तो पता नहीं मगर मेरे रतनगढ़ पंचायत समिति में पिछले तीन साल से जीप खराब पड़ी है, मन्त्री महोदय को मैं दस बार फोन कर चुका हूं, चिट्ठियां लिख चुका हूं। मुझे हमेशा आश्वासन दिया गया है मगर आज तक नई जीप वहां पर नहीं दी गई है, अपने चहेतों को जरूर दे दी गई है तब बुलाई गई थी रतनगढ़ के नाम से मगर वह जारी कर दी गयी किसी और को यह भी मुझे मालूम है। यह भी मुझे बताया गया है। इस तरह का प्रशासन, इस तरह से आप पंचायत राज चलाना चाहते हैं। इस पर तुर्रा यह कि हमारे प्रधान मन्त्री रात और दिन टेलीविजन और रेडियो में घोषणा कर रहे हैं कि हमने लोकतन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए चौसठवां सशोधन विधेयक पेश कर दिया है संसद में यह तो सौभाग्य की बात है, देर आयद दुरूस्त आयद। हम चाहते थे कि पंचायतों को संवैधानिक संरक्षण मिले। हमने बीस साल से यह मांग कर रखी थी मगर आपको यह मांग मानने के लिए इतना समय नहीं मिला तो इस संशोधन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। संशोधन ठीक है, होना चाहिए था लेकिन इसको लाने की नीयत पर मुझे शंका होती है कि यह चुनाव के वर्ष में क्यों लाया गया है और फिर इसका जिस तरह से प्रचार हो रहा है आखिर यह क्रियान्वित कौन करेगा। केवल जहां तक पंचायतों के चुनावों का सवाल है इलेक्शन कमीशन करेगा लेकिन उस संशोधन में जो शिड्यूल दी है कि इन टैक्सों के अन्तर्गत आप पंचायत समिति को उनका हिस्सा तय करेंगे। यह तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कानून सारे स्टेट गवर्नमेंट को बनाने पड़ेंगे और यह वही स्टेट गवर्नमेंट है जिनको प्रधान मन्त्री ने सत्ता के दलाल और राज्य सरकार एक हाथ से देती है और दूसरे हाथ से लेती है यह सर्टिफिकेट दी है। इस लिए इस संशोधन को कामयाबी से लागू करने की नीयत पर हमको सन्देह है। इसका केवल राजनैतिक लाभ उठाने के लिए, चुनावी वर्ष है इसलिए हिन्दुस्तान

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

की जनता को फिर से बरगलाने के लिए क्योंकि पुरानी बातें लोग समझ गये कि पानी के लिए पाइप लाकर डाल दिये और चुनाव होने के बाद उठाकर ले गये, बिजली के खम्बे डाल दिये और चुनाव के बाद उठाकर ले गये। यह बातें पुरानी हो चुकी हैं इसलिए एक नया शिगूफा इन्होंने इसके लिए निकाला है। इस तरह से तो पंचायत राज को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि आपको पंचायत राज को सुदृढ़ करना है तो उस सम्बन्ध में

श्री उपाध्यक्ष : बीस मिनिट हो गये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं बहुत संक्षेप में कहता हूं, आपने यहां पर एक परिषद बनाई है। राजस्थान राज्य पंचायत परिषद का गठन किया है, पुनर्गठन हुआ है जिसके मुख्य संरक्षक मुख्य मन्त्री जी हैं और संरक्षक हमारे पंचायत राज्य मन्त्री श्री भैरूंलाल जी भारद्वाज हैं और 23 तो कार्यकारणी के सदस्य हैं, 6 संयुक्त मन्त्री हैं, 2 सगठन मन्त्री हैं, 3 महामन्त्री हैं और 6 उपाध्यक्ष हैं। एक मुख्य संरक्षक, एक संरक्षक, एक अध्यक्ष और एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इतने पद हैं। मान्यवर, यह लिस्ट है मेरे पास, इस लिस्ट में पंचायत मन्त्री मुझे एक भी अपोजीशन का प्रधान या जिला प्रमुख का नाम बता दें कि जो इसकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं या कोई पदाधिकारी हैं। यह पब्लिकेशन भी मेरा नहीं है। केवल दिग्विजय सिंह जी को रखा है और हरिकुमार जी को निमंत्रित सदस्य के रूप में रखा है एम. एल. ए. के. नाते। बाकी एक प्रधान नहीं रखा। दिग्विजय सिंहजी, आप का नाम है, मुझे मालूम है। बल्कि अमीन खां, जो अभी एम. एल. ए. नहीं हैं कुछ नहीं हैं उनको निमन्त्रित सदस्य के रूप में रखा है, जो शिव के हैं उनको जरूर रखा है। आखिर विरोध पक्ष के भी जिला प्रमुख है विरोध पक्ष के भी प्रधान हैं, विरोध पक्ष के भी सरपंच हैं। नहीं हैं? तो नाम गिनाऊं? कोटा का जिला प्रमुख विरोध पक्ष का है, बांसवाडा का जिला प्रमुख विरोध पक्ष का है और प्रधान तो हमारे 15 हैं। नाम भी बता सकता हूं लेकिन एक भी इस में शामिल नहीं है। इस प्रकार से राजस्थान पंचायत परिषद् बनायी गयी है जो पंचायतों के उत्थान के लिए काम करेगी। इसको केवल एक पार्टी के आधार पर चलाये जाने की योजना बनायी जा रही है। इस तरह से आप पंचायतों को ठीक नहीं कर सकते। यदि आपको वास्तव में सुधार करना है, फिर मैं मांग करता हूं, संवैधानिक संरक्षण यदि आपको पंचायतों को देना है तो आप ग्राम सभा को दीजिए। यदि पंचायत के झगड़े मिटाने हैं, वहां पर ग्रुपिज्म खत्म करनी है, वहां पार्टीबाजी को समाप्त करना है तो आप को इस चुनाव के पैटर्न को सुधारना पड़ेगा। हर पंचायत की ग्राम सभा और, मैं समझता हूं कि 3–3, 4–4 गांवों की पंचायतों को भी समाप्त करके यदि प्रत्येक गांव की ग्राम सभा को सक्रिय करके उनको आप संवैधानिक संरक्षण दें और वह ग्राम सभा वहां पर असेम्बली की तरह काम करे, वहां की ग्राम सभा वहां की पंचायत का चुनाव करे सर्वसम्मति से, ग्राम सहमति

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

से, उस को फिर आप जितने अधिकार देना चाहें अधिकार दें तो उस का उपयोग होगा। अन्यथा जैसी हालत है, जिस तरह से भ्रष्टाचार ऊपर पनप रहा है, प्रधानमन्त्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं उस हालत में आप कितना भी रुपया सरपंचों को दें तो जिस तरह पेट में कीड़ा होता है आप कुछ भी खाइये आप के शरीर में रस नहीं बनेगा वह सारा कीड़ा खा जायेगा, जितना रुपया आप देंगे, भ्रष्टाचार हड़प कर जायेगा, जनता को उस में से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जवाहर योजना के बारे में बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष : 25 मिनट हो गये, छोड़ दें उसको फिर के लिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक बात बताऊं, विभिन्न योजनाओं में आप जिस तरह से रुपया देते हैं वह भी गलत है। यदि आप चाहते हैं कि राजस्थान में गांवों का विकास हो तो जिस तरह हरियाणा और पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक ने एक नीति बनायी है कि हम किसानों को कुआं खोदने से लेकर कुआं चालू होकर सिंचाई होने तक, खाले बनाने तक का सारा रुपया देंगे। उन्होंने दिया, खतों में पैदावार हुई। उस का ऋण भी चुक गया और कुआं भी हो गया। आज हरियाणा और पंजाब का किसान इस मायने में खुशहाल है। आप क्या करते हैं ? 50 हजार कुआं खोदने में लगेंगे तो 10 हजार रुपया देते हैं। 10 हजार रुपए से कुआं खुदता नहीं। न तो कुआं बनेगा और आपका 10 हजार रुपया भी गया। आप इस तरह की आपकी जो ग्रामीण एकीकृत योजनायें हैं उन सब में पार्शली रुपया देते हैं हर योजना में, चाहे वह जीवन धारा हो, कोई भी हो उन सब में आप थोड़ा रुपया देते हैं, योजना को पूरा करने के लिए रुपया देते नहीं। मेरा निवेदन है कि यदि आपको काम करना है तो चाहे आप कम जगह पर कराइये, प्रायोरिटी से कराइये लेकिन जहां भी आप करायें वहां पर यदि कुआं बनाना है तो आप पूरा रुपया लगाइये। उस कुएं में पानी आकर सिंचाई होने तक का सारा खर्चा करिये ताकि किसान उसमें पैदा करके अपना ऋण भी चुका दें, उसका लाभ भी उठाले और आप भी प्रदेश की उन्नति कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

गरीबी हटाने के आपने कितने कार्यक्रम बनाये, गरीबी तो बढ़ रही है। आजादी के पहले 33 पर्सेण्ट लोग गरीबी की रेखा से नीचे थे, आज आपके आंकड़ों में 35 पर्सेण्ट हैं और हम समझते हैं कि 38 पर्सेण्ट से कम नहीं हैं। यह गरीबी बढ़ क्यों रही है जब आप हर साल एक लाख से ऊपर परिवारों को बसाते हैं तो फिर यह गरीबी बढ़ कैसे रही है ? यह तो घटनी चाहिए। लेकिन गरीबी बढ़ रही है। इसका कारण साफ है कि आप अपनी रिपोर्ट जिन आंकड़ों में देते हैं, रुपयों में देते हैं वह रुपया, जैसा आपके-हमारे सबके माननीय प्रधानमन्त्री ने कहा कि 85 पर्सेण्ट रुपया सत्ता

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

के दलाल खा जाते हैं और 15 पर्सेण्ट रुपया वहां पहुंचता है। इसको यदि आप नहीं रोकोगे तो चाहे लाखों रुपया आप ले लो, करोड़ों रुपए आप ले लीजिए इस मांग में हमारे से, इस पैसे का सदुपयोग नहीं होगा, जनता की स्थिति वैसी बनी रहेगी और गांव की हालत खराब रहेगी। पंचायतों को इन हालात में आप अधिकार देंगे तो उनके दुरुपयोग होने की ज्यादा सम्भावना होगी उस से लाभ नहीं होगा। पंचायतों को सुदृढ़ करना है तो ग्राम सभा को मजबूत करिये। चुनाव ग्राम सहमति से ग्राम सभा करें, सरपंच से लेकर वार्ड पंच और पंचायत बने। उस पंचायत को फिर आप सारे अधिकार दीजिए। अभी तो आप ने कुछ नहीं दे रखा है, पंचायतें एक पैसा खर्च नहीं कर सकती हैं अपने ऊपर।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा है न।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हर बार सैंक्शन लेनी पड़ती है इसलिए हर एक जगह पर उनको हिस्सा देना पड़ता है। इस स्थिति को समाप्त किये बिना पंचायती राज को सुदृढ़ बनाया नहीं जा सकता। अब आप बहुत आग्रह कर रहे हैं तो मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री पोकर लाल जी परिहार।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास पर अपने विचार रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम प्रधान मन्त्री माननीय राजीव गांधी को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने जवाहर रोजगार योजना लागू करके न केवल राजस्थान की जनता को लाभान्वित किया है अपितु समूचे हिन्दुस्तान के सब राज्यों की, जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां भी, जनता को लाभान्वित किया है। हिन्दुस्तान की जनता इसका आभार हमेशा के लिए मानेगी। जवाहर रोजगार योजना लागू करके लोगों को पंचायतों की मार्फत काम दिलाने का बहुत ही सराहनीय काम किया है। यह वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। हमारे देश के नवनिर्माता पण्डित जवाहर लाल नेहरू की, जिन्होंने पंचायती राज की स्थापना की, जन्म शताब्दी के उपलक्ष में हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने उचित समझा, राजीव गांधी ने सोचा कि पण्डित जी के दिमाग में, मन में यह था कि गांव की गरीब जनता को रोजगार उपलब्ध कराया जाय, हमारी पंचायतों को शक्तिशाली बनाया जाय तभी हमारा देश मजबूत होगा। उन्हीं पण्डित जवाहर लाल नेहरू को जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि स्वरूप जवाहर रोजगार योजना लागू की है जिस से गांव में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार मिल सके पंचायतों की मार्फत। हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि हम कोई योजना ऊपर से नहीं थोपेंगे, पंचायत स्तर से, जिलों से हमारी योजना बनेगी। उन्होंने इस बात को साबित करके बता दिया इस जवाहर रोजगार योजना की मार्फत पंचायतों को सीधा पैसा भेजकर कि जो चाहें विकास के काम अपने गांव में करायें। विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य आज

(श्री पोकरलाल परिहार)

इस बात को स्वीकार करें न करें मगर उनके विधान सभा क्षेत्रों में भी पंचायतों के काम हो रहे हैं। गांव में जो पक्के काम हैं, अधूरे काम हैं, खंजरा बनाने के काम हैं, नाली निर्माण के काम हैं, पटवार घर का काम है, स्कूल के कमरे हैं, बालिकाओं के स्कूल के कमरे बनाने का है, तरह-तरह के विकास के काम हैं वह सारे काम पंचायतों के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना के द्वारा हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने उन को सीधा चैक भेजकर कराने का मौका दिया है। इसको हमारी जनता भूल नहीं सकती, प्रधान मन्त्री राजीव गांधी को इस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस के साथ पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए राजीव गांधी ने कई तरह की सेमीनार का आयोजन किया। पंचायत वाइज, पंचायत समिति वाइज, जिला वाइज, स्टेट वाइज सुझाव आमन्त्रित किये और पंचायती राज सम्मेलन बुला कर सब के सुझावों के आधार पर पंचायतों को शक्तिशाली बनाने के लिए कारगर कदम उठाये हैं। यह प्रधान मन्त्री जी ने बहुत सराहनीय काम किया है और पंचायतों को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए संविधान का 64 वाँ संशोधन विधेयक पेश किया है। इस से पंचायतों को और अधिकार मिलेंगे, इस से पंचायतें और मजबूत होंगी, लोकतन्त्र की जड़ें मजबूत होंगी। लोकतन्त्र की पहली इकाई पंचायत होती है। इन सारी बातों को व्यावहारिक रूप में परिणत करने के लिए राजीव गाँधी ने जो कदम उठाये हैं उनको विपक्ष वाले स्वीकार करें न करें, हिन्दुस्तान की जनता उनका आभार मानती है। (व्यवधान) मांग पर ही बोल रहा हूं, इतने सराहनीय काम हुये हैं, अच्छे से अच्छे काम हुये हैं विपक्ष के लोग धन्यवाद नहीं दें यह उनका हमेशा का रवैया रहा है।

(म. प. 2.00)

इसके साथ ही प्रधान मन्त्री जी ने 18 वर्ष के नवयुवकों में विश्वास कायम किया है, राजीव गांधी जी ने उन्हें मताधिकार का अधिकार दिया है ताकि आने वाले समय में शक्तिशाली बनें और पंचायती राज के चुनाव में खड़े हो सकें, मताधिकार देने से नवयुवकों में नया जोश है और आने वाले चुनाव यह बतायेंगे कि नयी पीढ़ी राजीव जी के साथ है, वह उनके हाथ मजबूत करेगी और देश को शक्तिशाली बनायेगी।

राजस्थान सरकार ने भी समय पर चुनाव करवाये हैं, विपक्ष का शासन भी हिन्दुस्तान और राजस्थान की जनता ने देखा है, प्रधानों के चुनाव करवाये नहीं, पंचायतों के चुनाव करवाये नहीं, जिला परिषदों के चुनाव करवाये नहीं और अभी मेरे से पूर्व विपक्ष के जो माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यह तो हम भी चाहते थे कि 64 वां संविधान संशोधन लावें, जब वह चाहते थे और जब उनका ढाई साल का राज आया तो उस समय क्यों नहीं लाये, उन्होंने समय क्यों गंवाया और हम लाना चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से तो आप कहते हैं कि हम भी चाहते हैं दिल से पर आपकी कथनी और करनी में अन्तर है, अगर आप

(श्री पोकरलाल परिहार)

चाहते तो ढाई साल के राज में ला सकते थे।

श्री हीरासिंह चौहान : आप उस समय जोधपुर में रहते थे इसलिये आपको मालूम नहीं है, गांव में बहुत पक्के काम हुये हैं, (व्यवधान)

श्री पोकरलाल परिहार : आप क्या बोल रहे हैं आप उस समय कांग्रेस के सदस्य थे।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं कभी कांग्रेस में नहीं रहा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप भी उस समय हमारी पार्टी में थे, (व्यवधान)

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) : मीडल स्कूलों को पंचायतों में दिया गया है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय कृषि विभाग सामाजिक वानिकी आदि को राजीव गांधीजी ने पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिये पंचायती राज विभाग में दिये हैं, नया कदम उठाया है वह सराहनीय कदम है आप हमारी अच्छी नीतियों की तारीफ नहीं करेंगे यह आपसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं।

पंचायतों के अन्दर हमारे प्रधान मन्त्री जी ने नयी योजना निकाली "जीवन-धारा" जिसमें गरीब से गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति और जन जाति के गरीब लोग हैं जिनकी जमीन पर वर्षा से खेती होती हैं उन लोगों को "जीवनधारा" में मानकर पहले जो राशि स्वीकृत की थी 17,900/- अब उसको बढ़ाकर 25,000/- कर दी है ताकि गरीब आदमी के यहां कुआं खुद जावे, पत्थर बन्दी हो सके, इंजन फ्री लगाकर देंगे, इस बात की आप तारीफ करें या नहीं करें मगर गरीब लोगों के दिलों में जगह जरूर बनी है, गरीब लोग हमेशा कांग्रेस का साथ देते हैं इसके लिये राजीव गांधी और राजस्थान सरकार ने "जीवन धारा" योजना सही तरीके से लागू की है और गरीबी लोगों को लाभान्वित किया है, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता है।

इसी तरह से "कुटीर ज्योति योजना" हमारे प्रधान मन्त्रीजी ने एक नयी योजना भेजी है 'कुटीर ज्योति योजना" से गरीब लोगों के मकान पर जहां रोशनी नहीं होती थी उनके यहां सरकार की तरफ से निःशुल्क मीटर लगाकर और लट्टू लगा कर रोशनी की जो व्यवस्था की है इससे पंचायतों में नयी आस्था बनी है, यह सारी बातें पंचायत राज को मजबूत करेंगी और इससे किसानों को लाभ मिला है "कुटीर ज्योति योजना" से गरीब से गरीब आदमी के मकान मे ज्योति लगी है, उनके यहां रोशनी की व्यवस्था होगी, मगर इस बात की कभी आप विपक्ष वाले तारीफ नहीं करेंगे और हमें आपसे यह उम्मीद करनी भी नहीं चाहिये।

प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने "जवाहर रोजगार योजना" यह जो कार्यक्रम बनाया है और इसमें जो गांवों के अन्दर महिलाओं के लिये विशेष मजदूरी में आरक्षण की व्यवस्था की हैं, कि उन्हें मजदूरी पर लगाया जाय ताकि उनकी

(श्री पोकरलाल परिहार)

आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उनके घर की रोजी-रोटी, गांव में ही मिल सके और काम धन्धा करके परिवार का भरण-पोषण कर सकें। गांवों के अन्दर नये कानून में पर्सेन्ट आरक्षण की व्यवस्था की है। आप भले ही इसकी तारीफ न करें पर महिलाओं के लिए राजीव गांधी ने यह महसूस किया है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितने वोट और जितनी आबादी पुरुषों की हैं महिलाओं की आबादी भी पुरुषों के बराबर है ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के नाम पर पूछना चाहती हूं कि आज डिमाण्ड राजीव गांधी की है या साम्प्रदायिक विकास की, माननीय सदस्य को थोड़ा स्पष्ट कर दें....

श्री उपाध्यक्ष : महिलाओं का आरक्षण अच्छा नहीं लगा आपको ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बार-बार राजीव गांधी, राजीव गांधी कह रहे हैं,

श्री पोकरलाल परिहार : राजीव जो गांधी ने पंचायती राज को मजबूत करने के लिये जो व्यवस्था की है, जो सराहनीय कदम उठाये हैं ...

श्री हीरासिंह चौहान : पूरे देश के प्रधानमन्त्री हैं, हिन्दुस्तान के प्रधानमन्त्री हैं, केवल मात्र आपके ही नहीं हैं बार-बार हमारे प्रधानमन्त्री, हमारे प्रधानमन्त्री कह रहे हैं,

श्री उपाध्यक्ष : आप मत बोलना इसके बाद,

श्री रघुनाथ परिहार (सरकारी मुख्य-सचेतक) : प्रधानमन्त्री को पंचायती राज से जोड़ा गया है इसलिए बोल रहे है,

श्री पोकरलाल परिहार : सामुदायिक विकास की कुछ बात चल रही है, पंचायतों को मजबूत करने के लिये हमारे प्रधान मन्त्री, राजीव गांधी ने क्या-क्या कदम उठाये हैं वह मैं आपको सुनाना चाहता हूं महिलाओं के लिये 30 पर्सेन्ट संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है पंचायतों में आने वाला चुनाव बतायेगा कि लहिलायें राजीव गांधी के साथ है संविधान में जो संशोधन किया गया है उस संशोधन के आधार पर 30 पर्सेन्ट महिलायें चुनाव में खड़ी हो सकेंगी....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : महिलायें 50 पर्सेन्ट हैं, 50 पर्सेन्ट करते तब तो बात भी ठीक होती, 20 पर्सेन्ट कम और कर दिया है यह तो अन्याय है।

श्री पोकरलाल परिहार : आगे और बढ़ायेंगे, आपने जनता पार्टी के राज में 1 पर्सेन्ट भी नहीं बढ़ाया....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह सबके प्रधानमन्त्री हैं, आपके ही नहीं हैं।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : जनता पार्टी का राज में 30 पर्सेण्ट न घटाकर 11 पर्सेण्ट कर दिया हो। (व्यवधान)

श्री पोकरलाल परिहार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस तरह से संविधान में जो व्यवस्था की है महिलाओं के लिये 30 पर्सेण्ट आरक्षण की, वह वार्ड पंच के चुनाव में मान लीजिये 10 सीट्स हैं तो 30 पर्सेन्ट के हिसाब से तीन महिलायें

(श्री पोकरलाल परिहार)

खड़ी हो सकेगी, इस तरह प्रधान के चुनाव में खड़ी हो सकेगी, जिला प्रमुख के चुनाव में खड़ी हो सकेंगी, तो महिलाओं के लिए यह जो आरक्षण की व्यवस्था राजीव गांधी जी ने की है अगर इसकी में तारीफ करूं तो यह तो आपको बुरी नहीं लगनी चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आपको सीट भी 30 पर्सेण्ट में आ जायेगी, इसका ध्यान रखना।

श्री पोकरलाल परिहार : इसी तरह से हमारे प्रधान मन्त्री, राजीव जी गांधी ने अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के लिये भी 67 वें संविधान संशोधन में आरक्षण की व्यवस्था की है, पहले गरीब आदमी जीत नहीं सकता था, गरीबों को दबाया जाता था लाठी के बल पर, वोट डालने नहीं देते थे, मार-पीट करते हैं, चुनाव में खड़ा नहीं होने देते हैं, उनको अपना फार्म विथड्रा करने के लिये मजबूर किया जाता है, इसलिये इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधान मन्त्रीजी ने संविधान में व्यवस्था की है, 67 वें संविधान संशोधन में 30 पर्सेन्ट सीट्स आरक्षित की गयी हैं ताकि उनको को-आप्शन में खड़ा होने की जरूरत नहीं, वार्ड पंच भी 30 पर्सेण्ट खड़े होंगे, प्रधान की सीट भी आरक्षित होगी और जिला प्रमुख की सीट भी आरक्षित होगी। इन सारी बातों को, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी अगर हम तारीफ करते हैं तो आपको भी हमारे साथ में तारीफ करनी चाहिये, अच्छी बातों की तारीफ करना कोई गलत बात नहीं है।

हमारे जागरूक प्रधान मन्त्रीजी, श्री राजीव गांधी ने हमारे देश के अन्दर पंचायती राज को सशक्त और मजबूत बनाने के लिये जो कदम उठाये हैं वह काफी सराहनीय है,

इसी तरह से मतदान के सम्बन्ध में भी, हम बार-बार इस विधान सभा में बोलते रहे हैं कि प्रधान का चुनाव भी सीधे मतदान से होना चाहिये, इनडाइरेक्ट नहीं होना चाहिये नहीं तो क्या होता है कि तिकड़मबाज लोग केप्चर करके जीत कर आ जाते हैं, इसलिये प्रधान मन्त्री जी ने व्यवस्था की है इनके चुनाव भी सीधे मतदान से होंगे जिस तरह से कि विधायकों और सांसदों के चुनाव होते हैं उसी तरह से प्रधानों के चुनाव सीधे तरीके से होंगे, उससे सोशल वर्कर, अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे लोग जीतकर आयेंगे इससे प्रजातन्त्र की जड़ें मजबूत होंगी और प्रजातन्त्र में पंचायती राज मजबूत होगा और फलीभूत होगा।

इसी तरह से पंचायती राज के जो विकास के काम हैं, जवाहर रोजगार योजना है और दूसरी योजनायें है, इस सन्दर्भ में एक सुझाव जवाहर रोजगार योजना के सन्दर्भ में देना चाहूंगा। पक्ष और विपक्ष सभी तरह के लोग इसमें हैं, जवाहर रोजगार योजना के तहत जितना भी पैसा खर्च के लिये आता है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और गरीब तबके के लिये, इसके लिये माननीय पंचायती राज मन्त्री जी एक निगरानी सैल कायम कीजिये ताकि उस पैसे का

(श्री पोकरलाल परिहार)

कहीं दुरुपयोग नहीं हो, जिस भावना के साथ प्रधान मन्त्री जी ने योजना लागू की है उस योजना का सदुपयोग हो, उसका लाभ गरीब तक पहुंचे और गांव में विकास हो, इसके लिये निगरानी सैल बनावें और जहां-जहां, कहीं सरपंच आदि दुरुपयोग करता हुआ पाया जाय तो तुरन्त उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय और शीघ्र उन्हें निलम्बित किया जाये, यह मैं आपसे मांग करता हूं ताकि जवाहर रोजगार योजना के पीछे जो हमारे प्रधान मन्त्री जी की मंशा है कि इसका लाभ गरीब को मिले, गांवों का विकास हो, उसका सदुपयोग हो। जवाहर रोजगार योजना की क्रियान्विति में आप विशेष रूप से निगरानी समितियां बनायें। पंचायतों के अन्दर अभी जहां पंचायत समितियों के अन्दर कुटीर ज्योति योजना लागू करने में हमारे प्रधान के इशारे पर पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने गलत चयन करके और जो वाजिब लोगों को लाभ मिलना था उनको नहीं मिल सका। इसकी जांच करवाई जाय और हमारे विकास अधिकारी के बारे में और भी कई जो शिकायतें मिली हैं उसको शीघ्र निलम्बित किया जाय पंचायत समिति रानी के विकास अधिकारी को। धन्यवाद जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहली बात तो हमें यह बता दीजिए कि वह कितनी बार राजीव गांधी का नाम ले चुके। बाकी लोग भी जो बोलें उससे ज्यादा बार नाम लेवें। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : राजीव गांधी का नाम तो बोलेंगे ही, इतना बढ़िया काम हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि यह संख्या बता दें तो बाकी के कम नहीं रहें।

एक माननीय सदस्य : हरिशंकर भाभड़ा जी ने भी पहले उनका नाम लिया था।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत एवं सामुदायिक विकास डिमाण्ड्स के ऊपर आज चर्चा हो रही है। मैं आपके माध्यम से हमारे मन्त्री जी का ध्यान पंचायती राज को किस प्रकार सशक्त बनाया जाय और क्या कदम उठाये जायं उसके ऊपर कुछ बातें कहूंगा। सबसे पहले तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से प्रधान मन्त्री राजीव गांधी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कांग्रेस सरकारों की अकर्मण्यता को देखते हुए यह 64 वां संशोधन विधेयक लाये ताकि कम से कम समय पर चुनाव हो सकेंगे। क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जहां-जहां भी जब-जब भी जितने वर्ष तक रही पंचायतों के चुनाव उन्होंने कराये ही नहीं। आप जोशी जी की सरकार को देख लो 13 वर्ष में चुनाव हुए। उसके पहले का आप देख लो 15 वर्ष में चुनाव हुए तो आपकी जब-जब सरकारें बनीं पंचायतों के चुनाव कराने की तो आपने सोची ही नहीं और हमेशा किसी न किसी बहाने पंचायतों के चुनाव टालते

(श्री दिग्विजय सिंह)

रहे तो प्रधान मन्त्री जी ने यह संशोधन करके और इस बात को तो बहुत ही बढ़िया किया कि संविधान के अन्तर्गत इसकी एक निश्चित अवधि रख दी कि पांच साल के अन्दर चुनाव होने ही चाहिए । इसलिए जो संशोधन अभी लाया जा रहा है उसके लिए तो बधाई के पात्र हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक निश्चित रूप से और कहूंगा राज्य सरकार से कि वह अपना पक्ष प्रधान मन्त्री जी के सामने इस बात के लिए रखे कि आखिर यह जो पचायतों का और लोकल बाडीज का अधिकार है, यह स्टेट डाइरेक्टिव्ज और कान्स्टीट्यूशन के अन्दर हमारा जो आर्टिकल है उसके अन्तर्गत यह जो प्रिन्सीपल्स और स्टेट डाइरेक्टिव्ज में आता है और हमारा स्टेट का जो अधिकार है। अगर यह अमेंडमेंट करके यह सारे अधिकार केन्द्र अपने पास रख लेगा तो स्टेट्स के पास जो आटोनोमी है, लोकल बाडीज को नियन्त्रित करने की, लोकल बाडीज को चलाने की, उसके ऊपर एक इन्फ्रीगमेंट तो राज्य सरकार कम से कम यह पक्ष वहां पर रखे कि आप इसको सशक्त बनाने के लिए समय पर चुनाव हों, क्या प्रक्रिया हो वह आप जरूर इसके अन्दर दें। पर जो राज्य के अधिकार हैं और राज्य के अधिकार के माध्यम से जो पंचायती राज चलता है उसका अगर सीधा सम्बन्ध केन्द्र से अगर हो जायेगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी व्यावहारिकता के अन्दर राज्य सरकार और पंचायती राज के बीच के अन्दर एक झगड़ा उत्पन्न हो जायेगा क्योंकि जब सीधा उनका सम्पर्क इस पंचायत एक्ट के अन्तर्गत अगर केन्द्र के पास चला गया तो राज्य सरकारों का नियन्त्रण उस पंचायत राज के ऊपर होना बड़ा कठिन होगा। तो इस मामले के ऊपर जहां तक मैं समझ पाया हूं कोई भी दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं आये तो कम से कम राज्य सरकार जब कभी भी यह संशोधन जो विचारार्थ लिया जा रहा है अभी पार्लियामेंट में, सैशन में, उससे पहले आप अपने विचार केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में जरूर लिखें कि यह जो आपके डाइरेक्टिव्ज हैं और आपके स्टेट के पावर्स हैं इसके ऊपर कहीं आप इन्फ्रीगमेंट नहीं करें और हमारे अधिकार कम नहीं हो जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ हम पंचायती राज को सशक्त बनाने की बात उधर बैठने वाले और इधर बैठने वाले हम सब करते हैं और पंचायती राज किस प्रकार से मजबूत हो, इसकी भी चर्चा करते हैं। पंचायती राज की सही मायने के अन्दर जो स्थिति है वह दिन-ब-दिन कमजोर होती जा रही है। तो आप कहेंगे हमने आपको जवाहर योजना में पैसे दे दिये, दूसरे काम के लिए पैसे दे दिये तो पैसे देने से कोई शक्ति नहीं आती पंचायत को। पंचायत को जब तक आप स्वतन्त्र रूप से अधिकार नहीं देंगे, स्वतन्त्र काम करने के अधिकार नहीं देंगे तब तक पंचायत को आप सशक्त नहीं बना सकते। जैसा अभी पूर्व वक्ता भाभड़ा जी बता रहे थे धारा 17 (4) का जो प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात को जानते हैं। 17 (4) का प्रावधान राज्य सरकार के पास है और उसके अन्तर्गत वह किसी भी

(श्री दिग्विजय सिंह)

सरपंच को, उप-सरपंच को सस्पैण्ड कर सकती है। अब यह इतना वाइड अधिकार है कि सामान्यतया सामान्य न्याय प्रक्रिया के अनुसार तो इसको अवसर देकर ही किया जाना चाहिए पर सरकार चाहे तो बगैर अवसर भी उनको सस्पैण्ड कर देती है। मेरा इसमें सुझाव है और शायद कांग्रेस के माननीय सदस्य भी इस बात को कहेंगे कि जनता राज में भी इसका उपयोग किया गया और कई सरपंचों को सस्पैण्ड किया तो यह आवश्यक नहीं है कोई गलती हमने की हो वह आप भी करें। आपको सुधार करना चाहिए कि अब हम उसका सुधार कैसे करें। अगर हम बात करते हैं प्रधानमन्त्री जी की तो आप उनको बधाई देते हो तो इस पंचायती राज को जो कि आपके जनतन्त्र की एक रीढ़ का पत्थर है, उसको मजबूत कैसे बनायें। उस जन-प्रतिनिधि को आप, ठीक है ऊपर से एम. एल. ए. हैं, एम. पी. हैं पर नीचे का जन-प्रतिनिधि डेमोक्रेटिक-सैट का जो जनप्रतिनिधि है वह सरपंच है और उसके ऊपर अधिकार आपका है कि आप बगैर सुनें और 17–4 के तहत में अगर आप मुअत्तल कर दें तो कोई न्याय वाली बात नहीं है। मैं समझता हूं नियन्त्रण रखना आवश्यक है कि उस पर नियन्त्रण जरूर रहे आखिर वह पैसा खर्च करता है। डाइरेक्ट काम उसके पास है। मिस-यूज नहीं करे उसके लिए आप कोई गठित कर दीजिए। एक जूडिशियल ट्रिब्यूनल बना दीजिये। आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट लेविल पर जूडिशियल ट्रिब्यूनल कर दें, स्टेट लेविल पर जूडिशियल ट्रिब्यूनल कर दें कि 17 (4) का जो प्रयोग है वह गवर्नमेंट को न होकर के इस जूडिशियल ट्रिब्यूनल के पास चला जाय तो कम से कम उसे यह तो सही होगा कि जूडिशियल जजमेंट तो उसके सामने आयेगा और उसको मौका मिलेगा। तब तो हम समझेंगे कि हम पंचायती राज को वाकई में, सही मायने के अन्दर सशक्त बनाना चाहते हैं वरना आज यह 17 (4) जिस प्रकार की प्रक्रिया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप माफ करेंगे मैंने अभी मन्त्री महोदय से इस बात का जिक्र भी किया। अभी हाल ही के अन्दर टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य नाथूसिंह जी के निर्वाचन क्षेत्र में खरेरा पंचायत के सरपंच हैं, सीताराम जी। उनको एक नोटिस दे दिया गया कि आपने चन्दे के पैसे 11 हजार रुपये उगाये और वह उगा करके आपने उनका दुरुपयोग किया। सारे रेकार्ड के अन्दर पैसे की जो उगाई की गयी उसकी रसीद वगैरह सब उसके अन्दर मौजूद है। बहीखाता रेकार्ड पंचायत के अन्दर सारा इन्द्राज। कलक्टर साहब ने जांच कर दी किसी के कहने पर और एफ. आई आर दर्ज करवा दी अब उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है मन्त्री महोदय से भी, उसी केस की एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी पुलिस में जांच हो रही है। और कलक्टर साहब ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट किसी के कहने पर राज्य सरकार को भेज दी। राज्य सरकार ने बगैर उनको मौका दिये डाइरेक्ट यहां से आर्डर कर दिया। आपने चूंकि गम्भीर अनिमिततायें की हैं धारा 17 (4) के तहत आपको निलम्बित

(श्री दिग्विजय सिंह)

किया जाता है अब उसको कोई मौका नहीं दिया गया।

मेरा उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना है कि आप एक ही ओमीशन की एन्क्वायरी करा लें दो जगह एफ. आई. आर दर्ज हो गई। वहां रिपोर्ट चल रही है, वहां उसकी तफतीश चल रही है और आपके यहां से भी आपने फैसला करके सस्पेंण्ड कर दिया और यह कहा कि साहब इसमें प्रभाव पड़ेगा तो आपने पहले सस्पेंण्ड करके तो आपने प्रभावित कर दिया उस पुलिस वाले इन्वेस्टीगेशन को ही। आपने दोषी यूं हीं मान लिया तो पुलिस के इनवेस्टीगेशन को तो आपने पहले प्रभावित कर दिया। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस बात को देखें और इस पार्टिकुलर केस को देकर उस सरपंच के ऊपर जो अन्याय हुआ है उसको आप न्याय प्रदान करेंगे।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत की बैठकों के बारे में है। पंचायत की बैठक नियमित नहीं होती और सरपंच अपने घर बैठक बुला लेते हैं। इसका कोई भी नियन्त्रण किस प्रकार हो, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। आपके एक्ट में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है पर उनका कोई फालो स्ट्रिकली फालो कोई नहीं करता और आज पंचायत मन्त्री जी मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि कई ग्राम पंचायत के सरपंच आज दिन तक निर्वाचन होने के बाद बैठकें नहीं बुलायी और बुलाई उन्होंने अपने घर पर बुलाई और घर पर बुलाकर के रजिस्टर में नाम दर्ज कर लिये और कई पंचों को जिनको हटाना है उनको तीन बैठक में अनुपस्थित बता करके और उनको अपने पद से पृथक करने का नोटिस दे दिया जबकि नियमानुसार डिप्टी कलक्टर डवलपमेंट है वह उसको देगा। तो इस तरह की कार्यवाहियाँ जो गुप्त करके और जो पंचायत की अनिमियत बैठकें बुलाता है तो वह पंचायत राज को मजबूत करने वाली बात नहीं है। वह पंचायती राज को खोखला करने वाली बात है तो इसके ऊपर आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें कि नियमित बैठक होगी और या आप यह व्यवस्था करें कि जो भी पंचायत की बैठक हो 15 दिन के अन्दर उसके बाद में बैठक की कार्यवाही ग्राम सभा के अन्दर सुनायी जानी चाहिए। ताकि ग्राम सभाओं को मालूम हो कि पंचायतों में क्या मामला हुआ और कितने पंचों ने इसके अन्दर अटेण्ड किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं एक दृष्टान्त जवाहर रोजगार योजना का। अभी नई योजना केन्द्र सरकार ने लागू की है। राज्य सरकार ने भी लागू की। वहां से पैसा आ गया और पैसा ग्राम पंचायतों को सीधा चैक के माध्यम से दिया गया। मैं गया कलक्टर के पास, कलक्टर एक ऐसी एजेन्सी है जिसके थ्रु पैसा आना चाहिए। लेकिन डाइरेक्ट सरपंच और ग्राम के ग्राम सेवक। ग्रुप सचिव दोनों के नाम से खाता खोल दिया गया। अब कार्य की क्या प्रणाली है, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कोई भी प्रोफार्मा या प्रक्रिया नहीं बतलाई गई कि उस पंचा-

(श्री दिग्विजय सिंह)

यत के अन्दर आप कौन-कौनसे काम लेंगे सरपंच ने जैसा चाहा, चार-पांच मेम्बर ने जैसा चाहा काम शुरू कर दिया और अधिकतर ग्राम पंचायत के पंच उसके विरोध में हैं कि हमें यह काम नहीं चाहिए उसके ऊपर नियन्त्रण किसी का नहीं है। आज बी. डी. ओ. साहब पूछने जाते हैं तो सरपंच कहता है कि तुम्हारे यहा पैसा नहीं है पैसा सीधा मेरे पास आया है। तुम्हारे को पैसों से क्या लेना देना। उनके थ्रु नहीं आया और न उनकी बुक से एण्टर होकर आया। वह डाइरेक्ट उनके पास पंचायत में पहुचा है। तो उसके ऊपर कण्ट्रोलिंग आथोरिटी के रूप में आज कोई भी नहीं है और पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और नमूने के तौर पर बताऊं नगरकोद पंचायत समिति डेवजी का मामला है। वहां अभी हाल ही में सरपंच रतनलाल ने कोरम के प्रस्ताव के विरोध में बाकी सात मेम्बर्स एक तरफ और चार एक तरफ और चार मेम्बर्स और सरपंच दोनों ने मिलकर एक सड़क बनवाली जिसमें करीब चालीस हजार रुपया खर्च कर दिया और अभी बारिश हुई उसके अन्दर सड़क साफ हो गई। तो इस प्रकार की जवाहर रोजगार योजना का—

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

पैसे का दुरुपयोग होगा। उसका नियन्त्रण रखना आपको जरूरी है। प्रधानमन्त्री जी तो पहले ही कह रहे हैं कि सिर्फ 15 परसेंन्ट ही नीचे पहुंचता है बाकी तो आपके चहेते लोग हैं, और आप एक्शन इसलिए नहीं ले सकते कि आप यह कर देते है कि क्या करें हमारे कार्यकर्ता हैं। या तो यह छूट दे दो, कार्यकर्ता को कह दो कि जवाहर रोजगार योजना आई है, मुश्किल से नानाजी के नाम से पैसा आया है तुम लोग खा लो। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इस जवाहर योजना के सम्बन्ध में भी कोई गाइडलाइन्स कोई डाइरेक्शन इस प्रकार के दें ताकि सही उपयोग वहां हो सके। आज दिन तक आपने पंचायती राज की बात कही। मन्त्रीजी, आज दिन तक न्याय पंचायतों का गठन नहीं हुआ। आप पंचायती राज को मजबूत करने की बात कहते हैं। न्याय पंचायतें आज दिन तक गठित नहीं हुई। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जनता पार्टी ने पंचायतों को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। हमने तो पंचायतों के इलेक्शन करवाये। परिषदों और पंचायत समितियों के इसलिए नहीं हो पाये कि हाई कोर्ट स्टेआर्डर आ गया। जोधपुर का था मैं आपको बतला दूंगा स्टे आर्डर था और स्टे आर्डर वेकेट हुआ उसके बाद में हमारा राज भी चला गया। इसलिए कोई इन्टेन्शन ऐसी नहीं थी कि नहीं कराना चाहते थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक दो सुझाव और मन्त्रीजी को देना चाहूंगा। आपने जो पंचायत राज के अन्दर पंचायतों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं उनके ऊपर भी सोचें। पंचायतों के अन्दर आज जमीनें भी बहुमूल्य हो गई हैं और पंचायतों के अन्दर भी अतिक्रमण हो रहे हैं लोग बाग वहां पर मकान बना लेते हैं। मकान बनाने के बाद में पंचायत एक्ट और रूल्स के अन्तर्गत पंचायत को कोई पावर नहीं है

(श्री दिग्विजयसिंह)

कि वह डिमोलिश कर दे। जबकि म्युनिसिपल्टीज को पावर हैं कि वह कर सकती है। पंचायत एक्ट में नहीं है। पंचायत एक्ट में यह है कि वह एस डी. ओ को लिख दे और एस डी ओ. की परमीशन लेने के बाद में वह डिमोलिश होगा। इस प्रक्रिया से ...

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : केवल पुलिस मदद के लिए लिखेगा एस. डी. ओ. को। पावर्स तो कानूनी उसको खुद को ही है। यदि वह पुलिस की मदद महसूस न करे तो वह खुद ही तुड़वा सकती है अतिक्रमण को हटा सकती है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने क्लेरिफिकेशन की बात की। इसके बाद मैंने, पंचायत राज का सेमिनार हुआ था उस वक्त भी यह बात उठाई थी और उसमें भी मेरे ख्याल से आपने, मुझे जहां तक याद है, जवाब यही आया था कि पंचायत को अधिकार है और अधिकारी जो बिराजमान थे उनसे मैंने पूछा कि आप एक्ट या रूल्स में निकालकर मुझे बतला दें कि इसमें यह स्पेसिफिक प्रोविजन है क्या कि पंचायत डाईरेक्ट कागनिजेन्स ले सकती है। वह एस. डी. ओ को लिखेगा और एस. डी. ओ. परमीशन देगा उसके बाद पुलिस फोर्स लेकर आप जा सकते हैं जो आज दिन तक नहीं हुआ। मेरा कहने का अर्थ यह है पंचायत मन्त्रीजी, पंचायतों को इमिजिएट पावर मौके पर होनी चाहिए, वह नहीं है। उनको वेट करना पड़ता है परमिशन के लिये। परमीशन उसकी आती नहीं, नहीं आती है तो रेग्यूलराइज हो जाता है। मेरा निवेदन करना है इसको और देख लें यह कानूनीमामला है। अगर एक्ट में नहीं है तो आप यह प्रोविजन इसमें करें कि उनको डाइरेक्ट कागनिजेन्स लेने की पावर होनी चाहिए ताकि अतिक्रमण जो गांवों में बढ़ रहे हैं—

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

वह भी रूक सकें। उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में जमींबिचौती के जो पावर हैं, आज गांवों में भी जमीनों की कीमत बढ़ रही है। आपने पंचायतों को एक हजार तक की दे रखी है और पांच हजार तक की पावर पंचायत समितियों को और दस हजार तक कलक्टर और उसके ऊपर कोई बेचान होता है तो राज्य सरकार के पास जाता है। तो आज गांवों के अन्दर भी जमीनों की कीमत बढ़ गई इसलिए यह जो पावर है इसको आप रिवाइज करें। हजार की जगह पांच हजार तक की पावर दी जाय पंचायतों को। पांच हजार तक बेचान होता है तो पचायतें अपने स्तर पर करें। 15 हजार तक करिये पंचायत समितियों पर और 25 हजार करिये जिलाधीश पर और उसके ऊपर की कोई कीमत हो तो राज्य सरकार के पास भेजें तो इससे एक सरलता होगी और पंचायतों के पास जो इमिजिएट पैसे की कमी है, आज पैसा नहीं आता, छोटी-छोटी रकम के लिए उनको परमीशन मिलती नहीं। आज उनको दिक्कत आती है और इस प्रकार की परमीशन उनको मिल जायगी तो सुविधा होगी आर्थिक स्थिति सुधारने में और आर्थिक स्थिति सुधरेगी मन तो उनका विकास के अन्दर भी लगेगा।

(श्री दिग्विजय सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अन्त में यही निवेदन करते हुए कि एक माननीय सदस्य ने जीवनधारा की बात कही । मैं आपसे यह जानकारी करना चाहूंगा कि जीवनधारा योजना का पैसा आपके पास कहां से आया। आज मुझे यह जरूर बतलावें। क्या सेण्टर ने दिया। क्या आपके पास में आई. आर. डी. पी. आर. एल. ई. जी पी. एन. आर. ई पी. का जो पैसा था—

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : विशिष्ट योजना संगठन के तहत यह सारा कार्यक्रम है जिस पर सदन में अलग से बहस रखी है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो जीवन धारा योजना की बात आपने कही—

श्री उपाध्यक्ष : जवाहर रोजगार योजना भी इसी में है।

श्री दिग्विजय सिंह : इसका पैसा आपने कोई अलग से नहीं दिया। आपने जो आई. आर. डी. डी. पी. आर. एल. ई. जी. पी. और एन. आर. ई. पी. के जो प्रोग्राम थे उन प्रोग्राम को रोक दिया गया काट दिया गया और सेप्टेम्बर, 88 से इन योजनाओं का काम रोककर उसका पैसा डाइवर्ट कर दिया जीवन धारा योजना में। आपने वहां विकास की गति को रोक दिया। एक तरफ विकास की बात करते हैं—

श्री उपाध्यक्ष : नाऊ प्लीज।

श्री दिग्विजय सिंह : आज भी इन स्पेशल स्कीम्स में कोई कार्य नहीं चल रहे हैं। मन्त्री महोदय, इस बात का उत्तर देगें।

अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, जवाहर योजना—

श्री उपाध्यक्ष : वह भी स्पेशल है। Why do you speak on that ?

श्री दिग्विजय सिंह : एक बहुत महत्वपूर्ण है, यह आप भी बतला दें कि यह एक वर्षीय योजना है या पंच वर्षीय योजना है? यह बता दें। एक वर्ष के लिए रह गई है?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

माननीय श्री देवेन्द्रकुमारजी मीणा (अनुपस्थित)

श्री रेवतरामजी चौधरी (अनुपस्थित)

श्री इन्द्रसिंह पूनिया (अनुपस्थित)

श्री चन्द्रशेखर, खैरथल (अनुपस्थित)

श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो गांवों के समग्र विकास का कार्यक्रम है और प्राचीन काल से ही ग्रामों में पंचायतों के समूह के आधार पर गांवों के लोग फैसला करते गांवों की समस्याओं पर चर्चा करते। उसी कार्यक्रम

(श्री रतनलाल ताम्बी)

को आजादी के पहले सोचा जाता था। आजादी के बाद अलग-अलग प्रदेशों में कानून-कायदे बनाकर लागू किये गये। जब हमारा संविधान बना था उस समय इस विषय पर बड़ी चर्चा हुई थी। पंचायती राज की व्यवस्था को संविधान का रूप देने के लिए उस समय सौभाग्य से, आज हमारे बीच नहीं है, उस संविधान निर्मात्री सभा के एक सदस्य श्री गोकुल लाल जी के अलावा जो राजस्थान के ही थे, उन्होंने इस बारे में एक सुझाव दिया उस समय भी, कि ग्राम सभा और पंचायत इकाई यह महत्वपूर्ण होनी चाहिए और इसको संविधान का स्वरूप दिया जाय और इसके द्वारा ही गांवों में योजनाओं का क्रियान्वयन हो। इस बात का सुझाव था। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी ने भी इसको बहुत अच्छे रूप में समर्थन दिया। डाक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि इससे गांवों के सम्पन्न, सामन्त, बड़े-बड़े लोग इन पंचायतों में ग्राम इकाइयों पर हावी हो जायेंगे। तब गरीबों की स्थिति और खराब हो जायगी। सामाजिक न्याय नहीं हो पायगा और उनको न्याय नहीं मिल पायगा। इस तरह यह बात चलती रही। गांधीजी ने बड़ा चिन्तन किया और गांधीजी के चिन्तन को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश में पंचायत राज को काफी दिशा दृष्टि दी, काफी प्रयास किया और सारे देश में पंचायत राज स्थापित हुआ। राजस्थान को सौभाग्य मिला 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर मे पंचायती राज दीप शिखा प्रज्वलित करके पन्डित नेहरू के हाथों से और उस समय के मुख्य मन्त्री स्वर्गीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने देश भर में पंचायत राज का अध्ययन करके राजस्थान में उसको इस ढंग से लागू किया कि सारे देश ने उस प्रणाली को यहां से लिया। आज हमारे सामने यह प्रश्न उठता है इतना सब चलने के बाद भी पंचायत राज के प्रति जो वातावरण, जो माहौल उस समय बना था जिसमें जन शक्ति श्रमदान जन सहयोग, यह सारी भावनायें जागृत हुई थीं वह शनैः शनैः लुप्त हो गई और मेरी यह मान्यता है कि उन सब बातों का बहुत गम्भीरता से चिन्तन किया। अभी विपक्ष के एक माननीय सदस्य फरमा रहे थे कि यह चुनावी वर्ष है पंचायत राज राजीव गांधी जी को इस वर्ष ही कैसे याद आया इसलिये यह चुनावी नारा हो सकता है यह चुनाव में जनता को गुमराह करने का एक तरीका हो सकता है। मुझे उनकी बुद्धि पर रहम आता है। जो व्यक्ति राजीव गांधी ने देश के हर कोने से जिलाधीशों की अलग मीटिंगस की राज नेताओं की अलग की सांसदों की अलग की विधायकों की अलग-अलग ढंग से, उन सारी प्रणाली पर चिन्तन किया और हर प्रदेश की प्रणाली का अध्ययन करके एक शानदार 64 वां संशोधन विधेयक में करके पंचायत राज कानून स्थापित किया, वह लाये हैं। मैं समझता हूं कि यह हर दृष्टि से सराहना करने योग्य है किन्तु हमारे तो संकीर्ण सोचने की वृत्ति हर मामले में आती है। कोई अच्छे से अच्छा काम भी हो तो उसमें कोई न कोई नुक्ता चीनी न करें तो विपक्ष ही क्या। इसलिये इस पंचायती राज के कानून का सारे देश के जन-जन ने स्वागत किया हमारे विपक्ष के भाई उसका

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भी विरोध करने लग गये। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समय बतायेगा कि पंचायत राज निश्चित रूप से एक यह जो कानून आया है यह क्रान्तिकारी कानून है, सामूहिक कानून है और इसका जनता में एक तरह से अच्छा वातावरण बना है और आने वाला समय बतायेगा कि पंचायती राज हमारे प्रजातन्त्र की रीढ़ की हड्डी होगी, इसमें पंचायत राज की स्थापना एक नये स्वरूप में इस नये विधेयक के रूप में सामने आयेगी, यह मेरी मान्यता है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रीढ़ की हड्डी होगी या केवल हड्डी होगी।

श्री रतनलाल ताम्बी : अब यह तो आप कुछ भी कहते रहें। सुमित्रा जी पहले जब आप यहां बैठती थीं, मैं जो बातें कहता हूं उससे अधिक कहते थे। इसलिये आपका नजरिया बदलता रहता है।

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि सारी बात होने के बाद आज इस पंचायती राज में बड़ा सवाल जो उठता है वह अभी, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य श्री दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे मैं भी उसी बात का समर्थन करता हुआ कहना चाहूंगा कि जब तक हमारी ग्राम सभा नियन्त्रित अच्छी मजबूत नहीं बनेगी, तब तक हमारा आगे का ढांचा ठीक नहीं बन सकता। इसलिये ग्राम सभा को हमको मजबूत करना होगा। गांव में ग्राम सभा को इतना शक्तिशाली बनाना होगा कि पंचायत राज में चाहे पंच सरपंच गलती करें, कोई करें, उस पर अंकुश लगा सकें। हमारे अभी पंचायत राज कानून में व्यवस्था है। माननीय मन्त्री महोदय, आप भी प्रधान रहे हुए हैं वर्ष में दो बार ग्राम सभायें बुलाना अनिवार्य है। और उन ग्राम सभाओं में सारी पंचायत की रूपरेखा उसके हिसाब किताब, आडिट रिपोर्ट आगे की क्या योजना है सब रखे जाने का नियम है और यह किताब का किताब में ही है इसका क्रियान्वित नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं इस दिशा में आप कारगर ढंग से ग्राम सभा को ऐसा संविधानिक अधिकार और राजस्थान के कानून में विशेष तौर से सशोधन करके इसे मजबूत बनायें ताकि ग्राम सभा के नियन्त्रण से पंचायत राज संस्थायें अच्छे ढग से गांवों में चल सकें और जो मन्तव्य राजीव गांधी जी ने व्यक्त किया है उस मन्तव्य को पूरा करने में ग्राम सभायें सक्षम बन सकें सबसे पहले तो मेरा आपसे अनुरोध है। मैं यह भी चाहूंगा, विशेष चर्चा का विषय इसमें नहीं है, थोड़ा सा कहकर बात समाप्त करूंगा कि जवाहर योजना की बात जब आती है ...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह इसमें नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : उसकी व्यवस्था सम्बन्धी मैं कह रहा हूं। जवाहर योजना की बात जब आती है तो उसमें ग्राम सभा में उसके निर्णय किये जायेंगे, पंचायत जो ग्राम सभा है जिस ग्राम में, तो इस प्रकार के काम काज लिये जायेंगे। आज आप यह देख लें कि जहां भी कहीं निर्णय किया गया है न तो विधान सभायें आयोजित हुई और जैसे प्रस्ताव पंचायतों ने दे दिये वैसे

(श्री रतनलाल ताम्बी)

ही प्रस्ताव लागू हो गये । इसलिये मैं चाहता हूं ग्राम सभा जब तक मजबूत नहीं होगी तो यह योजनायें जिनको हम नीचे से चालू करना चाहते हैं जनता की सत्ता जनता को सौंपने की बात जो हमने कही है उसको ग्राम सभा के माध्यम से मैं समझता हूं मजबूत बनाना चाहिये और जब ग्राम सभायें मजबूत हो जायेंगी तो निश्चित रूप से आगे पंचायत मजबूत होगी । ग्राम सभा पंचायत का एक बुनियादी ढांचा है और उसको मजबूत किये बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते । आज जिला परिषद की बात हम करें, पंचायत समिति की बात करें और जब तक ग्राम सभा और पंचायत मजबूत नहीं होंगी वह सारी की सारी बातें आगे जाकर अधूरी रह जायेंगी । कुछ समय पूर्व राज्य सरकार ने कहा कि हम प्रत्येक पंचायत को एक सैक्रेट्री देंगे और उस घोषणा को लागू करने का प्रयत्न भी किया पंचायतें वैसी चलें, यह सही है कि पंचायत की बैठकें नियमित हो नहीं पाती हैं काम नहीं हो पाता है । पिछले दिनों राज्य सरकार ने, इस बात का तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि पंच और सरपंच जो वहां पर बैठकों में नहीं आते हैं उनको भत्ता देने की बात कही है ताकि वह अपना घर का काम छोड़कर वहां पर आयें और पंचायत के काम काज में रुचीलें तो एक कारगर तरीके से यह सोचा गया और इसका आधार मैं समझता हूं कि नियमत बैठकों की प्रक्रिया जारी होगी । इसके साथ-साथ दूसरा राज्य सरकार की घोषणा जो मुख्य मन्त्री के बजट भाषण में भी है और हर बार यह घोषणा सामने आई कि प्रत्येक पंचायत को हम सैक्रेट्री देंगे, प्रत्येक पंचायत का एक नियमित कार्यालय खुलेगा और आज के दिन मैं कहना चाहता हूं कुछ दिनों पहले आपने व्यवस्था की थी कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाये थे और आज कुछ दिनों बाद आपने विथड्रा कर लिये और आज के दिन वही एक सैक्रेट्री के पास तीन-तीन पंचायतें हैं वह सरपंच सचिव को ढूंढता रहता है उल्टा वह सचिव कहां गया, इधर आयेगा, किधर जायेगा पता नहीं लगता । इसलिये पंचायतें वैसी चलती हैं । मैं समझता हू इस दिशा में फिर से सोचा जाना चाहिये और हमारी प्रत्येक पंचायत में एक सैक्रेट्री की निश्चित रूप से व्यवस्था की जानी चाहिये इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा आपने नगरपालिकाओं में प्रति व्यक्ति जन संख्या के आधार पर अनुदान बढ़ाया है । ग्राम हमारे मुख्य आधार हैं जहां गरीबी है, जहां पिछड़ापन है जहां विकास की काफी संभावनायें मौजूद हैं तो उसके बावजूद हम ग्रांट दे रहे हैं शायद एक पंचायत को पौने तीन रुपये प्रति व्यक्ति । वह भी अभी नकद में नहीं मिल रही है वर्षों से बकाया है और कहीं-कहीं एडजस्टमेंट की जाती रही है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं प्रति व्यक्ति शहर और गांव में भेद नहीं करें हम समता और समाजवाद की बात करते हैं, बराबर करने की बात करते हैं । इसलिये मेरा आग्रह है कि प्रति व्यक्ति जन संख्या का जो आधार नगरपालिका क्षेत्रों में है वही प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में हो ताकि पंचायतें आत्म निर्भरता से ठीक प्रकार से चलें । इसके साथ-साथ

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मेरा यह भी अनुरोध है अभी पंचायतों को वर्तमान में जो संसाधन दिये हुए हैं जो अधिकार दिये हुए हैं वह अत्यंत अपर्याप्त हैं उनको वित्तीय अधिकारों की बहुत बड़ी आवश्यकता है और वह आय के स्त्रोत बढ़ा सकें इसके लिये मैं समझता हूं बहुत गम्भीरता से चिन्तन करने की आवश्यकता है। अभी कुछ समय पूर्व राज्य सरकार ने तालाबों को पंचायतों को हस्तांतरित करने का एक आदेश जारी किया। अब दुर्भाग्य यह है जिसके पास पहले शक्ति होती है, अधिकार होता है वह उसको अन्य ढंग से उसका अर्थ निकाल करके, अब पंचायतों को सम्पूर्ण 50 एकड़ के तालाब यदि देने की बात है तो उसमें तालाब का पेटा आता है, उसमें उसकी उपज आती है उसकी सिंचाई आती है, वृक्ष आते हैं तो इसमें भी कहीं रेवेन्यू विभाग वाले कहते हैं आपका पानी पानी है, पेटा दूसरा है, पाल इधर-उधर हो जाती है। इस चक्कर में आज जो वृक्ष पंचायतों के हैं वह इधर-उधर लोग काट कर ले जा रहे हैं और उन तालाबों की देख रेख नहीं होती। इसलिये मेरा सुझाव है कि 50 एकड़ तक के सम्पूर्ण तालाब पंचायतों को जिसमें तालाब पेटा उसके वृक्ष, पानी जो भी उसकी आय है वह निश्चित रूप से पंचायतों को हस्तांतरित हो जानी चाहिये तब पंचायतें मजबूत बनेंगी।

एक बात बहुत जोरदार जो सामने आती है वह यह है भूमि विक्रय के मामले में। यह सही है कि मन्त्रीजी कह रहे थे कि कानून में प्रावधान है वह कानून नियमों में है इसमें पूरी बातें तो दी नहीं। नियमों में ऐसा कोई ठोस तरीका नहीं है कोई व्यक्ति अगर कब्जा कर ले 50 हजार की जमीन है और अगर कोई व्यक्ति कब्जा कर ले तो पंचायत का कहीं अधिकार नहीं है इसको हटा दे। वह एक प्रस्ताव पास करके एस. डी. ओ. को भेजे और एस. डी. ओ. उसको उचित समझे या न समझे या कई महीने लग जायें, तब तक बिल्डिंग्स बन जाती हैं इस लिये वर्तमान कानून, आज जमीन बहुत मंहगी है आज कई बड़े-बड़े कस्बे बन गये नगर बन गये विकास के उनके आधार बन गये वहां पर भूमि विक्रय के मामले में वर्तमान कानून व्यवस्था बहुत ही गलत है। केवल धारा 85 पंचायत एक्ट में लिखा है पंचायत अपने काम काज में कभी व्यवधान समझे या उचित समझे तो वह पुलिस को बुला सकती है और पचायत को यह अधिकार नहीं दे रखा जैसे नगर पालिका को दे रखा है अतिक्रमण हटाने का, आज हालात यह है कि पंचायतों के रास्तों पर मकान बना लिये हैं, कब्जा कर लिया है। उनको पंचायतें हटा नहीं पाती हैं। इसलिये पंचायती राज मन्त्री जी इस पर आप अध्ययन करें। क्योंकि पंचायत एक्ट में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं है। पंचायतों की लाखों रुपयों की सम्पत्ति को गलत ढंग से हड़पा जा रहा है। इसको रोकने की घोषणा करें। इसके लिये आपको ठीक से नियम निर्धारित करने की व्यवस्था करनी चाहिये। मेरे से मिलने वाले हैं, पांच मिलने वाले हैं, मैं पांच हजार रुपये के प्लाट को 11/- रुपये में पट्टा कर देता हूं 10 हजार रुपये के प्लाट का 11/– रुपये

(श्री रतनलाल ताम्बी)

में पट्टा कर देता हूं और आगे पंचायत समिति में एडजस्टमेंट करा कर उसको कन्फर्म करा लूंगा। इसलिये सब जगह की रेट्स फिक्स होनी चाहिये वर्ष में एक बार और उसके आधार पर मिनिमम रेट तय होनी चाहिये। आज पंचायत की आर्थिक स्थिति दयनीय है। लाखों रुपयों की आय पंचायतों को भूमि विक्रय से हो सकती है। आज नगरपालिकाओं में निर्माण कार्यों के जो नियम है दरवाजा, खिडकी, नक्शा, उन सब प्रक्रियाओं को आप पंचायतों में लागू करें तो पंचायतों की आय बढ़ सकती है और गांवों का नियोजन भी सुन्दर ढंग से हो सकता है। मैं समझता हूं पंचायती मन्त्रीजी नगरपालिकाओं के नियम पंचायतों में भी लागू करने की दिशा में सोचने की आवश्यकता है।

इसके साथ साथ मैं आप से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी हमने कई योजनाएं लागू की हैं। सामुदायिक बीमा योजना बीमा योजना, इन्दिरा आवास योजना। यह सब विशिष्ट योजना के अंग हैं। इस पर मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा लेकिन इनका इम्पलीमेन्टेशन आज की तारीख में ठीक ढंग से नहीं हो रहा है जिससे गरीबों को जो राहत मिल सकती वह नहीं मिल पा रही है। आशा है इस दिशा में भी सोचा जायेगा। मैं एक बात खास तौर से कहना चाहता हूं। भूमि विक्रय के बारे में अपीलों के यह सही अधिकार के बारे में बात है कि आज पंचायतों में गुटबंदी है। अपने गुटों के हिसाब से अपीलें होती हैं और उसका निर्णय कई वर्षों तक नहीं हो पाता है। यह न्यायिक व्यवस्था के तौर पर हो। हमारे न्याय पंचायत के दीवानी और फौजदारी के मामलों के फैसलों की अपील मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां होती है। इसकी एक कमेटी हो जिसमें सब तरह के लोग हो, उसमें तहसीलदार हो, विधायक हो, शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के इस तरह की कमेटी बनायी जाये पंचायत समिति स्तर पर जो न्यायिक आधार पर इन अपीलों को देखें ताकि जो बहुत बड़ी गल्तियां अपीलों में भूमि विक्रय में हो रही हैं वे समाप्त हो सकेगी।

पंचायतों का आडिट कई वर्षों तक नहीं होता है। आडिट हो जाता है एतराज की पूर्ति नहीं हो पाती है। विभाग देखता नहीं है। कई लाखों रुपयों की राशि का उपयोग नहीं हो पाता है। मेरा यह सुझाव है कि जिस प्रकार नगर पालिकाओं में निर्माण के नियम लागू हैं वे ही नियम पंचायतों में लागू होने चाहिए। इस निर्माण कमेटी में सरपंच, पंच दो–तीन सरकारी अधिकारी हों। मेरा यह भी सुझाव है कि इसमें ग्राम सभा के चुने हुए दो प्रतिनिधि हों ताकि 7 व्यक्तियों के संरक्षण में, उनकी देखरेख में निर्माण कार्य हों तो यह भ्रष्टाचार अनियमितता का सवाल समाप्त हो जायेगा। इसलिए प्रत्येक गांव में निर्माण और विकास कार्यों के लिए एक कमेटी बनायी जानी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था आप करेंगे तो पंचायतों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी।

जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था, पंचायतों को, ग्राम सभाओं को संवैधानिक

(श्री रतनलाल ताम्बी)

रूप से और व्यापक अधिकार देकर मजबूत बनावे, उनके आर्थिक संसाधन बढ़ावें। इस आधार पर पंचायती राज को बढ़ाने की बात सोचेंगे तब जाकर हमारा काम आगे बढ़ेगा।

पंचायत समिति को आप राशि देते हैं उसको वह विभिन्न मदों में ट्रान्सफर कर देती है। कई मामले ऐसे आते हैं कि वह राशि नियमों के विपरीत खर्च हो जाती है। खासतौर से यह भेड़. बकरी, गाय भैंस है इनके लिए पंचायत समिति के माध्यम से लोन अनुदान दिया जाता है। एक-एक पंचायत समिति द्वारा पचास-पचास हजार एक एक लाख भेड़, बकरी गाय, भैंस के लिये अनुदान दिया जाता है। पशुओं की गणना की जाये तो एक लाख या पचास हजार पशु किसी यूनिट में नहीं मिलते हैं। यह अनुदान की राशि लोग मिल कर हड़प जाते हैं और उसका कर्जा गरीब के मत्थे मढ़ दिया जाता है। उसको वह देना पड़ेगा। ब्याज भी देना पड़ेगा। इसी प्रकार मैं निर्माण कार्यों के बारे में भी कहना चाहूंगा। कई तरह के भौतिक सत्यापन के तौर तरीके आपने लागू कर रखे हैं। टेन्डर गांव में नहीं हो आते हैं। क्वालिटी का काम नहीं होता है। एस्टीमेट अधूरे रह जाते हैं। इन सब बातों की देख रेख की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये परन्तु सुपरविजन ठीक तरह से नहीं होता है। इसलिए हम इसको सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं। इस दिशा में भी कारगार ढंग से आपको प्रयत्न करना होगा। हमारी पंचायत समिति के जो वर्तमान आय के साधन हैं, उनके बारे में राजस्थान में नये प्रकार से सोचा जायेगा ताकि ये संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ से आगे बढ़ सकें और लोगों को सुविधा व राहत दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगजीत सिंह।

श्री जगजीत सिंह (किशनगढ़): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायत और सामुदायिक विकास पर चर्चा होने जा रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 1959 में पं० जवाहर लाल नेहरू ने इस पंचायती राज का उद्घाटन कर के शुरूआत की थी। मैं समझता हूं।989में जिस तरह से हमारे प्रधान मन्त्री ने इसकी शुरूआत की है, उससे मैं समझता हूं कि पंचायती राज को श्रद्धांजलि तिलांजलि मिलने वाली है। आज प्रशासन गांवों की ओर है। मैं हर गांव में गया हूं। गावों की हालत बिगड़ी हुई है। आप कहते हैं हम पंचायतों को मजबूत कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूं पंचायतें केवल मात्र कहने में मजबूत हो रही हैं बाकी पंचायतों की दुर्दशा हो रही है।

मान्यवर, आज पंचायतों के अन्दर सरपंच पंच को भत्ता दिये जाने की बात कही गयी है और 250/–रुपया सरपंच को भत्ता दिया जायेगा। मगर मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह कहा है कि पंचायत का सरपंच पंचायत की निजी आय से ही भत्ता लेगा। आज कई पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। वह अपने सरपंच

(श्री जगजीत सिंह)

को भत्ता कैसे देगी। इस तरह भत्ता बढ़ाने की बात कह कर के यह नाटक आपने क्यों किया ? मान्यवर, आपने गरीब लोगों के लिये कुए खोदने के लिये एक जीवन धारा योजना चलायी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने डार्क जोन घोषित किया हुआ है। उसके अन्दर आपने जीवन धारा योजना के तहत कुए खोदने की इजाजत दे दी मगर डार्क जोन होने की वजह से बैंक से ऋण नहीं मिलता है। मैं निवेदन करूंगा कि गरीब लोगों के साथ यह मजाक क्यों किया जा रहा है जब डार्क जोन होते हुए कुए खुदवा दिये तो पम्पिंग सेट के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये।

आपने पंचायतों को निजी आय बढ़ाने के लिये कई चीजों पर चुंगी बढ़ाने का प्रावधान किया है, शराब पर, पैट्रोल पम्प पर मगर आज तक कई पंचायतों को किसी तरह से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प नहीं मिल रही है। इसकी वजह से पंचायत चुंगी वसूल नहीं कर पा रही है और पंचायत की आय दिनों दिन खराब होती जा रही है।

मान्यवर, प्रधान मन्त्री श्री गांधी ने एक जवाहर रोजगार योजना चलायी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा गश्त गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 36 गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें एक गांव में भी एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. डी. पी. के काम नहीं खोले गये हैं, बंद कर दिये गये हैं और नयी जवाहर योजना के माध्यम से किसी एक पंचायत को 30 हजार रुपये और किसी दूसरी पंचायत को चालीस-चालीस हजार रुपये दिये जा रहे हैं।....

एक माननीय सदस्य : यह विशिष्ट योजनाएं हैं ...

श्री जगजीत सिंह : मैं तो विकास के काम की बात कह रहा हूं। आप किस तरह से गांव में विकास के काम चलाएंगे। गांवों का विकास करने का आपका माध्यम क्या है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।....

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया बैठें। आपको जानकारी की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगजीत सिंह : आप 29 ग्राम पंचायतों के अन्दर किसी भी प्रकार के काम नहीं हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं आखिर किस तरह से आप विकास कर रहे हैं गांवों के अन्दर। श्रीमान् जी, कभी आप मेरे साथ मेरे गांव में चलिये मैं आपके गांव में चलता हूं, शायद आपको पहचानेंगे भी नहीं गांव वाले। आप मेरे गांव में चलियें, आपको मालूम पड़ जायगा।

श्री यदुनाथ सिंह : डर कर भाग जायेंगे, कौन आ गया।

श्री जगजीत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा एक नया आदमी बोलने की हिम्मत करके कोशिश कर रहा है ...

श्री उपाध्यक्ष : हम आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं।

श्री जगजीत सिंह : और इस तरह से सीनियर आदमी अगर मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं क्या बोल पाऊंगा।

पंचायतों के विकास की हम बात कर रहे हैं, आज तक कई पंचायतों को अनुदान राशि उपलब्ध नहीं कराई गई। पंचायत राज को सुदृढ़ करने के लिये जो भेड़ और बकरी के लिये आप ऋण उपलब्ध करा रहे हैं, मान्यवंर, प्रत्येक ग्रामीण आदमी को भ्रष्ट कर दिया। आज फर्जी लोनिंग हो रहा है। लोग बकरियां किसी की ले आते हैं, कुकियां लगा कर फर्जी लोन उठाते हैं। मैं यह चाहता हूं, ऐसे ऋण को बंद किया जाय ताकि कम से कम ग्रामीण जनता तो भ्रष्ट नहीं हो।

मैं साथ ही आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरपंचों के ऊपर जो 17 (4) की तलवार आपने लटका रखी है इसको तुरन्त समाप्त किया जाय ताकि वह स्वतन्त्र रूप से अपना काम कर सकें।

इतना ही कह कर आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हेमाराम चौधरी। (अनुपस्थित)

माननीय श्री मोटाराम। (अनुपस्थित)

माननीय श्री जगदीश प्रसाद जी तिवाड़ी। (अनुपस्थित)

माननीय श्री नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हम जो पंचायती राज, सामुदायिक विकास के ऊपर बहस कर रहे हैं उस सम्बन्ध में जो एक नया संविधान संशोधन 64 वां हुआ है, उसको लेकर बड़ी चर्चा हुई। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी जो सामुदायिक विकास के लिये अनुदान की मांग हमारे मन्त्री जी ने, सरकार ने प्रस्तुत की है, वर्तमान में क्या स्थिति है उस पर उन्होंने मांग की है आज जैसा चल रहा है। हमारे मन्त्री जी भी पंचायती राज में रहे हैं, जैसा अभी लोग कह रहे थे, सन् 1959 में जब जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया नागौर में, उस वक्त मैं भी प्रधान था एक पंचायत समिति कुम्हेर का। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने अनेक बार घोषणा की है हम पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनको अधिकार देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पंचायत राज संस्थाओं को जो रूप और जो अधिकार उनको सन् 1959 में थे उससे ह्रास होता हुआ चला गया है। 1959 में जो पंचायत समितियां थीं, जिले के प्रत्येक अधिकारी, कलेक्टर से लेकर नीचे तक के अधिकारी को सवालों का जवाब देने के लिये हर महीने पंचायत समिति की बैठक में आना अनिवार्य था। आज पंचायत समिति की हालत यह है कि कितनी ही महत्वपूर्ण समस्या पर वह विचार करे, उन जिला अधिकारियों को बुलाने का नोटिस भेजे, कोई जिला अधिकारी उन मीटिंगों की परवाह नहीं करता है, गैर हाजिर रहना आज सामान्य नियम

(श्री नत्थी सिंह)

हैं, पंचायत समिति में जाकर उनकी समस्या के समाधान के लिये सहयोग देना अपवाद है। इसलिये पंचायत राज संस्थाओं की जो दुर्गति हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण सरकारी रुख है। कहने को तो हम कहते हैं कि पचायत राज संस्थाओं को मजबूत बनायेंगे लेकिन कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है।

एक उदाहरण के रूप में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, दो अक्टूबर के आस-पास दीवान साहिब गये भरतपुर। यह विशिष्ट योजनाओं के मन्त्री थे। नये चुनाव हुए थे। हमने पूछा कि पचायत राज संस्थाओं के नये चुनाव हुए हैं, क्या हमारे पास साधन हैं? पुराने काम जो अधूरे रहे गये थे उनको चुकाने के लिये। एक पंचायत में एक काम शुरू करने के लिये भरतपुर अकेले जिले में एक करोड़ 30 लाख रुपये की जरूरत थी और उस वक्त दिया गया 6 लाख रुपया। जलते तवे पर बूंद। यह साधन दिये गये। उसके बाद हमारे वर्तमान पंचायत राज मन्त्री महोदय भरतपुर गये। जिला परिषद की बैठक बुलाई और सरपचों का सम्मेलन रखा। हम लोगों को नहीं बुलाया गया था, बाद में इन्होंने कहा जरूर हमने जन प्रतिनिधियों को बुलाया था। लेकिन उस सरपंच सम्मेलन में बड़ी खींचातानी हुई, दुर्गति अगर नहीं कहूं तो मैं हमारे मन्त्री जी की एक बात पर कि दो साल से भरतपुर जिले की पंचायतों को जो आप जनसंख्या के आधार पर, जनगणना के आधार पर अनुदान की राशि देते हैं 24 लाख रुपया जिला परिषद् में जमा है वह रुपया पंचायत को दिया नहीं जा रहा है यह कह कर कि हमने यह अकाल राहत के लिये दिया था, अकाल राहत में क्यों नहीं दिया, इस पैसे को वापस करो। वहां झगड़ा चल रहा है। वह पैसा वापस मांग रहे हैं, वह वापस नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं यह गलती किसकी थी? यह अकाल राहत में पैसा अगर उस वक्त नहीं दिया तो पंचायतों की गलती तो नहीं थी, यह गलती अगर थी तो जिला प्रशासन की थी। आज भी अकाल के नाम पर जो काम शुरू किये गये, अधूरे पड़े हैं, उनके लिये पैसा नहीं है और 24 लाख रुपया आप वापस मांग रहे हैं। तो यह जो स्थिति पैदा की है वह उपेक्षा की स्थिति पंचायतों के प्रति है, इससे काम नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप पंचायतों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो क्या आमूल चूल परिवर्तन करने का आपका मानस है? अभी तक जो कुछ हो रहा है, अधूरे मन से हो रहा है। पूरे मन के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। जैसा गांधी जी ने कहा, डाक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा, इस देश में लोकतन्त्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो चौखंभा राज की प्रणाली होनी चाहिये। हमारे ग्राम की पंचायत मजबूत बने जिला मजबूत बने, राज्य मजबूत बने और केन्द्र मजबूत बने। चारों के अधिकार डिफाइन हों और उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में आर्थिक अधिकार हो अपना विकास करने का, योजना बनाने के अधिकार हों, उन्हें क्रियान्वित करने के अधिकार हों लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। आज तो पंचायतें पूरे रूप से परमुखापेक्षी हो रही हैं, सरकार

(श्री नत्थी सिंह)

की तरफ देखती हैं। चाहे वह एन. आर. ई. पी., आर. एल.ई. जी. पी. का नाम हो, चाहे उसका नाम जवाहर रोजगार योजना रख दिया हो । बड़ा ढोल पीटा जा रहा है जवाहर रोजगार योजना का। मैं पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से, पूरे हिन्दुस्तान में एन.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी.पी. के जरिये हमारी जो वार्षिक योजना 2800 करोड़ रुपये की थी जवाहर रोजगार योजना 2100 करोड़ की हो गई है, 700 करोड़ की कमी और हो गई है। केवल चुनाव के साल में कि हम सीधा देंगे उनको मैं इस बात पर बाद में आऊंगा, अभी वर्तमान व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि पंचायत की हालत कैसे सुधरे।

जैसा अभी मुझसे पहले वक्ता ने कहा कि जो पूर्णकालिक सचिव देने की बात थी वह आज नहीं है। पंचायतों में आपने दे रखे हैं कृषि पर्यवेक्षक। उन पर पाबंदी है, वह दो दिन का समय देते हैं केवल पंचायतों के लिये। दो दिन से ज्यादा समय नहीं देंगे। आप चाहते हो वह काम भी पूरा हो, सरपंच के साथ सचिव के दस्तखत हों तभी रकम निकलेगी, खाता संयुक्त है और वह केवल दो दिन जायगा। दो दिन में भी कृषि विभाग में उसको कोई काम लग गया हो तो वह नहीं जायगा। इस तरह से पंचायतों के पास जो स्टाफ था वह भी आपने कमजोर कर दिया।

दूसरी बात, आप जो काम की बात कहते हो, आपने जो प्रायोरिटीज तय की हैं, उसमें पंचायत घर बनाने पर पाबन्दी लगी हुई है। बैठने के लिये पंचायत में पंचायत घर नहीं है वह पंचायत घर नहीं बना सकती, स्कूल को पैसा दे सकती है, उसको दे सकती है। यह आखिर आपकी पाबन्दियां क्यों? तो मैं कहना चाहता हूं आज पंचायत समिति और जिला परिषद् को मजबूत बनाना चाहते हो तो आप पहले राजस्थान के कानून में आमूल-चूल परिवर्तन करिये।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह नियम था अगर प्रधान, बी.डी.ओ., विकास अधिकारी जायगा तो उसकी कन्सेंट ली जाती थी। उसको बदल कर आपने कन्सल्टेशन वर्ड कर दिया है। अब तो इन्फार्मेशन मात्र रह गई है। रोज बदल देते हैं और रोज कर देते हैं। कोई पूछता भी नहीं है। तो इन पंचायत राज संस्थाओं को तो रोजाना आप कमजोर करते चले जा रहे हैं। अगर इस तरह से कमजोर करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा।

आपके पडोस में उत्तर प्रदेश प्रान्त है उन्होने फैसला लिया कि मालगुजारी लगान जितना है वह सब पंचायतें ही वसूल करेंगी और पंचायतें ही खर्च करेंगी। अगर कहते हो हम अग्रणी हैं तो क्यों नहीं हिम्मत की, आप हिम्मत करते, सबसे पहले इसका फैसला करते, नहीं तो आज करिये फैसला कि यह माल-गुजारी जो हैं, गांवों से जो लगान आता है वह पंचायत राज संस्थाओं का होगा और पंचायतों को अधिकार होगा उसे खर्च करने का। आज जो स्थिति है, जवाहर रोजगार योजना और दूसरी योजना के अन्तर्गत आज क्या देखते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके जरिये, पंचायत

(श्री नत्थी सिंह)

राज मंत्री को खूब पता है, पंचायत राज संस्थाओं को पूरे झूठ पर आधारित किया जाता है। अभी तक तो मैं यह कहता था, उपाध्यक्ष महोदय, कि एम.एल.ए. और एम.पी. जो चुन कर आते हैं, हम शपथ तो संविधान के प्रति लेते हैं लेकिन उनकी शुरुआत झूठ से होती है जो अकाउण्ट्स पेश किये जाते हैं चुनाव में कितना खर्चा किया, उन पर जो सीमा है उसको सब तोड़ते हैं लेकिन अकाउण्ट झूठे देते हैं। पचायत राज संस्थाओं का भी ऐसा हाल कर दिया। इन्होंने काइटेरिया बनाया हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं में पक्के काम और मजदूरी के नाम पर जो काम होगा उसमें 70:30 का रेश्यो होगा। सब जानते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में मानते हैं, डी. आई. डी. की गवर्निंग कौंसिल में इसे मानते हैं कि नहीं, जो श्रम का अनुपात है वह ज्यादा होता है और जो मेटीरियल का अनुपात है वह कम होता है। लेकिन उनको कहा जाता है, तुम मस्टररोल फर्जी बना लो। 70:30 का ही दिखाओ और फिर खरीद लो उससे मेटीरियल। कहां झूठ पर ले जा रहे हो इस देश को। फिर पंचायत राज संस्थाओं को कहां अधिकार है ? आज कुआं खुदेगा 18 हजार में, आप कहते हो 11 हजार से ज्यादा देंगे नहीं। इसलिये आज की जो स्थिति है उसमें पचायत राज सस्थाएं पूरी तरह से काम करने में सक्षम इसलिये नहीं हैं कि हमारी राज्य सरकार का मन इस बात के लिये साफ नहीं है। क्या पंचायत राज सस्थाओं को वास्तविक अधिकार दें ? आज जो बड़ी चर्चा हो रही है, जो संशोधन की चर्चा हो रही है, ठीक है, यह क्यों आया ? हमारे इसी राजस्थान की हमें पता है 13-13 साल में चुनाव हुए 7-7 साल में चुनाव हुए, हां, वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने यह नाम जरूर कमाया राजनैतिक हलकों में कि वह जब आते हैं तब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करा देते हैं।

(म. प. 3.00)

लेकिन वह लंगड़ी लूली पंचायत राज सस्थाएं हमारे ग्रामों के विकास के काम की कतई नहीं हैं। ग्रामों के विकास के काम तो तभी होंगे जब उनको योजना बनाने के अधिकार और उस योजना को क्रियान्वित करने के आर्थिक साधन दिये जायें और आप कम से कम नियंत्रण बेई-मानी पर तो रखें लेकिन उनकी क्रिया-न्विति में कोई नियत्रण न हो, पूर्णतः स्वतंत्र और सक्षम हो, तब होगा। आज जो पचा-यती राज संशोधन है वह, ठीक है इस दृष्टिकोण से कि उनका एक सवैधानिक दायित्व हो। पांच साल में चुनाव करा दिये जाय लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर लोकतन्त्र में हमारे सविधान में संघीय ढांचा है, संघीय स्वरूप को क्या हम वर्तमान रूप में रखना चाहते हैं। कलक्टरों के जरिये आप पंचायतों पर कंट्रोल करो यह आपकी नीयत साफ नहीं है। यह गलत है। पंचा-यतें अगर किसी के लिए जिम्मेदार होंगी तो ग्राम सभा के लिए जिम्मेदार होंगी। जिला परिषदें अगर जिम्मेदार होंगी तो जो उनका निर्वाचक मण्डल है उसके लिए होंगी लेकिन आज आप केवल कलैक्टर के जरिये उनको "कान पकड़ी छैली" हमारे गांव में कहते हैं, वह बनाना चाहते हैं। यह गलत है। उनको सही रूप में हम स्वायत्त शासी सस्थाएं बनाना चाहते हैं। अभी जो

(श्री नत्थी सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में हमने, आपने अखबारों में पढ़ा कि पंचायतों को चावल भी हम सीधे देंगे, यह सब राजनैतिक खेल हैं। इस साल ही क्यों हो रहा है ? आप चार साल तक सोये रहे इस साल होश आ रहा है आपको सिर्फ इसलिए कि कौनसा नारा ऐसा है जो हमारे चुनावों में हम को वोट दिला सके। और कोई चार्म नहीं है। आप देखें, वैसे तो अब की बार आप आएंगे नहीं इसलिए सविधान संशोधन क्रियान्वित हो जाय लेकिन आ गये कहीं इस देश के दुर्भाग्य से तो चार साल तक फिर सो जाएंगे। पंचायती राज संस्थाएं मुर्दा की मुर्दा रह जाएंगी। इनको कुछ नहीं मिलेगा। चुनावों के सामने हथकण्डे के रूप में इनको अपनाएं इससे ज्यादा डिस्टरबेंस कंडीशन देश की नहीं होगी।

मैं आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में एक दो और निवेदन करना चाहता हू कि जो आज पंचायती राज प्रणाली है उसमें आप सही तौर पर यह तय करिये अगर आप इनको चालू करना चाहते हैं, कि जो योजना थी हमारी उसमें इनकी कितनी भागीदारी है ? आज नहीं है। आज तो पैसा ऊपर से भेजा जा रहा है और यह सही बात है। किस बात पर पैसा दे रहे हैं ? भैंसें, बकरी, भेड़ खरीद लो। और आप सब जानते हैं एक-एक भेड़ बकरी के सौ-सौ बार कान छिदते हैं। वही भैंस एक आदमी की पहले सौ रुपया रेट थी, अब 300 रेट हो गई है, बुलाकर दिखा देते हैं पंचायत समिति में और अनुदान का पैसा रसूख में बंट जाता है। वह बेचारा कर्जा लेकर घर चला जाता है। क्या पयाचती राज संस्थाओं के जरिये हम किसान को, गरीब मजदूर को और कारीगर को केवल कर्जदार बना देना चाहते हैं ? या उनकी हालत सुधारना चाहते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सफल करना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ हमें इस देश में चौखम्भा-राज प्रणाली को अपनाना होगा जहां ग्राम के स्तर पर पचायतों को पूर्ण अधिकार हों। जिला स्तर पर जिला परिषद् को पूर्ण अधिकार हो यह नहीं कि हमने दे दिये मिडिल स्कूल। शिक्षा का पूरा बजट तो नहीं दिया मिडिल स्कूलों का ? केवल ट्रांसफर करने के अधिकार देने से कुछ नहीं होता है। वास्तविक अधिकार तो दिये नहीं। इस तरह राज्य द्वारा उनके अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जाय। आपकी सारी जो प्रणाली है वह राजकीय अधिकारों में हस्तक्षेप करने की है। यदि राज्य भी मजबूत रहे और केन्द्र भी रहे यह नीयत साफ हो तभी पंचायती राज संस्थाएं चलेंगी। वह नीयत आज आपकी नहीं है। उस नीयत को सुधारें तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इस बात में बल आएगा।

एक बात समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा–भरतपुर के साथ आपका जो सौतेला व्यवहार है आप वैसे हमारे यहां प्रभारी मन्त्री हैं बीस सूत्री कार्यक्रम के, आपकी कौनसी मजबूरी है कि 24 लाख रुपये की रोज चिट्ठी जाती है कि वापिस करो। जिला परिषद् में रोज प्रस्ताव होता है कि वापिस नहीं करेंगे लेकिन आप उसका फैसला नहीं करा पा रहे हैं। आज आप हमको आश्वासन दीजिए कि 24 लाख रुपये जो उनकी जनसंख्या के

(श्री नत्थी सिंह)

अनुपात में पंचायतों का है वह उनको वितरित कर दिया जाएगा । मुझे आशा है इससे भी एक सेवा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रघुवर दयाल जी ।

श्री रघुवरदयाल गोयल (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग सं.41 सामुदायिक विकास पर आज जो चर्चा हो रही है उसके सम्बन्ध में पंचायती राज पर विशेष प्रकाश डाला जा रहा है । पंचायती राज से मेरा विशेष सम्बन्ध रहा है इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके समक्ष खुलकर पेश करना चाहूंगा । पंचायतों को यदि आप सुदृढ़ करना चाहते हैं और जिस उद्देश्य से पचायतों का गठन किया गया है । जिस उद्देश्य से महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिए पंचायती राज का गठन किया गया आज उस पंचायती राज की जो हमारी इच्छा थी, निश्चित रूप से हम उसके विपरीत जा रहे हैं ।

पंचायती राज का गठन देहात के लोगों के छोटे-मोटे मामले बहुत आत्मीयता के साथ, खुशहाली के रूप में उनकी सहायता के लिए निपटाए जाय, इस रूप में पंचायतों का गठन किया गया था कि सब बातें पंचायतों के माध्यम से हों और पंचायतें भी देहात में एक इकाई के रूप में कार्य करें और देहात के क्षेत्र की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें । किन्तु खेद है कि आज हम उन पंचायतों को एक राजनैतिक अड्डा बनाने की तैयारी कर रहे हैं और राजनैतिक अड्डा बना दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, उन पंचायतों के सम्बन्ध में जिस रूप में आज उनकी आमदनी की हालत को हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि उनकी आमदनी के कोई स्रोत ऐसे उनके हाथ में नहीं हैं जिससे वह अपने आप स्वावलम्बी होकर के अपने कामों को कर सकें । राज्य सरकार बड़े जोर-शोर के साथ कहती है कि हम पचायतों को मजबूत करना चाहते हैं । तो क्या मैं पंचायत राजमन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि उनको मजबूत करन के लिए क्या केवल यही करना चाहते हैं कि उनको अंशदान दे दिया जाय जो काफी वर्षों से अंशदान बन्द है । क्या आप इन पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं ? आप पंचायतों को पूर्ण-कालिक सचिव देना चाहते हैं लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने निवेदन करूं–पूर्णकालिक सचिव आज सब पचायतों को प्राप्त नहीं हैं । बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं कि जहा दो तीन दिन में जो कृषि विस्तार के कार्यकर्ता हैं वह काम करते हैं और उसमें सैकेण्ड सैटरडे की छुट्टी हो जाती है तो वहां पर काम करने के लिए चले जाते हैं। पंचायतों पर उपलब्ध नहीं हो पाते । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पचायतों को मिलने वाला अशदान जिसको बढ़ाये जाने की हमारी मांग थी और पंचायतों को मजबूत करने के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक था उसको निश्चित रूप से बढ़ावें और जो बढ़ाया गया है वह देवें और पूर्ण कालिक सचिव हर पंचायत में लगावें ।

पंचायत के फण्डस को आपरेट करने के लिए पहले सरपंच के हस्ताक्षर काफी थे, आज सचिव के दस्तखत आपने उसके साथ

(श्री रघुवर दयाल गोयल)

अनिवार्य कर दिये। क्या इस रूप में आप पंचायतों को मजबूत करना चाहते हैं ? ऐसा क्या कारण है कि आप सरपंच और पंचायत पर अविश्वास करने लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय मैं पंचायती राज मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पचायतों पर और पचायतों के सरपचों पर अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। उनको कार्य करने दीजिए। उनके सही कामों में मदद करिये तभी निश्चित रूप से सही काम कर पाएंगे अन्यथा राज्य सरकार की इस प्रकार की अड़ंगेबाजी चलती रही तो पंचायतें फेल होती जाएंगी। आज पंचायतों का स्वरूप जनता के सामने यह आ रहा है कि पंचायतें आज भ्रष्ट थाने के रूप में हर क्षेत्र में स्थापित कर दी गई हैं। वह स्वरूप उनका बना रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों को अपनी आमदनी का स्रोत बढ़ाने के लिए दो तीन इस प्रकार के साधन सरकार उपलब्ध कराना चाहती थी जिसमें शराब पर टैक्स लगाने की बात थी और अन्य टैक्स लगाने की भी बात थी लेकिन मैं आपको बताऊं, जिन पंचायतों ने शराब की आमदनी पर टैक्स लगाने की बात की, प्रस्ताव पास किया उनको अधिकारियों ने पूरा करने नहीं दिया। तो जो पंचायत जिस रूप में आज टैक्स लगाना चाहती है उनको मदद, सुविधा आज राज्य सरकार की सहायता के रूप में मिले और वह टैक्स लगा सकें इस तरह के निश्चित रूप से प्रबंध कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सी पंचायतें ऐसी हैं जिनकी भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि उनका विधान सभा क्षेत्र, उनका पुलिस स्टेशन, तहसील किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित है और वह पंचायतें किसी अन्य पंचायत समिति में लगाई गई हैं। जिसमें इंदपुरा, मालपुरा और चेवाई तीन पंचायतें विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की हैं। पुलिस स्टेशन और तहसील रामगढ़ लगता है इसके उपरान्त भी लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति से यह संबधित है। इसके लिए संबंधित पंचायतों ने और दोनों पंचायत समितियों ने इस प्रकार के प्रस्ताव आज से दो साल पूर्व कर दिये थे कि इन पंचायतों को रामगढ़ पचायत समिति में मिला दिया जाय।

(3.10 म. प.)

(माननीय अध्यक्ष पदासीन)

लेकिन खेद है कि पंचायतों के इन प्रस्तावों पर किसी प्रकार का कोई अमल नहीं किया गया है तो मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार की पंचायतों की भौगोलिक स्थिति है और जो सुविधा वहां के लोग जिस रूप में प्राप्त कर सकते हैं उसी के अनुरूप पचायतों के सदस्यों का और पंचायतों के निवासियों की जो मांग है उसको माना जाना आवश्यक है।

पंचायत समितियों के सम्बन्ध में जिक्र करूं। पंचायत समिति के विकास अधिकारी आज इस रूप में काम करते हैं जिस प्रकार एक राजनीतिक व्यक्ति सरकार की तरफ से लगा दिये गये हैं, और सरकार के आदेशों का फैसला कार्य करने के लिये प्राधिकृत किये गये हों। इस सम्बन्ध में मैं

(श्री रघुवर दयाल गोयल)

कानोत पंचायत समिति का जिक्र करूं। वहां पर आज तक भी पंचायत समिति की स्टेण्डिंग कमेटी गठन का पूरा काम नहीं हुआ है। वहां पर पंचायत समिति की स्टेण्डिंग कमेटी का गठन करने के लिये करीब पांच माह पूर्व आवश्यक सरपंचों की दस्तखतों से मीटिंग आयोजित करने के लिए लिखित में आवेदन किया गया था लेकिन दोनों बार आवेदन करने के उपरान्त भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार जो कार्यवाहियां यहां के विकास अधिकारी करते हैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना आवश्यक है। पंचायत समिति और पंचायती राज की हम जो कल्पना करते हैं और इस तरह से पंचायत की, सरपंचों की, पंचायती राज की जो भावनाएं हैं वह तभी पूरी होंगी जब आप और हम उसमें सहयोग करेंगे।

इसी प्रकार मैं जिला परिषद् की आपसे बात करूं। जिला परिषद् अलवर में एक ही दिन में वहां पर लगे हुए सैकड़ों अध्यापकों को जो दो वर्ष से लगे हुए थे उनको एक मिनट में अलग कर दिया गया है। उनकी सेवाएं दो-दो वर्ष से पंचायत समितियों में चयनित अध्यापकों के रूप में थीं, उनका चयन, पंचायत समिति ने किया था, वे काम कर रहे थे। उन करीब सौ अध्यापकों को एक मिनट में ही अलग कर दिया गया और उसका कारण यह बताया गया कि चयन समिति के माध्यम से, जिला परिषद् चयन समिति के माध्यम से चयन नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में हमने पंचायती राज मंत्रीजी से भी निवेदन किया कि आज भी उन अध्यापकों की जिन्दगी बरबाद हो रही है, आज वे लोग बिल्कुल इस तरह से जी रहे हैं, उनके पास आय का कोई साधन नहीं रहा है। पंचायत राज मंत्री महोदय ने कहा था कि मैं शीघ्र ही इसकी व्यवस्था करूंगा लेकिन खेद है आज तक भी उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई और आज भी वे इसी प्रकार से बेरोजगार डोल रहे हैं। इस प्रकार से हम पंचायती राज को चलाने के लिए अगर हम अपने तरीके से, सही मांगों को, सही बातों को नहीं मानेंगे तब तक कैसे पंचायती राज चल पायेगा, यह समझ के बाहर की बात है। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से आगे कार्यवाही करेंगे। पंचायती राज मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा अभी भाभड़ा साहब बोल रहे थे कि 85 प्रतिशत सत्ता के दलाल खा जाते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने बताया है, केवल 15 प्रतिशत पैसा लगता है विकास कार्यों पर और उसके जबाव में ही बता रहे थे कि राजस्थान का उसमें नाम नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, राजस्थान का इसमें नाम नहीं है। उसमें किसी का नाम नहीं है इसलिए राजस्थान का नाम भी है और अगर राजस्थान का नाम नहीं है तो मैं आपसे अपील करता हू कि इस सम्बन्ध में आप लिखा पढ़ी करिये कि क्या इस 85 प्रतिशत में जो सत्ता के दलाल खाते हैं, उस लिस्ट में राजस्थान का नाम है कि नहीं है। जब आपको मालूम होगा······ (व्यवधान)

(श्री रघुवर दयाल गोयल)

बांसवाड़ा में हो रहा है। बांसवाड़ा राजस्थान में है इसके उपरान्त, ... तभी तो बता रहा हूं कि राजस्थान का उस लिस्ट में नाम नहीं है। मैं मांग करूंगा कि आप पूछो प्रधान मंत्रीजी से कि इसमें राजस्थान का नाम है या नही है।

एक माननीय सदस्य : है।

श्री रघुवर दयाल गोयल : मैं यही तो कह रहा हू कि बांसवाड़ा राजस्थान का जो एक जिला है, उसमे उन्होंने घोषणा की है।

इसलिए इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि पचायतों को पंचायतों के रूप में अगर चलाना चाहते हैं तो उनकी उचित मांगों को नौकरशाही से दूर रखकर बिल्कुल खुली हालत में चलने दीजिये उनको ग्राम सभाओं के माध्यम से मर्यादित कीजिये तभी पंचायती राज सफल हो सकेगा अन्यथा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जो कुछ आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : **श्री नारायण राम बेड़ा।**

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत की मांग पर सामुदायिक विकास विभाग की मांग पर कुछ बातें, कुछ सुझाव मैं अपनी ओर से देना चाहता हूं। आजादी से पहले एक ग्रामीण व्यवस्था होती थी। कहीं भी किसी भी तरह का कोई अन्याय होता तो गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर के, बैठ करके उसकी न्याय व्यवस्था किया करते थे। यह एक आजादी के पहले का इतिहास था ठीक उसी इतिहास को देखकर के हमारे आधुनिक नेताओं ने इस पंचायती राज की स्थापना की थी और इस स्थापना के मुख्य रूप से दो लक्ष्य थे। एक तो था, सस्ता न्याय देने का और दूसरा था, जो हमने आधुनिक संविधान से या यह मानना कि गांव के विकासकी प्रथम इकाई पचायतें मानी जाय। अध्यक्ष महोदय, जो सब से पहला मुद्दा था—सस्ता न्याय दिलवाने का वह तो इन ग्राम पचायतों के होने के बाद न्याय व्यवस्था जो ग्रामीण ढांचे की थी वह तो बिल्कुल ही समाप्त हो गयी और उस वक्त जब गावों में इकट्ठे होकर के लोग फैसला करते थे तो इतना सही और सत्य पर आधारित होता था और कोई किसी तरह का पक्षपात या दूसरी तरह का नजरिया नजर नहीं आता था मगर आज जब आपका पंचायत एक्ट बना तो उस एक्ट में 50 या 250 रुपये तक कुछ मुकदमे सुनने की, न्याय व्यवस्था सुनने के अधिकार थे मगर आज 250 रुपये में तो एक भेड़ नहीं आती, एक बकरी भी नहीं आती। आज कहीं भी किसी की बकरी इधर-उधर हो जाय तो पचायत उस न्याय के मामले को, उस मुकदमे को सुन नहीं सकती। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आपने न्यायिक अधिकार पंचायतों को दिये थे वे तो बिल्कुल ब्लाक हो गये।

दूसरा पहलू आपका यह था कि विकास गांव का कैसे हो। विकास के लिए एन. आर. ई. पी., आर. एल. ई. जी. पी. जो कुछ आपने, सबसे पहले माननीय भैरोंसिहजी ने यह रखा था कि फूड फार वर्क और अन्त्योदय योजना। फूड फार वर्क के अन्दर सबसे पहले गांवों में यह आया था, उस वक्त मैं भी सरपंच था। तो हमने भी सबसे पहले पक्के मकान कैसे बनाये जाये उसकी व्यवस्था

(श्री नारायण राम बेड़ा)

करी। कहीं धर्मशालाएं, कहीं स्कूल, कहीं कुछ बनाते रहे जो हमने बनाये और खुशी होती है कि यह हमने बनाये। उसके बाद एन आर ई पी., आर. एल. ई. जी. पी. और सारी योजनाएं आयीं। आज आपने सब को बंद करके जवाहर योजना बना दी। अब जवाहर योजना बनने के बाद से पहला, जो पंचायत एक्ट में, पंचायत एक्ट के मुताबिक तो यह है कि जो भी कैश बुक में पैसा इधर उधर होगा उसकी सारी जिम्मेवारी सरपंच की होगी और अगर कुछ भी पैसे का गबन का मामला पाया गया तो वह जन प्रतिनिधि जेल जायेगा। दूसरी तरफ अब इस जवाहर योजना में आपने लिख दिया कि ग्राम सेवकों के हस्ताक्षर होंगे तभी पैसा उठायेंगे। सिर्फ निगरानी तो वह ग्राम सेवक रखेगा और जो कुछ भी ग्राम सेवक गड़बड़ी करी तो जेल जाने के लिए....

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट योजना का पूरा विषय अलग से है कि जितनी चर्चा हो तो ग्राम विकास पचायती राज पर होनी चाहिए. (व्यवधान)

मैं सब की जानकारी के लिए अर्ज कर रहा हूं कि आपने अलग से निर्धारित कर रखा है। तो उस समय उस पर क्या चर्चा हो पायेगी। इसलिए टू दी सब्जेक्ट हो तो वह अच्छा रहेगा।

श्री नारायण राम बेड़ा : यह भी अपने विकास का एक पहलू है और विकास के पहलू में जो गलतियां रही हैं उन गलतियों को देखना होगा। तलवार तो लटक रही है सरपंचों पर....

श्री अध्यक्ष : माननीय बेड़ा साहब विशिष्ट योजनाओं से अलग है सामुदायिक विकास का। विशिष्ट योजना अलग से है...

श्री नारायण राम बेड़ा : विशिष्ट योजना अलग से है मगर....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिन माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है उनका भाषण ही जवाहर रोजगार योजना पर था।

श्री नारायण राम बेड़ा : मैं यह कहना चाह रहा हू कि उसको लागू सारी पंचायतें कर रही है और कई पचायतों में इस तरह का है कि सरपंच प्रस्ताव और कुछ ला रहा है और वार्ड मैन वहां पर और कुछ प्रस्ताव भेज रहे हैं। अब कौन सी ऐसी मशीनरी है या कौनसा सही होगा, कौनसा गलत होगा यह निर्णय कौन करेगा (व्यवधान)

आज तक ग्राम सभा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मोटे तौर पर ग्राम सभा होनी चाहिए जिससे गबन कम होंगे, आपकी जांच कम होगी, ये सारे बर्डन कम होंगे क्योंकि गांव में आदमी सरपंच जो भी होता है वह गांव के अन्दर बैठकर सारा फैसला ग्राम सभा के सामने करता है तो निश्चित तौर पर वहां सच्चाई ही आयेगी, असत्य बात नहीं आ सकती, गलत बात नहीं आ सकती। तो मैं यह चाहूंगा कि सब से पहले विकास करना है तो इन ग्राम सेवक को बीच में से हटाइये नहीं तो उसको जिम्मेवार बनायें कि यह जिम्मेवारी होगी, उसके खिलाफ गबन का मामला हो तो इस तरह से होगा। उसको जिम्मेवार बनायें खाली सरपंच पर मत रखिये।

(श्री नारायण राम बेड़ा)

दूसरा निवेदन मैं यह करूंगा कि पंचायतों को आपने प्राइमरी स्कूल दी, अब आपने दे दी मिडिल स्कूल। अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यह आयेगी कि जो भी टीचर्स हैं, जो लगे हुए हैं, वह पंचायत समिति के होंगे या जिला परिषद् के होंगे या राज्य सरकार के होंगे। उनको आप देंगे कि तीन महीने में आप आप्शन दो कि आप पंचायत समिति में रहना चाहते हैं या विभाग में जाना चाहते हैं, क्या हो तो जनरली टीचर्स की यह राय है कि हम इस पंचायत समिति के अधीन नहीं रह कर के अपने विभाग में जायेंगे। जब विभाग में जायेंगे तो आपके कमी हो जाएगी। आपके टीचर्स इतने हैं नहीं और स्कूलें मिड्लि स्कूल और प्राइमरी स्कूल के शिक्षा का स्तर सबसे घटिया अगर कहीं हुआ है तो यह हुआ है आजादी के बाद और मैं तो यह मानता हूं कि यह हमारे खिलाफ एक साजिश है। जो गांवों में पंचायती राज है या तो आप सरपंचों को यह जिम्मेदारी दीजिए या इनके ऊपर मानिटरिंग की दूसरी व्यवस्था कीजिए नहीं तो गाँव का विद्यार्थी कभी मेट्रिक नहीं हो सकता, मिडिल तक ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब आपके टीचर्स की जो कमी आएगी, वह शिक्षा विभाग में भयंकर आएगी। अब सुना है आप कुछ जरिया निकाल रहे हैं किसी कोर्ट के फैसले की मार्फत, कि उनको आप राज्य सरकार के कर्मचारी मानेंगे। जब राज्य सरकार के कर्मचारी मानेंगे तो जो आपकी मंशा है कि शिक्षा को पंचायतों के अधीन दिया जाये, वह हटा नहीं सकता। फिर उसका सारा जो कुछ भी होगा, राज्य से सम्बद्ध होगा। यह दोनों बातें आपस में विरोधाभासी हैं। माननीय मंत्री महोदय इन विरोधाभासों को आप कैसे निपटायेंगे इसका भी स्पष्ट खुलासा करना पड़ेगा। दूसरी ओर जो सबसे ज्यादा तकलीफ सरपंच के सामने रहती है, वह है काइन हाउस की। हमारे गांवों में व्यवस्था होती है, जब बरसात हो जाये तो पशु आवारा घूमते हैं, वह काइन हाउस में जमा रहते हैं। अब उस काइन हाउस में चारे के लिये पैसा तो आप बहुत कम देते हैं और वहां से अगर चारा खरीदें या किसी आदमी को बाहर चराने के लिये भेजें तो भी उसके कम से कम 15 रुपये दिन के लगेंगे चार गायें लेकर जायें चारा चराने के लिए तब भी 15 रुपये दिन के वह आप कैसे दोगे और दोनों टाइम का, जिस तरह से तो इसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, पंचायतों के जो ज्यूडीशियल पावर्स हैं, उन पर भी आपको देखना पड़ेगा और अगर पंचायतों की मंशा भी यही है कि हम उनको सशक्त करें तो यह जो पुलिस की इम्दाद लेने की है, इसमें कुछ आपको पाबंदी करनी पड़ेगी। एस. डी ओ. को हटाना पड़ेगा या दूसरे को जो भी फैसला पंचायत करे। या तो निश्चित रूप से वह लागू हो और न हो, तो हमारे सामने बैठें और कह दें, यह देखो सरपंच साहब हमने तो कब्जा कर ही लिया। दूसरा इसके अन्दर यह है कि गोचर, आंगोर, श्मशान और आमरा ये सारी जमीनें पंचायतों की हैं और जब पंचायतों की जमीनें हैं और पंचायतें उनमें हैं तो आपका इनके ऊपर जहां भी कब्जा हुआ है, 91 के केस भी चला था रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में तो उस केस द्वारा जो भी जुर्माना वसूल हो, कम से कम वह तो पंचायतों के हैड में जाए

(श्री नारायण राम बेड़ा)

वह आज तक कभी नहीं दिया गया और जब कि आपके नियम में यह है। कभी आपने यह पैसा पंचायतों को नहीं दिया। तो वह पैसा भी पंचायतों को आपको देना चाहिये। यह मैं जो मेरी सूक्ष्म दृष्टि से, समझ पाया वह आपको बताई और दूसरा जो अनुदान का पैसा है, एक तरफ तो आप शहरों में दे रहे हो 8–10 रुपये और हमें 2.75 रुपये देते हो। पौन तो वैसे ही गांव वालों को कर दिया और वह पौन भी पूरा नहीं दे रहे हो यह कितनी बेबुनियादी बात है। यह पैसा भी आप तुरंत भिजवायें और विकास के लिये जो मैंने मुद्दे उठाये हैं उन मुद्दों पर आप अपने हिसाब से और सही स्थिति देख कर के जबाव में बतायेंगे इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं, मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्दवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत :(नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि प्रधानमत्री जी पंचायती राज व्यवस्था में इस प्रकार का संवैधानिक संशोधन लाये हैं, प्रतिदिन टी. वी. पर उसके बारे में चर्चा करते हैं, उस सम्बन्ध में सार्वजनिक सभाओं में बोलते हैं, लेकिन आज जब उस विषय पर चर्चा हो रही है, मंत्री-मण्डल के सदस्य आराम कर रहे हैं। अच्छा होता, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और बाकी मंत्री इस विषय पर सदन को सुनते और सुनने के बाद सारी बातों का यहां पर जवाब देते....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं आपको बहुत ही जिम्मेदार मानता हूं लेकिन वह राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं, उनको आपसे अधिक जिम्मेदार मानता हूं। आज जो संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया है और जिसकी सब जगह चर्चा हो रही है, ऐसा लगता है कि जैसे पंचायती राज में एक भूचाल आया हो। जैसे ग्रामीण व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन आया हो या सत्ता के विकेन्द्रीकरण के प्रश्न पर एक नयी सूझ प्रधानमत्री जी ने जनता के समक्ष रखी हो। लेकिन कोई भी इस संविधान संशोधन विधेयक का अच्छी तरह से अध्ययन करेगा तो परिणाम यह निकलेगा कि उसमें चार बातों की व्यवस्था की गयी है। पहली व्यवस्था यह है कि पंचायत का कार्यकाल तीन वर्ष से बढ़ाकर के पांच वर्ष का हो जाएगा। चुनाव आयेगा चुनाव की व्यवस्था करेगा और यदि किसी कारण समय पर चुनाव नहीं हो, तो छः महीने के लिये पंचायतों की अवधि बढ़ा दी जायेगी। दूसरा जो उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन बताया जा रहा है, उसमें महिलाओं और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की सीट्स का जो रिजर्वेशन का रूप है, उसमें रिजर्वेशन की संख्या बढ़ादी जायेगी। तीसरा, अध्यक्ष महोदय, पचायती राज की वित्तीय व्यवस्था करने के लिये एक फाइनेन्स कमीशन नियुक्त करने की बात कही गयी और पंचायत के हिसाब, उनके लेखा-जोखा की जांच जो आज तक चीफ अकाउण्ट्स आफीसर करता था, उसके स्थान पर कम्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल आफ इंडिया को अधिकार दिया इन चार बातों के अतिरिक्त इस संवैधानिक संशोधन में कोई बात नहीं है। लेकिन प्रचार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इतना है कि जैसे पंचायतों में कोई आमूलचूल परिवर्तन कर दिया हो । अभी डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य पंचायत राज्य मंत्री जी के सामने प्रश्न कर रहे थे कि जब से पंचायती राज संस्थायें लागू हुई, संस्थाओं का कानून लागू हुआ पंचायतें बनी, पंचायत समितियां बनीं, जिला परिषदों का गठन हुआ, उस सारे कार्यकाल में कितने सरपचों को निलंबित किया गया, कितनी पंचायतों को डिजोल्व किया गया, जितनी पंचायत समितियों को डिजोल्व किया गया उन सब चीजों की संख्या हम देखें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इनके डिजोल्यूशन और ससपेन्शन में सत्ता का भारी दुरुपयोग हुआ है । माननीय मत्री महोदय मानें या नहीं मानें लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रकार के सत्ता के दुरुपयोग में राजनैतिक कारण थे. इनको आज झुठलाया नहीं जा सकता । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश की आजादी के पहले, आजादी के बाद महात्मा गांधी ने पचायतों के बारे में किस प्रकार की व्यवस्था बतायी थी मैं उनकी एक अंग्रेजी किताब से ही एक सेन्टेन्स कोट करना चाहूंगा ।

"My idea of Village Swaraj is that a complete republic, independent of its neighbours for its vital role."

अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह बात 1943में कही, इसी बात को 1947 में दुहराया और इसी बात को संविधान निर्माताओं के समय जब प्रसग आया, तो महात्मा गांधी की बातों को बार–बार कोट किया । आपको याद होगा कि इसी सम्बन्ध में जब कान्स्टीट्युएंट असेम्बली में जब चर्चा हुई और उस चर्चा के आधार पर यह जो वर्तमान सविधान में धारा 40 है । इस चालीस के ऊपर पूरी चर्चा हुई, डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण हुए । उसी प्रकार से टी प्रकाशन के भाषण हुए । सेठ गोविन्द दास इस पर बोले, सुरेन्द्र मोहन घोष का बहुत ही विस्तार से भाषण हुआ । श्री पिल्लई और वी. सुब्रह्मण्यम मद्रास के प्रतिनिधि थे और बोलने के बाद में उस समय यह आशा की गई थी कि पंचायत की व्यवस्था को निर्देशक सिद्धान्तों में लिया जाय और यह निर्देशक सिद्धान्त जो भी हैं, यह मौलिक अधिकारों से कम नहीं हैं । व्यवस्था में अन्तर हो सकता है कि कुछ फण्डामेन्टल राइट्स हों और कुछ डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स हों लेकिन डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स के महत्व को उन्होंने कम नहीं माना और यह समझते हुए कि हम चाहें इनको फन्डामेन्टल राइट्स में नहीं लें लेकिन निर्देशक सिद्धान्तों में लेकर इस प्रकार की व्यवस्था में विश्वास करके हम चलते हैं कि निश्चित रूप से पंचायत राज के सम्बन्ध में सरकार सतर्क रहेगी, सजग रहेगी और सत्ता का विकेंद्रीकरण पंचायतों के द्वारा हो जाय ।

अध्यक्ष महोदय, अब यदि उस समय से आप लेकर चलें तो मुझे याद है 1959 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री नेहरूजी नागौर आये थे । उससे पहले बलवन्त राय कमेटी की रिपोर्ट आ गई । बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर थ्री टायर सिस्टम हिन्दुस्तान में इन्ट्रोड्यूज किया गया । मैं समझता हूं–सर्वत्र, सब राज्यों में थ्रीटायर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सिस्टम इन्ट्रोड्यूज किया गया था और उस समय थ्री टायर सिस्टम इन्ट्रोड्यूज करते हुए श्री बलवन्त राय मेहता ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि जब तक पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से सशक्त नहीं बनाया जायेगा, ये पचायतें अपना इफेक्टिवली रोल प्ले नहीं कर सकेंगी । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज तक हिन्दुस्तान में बहुत कमेटीज अपोइन्ट हुई हैं लेकिन बलवन्त राय मेहता कमेटी, सादिक अली - जो राजस्थान के थे, उनकी कमेटी बनी, गिरधारी लाल व्यास कमेटी बनी, तरुणमल जैन कमेटी बनी, अशोक मेहता की कमेटी बनी, डॉक्टर एल. एन. सिंघवी की कमेटी बनी, जी. वी. के. राव की कमेटी बनी और धवन कमेटी बनी । इन सारी कमेटियों की रिपोर्ट्स आज हिन्दुस्तान में हर सरकार के पास पड़ी हैं । इन सारी रिपोर्ट्स का सार एक ही है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय पंचायतों को सशक्त बनाया जाय. पंचायतों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया जाय और पंचायतों की इन्डिपेन्डेन्स में किसी प्रकार का एनक्रोचमेंट नहीं किया जाय । अध्यक्ष महोदय, इन सबके बावजूद हुआ क्या ? प्रधानमंत्रीजी ने जो कांस्टीट्यूशनल बिल पेश किया उसका प्रियेम्बल मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा । प्रधानमंत्रीजी कहते हैं...

"A review of the Panchayat Raj institutions has shown that in many States they have become weak and ineffective owing to a variety of reasons, including the failure to hold regular and periodical elections, prolonged supersessions, inadequate representation to the weaker sections like scheduled castes, scheduled tribes and the women, lack of financial resources and inadequate devolution of power and responsibilities on them."

यह प्रधान मंत्रीजी ने स्टेटमेंट ऑफ ऑबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स, जो कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया उसके स्टेटमेंट ऑफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह लिखा है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह पूछना चाहता हूं । इन आठ रिपोर्ट्स का मैंने आपको रेफेरेन्स दिया । राजस्थान की सरकार के सामने आठ रिपोर्ट्स थीं, भारत सरकार के सामने आठ रिपोर्ट्स थी । आठ रिपोर्ट्स के बाद में प्रधान मत्रीजी को स्टेटमेंट ऑफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि पंचायत राज की सुदृढ़ व्यवस्था नहीं हो पाई है, पंचायत राज के पास आर्थिक साधन नहीं हैं पचायत राज का सुपरसेशन वर्षों तक चलता है पंचायत राज के अधिकारों का पता नहीं है, पंचायत राज में शिड्यूल कास्ट शिड्यूल ट्राइब और महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं, क्या मैं यह मानकर चलूं कि राजस्थान कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, सिवाय प्रधानमंत्री के कोई संशोधन नहीं कर सकता है । प्रधान मंत्रीजी के अलावा कोई सुझाव नहीं दे सकता । मुख्यमंत्रीजी यदि व्यवस्था करना चाहते तो उनको रोकता कौन है ? पंचायत एक्ट में यह संशोधन कर सकते थे, रिज-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वेंशन भी बढ़ाया जा सकता था, पंचायत व्यवस्था में यह बनाया जा सकता था कि तीन वर्ष से पांच वर्ष और पांच वर्ष के बाद में चुनाव निश्चित रूप से टाइम पर होंगे। यह भी व्यवस्था की जा सकती थी कि सुपरसेशन नहीं होगा लेकिन प्रधानमंत्रीजी ने संविधान में संशोधन लाकर यह तो सिद्ध कर दिया कि हिन्दुस्तान में अब तक की कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकारें पगु हैं, वो अपनी बुद्धि से काम नहीं कर सकतीं, इनको दिल्ली से बुद्धि भेजनी पड़ेगी। न तो यह सोच सकते हैं और न कर सकते हैं। यह एक प्रमाण-पत्र प्रधानमंत्री-जी ने आपको दिया.... (व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली : आप भी शामिल थे इसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये। अभी आप चुप हो जाओगे। बात तो सुनें। मैं डाइवोर्स मुख्य मत्री था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, मुख्य मत्रीजी को याद है- पहला चुनाव हुआ 1960 में, मुख्य मंत्रीजी को याद है दूसरा चुनाव हुआ 1965 में और मुख्यमंत्रीजी को याद है तीसरे चुनाव 1978 में हुए....

श्री शिवचरण माथुर : सरपचों तक....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बिल्कुल हुए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताता हूं आपको। आप सुनिये। 1965 से लेकर 1978 तक मैं मुख्य मंत्री नहीं था। कांग्रेस पार्टी के लोग मुख्यमंत्री थे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तेरह साल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तेरह साल तक आपने पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये। मैंने 78 में चुनाव करवाये। अब आप कहते हैं कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के नहीं कराये गये। इसका कारण है-1978 में अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई। उस अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विचार चल रहा था कि पंचायतों का स्वरूप क्या हो? उन्होंने मण्डल पंचायतों की व्याख्या की थी, ग्राम पंचायतों का विशाल स्वरूप बनाने की उन्होंने चेष्टा की और उस चेष्टा के ऊपर विचार करने के लिए फिर ऑल इण्डिया लेवल के ऊपर एक कमेटी बनी। वो कमेटी विचार कर रही थी और विचार करने के बाद हम गये, हमको उसको पहले कम समय मिला वरना पंचायतों के चुनाव हो गये तो पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं थी।

श्री सी. पी. जोशी : उस समय अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट नहीं थी क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आ गई थी। मैं कह रहा हू कि 1978 में ही आ गई थी।

(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : जब पचायतों के चुनाव आप करवा रहे थे तो सरपंचों के ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिए। मैंने आपको कह दिया न कि 78 में पचायतों के चुनाव कराने के बाद....

श्री अध्यक्ष : माननीय ताम्बीजी ।

श्री रतन लाल ताम्बी : उस जमाने में आपके पंचायत मंत्री थे दिग्विजय सिंहजी, उन्होंने यह कहा कि हाई कोर्ट से स्टे था, कोर्ट में स्टे पेण्डिंग था। जो वह कह रहे हैं और आपके कहने में अन्तर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जो कह रहा हूं वह मान लीजिए आप। अध्यक्ष महोदय, 1978 में चुनाव होने के बाद में अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई। जब हमने पंचायत समितियों और जिला परिषदों पर विचार किया तो हमको यह निर्देश मिले कि इसमें मण्डल बनाने का जो प्रोविजन है इसके ऊपर गम्भीरता से चिन्तन होना चाहिए कि पंचायतों का स्वरूप यही रहे या मण्डल के स्वरूप में परिणत किया जाय। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था, लेकिन पंचायतों के चुनाव तो हुए। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने पूछ लिया कि जनता शासन ने क्या किया ?.... (व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर : मैं यह कह रहा था, आपने जैसा कहा कि इतने दिन तक कांग्रेस सरकार रही, वह खुद इसमें संशोधन ला सकती थी, यह सही बात है कि नहीं लाये, हमने चुनाव को भी डिले किया और....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यहां पर बताने की बात यही तो है....

श्री शिवचरण माथुर : इसलिए इस बात को राष्ट्रीय स्तर पर सोचने की आवश्यकता पड़ गई। सारे देश का एक स्वरूप बने और जैसा मैं अभी सुन रहा था, आपने कहा डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स में इसको रखने की बात आई थी, डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स में कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल (40) में केवल चार करजरी (Cursory line) लाइन में उसका रेफरेंस है- उनको भी स्वायत्तता दी जायेगी, कोई गवर्नमेंट माने या न माने, किसी पर बन्धन नहीं था इसलिए कांस्टीट्यूशनल स्टेटस देने के लिए संविधान में परिवर्तन करने वाली बात सोची गई और यह कांस्टीट्यूशन में 1964 में अमेण्डमेंट बिल लाया गया। जहां तक आपने कहा कि इतने दिनों तक चुनाव क्यों नहीं हुए, हम मानते हैं कि हमारी कमजोरी रही स्वीकार करते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है तो।

श्री शिवचरण माथुर : इसी कारण से राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवश्यकता पड़ गई कि कोई भी प्रदेश की सरकार, चाहे किसी भी तरह की सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको यह अधिकार नहीं है कि वह चुनाव टाल सके। आज विधान सभा के या लोक सभा के चुनाव नहीं टाले जा सकते। पांच साल की समाप्ति के बाद में अपने आप चुनाव कराने पड़ते हैं। इसलिए वह कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेंट बिल की जरूरत पड़ी और जो आप पढ़ रहे थे अभी, जो प्रधान मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में, उसमें सही बात कही गई है कि यह वीकनेसेज रही हैं हमारी, पंचायतों को मजबूत बनाने में हमारी यह कमजोरियां रही हैं। उसी कमजोरी को

(श्री शिवचरण माथुर)

दूर करने के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था करने के लिए यह बिल लाया गया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपके और मेरे, दोनों के विचार एक है। उनमें कोई अन्तर नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : कहां इन्कार करते हैं हम ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो प्रधानमंत्रीजी ने आपको कहा उसको स्वीकार कर लिया।

श्री शिवचरण माथुर : एक बात मैं आपको और बता दूं। यह अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजियेगा, उसमें बिल्कुल साफ इस बात को कहा है कि यह डाइरेक्टिव प्रिंसीपल्स की बात केवल चलेगी नहीं, इससे पंचायतों को बहुत ज्यादा मजबूती नहीं मिलती है. इसमें कांस्टीट्यूशनल स्टेट्स दिया जाना चाहिए और अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट तो अभी मेरे पास नहीं है वरना मैं आपको कोट करके बता देता। उन्होंने साफ कहा है। इसको निश्चित रूप से कांस्टीट्यूशनल स्टेटस दिया जाना चाहिए इन पंचायत राज संस्थाओं को और इसके लिए यदि जरूरत पड़े तो कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेंट किया जाना चाहिए। यह अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यहां मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अशोक मेहता कमेटी ने इस प्रकार की सिफारिश की है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने सिफारिश की 1978 में उसको लागू किया जा रहा है 1989 में, आपत्ति केवल इस पर है। 11 साल बाद, जिस तरह पचायतों के चुनाव 13 साल बाद हुए, उसी प्रकार से अशोक मेहता ने जो सिफारिश 1978 में की उसको 1989 में लागू किया।

श्री शिवचरण माथुर : इस परिवर्तन को हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी मुख्य मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में बहुत तारीफ की थी और कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, मैं इसका स्वागत करता हूं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : स्वागत और विरोध की बात तो बाद में आयेगी।

श्री शिवचरण माथुर : आप जिस ढंग की भाषा बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : भाषा से आप कुछ भी अर्थ लगायें तो मैं क्या कर सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, बेगू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जनता शासन में चुनाव हुए लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 1959 में पंचायतें बनी थीं और 1978 तक पंचायतों को चार आने आदमी के हिसाब से अनुदान दिया गया....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जानते हैं ना आप ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह जनता पार्टी का शासन था कि 1978 में चार आने को बढ़ाकर ढाई रुपया किया और यह 1978 से लेकर 1988 तक ढाई रुपये में परिवर्तन नहीं हुआ बस चार आने और

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

बढ़ा दिये। आप तो चवन्नी को छोड़ते ही नहीं हो।

श्री शिवचरण माथुर : शेखावत साहब आप ग्राण्ट की बात कह सकते हैं लेकिन पंचायतों को इन पिछले सालों में चाहे एन. आर. ई पी. की योजना हो, चाहे भले ही अकाल की योजनायें हों मैं कहता हूँ कि एक-एक पंचायत में 10–10,20–20 लाख रुपये के काम हुए हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा 10–12 लाख के काम हुए मैं पूछना चाहता हूँ मुख्य मंत्रीजी 1978 से पहले क्या पंचायतों के माध्यम से काम हुए ? 1978 में जनता पार्टी का शासन था उसने घोषणा कर दी फूड फार वर्क का काम पंचायतों के माध्यम से होगा, यह भी घोषणा कर दी कि सात हजार रुपये तक के काम जिसमें कलक्टर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, न पंचायत के बी. डी ओ. से अनुमति लेने की आवश्यकता है, न एस. डी. एम से इजाजत लेने की आवश्यकता है। सात हजार तक के काम...

श्री रतनलाल ताम्बी : विपक्ष के नेता महोदय मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि मैं स्वयं सरपंच था पहले भी पंचायतों के मार्फत ही काम हुआ करते थे सारे काम पंचायतें किया करती थीं। हमको याद है कि पंचायतों से काम होते थे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो बैठ जांय आपको कुछ पता तो रहता नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बोलेंगे तो हर कोई बोलता जायेगा।

श्री अध्यक्ष : ताम्बीजी। बोलने दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब यह चिल्लाना बंद करवायें आप।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि फूड फार वर्क का काम यह जब आल इंडिया स्कीम बनी तो एन. आर. ई पी. हो गया। आप अगर सारा लिटरेचर देखें तो आपको पता लग जायेगा कि आइन्दा से फूड फार वर्क इस नाम की जगह एन. आर. ई. पी. होगा। आपने यह भी देखा कि अन्त्योदय का नाम बदलकर आई.आर डी.पी. किया गया। उसके बावजूद इसमें मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन कम से कम यह तो स्वीकार करें कि पंचायतों से काम कराने का सिलसिला 1978 से चालू हुआ, पहली बार चालू हुआ और अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि पंचायतों में हम ने ढाई रुपया किया....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सवा दो। 2.25 थे हमने 50 पैसे बढ़ाकर 2.75 किये हैं और अब और बढ़ाने की बात कर रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : आप वेरीफाई कर लें। 25 पैसे बढ़ाये हैं।

श्री नत्थीसिंह : वह भी अभी नहीं दिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : कोई बात नहीं मन्त्री जी ने चवन्नी की जगह अठन्नी ले ली होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : 2.25 थे और 2.75 किया है।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो उस समय सरपंच थे चार आने ही मिलते थे ना ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं प्रधान था उस समय में। चार आने का सवाल नहीं है हम उस समय दूसरी योजनायें चलाते थे और आपके पास कोई योजना नहीं थी तो आपने इसको शुरू किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना सा पूछ रहा हूं कि आप जिस समय सरपच थे चार आने ही मिलते थे ना। आप हमारे गुण गावो कि हमने आपको चार आने की जगह ढाई रुपये दिये। आप इसको भूल रहे हैं। आप अगर चार आने की जगह ढाई रुपये किये तो मेरा अहसान नहीं मानते तो मुख्य मन्त्रीजी ने आपको मन्त्री बनाया उनका भी अहसान कभी भूल जाओगे, यह तो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था आज इस सारे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कुछ कार्यों में संवैधानिक संरक्षण मिले इसमें आपत्ति नहीं है हम आगे बढ़कर और भी कुछ कहना चाहते हैं। यह तो आप जानते हैं कि जो टैक्सेशन का सिस्टम है। यह जितना जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाय उसके साथ ही जो जुड़ी हुई संस्था होती है उसके लिये टैक्स वसूल करना मुश्किल है। आज ग्राम पंचायत में आप कह रहे हैं अभी हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि शराब के ऊपर चुंगी लगाने की कानून में व्यवस्था है। मुझे मालूम है अध्यक्ष महोदय, एक पचायत ने शराब के ऊपर चुंगी लगा दी। ठेकेदार ने 10-15 आदमियों को मुफ्त में शराब पिलाकर के सरपंच के पीछे कर दिया।

श्री शिवचरण माथुर : आपका मतलब आप इसका विरोध करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब पंचायत टैक्स लगायेगी तो गांव में सबसे ज्यादा विरोध होगा, पंचायत समिति टैक्स लगायेगी तो कम होता है, जिला परिषद लगायेगी तो और कम होगा, राज्य सरकार टैक्स लगायेगी तो और कम होगा, केन्द्रीय सरकार टैक्स लगायेगी तो कम, तो जितना नजदीक से कोई संस्था टैक्स लगायेगी तो उसका विरोध ज्यादा होगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जवाहर रोजगार योजना में पैसा है यह तो चुनाव तक है। यह तो आप भी मन में जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगले साल पचायतें क्या करेंगी ? क्योंकि चुनाव तो हो गये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अगले साल दूना होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले जून में चुनाव होने वाले थे तो पैसा डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर जमा हो गया फिर वह चुनाव जून से आगे सरक गये तो पैसा वहा का वहां ही रह गया।

श्री शिवचरण माथुर : कहां रुक गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक पैसा खर्च हो गया हो तो बता दीजिए।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपको बताऊं आज इसकी डिमाण्ड नहीं है। आज करीब-करीब 2 लाख से ज्यादा मजदूर जवाहर योजना में काम कर रहे हैं। जो पैसा आया है आपको तो उसकी तारीफ करनी चाहिए कि कम से कम आज पंचायतों को अधिकार दिये गये हैं रुपया उनके पास पहुंचा दिया गया है और वह अपनी मर्जी से प्रायोरिटी तय करे और वहां काम कर सके। इसमें कोई गलत है ? आपको कहां एतराज है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने विरोध नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि दो लाख मजदूर काम कर रहे हैं मैं मुख्य मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं राजस्थान में अब के 4417 गांवों में अकाल पड़ा है, अकाल की घोषणा दिसम्बर में ही हो गई। दिसम्बर से लेकर मई तक आपने कोई काम कराया ? एक भी नहीं, आपने जो जवाहर योजना में पैसा दिया है वह इसलिए नहीं दिया आपने इसलिए दिया कि स्टैडी टीम आपके पास आयी थी, स्टेंडी टीम ने पूछा कि आपने कितना खर्चा किया तो आपने कहा कोई खर्चा नहीं किया। उस हिसाब को मीटर करने के लिए आपने यह खर्चा किया है। हाउस में लड़ने लगे लेकिन बात तो सही है ना ? अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि सारे ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा और इसलिए करना होगा कि आज हिन्दुस्तान के बाहर आस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या ब्रिटेन, अमेरिका हो एक काउण्डी सिस्टम के आधार पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। वह काउण्टीज अपने आप में एक गवर्नमेण्ट है, उसी गवर्नमेण्ट की अपनी पुलिस है, उसी गवर्नमेंट की अपनी ज्यूडीशियरी है, उसी गवर्नमेण्ट की रिप्रजेण्टेटिव बॉडी है, वह रिप्रजेण्टेटिव बॉडी बजट बनाती है, बजट पर चर्चा होती है, टैक्स लगाये जाते हैं, टैक्स वसूली होती है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सारी पावर इन काउण्टियों के हाथ में है। फाइनेंस की पावर उनके हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर उनके हाथ में है। आज हमारे हाथ में क्या है ? आज कहेंगे कि जिला परिषद बन गयीं, कलक्टर उसका सेक्रेट्री बन गया लेकिन मुख्यमंत्रीजी आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि कलक्टर के सेक्रेट्री बनने से ही उस जिला परिषद का महत्व या वर्चस्व नहीं बढ़ा है। आज जिला परिषद् का सेक्रेट्री बन गया इस कारण से उसको ज्यादा अधिकार मिल गये....

श्री नत्थी सिंह : कलक्टर सेक्रेट्री नहीं है, अलग दिया है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आज तक तो यही था ना।

श्री दिग्विजयसिंह : ए. डी. एम. (विकास) अलग ही बना है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इसलिए कह रहा था कि आपको यदि हिन्दुस्तान में डि-सेण्ट्रलाइजेशन करना है, ग्राम पंचायत को मजबूत करना है और ग्रामीण स्तर के लोगों के हाथ में स्वायत्तता देनी है तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के रूप में नहीं एक जिले की स्वायत्तता बने, काउंटीज की तरह से उनको कुछ अधिकार मिले। उनकी अपनी वहां पुलिस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हो, उनके पास ज्यूडीशियरी हो उनके पास बजट बनाने का साधन हो, वह टैक्स लगा सकें और स्टेट्स के फण्ड्स में डिवोल्यूशन में निश्चित रूप से कहीं न कहीं पैसा मिलता रहे।

श्री शिवचरण माथुर : यह सोचा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सोचा था लेकिन इस रूप में नहीं सोचा आपने फाइनेन्स कमीशन बनेगा और स्टेट के बीच फाइनेन्स की व्यवस्था किस प्रकार की होगी ? मुख्य मंत्री जी इसमें आपने देखा होगा इसी कान्स्टीट्यूएन्सी एमेण्डमेण्ट बिल में कि यह कोई मैण्डेटरी प्रोविजन नहीं है। यह सरकार के लिए ओबलीगेटरी नहीं है कि फाईनेन्स कमीशन की रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेन्ट स्वीकार करेगी यह मर्जी की बात है। सरकार स्वीकार करे तो मर्जी नहीं स्वीकार करे तो मर्जी। किस सीमा तक स्वीकार करे और किस सीमा तक स्वीकार नहीं करे अल्टीमेटली फैसला तो राज्य सरकार के हाथ में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था से कोई काम नहीं चलेगा आपको इस सारे तन्त्र में जो जान पैदा करने के लिए, इस तन्त्र को शक्तिशाली बनाने के लिए इस सारे ढांचे पर आपको विचार करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इस में अध्ययन की कोई कमी नहीं, हिन्दुस्तान में इस व्यवस्था के सम्बन्ध में जितना अध्ययन हुआ है मैं समझता हूं आज तक किसी भी व्यवस्था के सम्बन्ध में इतना अध्ययन नहीं हुआ होगा। न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी बार-बार कहते हैं लेकिन मैं नहीं कहता, पहले यहां न्याय पंचायतें थी फिर न्याय समिति बनी और इसमें अध्यक्ष महोदय, कोई मेरी पार्टी का आदमी नहीं जिसने कोई कमेटी की रिपोर्ट दी हो। राजस्थान सरकार ने गिरधारी लाल व्यास इस प्रकार की एक समिति का गठन किया और उस समिति ने अपने पैरा में लिखा है कि न्याय पंचायतों को खतम किया जाये। न्याय पंचायतों से ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलता। न्याय पंचायतों में राजनीति आ गई, न्याय पंचायतों में जातिवाद आ गया। यह गिरधारी लाल व्यास हमारी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। यह कांग्रेस पार्टी के हैं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : खतम किया आपने 77 में। गिरधारी लाल जी व्यास के बहाने से आप खतम करने वाली व्यवस्था को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गिरधारी लाल जी व्यास के बहाने से तो हम आपको खतम करना चाहते थे लेकिन वह हुआ नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि आपने सारी न्याय व्यवस्था की है, लेकिन मुख्य मंत्री जी आप को पता होगा कि जस्टिस देसाई, शायद आप उस समय मुख्य मंत्री थे, जस्टिस देसाई जो उस समय ला कमीशन के अध्यक्ष थे उन्होंने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में गांवों में न्याय व्यवस्था किस प्रकार से की जाये इसके लिए सुझाव दिया और उन्होंने मोबाइल कोर्ट्स की व्यवस्था की कि गांवों के जितने भी मामले हैं उनका एक जज होगा और उस जज के साथ दो आदमी जो कलक्टर के पैनल में होंगे, उस गांव के आदमी

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

होंगे, वह तीनों चोपाल में बैठेंगे और चोपाल में बैठकर वह सारी व्यवस्था करेंगे और जितने मामलों का निपटारा होगा वह करेंगे। मुझे पता नहीं कि आप थे या नहीं थे लेकिन जस्टिस देसाई जयपुर आये एक वर्कशाप के आयोजन में। सरकार के और गैर सरकार के सभी प्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया कि यह व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। वहां पर यह भी जानकारी दी गई कि इस व्यवस्था से कितने मामलें कम हो जायेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है वहां कहा गया था कि 60 हजार मामलें इस कारण से तय हो जायेंगे। अब व्यवस्था क्यों नहीं की। आज जिस प्रकार को व्यवस्था आप सोच रहे हैं उस व्यवस्था के प्रति विश्वसनीयता होनी चाहिए। कानून में हम व्यवस्था कर लेंगे लेकिन यदि विश्वसनीयता नहीं मिली तो न्याय नहीं मिलेगा। कोई भी न्याय देने वाली व्यवस्था हम बनायें लेकिन इसके प्रति विश्वसनीयता बहुत ही आवश्यक है। अध्यक्ष महादय, यहां यह कहा जायेगा कि हमने हरिजनों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि चुनाव के बाद मैंने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य में मैंने मांग की थी कि महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्वेशन होना चाहिए। यह को-ओप्शन की पद्धति खतम होनी चाहिए। आज 50% महिला हैं। उन 50% महिलाओं को कितना हम दे सकते हैं यह तो विचारणीय प्रश्न है लेकिन मैंने उस समय भी कहा था।

श्री शिवचरण माथुर : क्या विचारणीय प्रश्न है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपने 50% नहीं दिया इसलिए विचारणीय प्रश्न है। नहीं तो सीधा ही कह देते 50%। आखिर मैंने विचार नहीं किया प्रधान मंत्री जी ने किया है आप तो इसको विचारणीय नहीं मानते। उन्होंने विचार ही कर लिया।

श्री शिवचरण माथुर : आप कहते हैं विचारणीय है ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरा मतलब यही है कि रिजर्वेशन के प्रश्न के ऊपर आज हमने शिड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन किया, शिडयूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन किया, और महिलाओं का रिजर्वेशन बढ़ाया इसमें किसी को आपत्ति नहीं है मुझे भी आपत्ति नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके कारण से पंचायतों में कोई आमूलचूल परिवर्तन हो गये, सिद्धांत बदल गये, पचायतों का दृष्टिकोण बदल गया यह सब हो गया यह नहीं था। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज व्यवस्था के अन्दर लेखे-जोखों की जांच यह करेंगे सी. ए. अब तक चीफ एकाउन्ट्स आफीसर किया करते थे। मेरे अभी तक समझ में नहीं आया कि पंचायती राज कानून में यदि यह संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया तो यहां पर जो अकाउन्टेन्ट जनरल की व्यवस्था है उसके हिसाब से पंचायतों की जांच होनी ही नहीं। अब वह जांच नहीं होने की क्या व्यवस्था करेंगे मैं कह नहीं सकता लेकिन मैं इतना मुख्य मंत्री जी कह सकता हूं कि इसके लिए संविधान में संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं थी। यह तो सी. ए. जी. का जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट में यदि राजस्थान की सरकार मांग भी कर लेती तो भी यह हिसाब की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जांच सी. ए. जी. द्वारा हो सकती थी यह कोई नई बात नहीं है । अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न आता है कि राज्य सरकार पंचायतों को क्या दे ? मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, ग्राम पंचायतों और शहर का भेद आपने नहीं मिटाया है । ग्राम पंचायतों को प्रति व्यक्ति अनुदान पौने तीन रुपये और शहर में 10 रुपये, यह क्यों ? क्या गांव में रहने वाला आदमी 10 रुपये नहीं ले सकता ? क्या गांव में स्कूल और दवाखाने की जरूरत नहीं है ? क्या गांव में सिंचाई और पेयजल की आवश्यकता नहीं है ? क्या गांव में किसी प्रकार के विकास की आवश्यकता नहीं है ? शहरों में 10 रुपये और गांवों में पौने तीन रुपये । अब भी मैं यह कहता हूं फाइनेन्स कमीशन बन भी जायेगा कई वर्षों तक रिपोर्ट नहीं आयेगी और पंचायतों को पैसा नहीं मिलेगा । मुख्यमन्त्री जी हिम्मत करिये । राजस्थान में राजस्व की जो आय है उस आय की आप घोषणा करें कि पंचायतों को ट्रांसफर की जाये । आपके एक साथी यू. पी. के मुख्यमन्त्री ने कर दी, पहले कर देते तो सारा क्रेडिट आपको मिलता । लेकिन मैं समझता हूं दूसरे नम्बर पर भी रहेंगे तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे कि हमारे राजस्थान के मुख्यमन्त्री जी आगे होने की तो हिम्मत नहीं करते लेकिन पीछे होने में चूकते भी नहीं हैं । बहुत अच्छा होगा आज ही आप इस बात को स्वीकार करें लेकिन एक बात और कहता हूं अध्यक्ष महोदय, पचायतों को हम जवाहर रोजगार योजना में रुपये देंगे । अब कोई बुरा नहीं माने तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या सारे सरपच इतने शिक्षित हैं कि वह इसका हिसाब-किताब कर लेंगे । हिसाब-किताब रखने के लिए जो सेक्रेटरी है वह दो पंचायतों के बीच में है । अब एक हो गया है । दो दिन ही रहेगा ।

(व्यवधान)

अब मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कोई काम चल रहा है और मस्टर रोल पर हाजरी का सवाल है । दो पचायतों में लगातार काम हो रहा है । बराबर काम चल रहा है । एक आदमी पहले उस मस्टर रोल की हाजरी कराने आयेगा दूसरा रात को भाग कर यह पूछेगा कि आज किसने हाजरी की । मैं बात कह रहा था अध्यक्ष महोदय, कि राजस्व खाते से 20 करोड़ रुपये मुख्यमन्त्री जी मानेंगे कि 20 करोड़ रुपये की आय है, बजट में 20 करोड़ की आय है लेकिन कई बार अकाल के कारण, कई बार किन्हीं परिस्थितियों के कारण से वह 20 करोड़ रुपये की आय ता नहीं होगी वह आय 8,10 11 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी और पंचायतों के पटवारी पर खर्चा कितना है 17, 18 करोड़ रुपये । 17, 18 का तो मैं समझता हूं पटवारी के वेतन और बाकी के भत्तों पर जा रहा है । अब आज तो बहुत बढ़िया तरीका है कि पंचायतों में लगे हुए पटवारी, पंचायतों में लगे हुए ग्राम सेवक, पंचायतों में लगे हुये अन्य कर्मचारी, सीधा दे दीजिए पंचायतों के लिए ।

श्री शिवचरण माथुर : फिर समर्थन मत करना आप इनका ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिए । अगर उनके साथ अन्याय होगा तो उनका भी समर्थन करूंगा ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इस समय तो आप इसको न्याय बता रहे हो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिस आदमी को जितनी समझ हो उतनी ही बात करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : समझ में तो आप भी कम नहीं हैं. आप जब भी कर्मचारियों का आन्दोलन होता है तो उस झगड़े में अपनी बाटी सेकने लग जाते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था, मुख्यमन्त्री जी ने जो कहा उसको आप शायद समझे नहीं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज: आप नहीं समझे हम सब समझ गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आखिर आपको यह कडा डिसीजन है तो भी लेना पड़ेगा। इसका लोग समर्थन करें या विरोध करें तब भी लेना पड़ेगा। लेकिन यह डिसीजन जब ही लिया जायेगा जब जैसे मैंने कहा कि काउन्टीज की भाँति उन ग्राम पचायतों का है।

(म. प. 4 00)

कई प्रकार का आरोप लगाते हैं कि एफीशियंसी नहीं है. करप्ट है, मेरी समझ में नहीं आता कि करप्शन कहां नहीं है। ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन है। अब एक करप्ट आदमी दूसरे को करप्ट बताये, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन यह करप्शन क्यों है, इसकी किसके प्रति अकाउण्टेबिलिटी है, हम ग्राम पचायत की अकाउण्टेबिलिटी तय नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से मिसयूज आफ फण्ड्स होता रहेगा। अब अकाउण्टेबिलिटी कहां तय हो, महात्मा गांधी ने यहीं कहा था कि ग्राम स्वराज्य की सफलता की कामना इसी पर निर्भर करती है कि पंचायत ग्राम के प्रति अकाउण्टेबल हो। ग्राम सभा का स्वरूप, ग्राम सभा के अन्दर पंचायत जाये, हर तीसरे महीने पंचायत ने क्या काम किये, उसका लेखा-जोखा रहे, पंचायत ने कितना खर्च किया और कितनी आय हुई उसका लेखा-जोखा पचायत वार रखे पचायत ग्राम में कौनसे विकास के काम करना चाहती है उसके लिए उनसे प्रेरणा लें।

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप भी विश्वास करेंगे कि ग्राम सभा के सामने यदि पंचायत ने कोई गड़बड़ की तो ग्राम सभा से वह छिपी नहीं रहेगी, ग्राम सभा की बैठक में उनकी पोल खुलेगी और सारा मामला सामने आ जायेगा। इस कानून में कहीं भी ग्राम सभा को सशक्त बनाने का और ग्राम सभा की व्यवस्था को कानूनी स्वरूप देने की व्यवस्था नहीं है। हमारे कानून में और पंचायत एक्ट में इस प्रकार की व्यवस्था है लेकिन अब बोलेंगे भैरूंलाल जी भारद्वाज, इस एक्ट में लिखा हुआ है। ग्राम सभा, ग्राम सभा की बैठक भी लिखी हुई है। आप अपनी पचायत समिति में भी जाते हैं, अपनी पंचायतों में भी जाते हैं, जमवा रामगढ़ पंचायत समिति के बारे में आप कह सकते हैं कि वहां की पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक नियमित रूप से होती है ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : साल में दो बार सब जगह ग्राम सभा होती है, अब यह दूसरी बात है कि जहां आप लोग देखते हो वहां लोग दिलचस्पी नहीं रखते हैं। दस-बीस आदमियों की ग्राम सभा होती है बाकी की जगह दो सौ–चार सौ आदमी

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

मिलकर ग्राम सभा करते हैं। यह तो स्थानीय दिलचस्पी का मामला है बाकी ग्राम सभा साल में दो बार होती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्राम सभा को सशक्त बनाना और पंचायत को ग्राम के प्रति अकाउण्टेबिलिटी यह भी बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं मुख्य मन्त्री जी जब भी प्रधान मन्त्री जी से मिलेंगे इस सम्बन्ध में उनको सुझाव देने की बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह पंचायत के सुपरसेशन, पंचायत के डिजोल्यूशन, सरपंच और पंच के सस्पेन्शन, उनके बारे में पहले जो कानून प्रस्तावित था संविधान का संशोधन विधेयक, जो पहले प्रस्तावित था उसमें गवर्नर को इस प्रकार के अधिकार दिये गये हैं लेकिन जो लोकसभा में पेश हुये उसमें गवर्नर शब्द हटा दिया। जिस समय, मैंने अखबारों में पढ़ा कि अब पंचायत के सरपंच का सस्पेंशन गवर्नर के हाथ में हो गया तो मुझे बड़ी चिन्ता हुई। अध्यक्ष महोदय, कि कहां राजस्थान के गवर्नर को भैरूंलाल जी भारद्वाज बनाया, मैं इसलिए बड़े अफसोस में था, यह भैरूंलाल जी तो बड़े खुश हो रहे थे।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वह केवल अखबार में ही था वह हुआ नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजस्थान में गवर्नर बनने वालों की कोई कमी नहीं है राजस्थान में तो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता, इस प्रकार की व्यवस्था है बाकी गवर्नर तो मर्जी आये जिसको बनाओ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था मुख्य मन्त्री जी आप चाहे कितना ही पैसा दे दे, कितना ही जवाहर योजना के अन्तर्गत पैसा दे दें, चाहे आप कितने ही अधिकारी लगा दें लेकिन जब तक 27(4) के अन्तर्गत सरपंच के ऊपर राजनैतिक अंकुश होगा वह सरपंच स्वच्छन्दता से काम नहीं कर सकता, यह पंचायती राज व्यवस्था की पीठ में छुरा भोंकने का एक कदम है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप कम से कम एक व्यवस्था तो करें और यह मैं नहीं कहता, अशोक मेहता कमेटी ने यही बात कही, उसके बाद में खमुनन कमेटी, उसने इसी प्रकार की सिफारिश की है। सबसे मोटी बात तो मैं कहना चाहूंगा कि एल. एन. सिंघवी ने अपनी रिपोर्ट में इसी के ऊपर एक चेप्टर लिखा और यह पंचायत राज संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक है कि उनके खिलाफ यदि कोई शिकायत हो, उनको यदि सुपरसीड करना है, सरपंच को निलम्बित करना है तो यह अधिकार किसी ट्रिब्युनल को दिये जायें, वह ट्रिब्युनल ज्युडिशियल ट्रिब्युनल होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि इस प्रकार की व्यवस्था न संविधान के संशोधन में की गयी और न इस प्रकार की व्यवस्था आज तक आप लोगों ने की है।

मैं चाहूंगा कि कुछ बातें जो संविधान संशोधन विधेयक में आ गयी हैं उनके अलावा जो बाकी की बातें हैं, मुख्य मन्त्री जी इसी सत्र में पंचायत राज कानून में एक संशोधन विधेयक लाये, इन चीजों को आप

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पारित करायें और 1959 में जो स्व. प्रधानमन्त्री श्री जवाहर लालजी राजस्थान को पचायत राज संस्थाओं का पीवियट कह कर गये थे आप उस प्रकार के संशोधन लाकर आज श्री राजीव जी के मुंह से यह कहलवायें कि राजस्थान ने अपनी परम्परा छोड़ी नहीं है। 1959 में जो काम चालू किया उसमें पुनर्विचार करके सुधार करने की जहां आवश्यकता थी, राजस्थान ने फिर पीवियट (Pevot) के रूप में काम करके इस कानून में संशोधन किया है। यदि इन बातों की व्यवस्था नहीं हो सकती तो आप चाहे कितना ही प्रचार करें, कुछ भी करें, चुनाव के लिए करें चाहे बिना चुनाव के लिए करें। पंचायतों को यदि सशक्त बनाना है तो पचायत जिन तत्वों, जिन तथ्यों के कारण से कमजोर हो रही है उस कमजोरी को निकालकर कानूनी सरक्षण देकर पंचायतों को हम आगे बढ़ायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देता हुआ अपना भाषण समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान के विपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के देश के नेता उन्होंने पंचायत राज में प्रधानमन्त्री द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकार कर उसकी प्रशंसा की उसके लिए तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फिलोसोफी आपने प्रपोज की उस फिलोसोफी के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न इस बात का नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने 1965 में चुनाव कराये या 1978 में चुनाव कराये जो इसके पीछे फिलोसोफी है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप स्वयं इस बात को जानते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हम राजस्थान के कांटेक्स्ट में बात कर रहे हैं आज राजस्थान की जो चार करोड़ के लगभग जनसंख्या है उसमें 200 विधानसभा क्षेत्र के सदस्य हैं, 25 हमारे लोकसभा क्षेत्र के सदस्य हैं और राजस्थान के सदस्य और मिला लें हम तो 235 आदमी इस राजस्थान की नीति निर्धारण का काम करते हैं और चार लाख के करीब हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। यदि हम इस दृष्टि से इस राजस्थान में पचायत राज के कान्सेप्ट को, प्रधान मन्त्री जी ने जो प्रपोज किया उसके सम्बन्ध में चिन्तन, मनन करें तो जो एप्रीहेन्शन माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब ने किये हैं वह अपने आप दूर हो जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत जो इतना विशाल देश है 80 करोड़ की जनता को गवर्न करने के लिए जो ढांचा हमने बनाया है चाहे पार्लियामेंटरी सिस्टम बनाया हो, जिसमें लोकसभा के सदस्य, विधान सभा के सदस्य और यह ब्यूरोक्रेसी मिलकर जो जनता को गवर्न कर रही है, आज हालात यह बन गये हैं कि सारा सिस्टम इर्रेलेवेंट होता जा रहा है। एक चुनाव के बाद जब दूसरा चुनाव आता है तब हारने के बाद विरोधी पक्ष के लोग संवैधानिक जो व्यवस्था है उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं।

(4.08 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

(श्री सी. पी. जोशी)

और सड़क पर आकर विरोध प्रकट करना चाहते हैं और जो हमारी जितनी डिस्ग्रंटल्ड एलीमेंट हैं उनको इकट्ठा करके व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। उस व्यवस्था को बदलने के लिए पंचायत राज व्यवस्था को सविधान का अंग बनाना नितान्त आवश्यक है इस बात को कोई भी नेता मना नहीं कर सकेगा। उसी दृष्टि से माननीय प्रधान मन्त्री जी ने संविधान में संशोधन करने की मंशा की डिबेट हमारे देश के अन्दर प्रारम्भ करवाई। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जो डिबेट देश की जनता को गवर्न करने के लिए, उसमें नई लीडरशिप इमर्ज करवाने के लिए पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करके एक छोटे लेवल पर यूनिट बनाकर काम करने की व्यवस्था प्रधान मन्त्रीजी के मन में थी उसको चिन्तन और मनन करने से पहले उन्होंने जगह-जगह जाकर वर्कशाप की, वर्कशाप पार्टी के लेवल पर की, वर्कशाप ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर की। नीचे के लेवल पर फीडबेक लेने के बाद उन्होंने एक व्यवस्था हिन्दुस्तान की जनता के सामने रखी, उसकी मेरिट के ऊपर हम नहीं जाना चाहते हैं। हम तो क्योंकि चुनाव हो रहा है और चुनाव होने में हमारी धरती खिसक जायेगी इसलिए उसकी मेरिट को भी हम चुनाव के कांटेक्स्ट में रखना चाहते हैं। इसलिए जो विरोध हम प्रकट करना चाहते हैं वह विरोध केवल मात्र चुनावों में अपनी धरती खिसकने का विरोध है, वह उस मंशा का विरोध नहीं है, जिस मंशा से हम देश की व्यवस्था को गवर्न करना चाहते हैं। मैं माननीय विरोधी पक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि इस देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए यदि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जायेगा तो हम किस तरह से इस देश को इण्टीग्रेटेड रखना चाहते हैं, किस तरह से इस देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, किस तरह से इसका डवलपमेण्ट करना चाहते हैं?

श्री शोपत सिंह : 40 साल लूली-लंगड़ी रही यह व्यवस्था ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, अब चाइना में क्या हुआ इनको खुद मालूम है वहां की बात, मुझे क्या कहते हैं। अपने घर की दुकान सम्भाल कर दूसरों की दुकान की बात करें तो ठीक रहेगा।

श्री नत्थी सिंह : इनका घर आपने चाइना क्यों बता दिया ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था इस दृष्टि से देखनी चाहिए हमें कि आज चाइना में क्या हो रहा है आज रशिया में क्या हो रहा है। मतलब, गवर्न करने का जो कंसेप्ट है किसी सिस्टम का, उस सिस्टम में जो मैनीफैस्ट हो रहा है उसके आधार पर कल्पना करने की आवश्यकता है। हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने मन में कल्पना की कि इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को मजबूत करना है और इस देश को

(श्री सी. पी. जोशी)

बहुत बड़ी शक्ति बनाना है तो हमारे गवर्न करने के कंसेप्ट में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह बात ठीक है कि हम आज डिस्ट्रिक्ट को यूनिट बनायें, यह बात ठीक है कि ग्राम पंचायत को हम अकाउण्टेबल बनायें लेकिन यह कहने के साथ-साथ विरोधी पक्ष के लोग जब यह प्रस्ताव लोकसभा के अन्दर मूव होता है, इस का विरोध करना चाहते हैं। किस दृष्टि से ? माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब यहां तो भाषण दे रहे हैं कि साहब, ग्राम सभा को अकाउण्टेबल बनाना चाहिए, पंचायतों को अकाउण्टेबल करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट को यूनिट बनाना चाहिए, काउण्टी का उन्होंने कंसेप्ट दिया है. लेकिन यह भी जब सदन से बाहर जाते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफार्म पर यह कहते हैं कि नहीं यह तो चुनाव का नारा है। आप समझ सकते हैं, माननीय सभापति महोदय, कि 2100 करोड़ और 500 करोड़ कुल 2600 करोड़ रुपए का हमने प्रोविजन किया है जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत, किसलिए किया है ? हमें, हमारे प्रधानमन्त्री को, हमारी पार्टी को जनता के उन प्रतिनिधियों में विश्वास है जो पंच सरपंच जीत कर आये हैं। हम उनके माध्यम से काम करवा कर लोगों के सामने डिमांस्ट्रेट करना चाहते हैं कि हमारी छोटे लेवल की लीडरशिप में काम करने की क्षमता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत ; एन. आर. ई. पी. का काम किसके थ्रू हो रहा था ? आर. एल. ई. जी. पी का काम किसके थ्रू हो रहा था ? नयी बात थोड़ ही है ?

श्री सी. पी. जोशी : मुझे बहुत खुशी है कि भैरोंसिहजी शेखावत साहब राजस्थान की नेतागिरी करते हैं, पंचायत समिति के बारे में कंसेप्ट मालूम नहीं है। अभी तक पंचायत समिति का प्रधान अपनी मनमर्जी से जिस पंचायत में चाहता था उस में काम करवाता था, जिस पचायत में चाहता था उसमें काम नहीं करवाता था। अब नयी स्कीम लागू होने के बाद पंचायत समिति के प्रधान की मर्जी के ऊपर पंचायत और सरपंच का काम नहीं होगा, आपको शायद मालूम नहीं।

श्री शिवचरण सिंह : कमेटी सिस्टम है वहां, प्रधान के हाथ में कुछ भी नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था हमने की है उस व्यवस्था में हमें मालूम है कि एक पंचायत का सरपच भारतीय जनता पार्टी का है, एक पंचायत का सरपच कम्युनिस्ट पार्टी का है। कर्नाटक में भी पंचायती राज है, केरल में भी पंचायती राज है, वेस्ट बंगाल में भी पंचायती राज है आन्ध्र में भी पंचायती राज है....

श्री हरिशंकर भाभडा : विरोधियों को तो आप पहले ही घर बैठा दोगे, सस्पैण्ड कर दोगे। कह दोगे, सस्पैण्ड है।

श्री सी. पी. जोशी : बहुत अच्छा,

(श्री सी. पी. जोशी)

आपने यह एप्रिहैंशन अपने मन में रखे हैं। पर एज आन टूडे, जितने पंचायतों के सरपंच हैं उन सब सरपंचों को डाइरेक्ट पैसा दिया गया है। जवाहर रोजगार योजना में उन पंचायतों और सरपचों में यह नहीं रखा गया है कि वह किस पार्टी का आदमी है। पहले जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में, माननीय भैरोंसिहजी शेखावत साहब, पंचायत समिति का प्रधान अपनी मनमर्जी से एक पचायत समिति की 20 पंचायतों में काम करवाता था और 10 पचायतों में काम नहीं करवाता था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जवाहर रोजगार योजना में झुंझुनूं जिले को कितना पैसा मिला और सीकर जिले को कितना पैसा मिला ? सात करोड़ और तीन करोड़ का भेद आपने जिलों में किया है। जिलों में जितना बड़ा भेद किया गया है आज तक किसी में नहीं हुआ। अगर जनसंख्या के आधार पर होता तो जिलों में भेद नहीं होता। आप यहां राजस्थान के जिलों की लिस्ट रख दें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जनसंख्या के आधार पर हर एक जिले को, हर पचायत को दिया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप आंकड़े बता दो।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मेरे जवाब में बताऊंगा आपको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिलों के आंकड़े बता दो, भीलवाड़ा जिले को कितना दिया, झुंझुनूं जिले को कितना दिया। और सीकर को कितना दिया यह आंकड़े बता दीजिए आप। आपने जिलों के आधार पर भेदभाव किया है। मुझे तो यह पता है क्योंकि जोशीजी यहां तो बोलते हैं लेकिन देखकर नहीं आते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किसी जिले की किसी पंचायत को कितना पैसा मिलेगा उस फार्मूले से घनश्यामजी को सम्बन्ध नहीं है। यह रहते हैं सीकर में, नेतागिरी करते हैं शहर की और जवाहर रोजगार योजना लागू हुई है पंचायत समिति में। पहले जाकर देख लें फार्मूला क्या है। उस फार्मूले के अनुसार किसी जिले की किसी पचायत को डिप्राइव नहीं किया गया है कि मुख्य मंत्रीजी भीलवाड़ा के हैं तो इसलिए ज्यादा पैसा दे दिया या सीकर में कम पैसा दे दिया। जो डिवोल्यूशन का फार्मूला बनाया गया है वह राजस्थान के लिए नहीं हिन्दुस्तान के तमाम जिलों के लिए यूनिफार्म बनाया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जवाहर रोजगार योजना में एक-एक जिले को कितना पैसा मिला है और जिलों की जनसंख्या कितनी है ? आपने राजनीतिक आधार पर जबर्दस्त भेदभाव किया है।

श्री सी. पी. जोशी : 1990 में जीतकर आना एम. एल. ए. फिर जवाब दे दूंगा सब बातों का, अभी जवाब देने की आवश्यकता नहीं है मुझे। आप 1990 में जीत कर आयें तब इस सबका जवाब दे दूंगा मैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 1990 में मैं आऊंगा पर आप नहीं आओगे 1990 में। 1990 में आप कहां मिलोगे ? 1990 में हम तो मिलेंगे लेकिन आपका क्या ठिकाना है ?

श्री सी. पी. जोशी : पुष्करजी में मिलूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नाथद्वारा में टाली लगानी पड़ेगी 1990 में।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं जो निवेदन करना चाहता था वह यह है कि पंचायती राज एक्ट में संविधान में जो संशोधन किया गया है, करने की जो मंशा है उसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखने की आवश्यकता है। इस बहुत बड़ी कण्ट्री को गवर्न करने का जो हमारा कंसेप्ट है, पिछले 30-40 साल के हमारे अनुभव इस बात के हैं कि जो हमारा गवर्न करने का सिस्टम है, चाहे पार्लियामैण्टरी सिस्टम है जिसके माध्यम से हम एम. एल. ए. बने हैं, एम. पी. बने हैं, सेण्ट्रल केबिनेट बनती है, स्टेट में मिनिस्टर बनते हैं, हमारे देश में जो भौगोलिक स्थितियां हैं....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जोशीजी, आपने समय गलत चुना, चुनावी वर्ष में घोषणा करके स्वयं आपने ही इसमें राजनीति घुसेड़ दी। यह हमारा आक्षेप है। यह होनी नहीं चाहिए थी, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए थी। मगर आप जानबूझकर लाये हैं।

श्री सी. पी. जोशी : हमें इस बात की खुशी है। चुनाव के समय में ही राजनीति नहीं लायेंगे तो राजनीति कब लायेंगे ? जब ब्याह होगा तभी तो ब्याह के गीत गायेंगे, मौत होगी तो मौत के गीत गायेंगे। चुनाव के समय राजनीति लाकर हम लोगों को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, हमारी मंशा यह है जिससे ज्यादा लोग उसमें भाग ले सकें, चिन्तन कर सकें, मनन कर सकें और अपने मताधिकार पर निर्णय कर सकें कि राजीव गांधी ने जो निर्णय किया है वह ठीक निर्णय किया है। इस निर्णय से प्रभावित होकर आप अपने आपको आइसोलेटेड फील करते हैं, आपको मालूम है कि हम हार जायेंगे इसलिए आप चिन्ता करते हैं कि अभी क्यों लाये। लाने की प्रक्रिया तो यही है चुनाव के समय लाने की। चुनाव के समय लाकर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हमारी मंशा यह है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कौन हारेगा कौन जीतेगा, यह तो चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा। पहले आप कितना ही गूंजें, घनश्यामजी को चैलेंज दें आपकी भी नाथद्वारा में वही हालत है।

श्री सी. पी. जोशी : 545 में दो तो एम. पी. हैं, माननीय सभापति महोदय, और बात करते हैं राज ले लेंगे। कहां 200 पर्सेण्ट बढ़ेंगे, 100 पर्सेण्ट बढ़ेंगे, 400 पर्सेण्ट बढ़ेंगे। अभी दो एम पी हैं 20 एम. पी. बनकर आ जायें फिर बात करेंगे, अभी काहे को राज की कल्पना करते हैं। हमारे मन में यह नहीं है। आपके मन में कल्पना है उस कल्पना को

(श्री सी. पी. जोशी)

रखें आप लेकिन यह निश्चित तौर पर है कि लोक सभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें, माननीय सभापति महोदय, यह दो से बीस बढ़ सकते हैं पर राज कांग्रेस पार्टी करेगी, राजीव गांधी करेगा। यह इनको अच्छी तरह मालूम है इसलिए इनके मन में यह कल्पना है कि पंचायती राज में संशोधन के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना लागू की गयी है उस योजना के माध्यम से प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने जन प्रतिनिधियों में यह विश्वास रखा है। उस विश्वास के माध्यम से फिर यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि इस गांव में सड़क नहीं बनी, इस गांव में एनीकट नहीं बना, इस गांव में यह व्यवस्था नहीं हुई उसके दोषी राजीव गांधी हैं। उसके दोषी अब राजीव गांधी नहीं होंगे। उसकी अकाउण्टेबिलिटी फिक्स करने के लिए पंचायतों को पैसा दिया गया है उस गांव का डवलपमैन्ट करने की जिम्मेदारी उस पचायत की है। पंचायत में निर्णय लेने का अधिकार वार्ड पंच का है और वार्ड पंच के निर्णय को प्रभावित करने का काम ग्राम सभा का है। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम जानते थे कि हमारे विरोधी पक्ष के लोग खाली चुनावी वातावरण बनाकर राजनीति करना चाहते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए यह एक्ट लाया गया है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, हम राजनीतिक पार्टी के आदमी हैं इसलिए राजनीति करते हैं। राजनीति करने का इससे बड़ा अवसर हो नहीं सकता। इसलिए सोचसमझकर पचायती राज का संविधान सशोधन बिल चुनाव के समय में हम लाये हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की बहुत बड़ी जनता के सामने यह बात आ जाय कि पार्टी का इस बारे में चिन्तन क्या है, नेता का चिन्तन क्या है। विरोधी पक्ष के लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनका चिन्तन और मनन क्या है। अभी माननीय भैरोंसिहजी शेखावत साहब कह रहे थे कि यू. पी. के चीफ मिनिस्टर ने राजस्व आय का सारा भाग पचायत में दे दिया। बहुत खुशी होती कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर भी घोषणा करता जिसमें आपकी पार्टी का शेयर है, जिस पार्टी को आप इनफ्लुऐंस कर सकते थे। वहां के मुख्यमंत्री देवीलालजी ने नहीं किया। यह तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी ने राजस्व आय का किया। अच्छा होता कि आप अपनी पार्टी के माध्यम से देवीलालजी को यह कहते कि हरियाणा की राजस्व आय का जितना भाग है वह पचायतों को दे दें, तब समझ में आता।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पटवारियों का खर्चा भी उन पर डाल दिया, वह खर्चा ज्यादा है रेवेन्यू कम है। पटवारियों की तनखाह ज्यादा है, यह तो बता दो।

श्री शिवचरण सिंह : आमदनी ज्यादा हो तो खर्चा किया जाता है, जोशीजी, देखो जरा आंकड़े।

श्री सी. पी. जोशी : यह बात भैरोंसिहजी को समझा दें, जो आपने कही है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उन्होंने उदाहरण दिया था कि यू. पी. के चीफ मिनिस्टर ने यह कह दिया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को यह करना चाहिए। मैं तो आप पर

(श्री. सी. पी. जोशी)

छोड़ता हूं, आप अपनी पार्टी के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को समझा देते और वहां लाकर बताते कि ऐसा हो सकता है तो हमारे लिए ठीक होता। आपकी पार्टी आपकी बात माने नहीं, जिस पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं वह आपकी बात माने नहीं और हमको आप भाषण देना चाहते हैं कि आप ऐसा कर लें तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौनसी व्यवस्था की बात आप करना चाहते हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वहां की विधान सभा में जाकर भाषण दें यह ? यह तो यहां की विधान सभा में यहां के मुख्यमंत्री को देंगे। हरियाणा की विधान सभा में जायेंगे वहां कहेंगे।

श्री सी पी. जोशी : नेशनल कौंसिल में गये थे पटना में, वहां क्यों नहीं कह आये ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यहां की विधान सभा में बोल रहे हैं। राजस्थान विधान सभा में दे रहे हैं, राजस्थान की सरकार को दे रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय मैं जिस बात की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था वह यही है कि आज डिस्ट्रिक्ट को यूनिट मानने का जो हमारा सम्बन्ध है उसके ऊपर भी चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है। मैं माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब की इस बात से सहमत हूं कि हमें काउण्टी का जो सिस्टम है उस सिस्टम को सूनर आर लेटर एडाप्ट करना पड़ेगा, यदि हम देश की एकता बनाये रखना चाहते हैं, युनाइट रखना चाहते हैं, इण्टीग्रेटेड रखना चाहते हैं तो इस विशाल देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें छोटी यूनिट को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सब पावर देने पड़ेंगे। इसके लिए संविधान में जितने संशोधन करने की आवश्यकता है, कोई भी डिवोल्यूशन करने के लिए हमारे फाइनेंस की पावर के सम्बन्ध में भी चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है तो संशोधन निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, यह राजस्व आय को देने का सम्बन्ध नहीं है। राजस्थान के कण्टैक्स्ट में आय 18 करोड़ रुपए बता रहे हैं, जब हमारी स्थिति ठीक नहीं है, 3–4 साल में अकाल पड़ता है, आठ करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए आपने मोटी राशि बतायी है, आठ या दस करोड़ रुपए पंचायतों को ट्रांसफर करके हम पंचायतों से बहुत बड़े विकास की कल्पना नहीं कर सकते। हमें तो निश्चित तौर पर हमारा जो एनुअल बजट है उस बजट का कोई न कोई पर्सेण्टेज फिक्स करना पड़ेगा। उस बजट को आधार मानकर, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के कण्टैक्स्ट में जो हमारी जोग्राफिकल कण्डिशन्स हैं, आज गंगानगर की जो स्थिति है उससे उदयपुर की स्थिति को कम्पेयर नहीं किया जा सकता।

आज अलवर की जो स्थिति है उससे

(श्री सी. पी जोशी)

उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की स्थिति को कम्पेयर नहीं किया जा सकता है। विदिन वन स्टेट भी आपको फाइनेन्शियल प्रोविजन को डिवोल्यूशन करने के लिये राइडर चेन्ज करना पड़ेगा। पावर्टी फार्मूले में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह निर्णय तो हमें करना पड़ेगा कि हम किस तरह से पंचायती राज के माध्यम से ठीक कर सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी आप इस बात को जानते होंगे कि विश्वनाथ प्रतापसिंह जी जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में 10 पर्सेण्ट डवलपमैण्ट का काम डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उन्होंने कन्सेप्ट लिया था कि मिनिस्टर का एरिया है। उन्होंने मिनिस्टर एरिया का कन्सेप्ट लिया था और कोशिश की थी कि भई, किस एरिया डवलपमैण्ट के लिये टोटल बजट का 10 पर्सेण्ट वहां जायेगा मिनिस्टर इन्चार्ज उसका होगा। यह हिन्दुस्तान में नबन करने और डवलपमैण्ट करने का जो कन्सेप्ट है, एक्सपैरीमैण्ट यू. पी. में भी हुये हैं। इसके एक्सपैरीमैण्ट कर्नाटक में भी हुये हैं, इसके एक्सपैरीमैण्ट गुजरात में भी हुये हैं। आज कर्नाटक में भी पावर्स पंचायती राज में दिये गये हैं, आज गुजरात में पावर्स दिये गये हैं. आज वेस्ट बंगाल में जो पावर्स दिये गये हैं उन सब में भी हमको सोचकर एक नया फार्मूला निकालना पड़ेगा कि राजस्थान के कांटेक्स्ट में क्या ठीक ढंग से काम करता है।

मुझे खुशी होती कि भैरोंसिंहजी शेखावत साहब कान्क्रीट प्रपोजल्स देते कि राजस्थान के फाइनेन्शियल डिवोल्यूशन पंचायती राज के सम्बन्ध में इस तरह से किये जायं जिसका कान्क्रीट फायदा मिल सकता है। आज, माननीय सभापति महोदय, हालात क्या हैं राजस्थान के, गंगानगर कैनाल में हमने कितना इन्वेस्टमैण्ट किया, हमारा सोशल कमिटमैण्ट है, उस कैनाल के मैन्टिनेन्स का पैसा हमको आज नहीं मिलता है। आज स्थिति तो यह बनी है कि गंगानगर के किसान के लिये आन्दोलन होता है और आन्दोलन होकर उनको बैनिफिट करना चाहते हैं लेकिन आज जो गेहूं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मेवाड़ के लोग पैदा कर रहे हैं उस गेहूं की कीमत कितनी है ? उस गेहूं की कीमत भी वही है जो कीमत गंगानगर के काश्तकार की है, जो खेती नहीं करता है। केवल लैण्ड अलाटमैण्ट कराके पानी लेकर अपनी खेती कर रहा है उसके गेहूं का भी उतना ही पैसा मिलता है और एक गरीब काश्तकार जो मेवाड़ में काम करता है उसके गेहूं का भी उतना ही पैसा मिलता है यह स्थिति कब तक चलेगी ?

इसलिये हमें समझने की आवश्यकता है, माननीय सभापति महोदय, कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने के पीछे हमारी जो ज्योग्राफिकल कन्डीशन्स हैं उसका आधार डिवोल्यूशन का कन्सेप्ट ठीक ढंग से करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के सम्बन्ध में भी सोचना पड़ेगा। आज जैसे राजस्थान में

(श्री सी पी. जोशी)

3–4 डिस्ट्रिक्ट्स बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आज जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, आज उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है यह डिस्ट्रिक्ट्स बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स को आप कम्पेयर करना चाहते हैं बून्दी और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट्स से, यह सम्भव नहीं है। यह तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम डिस्ट्रिक्ट यूनिट किस तरह से लें, पापुलेशन का आधार मानें तो उस आधार पर चिन्तन और मनन करना पड़ेगा। आज राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट हैं आज हम उस आधार को मानना चाहते हैं तो नये डिस्ट्रिक्ट्स और राजस्थान में क्रियेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। नये डिस्ट्रिक्ट्स हमने क्रियेट नहीं किये तो हमारी यूनिट वायेबल यूनिट नहीं रहेगी तो पंचायती राज के माध्यम से डिवोल्यूशन करना चाहते हैं वह योजना ठीक ढग से नहीं हो पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, जब पंचायती राज के आधार बनाना चाहते हैं तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, इरिगेशन के, पी. डब्ल्यू. डी. के और आर. एस. ई. बी. के इन सब के पावर्स में भी आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज जो व्यवस्था हमने कर रखी है उस व्यवस्था के रहते हम पंचायती राज के माध्यम से डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेन्सियल पावर्स कर देंगे लेकिन यदि हमने डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स नहीं बनायी तो डिवोल्यूशन ठीक ढंग से नहीं हो पायेगा। इस सम्बन्ध में भी चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस डिबेट में ज्यादा बात नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि आज चाइना में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई, आज रशिया में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई एक पार्टी का सिस्टम होते हुये भी, विदिन देट पार्टी सिस्टम गबन करने का मामला ठीक ढंग से नहीं चला, जिसको हिन्दुस्तान के लोगों को, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों उनको इस सम्बन्ध में चिन्तन और मनन करना पड़ेगा। यदि हम वायेबल यूनिट बनाना चाहते हैं तो हमें पंचायत को ही यूनिट बनाना पड़ेगा। उसके लिये कान्स्टीट्यूशन में प्रोविजन हो, चुनाव हो, चुनाव के कानून के पीछे क्या मंशा है, क्या मन्शा नहीं है, माननीय भैरोंसिहजी शेखावत साहब ने जो आब्जेक्शन्स रेज किये हैं उनकी डिटेल्स में जाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, जो स्थिति बनी है उसके फीड बैक के बाद में ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं। पर, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान कुछ स्थिति बनी है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं। पंचायती राज का अभी "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम चला। माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जो पेरीफेरल पंचायत हैं, किसी टाउन के पास लगती हुई उन पंचायतों में बिला नाम जमीन और चरनोट जमीन इण्डस्ट्री के नाम पर उस इलाके के बदमाश आदमियों ने पहले से पटवारी से मिलकर कब्जा कर ली और अलाटमैण्ट के नाम पर आपने 1 बीघा, 2 बीघा, पौन बीघा जमीन, पेरीफेरल पचायत की जमीन का अलाटमैण्ट उन बदमाश लोगों ने करके उसको 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख रुपये में बेच रहे हैं—पौन बीघा, 1 बीघा]

(श्री सी. पी. जोशी)

और 2 बीघा जमीन "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम में पेरीफेरल विलेज की पचायत की अलाटमैण्ट का कन्सेप्ट आपको बदलना पड़ेगा। यदि आपने अलाटमैण्ट का कन्सेप्ट नहीं बदला तो बाड़ के नाम पर, चरनोट के नाम पर, पेड़ लगाने के नाम पर और जिस तरह की व्यवस्था आज गांव के अन्दर हो रही है उससे गांवों में शांति और व्यवस्था भंग होने की स्थिति पैदा हो जायेगी। इसलिये दुबारा इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या आज भी जो "प्रशासन गांवों की ओर" कार्यक्रम के नाम पर हमने जमीन अलाटमैण्ट की है उन अलाटमैण्ट के सम्बन्ध में खास तौर से कि हमारी मन्शा क्या है पेरीफेरल पचायत के सम्बन्ध में ? मैं उदाहरण देना चाहता हूं उदयपुर का, उदयपुर में आज ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जोशी जी, बस स्टैण्ड के पास आपने जो जमीन अलॉट करवायी है वह किस नाम से करवायी है ?

श्री सी. पी. जोशी : मुझे खुशी होगी माननीय हरिशंकरजी भाभड़ा साहब— I will resign from MLA-ship. Do not say wrong Always come with proof. I will welcome you. I throw challenge. If you put anything, I will resign from M.L.A. ship. I do not wish leadership. I am never impressed of such things.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हिन्दी में बोलो, हिन्दी में।

श्री सी. पी. जोशी : हिन्दी नहीं, अंग्रेजी भाभड़ा साहब को अच्छी तरह से आती है इसलिये अंग्रेजी में बोला हूं, आपको अंग्रेजी नहीं आती है इसलिये मुझे उनको कम्यूनिकेट करना था। मैं सार्वजनिक जीवन में आने के बाद ऐसे काम नहीं करता हूं और मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपकी पार्टी के एक भी सदस्य प्रूफ लाकर दे देंगे तो मैं विधान सभा से त्याग-पत्र दे दूंगा, मैं खाली हियर से नेतागिरी नहीं करता हूं.... (व्यवधान)

आप सीनियर लीडर होकर इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे दुःख होता है, आप इर्रेस्पोन्सिबिलिटी की बात करके किसी को मारना चाहते हैं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुझे नाथद्वारा में अभी वहां के सब लोगों ने बताया इसलिये मैंने आपसे पूछा है। अब आपको प्रमाण की जरूरत पड़ेगी तो वह लाकर दूंगा।

श्री सी. पी. जोशी : I will welcome it. I throw the challenge. I will resign from politics.

मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं जो सार्वजनिक जीवन में ऐसा काम करता नहीं हू। आपकी पार्टी के जो लोग हैं उनके पास जाकर जांच करा लेना और फिर मुझे बताना कि मैं क्या काम कर रहा हूं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है आपने नाथद्वारा में हरिजन काण्ड करवा दिया, आप मुझे इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते हैं। हरिजन काण्ड करवा दिया तो भी नाथद्वारा में पोलिटिकल कैरियर मेरा कम नहीं हुआ,

(श्री सी. पी. जोशी)

जीत कर सी. पी. जोशी ही आयेगा।

श्री अमरचन्द : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

माननीय सी. पी. जोशी अपनी बात कह रहे हैं पंचायती राज के सम्बन्ध में, माननीय भाभड़ा साहब ने एक बात कही और बात यह कही कि आपने राजनीतिक लाभ उठाकर इस प्रकार की प्रापर्टी बनायी है। तो मैं इस बात के लिये बड़े अफसोस में हूं कि यदि भाभड़ा साहब विचारशील व्यक्ति होते हुए भी बिना पेंदे की बात करेंगे, यह शोभाजनक नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने पूछा है आपको।

श्री सी. पी जोशी : आप बड़े सीनियर लीडर हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुझे जो बताया गया मैंने आपसे पूछ लिया उसका आपने जवाब दे दिया, अब उसका प्रमाण मंगा लेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : भगवान के लिये ऐसी नेतागिरी मत करो पहले पता कर लिया करो केवल हियर से नेतागिरी मत करो। आप भैरोंसिंहजी की जगह नेता बनना चाह रहे हैं अगर इस तरह की नेतागिरी करेंगे तो भैरोंसिंहजी ही नेता कहलायेंगे आप नेता नहीं कहलायेंगे अगर आप इस तरह की नेतागिरी करेंगे तो—

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिये आप मंत्री नहीं बन रहे हैं। समझ में आ गया।

श्री सभापति : भाभड़ा साहब हियर से में भी इनकरैक्ट हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने करैक्ट का नहीं कहा है।

श्री सभापति : Hearsay is not always correct.

श्री सी. पी. जोशी : मुझे कोई तकलीफ नहीं है माननीय सदस्य से ..

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने पूछा आपको जवाब देने का बहुत अच्छा मौका मिल गया। मैंने तो प्रश्न पूछा है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय भाभड़ा साहब, आपको तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव आदि पूछने का अधिकार है आप इन सब को यूज में लें।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें नोटिस देना पड़ता है सीधे ही पूछ लिया, उन अलाटमैण्ट के साथ-साथ में पूछ लिया।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे खुशी है आपने पूछ लिया, धन्यवाद आपको।

माननीय सभापति महोदय, मैं खास तौर के प्रशासन के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था "प्रशासन गांवों की ओर" के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था, जो पंचायती राज की व्यवस्था की है, जिस व्यवस्था में हम पेरीफेरल विलेज में इण्डस्ट्री के नाम पर जमीन दे रहे हैं, जिस व्यवस्था में हम बंजर भूमि को डवलपमैण्ट करने के नाम पर जमीन दे रहे हैं, जिस व्यवस्था में

(श्री सी. पी. जोशी)

बिना नाम जमीन पर लोगों ने कब्जा कर जमीन रेगुलराइज कर रहे हैं इस व्यवस्था में माननीय सभापति महोदय, गांव की शान्ति और व्यवस्था भंग होकर उस गांव के प्रभावशाली जो कानून को तोड़ने वाले आदमी हैं उन्हीं को उसका फायदा मिल रहा है, इस सम्बन्ध में हमें सोचने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, जो बेसिक एमेनीटिज गांव के अन्दर प्राइमरी स्कूल है, स्कूल के सम्बन्ध में भी ढाणियां हैं माननीय भारद्वाजजी साहब से निवेदन है कि जो ज्योग्राफिकल कण्डीशन पंचायत की है एक पंचायत पर हैमलेट्स वह हेमलेट्स 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर और गंगानगर में 10 किलोमीटर तक फैली हुई है, जोधपुर डिविजन में 12-15 किलोमीटर तक फैली हुई है उन हेमलेट्स में रहने वालों को वह आधारभूत सुविधायें आज उपलब्ध नहीं हैं। पंचायत हो जाने पर डवलपमैण्ट हमने किया है वह पंचायत का सारा डवलपमैण्ट वर्क पंचायत हैड पर हो रहा है और हेमलेट्स की जो पापुलेशन है, आज पापुलेशन का क्राइटेरिया इन्क्ल्यूड होता है, जब पानी देंगे तो इतनी पापुलेशन पर देंगे, सड़क से जोड़ेंगे तो इतनी पापुलेशन पर जोड़ेंगे, पापुलेशन काउण्ट तो हो जाती है लेकिन वह हेमलेट्स में रहने वाले लोग हैं आज उनको 4-5 किलोमीटर कच्ची सड़क जुड़े हुये पैदल जाते हैं। उनके आने-जाने के रास्ते वहां बिलकुल नहीं पहुंचे, वहां ड्रिंकिग वॉटर की सुविधा नहीं है, वहां प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये हमें मेसिव प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हेमलेट्स को आइडल बनाना पड़ेगा।

यदि सौ हैमलेट्स हैं, उस हैमलेट की प्राइवेसी भी होनी चाहिए, उसमें आने जाने के रास्ते भी होने चाहिए और बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। वहां हैण्डपम्प खुदना चाहिए। इस व्यवस्था के लिए हमें आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज केवल मात्र शिड्यूल कास्ट बस्ती के नाम पर यदि 25 घर हैं तो वहां बिजली पहुंच जाती है पर उसके अलावा दूसरे इलाके में रहने वाले जो सवर्ण लोग हैं या ट्राइब्स के लोग हैं वे लोग बिजली की सुविधा से इसलिए वंचित हो जाते हैं कि एक किलोमीटर दो किलोमीटर लाइन का खर्चा उनको क्लीयर करना पड़ता है। इसलिए वे कभी बिजली नहीं ले सकते इसलिए हमें इस सम्बन्ध में भी निश्चित तौर पर कुछ कल्पना करने की आवश्यकता है। पंचायती राज के सम्बन्ध में माननीय सभापति महोदय, जो कुछ भी हमने डवलपमेंट्स पिछले तीन चार सालों में किये हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी कम है। आज अकाल राहत के माध्यम से हमने गांव में प्राइमरी स्कूल बनाये, हमने पटवार गृह बनाये, हमने यहां सब-सैन्टर की व्यवस्था की है, बिल्डिंग पक्की हुई हैं अच्छा काम हुआ है। उसकी निश्चित तौर पर प्रशंसा की जानी चाहिए। इस फीडबैक का उपयोग हमें पंचायत के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को मजबूत करने के लिए आवश्यकता है। आज जैसा सभी साथियों ने कहा कि पंचायत में एक ग्राम सेवक हमने दिया है। वह ग्राम सेवक हमने एग्रीकल्चर का दे

(श्री सी. पी. जोशी)

दिया। एग्रीकल्चर का ग्राम सेवक केवल दो दिन तक पचायत में रहता है, पांच दिन तक नहीं रहता है। जैसा माननीय आप स्वयं ने और माननीय शेखावत साहब भी कहते हैं। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि 18 करोड़ रुपये जब हम वेतन पर खर्च करते हैं पटवारियों का तो एक बार रेवेन्यू रिकार्ड ऑफ साइन्स डवलप हो गया है। आप उसको रिकार्ड कर लीजिए और कम्प्यूटर के अन्दर उस पर पटवारी इन्स्टीट्यूशन इर्रेलेवेंट हो जाती है उस पटवारी की इन्स्टीट्यूशन को आप मर्ज कर दीजिए। पचायत के अन्दर जिससे कम से कम एक स्थायी ग्राम सचिव उस पटवारी का नाम बदल दीजिए, ग्राम सचिव का नाम बदल दीजिए लेकिन आपको इन्स्टीट्यूशन में निश्चित तौर पर एक परमानेण्ट व्यवस्था उस ग्राम स्तर पर करनी पड़ेगी जिससे पंचायत के सरपंच को यह अकाउण्ट मैन्टेन करना पड़े। जवाहर रोजगार योजना आने के बाद पंचायत के सरपंच पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गयी है। उसका अकाउण्ट मेन्टेन करने की नहीं उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हमें निश्चित रूप से एक आदमी परमानेन्ट सरकारी, चाहे पटवारी को मर्ज करें चाहे एग्रीकल्चर के आदमी को करें लेकिन एक पंचायत में एक आदमी सात दिन रहना चाहिए। यह नहीं कि दो दिन व्यवस्था की उसमें ढंग से चल पाये।

माननीय सभापति महोदय, जो स्कूलों की व्यवस्था है। माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने पावर तो सब दे दिये। आपने यह भी कहा कि हम सरपंचों को भत्ता देंगे, प्रधानजी को भत्ता देंगे, पर भत्ता देंगे आप उस पंचायत के सोर्स से। सोर्स रिडक्शन करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पचायत डवलपमेंट नहीं कर पायेगी। यदि आपको इधर से ही देना है तो जितना ग्रांट आप दो रुपये 25 पैसे बढ़ाकर 5 रुपये करते हैं उसके अलावा इस पैसे को देंगे तब तो वह जाकर काम ठीक ढग से होगा। आपने दो रुपये से 5 रुपये से भी कर दिये और पैसा देने की व्यवस्था इसके अन्दर कर दी तो यह व्यवस्था ठीक ढंग से काम नहीं कर पायेगी। इसलिए इस संबध में भी आपको निर्णय लेना चाहिए कि यह पैसा हम अलग देंगे और जो पचायत का अनुदान है उसको इसके साथ मिक्स-अप नहीं करेंगे। तब तो डवलपमेंट का काम ठीक ढग से हो पायेगा। माननीय सभापति महोदय, सरपच को एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार देना पड़ेगा पंचायत के स्कूल के इन्स्पेक्शन का। आज मेरा अनुभव है, पता नहीं माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि 80 परसेंट किसी तहसील में रहने वाले आदमी पचायत के मास्टर हैं। उन पंचायतों में मान लो बस पहुंचती है 11.00 बजे, तो मास्टर साहब भी उस स्कूल में 11.00 बजे पहुंचते हैं और 3.00 बजे वापस आती है तो 3.00 बजे उस बस में बैठकर वहां का टीचर वापस गांव में आ जाता है। इस व्यवस्था से स्कूल की सारी व्यवस्था चरमरा जायेगी। इसलिए माननीय सभापति महोदय, जिन जगह पर गांव में 10.00 बजे से 5.00 बजे तक टीचर नहीं रहता है उस टीचर के संबंध में ग्राम के सरपंच को कोई अधिकार नहीं है और उस व्यवस्था से सारे स्कूल की व्यवस्था गड़बड़ा रही है इसलिए आपको

(श्री सी. पी. जोशी)

एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार भी पंचायत और पंचायत समिति को देने पड़ेंगे और नहीं देने पड़ेंगे तो आपको गांव में जो स्कूल की बसें हैं उनका टाइमिंग इस तरह से सैट करना पड़ेगा जिससे वह आदमी 10.00 बजे पहुंच सके एक्सट्रीम पंचायत पर और 5.00 बजे पहले वह पंचायत नहीं आ सके। तब तो जाकर वहां ठीक ढंग से व्यवस्था हो पायेगी बाकी यह व्यवस्था नहीं हो पायेगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जहां पर सरपंचों के ही रिलेटिव मास्टर हैं। अधिकतर पंचायतों में सरपंचों के ही रिलेटिव मास्टर हैं और वही उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसका क्या इलाज होगा ?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस स्थिति से मैं मना नहीं करता लेकिन इस सम्बन्ध में हमें चिन्तन और मनन करने की निश्चित तौर पर आवश्यकता है। यदि हम स्कूल के इनपुट नहीं लेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमें कुछ पंचायत समितियों में ग्राम को ग्रोथ सेंटर के रूप में आइडेन्टिफाई करना पड़ेगा। उन पंचायतों में हमने सैकण्ड्री स्कूल डिस्पेन्सरी, जल योजना जो सुविधा हैं। सबसे पहले उस ग्रोथ सेंटर पर जो हम व्यवस्था कर देते हैं तो उसका इम्पेक्ट आस पास के स्कूल पर पड़ेगा। आज सभापति महोदय, सैकेण्डरी स्कूल खोल दिये हमने गांव-गांव में। सैकेण्ड्री स्कूल में आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि सिलेबस तो नया बन गया और थर्ड ग्रेड का मास्टर सैकेण्ड ग्रेड में प्रमोट होगा उसके लिए मास्टर लग रहा है। तो गांव का लड़का तो कभी भी इस समाज में कम्पीटीशन में ठहर नहीं सकेगा इसलिए आपको यह सोचने की आवश्यकता है कि कहां सैकेण्डरी स्कूल खोलें। आप एक जगह सैकेण्डरी स्कूल खोलकर वहां होस्टल खोल दें उसका तो फायदा पूरे गांव को मिलेगा लेकिन जैसे-जैसे आप एक्सपेण्ड एक्टीविटीज कर रहे हैं। एक्सपेण्ड एक्टीविटीज का नुकसान यह हो रहा है माननीय सभापति महोदय कि सैकेण्डरी स्कूल में ओल्ड स्कूल के टीचर जो थर्ड ग्रेड के हैं वह सैकेण्ड ग्रेड के वहां टीचर बन हुए हैं। जहां-जहां हमने डिस्पेन्सरी खोली हैं। माननीय सभापति महोदय, वहां डॉक्टर 90 परसेंट उस गांव में नहीं रहता। वह सात दिन में एक दिन जाकर हाजरी लगा रहा है और डिस्पेन्सरी की व्यवस्था वहां चल रहा है। हमें यह व्यवस्था ठीक ढंग से करनी पड़ेगी कि यदि डिस्पेन्सरी में डॉक्टर नहीं रहता है तो हम ज्यादा एड-पोस्ट खोलें। कोई जरूरत नहीं हमको डिस्पेन्सरी खोलें। लेकिन जहां-जहां भी डिस्पेन्सरी खोली हैं वहां पर डॉक्टर नहीं बैठता है लेकिन हालत यह हो गयी है। आपने डिस्पेन्सरी खोल दी। दवा की व्यवस्था के लिए आपने दुकान नहीं खोली तो दवा लेने के लिए गांव का गरीब आदमी शहर आता है तो जो व्यवस्था हम कर रहे हैं उस व्यवस्था के साथ में और छूट है। जो नेच्युरल कालोनियों में दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मेरे बहुत से माननीय सदस्य पंचायती राज से ज्यादा जुड़े हुए हैं, मैं तो बहुत

(श्री सी. पी. जोशी)

कम जुड़ा हुआ हूं। थोड़ा जाने का काम पड़ा गांव में लेकिन एक बात निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि इस देश की एकता, अखण्डता और देश को गवर्न करने के लिए हमें ग्रास-रूट से लीडरशिप को इमर्ज करने की आवश्यकता है। जितनी लीडरशिप हमारे देश में क्राइसिस हैं। किसी भी पार्टी का, चाहे पार्टी कोई भी हो, पोलिटिकल पार्टी उसमें पचायत स्तर पर और पंचायत समिति के नेता हमारे पास नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट लेविल के नेता हमारे पास नहीं हैं, स्टेट लेविल के नेता नहीं हैं हमारे पास में। यह क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है इस कण्ट्री में। इस क्राइसिस ऑफ लीडरशिप को मीट-आउट करने के लिए जितनी ग्रास-रूट पर हम पचायत समिति को ताकत देंगे उतनी लीडरशिप अच्छी इमर्ज होकर आयेगी इससे देश मजबूत होगा, पार्टी स्तर मजबूत होगी और देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से राजीव जी ने जो संशोधन किया है उसका हम वैलकम करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हमारे विरोधी पक्ष के लोग भी इसको इस स्प्रीट में लेंगे। इस देश को आगे चलाने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। इसको चुनाव की दृष्टि से नहीं देखेंगे। यही बात मुझे आपसे कहनी है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री नवरंग सिंह। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरे दल का भी ख्याल रखना।

श्री सभापति . आपके दल का ख्याल बाद में।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज सामुदायिक विकास की मांगों पर चर्चा हो रही है। मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं, मैं उनको सदन में प्रस्तुत करता हूं और आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां चर्चा इस संवैधानिक संशोधन करके पंचायत राज को अधिकार देने की है। सभापति महोदय, मैं पंचायती राज को अधिकार देने का समर्थक हूं लेकिन ऐसा नहीं कि जिस व्यवस्था को हमारे संविधान के निर्माताओं ने बनाया था और जिस व्यवस्था में राज्य में, केन्द्र में और केन्द्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग व्यवस्था को कायम किया था। यह जो संवैधानिक संशोधन माननीय जोशी जी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं प्रधानमन्त्री जी को बधाई दे रहे हैं। यह उस कड़ी में खण्डित करने वाला काम है। आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 23 और 24 तारीख को जनता दल के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए मैं बैंगलोर गया था। माननीय मुख्यमन्त्री जी, आपकी लाइब्रेरी में पड़ा है। वहां के पंचायती एक्ट को आप मंगा लीजिए। वह सारी चीजें पंचायती एक्ट में हैं। यद्यपि हमारे यहां फ्री सिस्टम है, उनके यहां दो सिस्टम हैं लेकिन उन सारी चीजों को उन्होंने एडाप्ट किया है। आप कहते हैं कि इससे महिलाओं को प्रोत्साहन देंगे, महिलाओं का कोटा बढ़ायेंगे। सभापति महोदय, मैं इस पक्ष का आदमी हूं कि 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित हों, पंचायतों में, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरह से देश के प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने जनतन्त्र को खत्म करने के लिए, लोकतन्त्र को खत्म

(श्री नवरंगसिंह)

करने के लिए, केवल वोट लेने के लिए इस देश को खण्डित करने और सारे अधिकार केन्द्र के हाथ में लेने का काम किया है, उस काम का मैं विरोध करता हूं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राजस्थान की सरकार महिलाओं के प्रति सहानुभूति रखती है, महिलाओं का उत्थान चाहती है। अभी किसी कार्यवश दो-तीन महीनों तक मेरा मद्रास में जाना हुआ। वहां अभी थोड़े दिन पहले ही सरकार बनी है और उस सरकार ने महिलाओं के उत्थान की एक नजर पेश की है। उन्होंने यह घोषणा की कि महिलाओं को नौकरी में, चाहे वह पंचायत हैं, चाहे स्वायत्त शासन संस्थायें हैं, तीस प्रतिशत स्थान दिया जायेगा। माननीय मन्त्री जी मैं पूछना चाहूंगा कि आपके इस पंचायती राज में महिलाओं को कितना आपने आरक्षण दिया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके यहां महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। एक भी सर्विस के लिए आपके यहां न तो पंचायती राज में, न स्वायत्त शासन संस्थाओं में कोई भी आरक्षण का काम नहीं है। यहां तक कि मैं आपको कहना चाहूंगा गांवों के खिलाड़ी जो देश का नाम ऊंचा करते हैं आपने उनके लिए भी कोई किसी तरह के आरक्षण का काम नहीं किया है। इसलिए मैं जानता हूं कि आपके इरादे महिलाओं और दूसरे लोगों को प्रोत्साहन देने का नहीं है। केवल वोट प्राप्त करना जैसे पिछली बार इन्दिराजी की लाश के नाम से आपने वोट प्राप्त कर लिये। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन्दिराजी को हिन्दुस्तान की 80 करोड़ जनता ने राज सौंपा था, देश की रक्षा करने का। अगर इन्दिराजी की हत्या उनके किसी कर्मचारी ने कर दी तो उसमें देश की 80 करोड़ जनता का क्या दोष था? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं यह सारी चीजें इसलिए हैं कि हमारे यहां कानून और व्यवस्था का कोई काम नहीं है न राज्य में, न केन्द्र में। इसके साथ में मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायती राज में आपकी जो स्थिति है। महिलाओं के उत्थान की आप बात कर रहे हैं। कल की बात है, नवलगढ़ की ढाणियां हैं, वहां पर मीटिंग थी, जहां महिलायें भी बड़ी संख्या में आयीं। मुझे शर्म आयी खुद को। वे कहने लगीं कि आजादी के 40 साल बाद भी हमारे टट्टी बैठने के लिए, पाखाने और सण्डास की व्यवस्था यह सरकार नहीं कर सकी। इससे ज्यादा घटिया और इससे ज्यादा बदनियती का काम सरकार का क्या हो सकता है?

मैं कहना चाहूंगा, आपके पास पहले भी योजनायें आई, आज आपने जवाहरलाल जी के नाम से और योजना ली है। जहां इस तरह की समस्यायें ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, आज पहला काम यह निर्देश दीजिये कि माताओं और बहिनों के लिए जगह-जगह जहां आवश्यकता हो, सण्डास की व्यवस्था हो, सार्वजनिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर और मैं आपको कहना चाहूंगा इसके लिए आप निर्देश दें। जवाहर योजना के नाम से आपने चार चांद लगाये हैं। आपने यह सारा का सारा काम ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे दिया है। वह जैसा चाहते हैं, कलक्टर जैसा चाहता है, वैसा काम करता है। कहने को तो आप सरपंच की बात करते हैं। लेकिन सरपंच की एक

(श्री नवरंगसिंह)

नहीं चलती उसमें। सरपंच को तो उलझा और दिया आपने। आपने कह दिया कि सेक्रेट्री के साथ मिलकर सरपंच खाता खोलेगा। आज सरपच चैक लेकर घूम रहा है कि सेक्रेट्री मेरा है नहीं और सेक्रेट्री है तो दस्तखत करने से मना करता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारे काम को आप व्यवस्थित करिये। माननीय मंत्रीजी मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आप राजनीति में भी मतभेद रखते हैं। मैं कहना चाहूंगा, मेरी पंचायत समिति नवलगढ़ है जो विरोध की पंचायत समिति है। खण्डेला पंचायत समिति है जो विरोध की है। वहां गाड़ियां खराब हैं, किराये की गाड़ियां ली जाती हैं वहां इसलिए जीपें नहीं दी क्योंकि विरोध की पंचायत समिति है। जो कांग्रेस की पंचायत समितियाँ थी, जो आपको सुबह–शाम हाजरी देते थे उनको आपने जीपे अलाट कर दी। यह पक्षपात नहीं तो और क्या है, किस तरह का दृष्टिकोण है पचायत राज का। यहीं नहीं मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जह जो राशि ढ़ाई रुपया, पौने तीन रुपया देते हो, शहरी क्षेत्र के मुकाबले में जहां दस रुपया देते हैं, बहुत कम है। इसलिए मेरी मांग है कि इस राशि को बढ़ाकर कम से कम आठ रुपये प्रति व्यक्ति किया जाय। आठ रुपये प्रति व्यक्ति के बिना पंचायतें अपना काम नहीं चला सकती। जहां तक स्वजस्व की बात है, यह बात ठीक है कि राजस्व के सारे अधिकार पंचायतों को दिये जांय और जो दूसरे खर्चे होते हैं, पटवारी का और दूसरे कामों पर खर्च करना पड़ता है सरकार को क्योंकि वह उनके अन्तर्गत आ जायेंगे उनकी आमदनी का साधन बन जायेगा। वह सारा बढ़िया हो जायगा। आपने सिर्फ वाह–वाही लेने की कोशिश की है कि सरपंचों को तनख्वाह देंगे और पंचों को भत्ता देंगे। मेरे पास बहुत से सरपंच आये, वे कहने लगे कि हम तो सेक्रेट्री की तनख्वाह ही नहीं चुका सकते। एक मेरे यहां बड़ी पचायत है जो कहती है हम तो लाइट का खर्च नहीं दे सकते, यही बन्द होने लग गई तो आप कहां से दिला देंगे। इसलिए मेरा आप से निवेदन है, आपसे मेरी मांग है कि आज ही घोषणा करिये कि जितना खर्चा उनका होगा वह सारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी तब तो आपकी बात है नहीं तो थोथी बात है। इसमें कोई सार वाली बात नहीं है। इसके साथ—साथ मैं यह कहना चाहूंगा, माननीय मन्त्रीजी, पंचायतों में पहले प्राथमिक विद्यालय थे, जिला परिषदों को उच्च–प्राथमिक विद्यालय भी दे दिये हैं। लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा कि प्राथमिक विद्यालयों में अक्सर अध्यापकों की कमी रहती है। एक में दस अध्यापक हैं, दूसरे में एक अध्यापक है। वह अध्यापक भी टाइम पर नहीं पहुंचता। आप उसके लिए। पद सृजित नहीं करते, बजट देते नहीं। अभी आपने पिछली बार जो स्कूलें खोली थी, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय, खास तौर से आज चर्चा का विषय है। उनमें आज तक भी अध्यापक नहीं गये, वह स्कूल नहीं खुले। केवल आपके आदेश कागजों में हैं। गांव वाले को कह रहे हैं स्कूल खुल गये हैं। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है जो भी योजना आप

(श्री नवरंगसिंह)

गांवों में दे रहे हैं वह योजना देने से पहले उस योजना के साधन देने चाहिए। स्कूल खोलने के साथ-साथ अध्यापकों के पद सृजित होने चाहिए, स्कूल खोलने के साथ दूसरे और साधन हैं वह सारे साधन जायेंगे तब तो कोई बात हो सकती है नहीं तो कोई बात होने का मतलब नहीं है।

एक निवेदन मैं आपको यह करना चाहता हूं कि मैंने तो पंचायत राज में, माननीय मन्त्रीजी, बहुत करप्शन देखा है। झुन्झुनूं और दूसरी जगह कुछ दिन पहले सलेक्शन हुए। सलेक्शन की लिस्ट तब तक नहीं निकाली, जिला परिषदों में दलाल द्वारा दस-दस हजार रुपये उनके पास नहीं पहुंच गये। इसलिए मैं कहना चाहूंगा यह तो लंगड़ी व्यवस्था है, यह तो वही व्यवस्था है जो पहले से चली आ रही है, सुधार आपने क्या किया। जैसे सिपाही की भर्ती का काम दस हजार रुपये रिश्वत का है, आपके जिला परिषद में जो भर्ती का काम होगा उसमें कोई भी नौकर रखते हैं, मास्टर रखते हैं, उसका दस हजार रुपये होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सारी व्यवस्था पर पुनर्विचार करके ठीक करिये। इसको ठीक नहीं करेंगे तो गांवों में आपने केवल गुटबाजी पैदा करने का काम किया है। महात्मा गांधी का जो इरादा था, इस देश में पंचायत राज के स्वप्न को साकार करने का था, उस स्वप्न को अधूरा रख रहे हैं। जवाहरलालजी नेहरू ने नागौर में जो दीप प्रज्ज्वलित किया था वह धीरे-धीरे बन्द होता जा रहा है और प्रधान मन्त्रीजी ने उसको खण्डित करने की कोशिश की है। इसलिए मैं इस बात की मांग करता हूं कि यह जो संशोधन करना है राज्य सरकार आपने अधिकार में करे और जो भी केन्द्र सरकार द्वारा संशोधन की बात है उसका हम विरोध करते हैं क्योंकि यह राज्य सरकार पर कुठाराघात होगा। आपने देखा कि पंचायत राज कर्नाटक और बंगाल में अच्छा काम कर रहा है

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आपके प्रधान मन्त्री भी उनकी प्रशंसा करते है कि हां पचायतों का काम अच्छा है। जब वह स्टेट काम कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि केवल राज्य सरकार इसमें करें। केन्द्र सरकार की दखलन्दाजी है, वह राज्यों के लिए और देश के लिए और लोगों के लिए मैं समझता हूं ठीक नहीं होगी।

इसके साथ आपने जो जवाहर योजना की बात कही और आबादी की बात कही। इसमें भी माननीय मंत्री जी, आप हिसाब लगा लीजिये, कुछ जिलों को आपने ज्यादा पैदा आवंटित किया है। नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूं कि कुछ जिलों को आपने किस कारण से कम पैसा दिया है। यह बात तो ठीक है कि जिलों में जाने के बाद आबादी के हिसाब से पंचायतों को पैसा दिया है। लेकिन ग्रांट में जो आपने अलाटमेन्ट किया है राजस्थान में, उस अलाटमेन्ट में भेदभाव है वह भेदभाव समाप्त होना चाहिए। सारे जिलों को एक नीति के अनुसार पैसा मिलना चाहिए तब तो इसका कोई मतलब है नहीं तो कोई

(श्री नवरंगसिंह)

मतलब नहीं है। यह जो जवाहर, योजना लाये हैं वह तो केवल चुनावों के लिए लाये हैं। वही पैसा है जो, माननीय मंत्रीजी पहले आप योजनाओं में खर्च करते थे, उनमें आपने चार-पाँच महीने से पैसा खर्च करना बन्द कर रखा था और चुनाव को लेकर हव्वा खड़ा करने के लिए और केन्द्र सरकार को दिखाने के लिए आप पंचायतों के मार्फत जवाहर रोजगार योजना के नाम से गांवों में प्रचार कर रहे हैं लेकिन मैं जानता हूं कि यह प्रचार आपका चलने वाला नहीं है इसलिए कृपा करके वह काम नहीं करें। जिसकी आवश्यकता है, जो जनता के लिए उपयोगी हैं खास तौर से मैंने कहा, माताओं और बहिनों के कम से कम तीस प्रतिशत स्थान की आज ही घोषणा करिये नौकरियों में आरक्षित करने की खिलाड़ियों को पंचायतों में नौकरी का आरक्षण दीजिए और माताओं और बहिनों की जो आवश्यकता है, मैंने पहले भी कहा और जोर देकर कहना चाहता हूं, वहां पर आप लेटरिन बनाने की व्यवस्था करें। आपने समय दिया धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार : सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की सहमति से आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन की आज्ञा हो तो सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

मांग संख्या 41 पर विचार

श्री हेमाराम चौधरी (अनुपस्थित) श्री अमरचन्द (अनुपस्थित) श्री शोपतसिंह

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ) : माननीय सभापति महोदय, मैंने भी अपने कटौती प्रस्ताव इस पंचायत राज व्यवस्था पर दिये हैं और पंचायत राज व्यवस्था किस तरह से हो, किस तरह से नहीं हो, राजीव गांधी का ही इस पर कोई सोच नहीं हैं। यह कोई सोच राजीव गांधी ने नहीं दिया इससे पहले भी पण्डित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, इन्दिरा गांधी के टाइम पर, वक्तन–बवक्त न लगातार इस पर विचार होता रहा कि इन पंचायतों को हम किस तरह से सशक्त बनायें, किस तरह से उनको पावरफुल बनायें। विकास की भागीदार कैसे ज्यादा से ज्यादा बनें इसके लिए बलवन्त राय कमेटी, इसके लिए गिरधारीलाल व्यास कमेटी, और इसके लिए अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशें हैं। अब भी वह रिपोर्ट इस सरकार के पास हैं। अगर थोडी बहुत भी यह सरकार गम्भीर होती, अगर राजीव गांधी वाकई में यह चाहते थे कि हमारे ग्रामों का विकास हो, उसको ज्यादा ताकत मिले तो इन कमेटियों पर विचार किया जा सकता था। देश की जनता,

(श्री शोपतसिंह)

मंत्रियों, पंचायत मंत्री के सामने इस बात को रखते, उन सिफारशों पर विचार करत कि इन सिफारशों में क्या कहा गया है। माननीय सभापति महोदय, कोई भी सरकार पंचायतों के मार्फत विकास करे, हमारे चुनावों की पद्धति क्या है, जरा सोचें तो सही आप। किसी ने इस बात पर विचार नहीं किया। मैंने इस सवाल को इस सदन में रखा कि आज हमारे प्रधानों के चुनाव कैसे होते हैं। पंचायत मंत्रीजी बैठे हैं। बतायें आप थोड़ा सा, कैसे होते हैं। चाहे राजीव गांधी पैसा दे दें चाहे कहीं से पैसा आ जाय, कलक्टर दे दे पैसा और चाहे पैसा कितना ही दे दें, कौन लोग हैं वह। सरपच, पंच और पंचायतों के प्रधान कौन से तबके में से हैं।

वही शिड्यूल्ड क्लासेज हैं, वही शिड्यूल्ड तबके हैं, वही जागीरदार हैं, वही चौधरी हैं, कोई भी गरीब तबके का नहीं है। आपने कम्पीटीशन कर दिया, जो दारू पिलायेगा, जो पंचों, सरपंचों को ज्यादा उठाकर ले जायेगा वह सरपच बनेगा। इस व्यवस्था में आप तरक्की करना चाहते हैं। यह नामुमकिन है। इस व्यवस्था को बदलिये। मैंने इसी सत्र में कहा था कि यदि आप पंचायतों के बारे में गंभीर हैं तो आप गांव के लोगों को सरपंच का चुनाव करने दीजिये। आप एक ढोलकी रख दीजिये। प्रधान की, प्रमुख की। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखने की जरूरत नहीं। जिस तरह विधायक का पांच साल का पीरियड है उसी तरह से सरपंच का, प्रधान का, प्रमुख का पांच साल का पीरियड हो जाये, तीन साल का पीरियड हो जाए आप तय कर दीजिये। आम जनता के वोटों से आये। यह शराब पिला कर जागीरदार को लाओ, उन्हीं सेठों को, उन्हीं सूदखोरों को लाओ और चाहते हो विकास? आज राजीव गांधी बार-बार बंगाल की तारीफ करते हैं। वहां के पंचायत कानून की तारीफ करते हैं। आपने उसको पढ़ा है यह मैं मंत्रीजी से पूछता हूं। आप सरपंच को पचास हजार का चैक देकर, सरपंच को तीस हजार का चैक देकर विकास करना चाहते हैं। हमें आपकी ईमानदारी पर शक है। दरअसल आप चुनाव को नजदीक आकर पैसा देना चाहते हैं ताकि आपके वोट पक्के हो। सरपंच के जिम्मे आप यह लगाना चाहते हैं। आप कितने ईमानदार हैं कितने नहीं मगर आपने यह काम किया है सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिये। हाऊ टू करप्ट दी वोटर यह आपका रास्ता है। यदि आप में थोड़ी बहुत ईमानदारी होती, आप चाहते हैं कि ग्राम पचायत को शक्ति दो, उनका विकास हो तो हमारे सामने सबसे बड़ी बेहतर मिसाल बंगाल की है। बंगाल सरकार ने रुपया नहीं दिया तमाम विकास का भागीदार पंचायत को बना दिया। सड़क का फैसला कौन करेगा, वहां की जिला परिषद् करेगी। जिले में कहां-कहां सड़कें बनानी हैं, कहां-कहां स्कूल खोलने हैं, कहां अस्पताल खोलने हैं, कहां दूसरे विकास कार्य करने हैं, यह तमाम विकास के काम जिला परिषद् में होंगे, शक्ति का वितरण, डिसेन्ट्रलाइजेशन कर दिया। वहां की जिला परिषद सारी प्लानिंग बनायेगी। जिले का विकास वहां के मंत्री का काम नहीं है, अस्पताल खुले या सड़क बने यह

(श्री शोपतसिंह)

मन्त्री तय नहीं करता है । यह तमाम के तमाम विकास के काम, सारी शक्ति पंचायत को दे दी है । हमने क्या दिया ? दारू पीने वाले को सरपंच बना दिया । अब कहते हैं विकास करेंगे । दरअसल बात यह है कि आप विकास नहीं करना चाहते हैं । विकास करना है तो ग्राम जनता में से लोगों को आने दो । ग्राम कार्यकर्ताओं को आने दो । आपने बड़ा शोर मचाया कि हमने 30 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण, प्रतिनिधित्व दिया । क्या तीस प्रतिशत महिलाओं को, हरिजनों को प्रतिनिधित्व देने से गांव का विकास हो जायेगा । नहीं होगा । आपने तीस प्रतिशत मेम्बर बना दिया । परन्तु महिलाओं को पढ़ाने की फिक्र नहीं । क्या बात करते हैं । जिस देश में दहेज के कारण महिलाओं को रोज जलाया जाता है, दिवराला में जिस तरह से महिला को जलाया गया और आपको उनको पाने की फिक्र नहीं । पैदा होते ही मार दी जाती हैं । अब तो डाक्टर आ गये हैं, देखते हैं, चेक करते हैं और इस देश का प्रधानमन्त्री महिलाओं के अधिकारों की बात करे, जो यह नहीं रोक सकता । यह क्या हो रहा है । महिलाओं के साथ जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, जिस तरह के हालात हो रहे हैं आप इन जुल्मों को नहीं रोक सकते । आप इन बेहूदी हरकतों को नहीं रोक सकते । डाक्टर तय करता है कि लड़का होगा या लड़की । सरेआम अखबारों में प्रचार होता है....(व्यवधान).... हां देवी जी पता लगाते हैं । यह बात ठीक है । तय नहीं करते हैं । मेरी भाषा को आप समझ नहीं सकीं । डाक्टर तय नहीं करता है, डाक्टर बताया करते हैं ।....

श्री नाथूसिंह : बीनाजी को चेलेन्ज मत करिये ।

श्री शोपतसिंह : इनको तजुर्बा है । मैं यह कह रहा था कि डाक्टर अखबार में प्रचार करे, इसका एडवरटाइजमेंट करें, आओ बताता हूं तुम्हारे लड़का होगा या लड़की होगी । लड़का होगा तो अच्छी बात है और लड़की हो गई तो एबोर्शन । सरे आम जिस देश के अन्दर महिला वर्ग के प्रति नफरत पैदा की जा रही है, उसके खिलाफ साजिश हो, उस देश का प्रधान मन्त्री यह कहता है कि हमने हक दिया ? इनको शिक्षित करो, रोजगार में 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करो, कोई बात नहीं है । आप दीजिये ।

जवाहर योजना से हम खुश हुए । हम को लगा 2600 करोड़ रुपया दिया । हमने सोचा गांवों में जो दसवीं, बारहवीं, पास बेरोजगार हैं इससे उनको रोजगार मिल जायेगा लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया । बोले हम मजदूरी पर लगायेंगे । मजदूरी तो पहले ही दे रहे थे एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. आपकी यह दोनों स्कीम्स कहां है । आप बतावें । जिला परिषद् की मीटिंग में जवाहर योजना के बारे में बात हो रही थी । हमने पूछा एन. आर. ई. पी. कहां है । तो उसके आगे लिखा था बन्द कर दी गई । आपकी शराब वही है सिर्फ लेबल बदल दिया ।

श्री नाथूसिंह : माननीय भारद्वाज जी ने कहा है, इन्टरव्यू में कहा है कि वे इस जवाहर योजना से प्रसन्न नहीं हैं । इसकी

(श्री नाथूसिंह)

शिकायत वे प्रधान मन्त्री जी से करने जा रहे हैं। राजस्थान में यह ठीक से काम नहीं कर रही है।

श्री शोपतसिंह : यह तो रिजल्ट के बाद देख लेना।

आप लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। चार साल कहां सोये रहे। प्रधान मन्त्री को अब हमारा ख्याल आया। यह चुनाव के मौके पर याद आया। उसके पहले नहीं याद आया। यह सन् 1985 नहीं है। यह सन् 1989 और 1990 है जहां अब चुनाव होंगे। अब आपकी कोई भी बात ज्यादा दिन तक इस देश के लोगों को बेवकफ नहीं बना सकती है। अगर आप में थोड़ी बहुत ईमानदारी, गम्भीरता होती तो आप पहले अधिकार देते पंचायतों को। आपने पंचायतों को क्या अधिकार दिये। अधिकारों के नाम पर इन्तकाल के जो अधिकार थे, परसों इसी सदन में राजस्व मन्त्रीजी बैठे हैं, आपने मूव किया था जो पंचायतों के सरपंचों को अधिकार दिये थे इन्तकाल करने का, वापिस ले लिया। तहसीलदार के जिम्मे छोड़ दिया।....

श्री सभापति : ऐसा नहीं हुआ है।

श्री शोपतसिंह : आपने इस तरह के अधिकार दिये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य रिवेलिडिएट हुआ है। आपने उसको पढ़ा नहीं है।

श्री शोपतसिंह : नहीं ऐसा नहीं है। वापिस लिया है।

श्री सभापति : आपको पता नहीं। आपने पढ़ा नहीं है।

श्री शोपतसिंह : आपने तहसीलदार को वापिस अधिकार दिये हैं। मैंने ता है जब ही कहा है। मैं जानता हूं इसके इम्पलीकेशन्स क्या होंगे। आपने अधिकार दिये हैं तहसीलदार को। आपके कहने से क्या होगा। आप लोगों ने किया जब शासन गांवों की तरफ गया। सरपच ने पहले ही कर दिये नामान्तरण। अब आपने सारे अधिकार इन्तकाल के अधिकार तहसीलदार को दिये हैं...

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जो बाकी रह गये उसको निपटाने के लिये।..

श्री शोपतसिंह : सरपंच से गया था क्या ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अधिकार हटाये नहीं गये हैं जिन सरपंचों ने काम नहीं किया वह अधिकार तहसीलदार को दिये गये हैं।

श्री शोपतसिंह : आपने इन्तकाल का अधिकार तहसीलदार को देकर सरपंच के अधिकार को छीना है। आप व कानून क्या है मुझे मालूम नहीं है परन्तु आप शायद गांव में नहीं गये हैं,....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सरपंच के सामने पेश नहीं किया गया उनको।

श्री शोपतसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सारी बात के साथ-साथ यह कहना चाहूंगा।....

(म. प. 5.00)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री शोपतसिंह : जहां तक डिसेन्ट्रलाइशन की बात है हमें कोई परेशानी नहीं, हम चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि ग्राम का विकास ज्यादा से ज्यादा हो। अभी जवाहर योजना में आपने यह जो अभी न के महीने में सरपंचों को पैसे दिये हैं पंचायत मन्त्रीजी आप जरा पूछना कि कितना पर्सेंट सरपंचों ने काम करा लिया। आपने कण्डीशन लगाई है 50 पर्सेंट आओ गंगानगर के लोग तो 50 पर्सेंट लेंगे....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कोई पाबंदी नहीं है जानकारी पूरी करने के बाद कहो आप।

श्री शोपतसिंह : 25 परसेंट रखी है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कोई प्रतिशत नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें। काफी बोल लिये आप।

श्री शोपतसिंह : मैं इसी सुझाव के साथ कि कम से कम आप पचायत की एक तो डीलिमिटेशन कीजिये. पंचायतों का डीलिमिटेशन होना चाहिये जितनी छोटी पंचायतें होंगी आपका पंचायत का विकास उतना ही अधिक होगा। मेरे गंगानगर जिले में अभी 15 हजार की एक पंचायत है, दो हजार आबादी की पचायत है, 15 हजार आबादी की पंचायतें हैं। माननीय सभापति महोदय, हमने गत वर्ष भी यह बात कही थी कि जब तक आप पंचायतों का डीलिमिटेशन नहीं करेंगे, पंचायत समितियों का डीलिमिटेशन नहीं करेंगे पंचायत के क्षेत्र को छोटा नहीं करेंगे जितना छोटा यूनिट होगा, आप मेक्सीमम फिक्स कर दीजिये दो हजार से कोई छोटी पंचायत नहीं रहेगी और 5 हजार से कोई बड़ी पंचायत नहीं रहेगी। गांव का एक यूनिट है उसकी 7 हजार की पंचायत है तो आप उसको रहने दीजिये एक पंचायत के अन्दर। मगर यह तय कर दीजिए कि जितनी छोटी होगी, हमारा तजुर्बा है पंजाब और हरियाणा का....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसके साथ-साथ मैं यह चाहता हूं कि पंचायतों के चुनाव की जो व्यवस्था है उसमें संशोधन लायेंगे कि आम जनता के वोटों से ही सरपंच बनेगा, आम जनता के वोटों से ही प्रधान और प्रमुख बनेगा तो तो मैं समझूंगा आपकी बात कि आपके इरादे भी कुछ ठीक है नेक इरादे है अदरवाइज मैं यही समझूंगा इस बात का मतलब होगा (व्यवधान) कि पैसे दे रहे हैं वह तो वोट पक्के करने के लिए दे रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री भोलाराम सैनी।

श्री भोलाराम सैनी : माननीय सभापति महोदय,....

श्री मुक्तिलाल मोदी : पहले मेरे कट मोशन हैं।

श्री सभापति : मैं आपको बुला रहा हूं इनके बाद।

श्री भोलाराम सैनी।

श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने पंचायत राज को मजबूत करने के लिए एक निर्णय लिया है। यह बहुत ही सराहनीय है और पूरे देश में पंचायत राज का एक ही विधान रहेगा। हमारे राजीव गांधी ने सोचा कि किसी प्रान्त में कोई नियम है पंचायत राज का और किसी प्रान्त में कोई नियम है इसलिए यह विचार करके और सब राज्यों से राय लेकर के हमारे देश के प्रधान मन्त्री इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि पंचायत राज को कैसे मजबूत किया जाये। पंचायत राज को मजबूत करने में जवाहर योजना जो हमारे प्रधान मन्त्री लाये हैं इससे सरपंचों को विशेष अधिकार दिए गए हैं कि वह खुद ही मस्टररोल पास करें और खुद भुगतान करें और खुद अपनी मर्जी से जो कार्य कराना है वह कार्य करायें। पहले सरपंच को यह पावर नहीं था कलक्टर के यहां से सैंक्शन लेनी पड़ती थी कि यह कार्य आपको दिया जाता है। अब पंचायत को सरपंच को यह अधिकार दिये गये हैं कि खुद ही सरपच अपनी मर्जी से पंचायत की मीटिंग बुलाकर के जो काम गांव में करना है, वाजिब है वही काम करने के लिये उनको सक्षम बनाया गया है। इसमें गांव की जनता को गरीबों को लाभ होगा और जिस गांव की मांग है वही कार्य होगा।

अभी विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि पंचायत राज चुनावों तक है। मेरी जानकारी के अनुसार यह विपक्ष बौखला गया है कि पचायत राज मजबूत हो गया तो हमारी सरकार जो हम बनाने वाले हैं, नहीं बनेगी और हम जीत कर नहीं आयेंगे, यह जानकारी इनको हो गई है। जवाहर योजना में गरीबों को धन्धा मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो यह योजना निकाली है इससे गरीबों को बहुत ही लाभ होगा और इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें पहले प्रायोरटी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब को दी गई है। इससे गरीबों को लाभ होगा। इस जवाहर योजना के तहत, जिस घर में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है उनको सरकारी नौकरी देने का प्रावधान रखा गया है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : नाथूसिंह जी इनको बोलने दीजिये।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं....

श्री सभापति : नहीं नहीं, Le him speak.

श्री नाथूसिंह : नेहरू जन्म शताब्दी पर जवाहर रोजगार योजना का नाम निकला, उसमें नेहरू रोजगार योजना रखना चाहिये था लेकिन रख दिया जवाहर रोजगार योजना। यह इसलिये रखा कि पहले अरुण नेहरू मन्त्री मण्डल में थे और अगर नेहरू रोजगार योजना रख देते तो लोग समझते कि अरुण नेहरू की योजना है और इस समय अरुण नेहरू जनता दल में हैं इसलिए इसका नाम जवाहर रोजगार योजना रखा है। जवाहर का तो नाम ही नहीं आता हैं, हमेशा नेहरू का ही नाम आता है।

श्री भोलाराम सैनी : माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय नाथूसिंह जी ने जो अभी बताया मैं यही याद दिलाना चाहता हूं माननीय विपक्ष के सदस्य को कि जब गांधी सागर और भाखड़ा डैम पण्डित नेहरू बनवा रहे थे तो उस समय यह कह रहे थे बहुत पैसे लगवा दिये देश के, आज भाखड़ा डैम और गांधी सागर की देन है जो बिजली पैदा होती है और देश को पानी मिलता है और हमें अनाज पहले बाहर से खरीदना पड़ता था और वह आज हम दूसरे देशों को देने में सक्षम हैं और हमें अन्य किसी देश से अनाज मंगाने की आवश्यकता नहीं है। आज इन्दिरा गांधी नहर कितनी बड़ी है। आज गांधी सागर से कितनी बड़ी सिंचाई होती है कोटा डैम से कितनी सिंचाई होती है। आज हमने मध्यप्रदेश को भी नहर दी है....

श्री सभापति : नाथू सिंह जी, सुना आपने नाथूसिंहजी समझे आप ?

श्री भोलाराम सैनी : इनका तो आलोचना करने का ही कर्त्तव्य है, माननीय सभापति महोदय, यह जलधारा योजना इस जवाहर योजना में हमारे प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिये बनाई है। इस जलधारा से कुएं बनेंगे, उनके कुओं पर फव्वारे लगाये जायेंगे, यह भी एक सराहनीय कार्य है। यह माननीय विरोधी पक्ष के सदस्य बौखला गये हैं। ...

श्री सभापति : बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप।

श्री भोलाराम सैनी : माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधानमन्त्री ने एक बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया है जो अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें, जो महिलाओं को मौका नहीं मिलता था वह 30 प्रतिशत कोटा तय किया गया है, उसकी घोषणा की गई है वह महिलाओं के लिये एक सराहनीय कार्य है जिससे महिलाओं को राजनीति में आने का मौका मिलेगा और महिलाओं की बात कहने को और उनकी दिक्कतें सुनाने का उनको मौका मिलेगा। वह भी एक सराहनीय कार्य है।

माननीय सभापति महोदय, पंचायत राज में अभी जो मिडिल स्कूल, औषधालय ग्रामीण क्षेत्र में जो जिला परिषदों को दिये गये हैं इससे मेरी जानकारी के अनुसार मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे व्यवस्था ठीक रहेगी लेकिन मैं पंचायत राज मन्त्री से एक निवेदन आपके माध्यम से जरूर करूंगा कि अभी जो हमारी स्कूलें खुली हैं उसमें अभी तक अध्यापक नहीं लगे हैं। ग्रामों में जो नई प्राइमरी स्कूलें खोली थीं उसकी व्यवस्था में जिला परिषद तो यह कह रही है कि अध्यापक हम लगायेंगे और यह अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है यह निर्णय शीघ्र कराया जाये क्योंकि बच्चों की स्कूलें जुलाई में खुल गई हैं और बच्चों के भविष्य का सवाल है, यह मेरा सुझाव है ...! (व्यवधान)

महिलाओं को ऊपर उठाया है ..

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दें। कृपया बोलें।

श्री भोलाराम सैनी : पंचायत राज में पंचायतों को आज इतने अधिकार दिये गये

(श्री भोलाराम सैनी)

हैं पंचायत अपना खुर्रा बना सकती है, पीने के पानी की टंकियां बनाई जा सकती हैं स्कूलों के कमरे बनाये जा सकते हैं, इससे गांव का विकास होगा। इसके साथ-साथ में एक सुझाव और देना चाहता हूं सभापति महोदय, पंचायत राज मन्त्रीजी को आपके माध्यम से, जो पंचायतें हैं वह बहुत बड़ी हैं। मेरा सुझाव है, छोटी पंचायतें होनी चाहिये। क्योंकि दस हजार की पंचायत बहुत बड़ी हो जाती है, उसका बहुत लम्बा चौड़ा एरिया हो जाता है। मेरे क्षेत्र में दो तीन पंचायतें ऐसी हैं, जैसे गुढ़ा है, मेरे पड़ोस में भिराना है वह नौ हजार वोटर की पंचायत है, गुढ़ा तो 11 हजार वोटर की पंचायत है। उसका क्षेत्रफल बहुत लम्बा चौड़ा है। इसलिए उस गांव का विकास होने में दिक्कत आती है। ढाणियों मे बसा हुआ है, उसकी छोटी पंचायत कर दी जाये तो विकास ज्यादा होगा।

धन्यवाद। जय हिन्द। मुझे मौका दिया।

श्री सभापति : माननीय श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : माननीय सभापतिजी, यह आज पचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की डिमाण्ड के लिये रखा है, मेरे कुछ सुझाव हैं। राजस्थान के अन्दर पंचायत बनीं उस वक्त सारे राजस्थान के लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई थीं परन्तु राजस्थान सरकार ने इन पंचायतों को जिस तरह से जो अधिकार देने चाहिये थे वह अधिकार नहीं दिये। आज पंचायतों की स्थिति इतनी खराब है कि उन गांवों के अन्दर न रोशनी होती है, न सफाई होती है। इसके अलावा पंचायत के अन्दर कोई भी काम पचायत नहीं करा सकती है। आज पंचायतों के अन्दर सबसे पहली बात तो यह है कि जो एक नेशन की चीज है, मनुष्य पैदा होता है उसके बाद दिमाग को आगे फैलाता है, पंचायतों को राजस्थान के अन्दर प्राइमरी स्कूल दिये हैं वह सबसे गलत काम है। सारा का सारा जो बेस है वह बेस ही खत्म कर दिया इस राजस्थान सरकार ने जो प्राइमरी स्कूल दिये। हाई स्कूल को देना चाहिये था। हाई स्कूल को पंचायत राज को देना चाहिये था जबकि प्राइमरी स्कूल दिये। प्राइमरी स्कूल में आज 30-30 हजार, 25-25 हजार, 10-10 हजार, 5-5 सौ रुपये फीस है। एक चपरासी भी सेण्ट जेवियर है, गायत्री देवी की स्कूल है, विद्या आश्रम है, कभी कौनसी स्कूल है उनमें भेजना ज्यादा पसन्द करेगा। वह तो शहरों के अन्दर है। 3-4 लाख की पापूलेशन थी जयपुर रियासत की, आज 15 लाख की पापुलेशन हो गई सिटी ही सिटी की। दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, गाँव खाली होते जा रहे हैं, माननीय सभापतिजी। तो पहला सवाल यह है कि प्राइमरी स्कूल पंचायत समिति के अन्दर हैं उनको हटा देना चाहिये। जिला परिषद को आप मिडिल स्कूल दे रहे हैं, औषधालय दे रहे हैं, मैं तो यह चाहूंगा सड़क, बांध और दूसरे जो काम हैं वह जिला परिषद को देवें, जिला परिषद उसकी व्यवस्था करे। जब आपने पचायतों से एन.आर.ई.पी. आर.एल.ई.पी. का काम हटा दिया तो पचायत समिति खत्म कर देनी चाहिये।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

उसके अन्दर आज जो इतना बड़ा विवाद बना रखा है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैंने तो बोलना ही शुरू किया है। पहले दूसरे लोगों को तो कम से कम दस मिनट दी थी, मेरे को तो दो मिनट हुए हैं।

ऐसी हालत में पंचायत समितियों को आप खत्म कर देंगे तो जो पैसा बचेगा वह पंचायतों को दीजिये आप। जिला परिषद् को रखिये। जिला परिषद और पंचायत दोनों रहनी चाहिये। पंचायत समिति के अन्दर आज इतना पैसा सरकार खर्च कर रही है वह खर्च नहीं किया जावे। भूदान यज्ञ विनोबाजी ने चलाया था उसमें ग्राम के अन्दर लगान और दूसरी व्यवस्थाएं हैं वह वहां होती हैं। आज जैसी लगान की व्यवस्था यू. पी ने की है, राजस्थान की सरकार भी कर दें तो ज्यादा अच्छा है। मैंने हमेशा यह कहा है कि जो अनुदान दो रुपया 75 पैसा है वह भी सरकार नहीं दे रही है तो पंचायत कैसे चलेंगी? जो जवाहर रोजगार योजना है, हमारी जिला परिषद की मीटिंग हुई थी उसमें सब लोगों ने यह कहा, प्रधान ने कहा, एम. एल ए. ने कहा, एम. पी. ने कहा कि जो आज सर्टिफिकेट सरपंच से बाद में लेते हो, पहले उसका एस्टीमेट बनाओ। तालाब खुदवाते हो तो पहले उसका एस्टीमेट बनाओ। बाद में उसका एस्टीमेट बनता है यह गलत है। क्योंकि आज सरपंच इस काम से फंसते हैं। मैं माननीय मन्त्रीजी से भी कहूंगा, जो भी काम कराओ उसका पहले एस्टीमेट बना लो। सरपंच आज डरता है। एक आदमी दूसरे की शिकायत करता है। हमने जिला परिषद में इस बात के लिये कहा परन्तु....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कमिश्नर नहीं माना, कलक्टर साहब नहीं माने कि उसका पहले एस्टीमेट बनायें। आप यह आर्डर कीजिये कि जवाहर रोजगार योजना के अन्दर जो पैसा आया है, कोई भी चीज शुरू की जाय उसका पहले एस्टीमेट बनाओं। आप जब करोड़ों रुपयों का एस्टीमेट बनाते हो, पंचायत समिति में जूनियर इन्जीनियर रखते हो, जिला परिषद में जूनियर इन्जीनियर रखते हो, अब तो आई.ए.एस सेक्रेट्री दे दिया, मेरा कहना यह है कि उसके अन्दर पहले एस्टीमेट बनाओ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरी बात सुनिये, यह कोई नहीं बोला जो बात बोल रहा हूं। पहले आप एस्टीमेट बनाओ और उसके बाद एस्टीमेट के आधार पर काम करो। सरपंच लोग आज डर रहे हैं। बाद में एस्टीमेट बनाते हैं, सरपंच इन्जीनियर को पैसा देता है। रिश्वत जब सरपंच ही देता है तो फिर दूसरा क्या नहीं करेगा। बाद में अधूरा काम पूरा होगा, यह पूरा हुआ, यह इतना होगा उसके बाद पैसा मिलेगा, यह ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर पंचायतों को आगे बढ़ाना है तो पहले एस्टीमेट बनाओ उसके बाद काम शुरु करो।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दूसरा मेरा यह कहना है कि जैसा जोशीजी ने कहा उसको मैं भी मानता हूं।

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

जो स्कूल हैं, पंचायत को यह अधिकार दीजिये कि वह देखे कि वहां मास्टर रहता है या नहीं रहता है। आज 80 पर्सेन्ट मास्टर नहीं रहते हैं और मिडिल स्कूल और दे दिये आपने। तो मिडिल स्कूल की हालत और ज्यादा खराब होगी। तो मेरा आपसे यह कहना है कि पंचायतों को यह अधिकार दीजिये वहां के हास्पिटल हैं उसको देखने के अधिकार दीजिये, वहां और कोई चीज है उसको देखने का अधिकार दीजिये। मिडिल स्कूल ऐसी जगह खोलते हैं जहां बिल्डिंग नहीं हैं, प्राइमरी स्कूल खोलते हैं वहां बिल्डिंग नहीं है, डिस्पेन्सरी खोलते हैं वहां बिल्डिंग नहीं है। सरकार के पैसे लगते हैं, तनख्वाह उठाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप ऐसी जगह स्कूल, डिस्पेन्सरी खोलें और फिर हाउस के अन्दर यह कहते हो कि डाक्टर नहीं जाते। नहीं जायगा डाक्टर। आप कितना ही जोर लगा लो उनकी यूनियन बनी हुई है, अध्यापकों की यूनियन बनी हुई है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उनको रहने के के लिए, मकान, लेट्रीन, बाथरूम, क्वार्टर, सब जब तक कि आप व्यवस्था नहीं करोगे, तब तक नहीं मानेंगे लोग, मैं आपसे आज कह देना चाहता हूं कि, आप कितनी ही कोशिश कर लें। क्योंकि यह वोट का राज है और वह भी वोट देते हैं। इसलिये मैं कहता हूं आप इस व्यवस्था को जब तक ठीक नहीं करेंगे, वह नहीं मानेंगे। पंचायत का जवाहरलालजी ने ऐलान किया था वह ठीक किया था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरे को दुख है इस बात का आज राजस्थान के अन्दर पंचायत के अन्दर परेशानी है, दिक्कत है वह सबसे ज्यादा है। जैसे पी. डब्ल्यू. डी., इरिगेशन दूसरे विभाग हैं उन विभागों के अन्दर उतनी दिक्कत नहीं है जितनी पचायत के अन्दर हो रही है। परेशान हैं सरपंच।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरा आपसे यह कहना है, भारद्वाजजी, कि जो दो रुपया 75 पैसा है वह अनुदान आप खुद को मालूम है आज तक नहीं दिया। वह अनुदान दिया जाय। जो दो सौ रुपया किया है वह भी गलत किया है 200 रुपया आप दोगे, पचायत के पास खाने के लिये, सफाई के लिये पैसा बाकी नहीं है। सफाई के लिये ही पैसा नहीं है, रोशनी के लिये पैसा नहीं है और 200 रुपया दो और 30 रुपया मीटिंग में आयेगा उसका भत्ता का दो, तो कहां से देंगे ? यह झूठी बात मत करो।

श्री सभापति : आपके कहने का मतलब यह है कि 200 रुपया प्रतिमाह नहीं देना चाहिये। आपका सुझाव क्या है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : सुझाव की बात नहीं है, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मैं आपके हित की बात कहता हूं, क्योंकि मैं 50 वर्ष से इस बात को जानता हूं और कांग्रेस के हित की बात कहता हूं, वह

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

काम करो कि सब लोगों को आप नीचा झुका सको। आप ऐसे हवा में आर्डर मत करो।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे को इसलिए दुख होता है कि हवा में आर्डर ठीक नहीं होते। सही आर्डर ठीक होते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि 200 रुपया और पंचों की मीटिंग का रुपया पंचायतों को सरकार दे। पंचायत समितियों और जिला परिषदों को भले ही खतम कर दो और सारे पावर्स पंचायतों को दो। डिस्पेन्सरी में डाक्टर जाता है या नहीं, स्कूल में जाता है या नहीं जाता है, पी. डब्लू. डी. का काम होता है या नहीं होता है। और दो बात और कह देता हूं फिर खतम करता हूं कि जो बड़ी पंचायतें हैं इनको छोटी की जाये। जैसे.... (व्यवधान)

आज मेरे कोटपूतली में 8 पंचायतें बैराठ की हैं वहां पहले तो पापुलेशन नहीं थी लेकिन अब तो पापुलेशन बढ़ गई। तो ऐसी 20-30 पंचायतें हैं....

श्री सभापति : समाप्त करें, कृपया।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह जिस तहसील की हों, उसी तहसील में दी जाये। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि पंचायतों को नगरपालिकाएं बना दीं जिनमें आज हड़तालें हो रही हैं। मैंने सरकार से भी कहा कि इनको तोड़कर वापिस पंचायतें बना दो ताकि कुछ तो विकास हो सके। यह मेरी दो-तीन बातें हैं जिनको आप अगर करेंगे तो आपका नाम होगा और लोग आपको वोट देंगे और हवा में उड़ाओगे तो पार पड़ना मुश्किल होगा।

श्री सभापति : अंतिम वक्ता, माननीय श्री चुन्नीलाल जी इंदलिया। पांच मिनिट में अपनी बात कह दें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : सभापतिजी, आज सदन में सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर विचार हो रहा है मांग संख्या 41 पर मेरे जो भी कटौती प्रस्ताव हैं उन पर मैं कुछ सुझाव दूंगा।

सभापति महोदय, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए जिसकी नींव भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने रखी और लम्बे अरसे तक जो कार्य अधूरा था गावों का सही स्वराज रूप बन नहीं सका। अब कुछ उम्मीद है कि भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी ने ग्राम पचायतों में महिला और अनुसूचित जाति के हरिजनों को रिजर्वेशन में उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए जो यह प्रस्ताव आया है उसका मैं स्वागत करता हूं तहेदिल से और उम्मीद भी करता हूं कि अब इस काम को इतने वर्षों के बाद पूरा किया जा सकेगा। सभापतिजी, गांधीजी के स्वराज ग्रामराज को अगर हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जो सरकार बनी है, यदि तहेदिल से चाहती है गांवों का विकास और गांवों को प्रतिनिधित्व देना, उन्होंने दिल से नहीं चाहा, सभापति महोदय, उन्होंने गांवों के लोगों को बहाना बनाकर पंचायती राज के नाम

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

पर गांवों का शोषण किया है। बहुत लम्बे अरसे तक देश के प्रान्तों का शोषण किया। ग्रामीण जनता को जो प्रतिनिधित्व देना चाहिए पंचायती राज को, बहुत लम्बे अरसे तक इस काम को अधूरा छोड़ा है, यह उम्मीद नहीं थी कि जो हमारी नई सरकार बनेगी तत्काल आजादी मिलने के बाद यदि सरकार ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधित्व देना चाहती थी लेकिन सभापति जी, ज्योंहि सरकार बनी, पांच साल, दस साल, प्रोग्राम के बाद इस सरकार में देश के राजा, नवाब और देश का शोषण करने वाले पूंजीपति कांग्रेस में घुसे और उन्होंने घुसकर इस पार्टी पर कब्जा किया। मुझे याद है, हम बहुत चिल्लाये। चिल्लाये शब्द आपके लिए यूज कर रहा हूं ताकि सहारा मिले। बहुत चिल्लाये इस कांग्रेस के लिए, इनमें बहुत कम लोगों को पता है कि कितने लोगों ने बलिदान किया है। मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके घर में शहीदों के कुर्ते हों खून से रंगे हुए। बहुत कम मिलेंगे। मैं किसी को चैलेंज नहीं करता लेकिन हमें गर्व इस बात का है। यदि पार्टी के अन्दर देश के बड़े-बड़े राजा, नवाब और पूंजीपति इसमें घुसकर, तीखी टोपी पहन कर और बढ़िया खादी पहन करके पंडितजी के नजदीक आ गये। हमने बहुत चेष्टा की। उसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनीं। उनको भी हमने कहा लेकिन नहीं मानी। लेकिन मुझे वह तारीख याद है हिन्दुस्तान के इतिहास को बदलने का जो दिन है। एक दिन आया और वह दिन आया भारत के राष्ट्रपति वी. वी. गिरि का नाम इंदिराजी ने रखा कि उम्मीदवार यह होना चाहिए। इस देश के पूंजीपति, राजा, महाराजा, नवाब जिनका पार्टी पर कब्जा है, उन्होंने आंख दिखाई। दूसरा नाम उनके सामने पेश किया। कैसे हो देश का विकास? कैसे हो गांव का प्रतिनिधित्व? जब पार्टी और सत्ता पर देश का शोषण करने वाले लोगों का कब्जा हो। इसलिए आपकी मजबूरियों को मैं जानता हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आखिर गिरि के चुनाव में देश का नया इतिहास बना और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिराजी के पक्ष में जिनका हमको यह विरोधी बताते हैं। इसी हाउस में हमने इंदिराजी की नीति का समर्थन किया। मुझे याद है सिर्फ 24 वोट मिले थे इंदिराजी के उम्मीदवार वी. वी. गिरि को राष्ट्रपति के चुनाव में। यहां सिर्फ 24 वोट मिले थे, मुझे याद है। कांग्रेस के शिवचरणजी माथुर, बरकतुल्लाह खां, लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सुमित्राजी यह कुछ गिने चुने लोग थे। उन दिनों मैं भारतीय क्रांति दल का एम. एल. ए. था। हमने वोट डाला। आप कहां इतिहास की बात कर रहे हो? कहां पचायती राज की बात कर रहे हो। आज सत्ता पर देश का शोषण करने वाले लोग काबिज हैं। आप उनको निकालें ऐसे तस्करों को, उनका सफाया होगा तब तो पचायती राज सफल होगा। राजीव गांधी की प्रगतिशील नीति से इसमें रोड़े अटकेंगे।

सभापति महोदय, मैं लम्बा भाषण देकर लम्बी बात नहीं कह रहा मैं माननीय सदस्यों और माननीय कांग्रेस के सदस्यों से जो श्री गांधी के सपूत हैं। गांधी के बताये हुए रास्ते पर विश्वास करते हैं वह आज पार्टी के भीतर सत्ता और सगठन

(श्री चुन्नीलाल इन्देलिया)

में जो दलाल घुसे हुए हैं उनका सफाया कीजिए, ग्राम पचायत, पचायती राज देश का पनपेगा और सफल होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभापति जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं कि आप आखिर में जाकर हमको मौका देते हैं।

श्री सभापति : पंचायत राज्य मंत्रीजी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : सभापति महोदय, आज बजट के सिलसिले में जो सामुदायिक विकास और पंचायती राजसस्थाओं पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और जो सुझाव दिये हैं उनमें बहुत से काम के और बहुत अच्छे सुझाव हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं कटौती प्रस्तावों के जरिये भी जो माननीय सदस्यों ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं उन सभी कटौती प्रस्तावों का उत्तर भिजवाऊंगा। वह तैयार हैं बिल्कुल, आज भी इसी समय मेरे पास मौजूद हैं, इसलिए उसमें कोई देरी का सवाल नहीं है। यहां जिन मित्रों ने सुझाव दिये हैं उनमें बहुत सी बातें पहले से हैं, कुछ समझने का फर्क है और कुछ नई बातें भी हैं जो की जानी चाहिए।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ था और उसके बाद जब हमने जनतंत्र का वरण किया था तो स्वतः ही जनतंत्र का शाब्दिक और व्यावहारिक अर्थ भी यही है कि उस सरकार का जो तंत्र है वह जन के हाथ में रहना चाहिए यानि मतदाता का राज रहना चाहिए यानि हम लोगों की भागीदारी होनी चाहिए यह है जनतंत्र का सीधा अर्थ। जैसा भी आपने और हमने चलाया, देखा कि जितने प्रान्तों की राजधानियां और जो केन्द्र की राजधानी थी अधिकांश में सत्ता उनके इर्द-गिर्द घूमती रही और विकेन्द्रीकरण की बात जब चली तो कहीं न कहीं रोड़े अटकते रहे। यह बात सही है कि राजस्थान ने सबसे पहले इसका श्रीगणेश किया। पण्डित जवाहर लाल नेहरू के मार्गदर्शन में 2 अक्टूबर, 1959 को हमने उस विकेन्द्रीकरण की शुरूआत की और उसके बाद हम उस पर बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और यह बात भी सही है कि किन्हीं कारणों से हमारे पैर रुके और विकेन्द्रीकरण का सबसे बड़ा काम जो समय पर चुनाव का था वह नहीं हो सका और उसी वजह से यह एक कमजोरी आयी। वास्तव में यह बात ठीक है, हमारे नेता राजीव गांधी कहते हैं कि कई बार हमने अधिकार दिये मगर दूसरे हाथ से वापस ले लिये। और जब ढिलाई आयी उसमें कोई शंका नहीं कि अधिकार; जो माननीय प्रति पक्ष के नेता भी कह रहे थे कि चुनावों में काफी दिन बीत गये और जैसा कि वह कह रहे थे कि सन् 1978 में उन्होंने 13 साल बाद चुनाव कराये। यह बात सही है कि उन्होंने 13 साल के बाद पंचायत राज के चुनाव कराये। यह तो प्रशंसनीय कार्य है। परन्तु मैं यह कहता हूं कि एक कदम चल करके ही ठिठक गये और मंजिल पर पहुंच नहीं सके और वे उसके बहानेबाजी में, अभी मित्र कह रहे थे कि हाईकोर्ट का स्टे है और माननीय नेताजी फरमा रहे थे कि कोई और कमेटी की बात

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

है। कमेटियां तो आपने खुद ने बताया है कि 8 साल तक कमेटी इस विकेन्द्रीकरण पर विचार करती रही है, उस पर सुझाव देती आयी है। जिसने कदम बढ़ाया, कमेटी ने तो आगे बढ़ाने की बात कही है, कभी कदम पीछे हटाने की बात नहीं कही। परन्तु सच बात तो यह है कि सन् 1978 में पंचायतों के चुनाव हुए तो तुरन्त ही एक ऐसी पोल निकली कि उसके आगे पंचायत समिति और जिला परिषद् बनाने की स्थिति में तत्कालीन सरकार रह नहीं सकी। मैं अपने इर्द-गिर्द के एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। किसी मित्रों से कोई दुर्भावना नहीं है पर चूंकि मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस समय पचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव क्यों नहीं हुए। सम्माननीय सभापति महोदय, इनके जो मुखिया लोग थे उन सबकी पंचायतें हार गई। मैं उदाहरण दे सकता हूं अभी, कहीं कोई मित्र नाराज हो जाय तो। अब मेरे तो भाई हैं ये।....

श्री नारायण राम बेड़ा : आप क्या घोषणा कर रहे हैं। आप तो उदाहरण दीजिये, आप तो घोषणा करो।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : मैं बता रहा हूं, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूं पर सच बात यह है कि मुखिया नेताओं के गांव की पंचायत सारी हार गई और इसलिए वे आगे पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव नहीं करवा सके। खैर, आगे बढ़े हम और सन् 1981 के अन्दर समग्र चुनाव जब शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले वायदा चुनाव का किया। जो 20 संकल्प थे उनमें से और चुनाव न केवल पचायतों के बल्कि पंचायत समिति और जिला परिषद् के पूरे चुनाव करवाये गये और उसके बाद ठीक है फिर हम टाइम पर चुनाव नहीं करा पाये। परन्तु अभी जब मुख्यमंत्री दुबारा शिवचरणजी माथुर आये तो सबसे पहला काम हमने चुनाव का हाथ में लिया। आप जानते हैं कि विरोधी पक्ष के अधिकांश नेता इस बात पर एतराज करते रहे हैं कि अकाल के टाइम पर यह चुनाव करा रहे हैं। कुछ मित्रों ने तो रोम के बादशाह का उदाहरण दिया कि साहब, वह तो बंसी बजा रहा था लोग भूखे मर रहे थे। यहां तो लोग भूखे मर रहे हैं, लोग चले गये प्रान्त छोड़ कर मजदूरी करने के लिए, वोटर्स तो है ही नहीं। काहे का चुनाव करा रहे हो इत्यादि, इत्यादि। कुछ जो एतराज सामने आये मगर सरकार ने बड़ी हिम्मत के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ सारे प्रांतों के चुनाव कराये और आपने देखा कि आपकी उन सभी बातों की पोल उसी बात से खुल गई कि 80 से 90 प्रतिशत तक मतदान हुआ, पंचायतों का। यह कोई साधारण बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अधिक प्रतिशत को इस रूप में भी कहना चाहता हूं कि जो विधान सभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 40–45 से लेकर 50–55 प्रतिशत के आसपास पहुंचता है और जब पंचायतों के चुनाव होते हैं यानी लोगों के खुद के चुनाव होते हैं तो उसमें दिलचस्पी बढ़ करके 80–85–90 प्रतिशत तक पहुंचता है। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि जनता अपने इस चुनाव का विकेन्द्रीकरण पसद करती है....

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्री महोदय, आप एक बात तो बता दें। माथुर साहब ने चुनाव करवा दिये। आप मंत्रिमण्डल में आ गये, चुनाव हो गये पर जोशीजी जो मौजूद थे उस वक्त क्यों नहीं करवाये जब भी समय था। समय तो उस वक्त भी खत्म हो गया था तब जोशीजी ने क्यों नही कराये ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैंने पहले भी कहा था चुनाव नहीं हुए उससे नुकसान ही हुआ। मैंने कब कहा कि फायदा हुआ है। जब-जब भी चुनाव नहीं हुए विकेन्द्रीकरण को पचायत राज व्यवस्था को नुकसान ही हुआ है इसलिए सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह अमेण्डमेण्ट लाया गया है। लोगों की मर्जी पर पंचायत राज को नहीं छोड़ सकते। इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने न केवल पहिचाना है बल्कि एक मुस्तैदी से कदम उठाया है। आज देश के नौजवान प्रधानमंत्री इस सारे पुराने हालात को देख करके और पंचायती राज के मामले को लेकर के विकेन्द्रीकरण का एक नया कदम आगे उठाने जा रहे हैं तो लोगों को 20 तरह की शकाएं और शक होने लगे हैं। माननीय विरोधी दल के लोग भी कुछ ने तो बहुत स्पष्ट तौर पर इसका स्वागत किया है। करना भी चाहिए परन्तु फिर बीच में यह कह देते हैं, गांव में कहावत है कि सारी रात तो भजन गाये और सुबह उठते ही कूकरवा बोल दिया। तो फिर क्या कहते हैं कि यह तो चुनाव आ गया। भई, पहले तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि चुनाव भी आ गया तो कोई अच्छे काम न करें। उसके बाद चुनाव आ गया तो एक तरफ तो आप कहते हो कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और एक तरफ कहते हो कि चुनाव आ गया हड़बड़ाहट हो रही है। तो आपको तो निश्चित रहना चाहिए बल्कि यह कहना चाहिए चुनाव के दिनों में अच्छे काम होने चाहिए और बाकी के दिनों में भी अच्छे करने चाहिए। तो यह जो कार्यक्रम चला है, सविधान में जो 64वां संशोधन लाया गया है उसमें एक बात यह कही गयी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने इसको कहा है कि यह राज्यों के अधिकार; दूसरे मित्रों ने भी कहा कि यह राज्यों के अधिकार की बात थी। ऐसी बात नहीं है। संविधान में जो कोट किया गया है वह राज्य शब्द है, स्टेट है। इस स्टेट का अर्थ है, भारत सरकार का मतलब भारत सरकार भी है, राज्य का मतलब एक सारा देश राज्य है हमारा, संघीय सरकार है वो ही राज्य से मतलब है। कहीं यह बात नहीं है कि केवल पंचायतों का काम प्रांतीय सरकारों के हाथ में है। इसलिए इसका अर्थ यह हुआ कि प्रांतीय सरकार भी और केन्द्रीय सरकार की दोनों यानी राज्यों से मतलब पूरे राज्य इसका ध्यान रखेंगे।...

श्री नत्थी सिंह : इसका मतलब राज्य सूची और केन्द्रीय सूची जो दो बनी हुई है वह गलत है, व्याख्या गलत है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह बिल्कुल सही है इसलिए यह संशोधन किया गया है। इस पर लोकसभा में भी खूब बहस हुई है। लोकसभा में बहुत मित्रों ने, बड़े-बड़े आपके मित्रों ने इस बात की दलील दी है कि यह लोकसभा में लाये जाने के लायक

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

नहीं था मगर उस दलील के बाद आपने देखा होगा। सही बात यह है कि यह जो कुछ कदम उठाया है यह संवैधानिक है और यह जनहित के लिए उठाया गया है। इस सम्बन्ध में

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय मंत्री महोदय लोक सभा में पेश हुआ था बहस नहीं हुई है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : शुरू में रखा जाने लगा तब लोगों ने बहस की थी। माननीय इन्दलियाजी वहां कहने लगे कि यह केन्द्र का सब्जेक्ट ही नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पार्लियामेंट में खाली पेश ही हुआ और आप कह रहे हो कि बहस हुई है। बहस नहीं हुई है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मुझे पता है जब पेश किया तब लोगों ने विरोध किया कि यह तो राज्य का सब्जेक्ट है केन्द्र का सब्जेक्ट ही नहीं है। जब यह पेश किया गया था तब यह बहस हुई थी और उस बहस के अन्दर यह बात सिद्ध हो गई कि यह केन्द्र के भी करने का काम है।

आज जो नया बिल आया है उसके मुख्य मुद्दे 11 हैं। पहली बात है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना। आप जानते हैं कि यह जो कमियां कभी 5 साल में कभी 7 साल में और कभी किसी ने कम्पलेंट कर दी, कभी किसी संस्था को कम कर दिया, कभी हटा दिया, कभी घटा दिया। इन सारी चीजों को देखते हुए माननीय प्रधान मन्त्रीजी ने यह नया कदम उठाया है। संवैधानिक व्यवस्था देना है और फिर जैसे विधान सभा और लोक सभा में हमारी जो संवैधानिक मान्यता है ठीक उसी प्रकार से पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जा रही है।

दूसरी बात इसमें नियमित चुनाव की प्रक्रिया है। हर पांच साल के अन्दर इसका चुनाव होगा और वह चुनाव भी चुनाव आयोग के द्वारा होगा। चुनाव आयोग जिस तरह से वहां चुनाव करवाती है चुनाव हमारे यहां पर उसी प्रकार से होते रहेंगे।

त्रि-स्तरीय व्यवस्था के बारे में भी स्पष्ट किया गया है। क्योंकि कहीं द्वि-स्तरीय व्यवस्था थी, कहीं तीन थी यद्यपि कुछ छोटे प्रांतों को जो पहाड़ी इलाके हैं उनको उससे मुक्त रखा गया है।

चौथी बात है कि राज्य में ग्राम पंचायतें और वार्डों की जनसंख्या का अनुपात एक समान बनाना। जैसा कि अभी शिकायत कर रहे थे शोपतसिंह जी तो यह कह कर चले गये कि साहब, कहीं 15 हजार की पंचायत है, कहीं 10 हजार की तो कहीं 12 हजार की है। यह ठीक बात भी है। इसलिए इस बिल में यह भी व्यवस्था की गई है कि इनके वार्डों का और पूरी पंचायत का जहां तक हो सके आपस में सामन्जस्य होना चाहिए।

पांचवां अनुसूचित जाति सदस्यों के लिए....

श्री दिग्विजय सिंह : मन्त्री महोदय आप यह भी स्पष्ट कर दें कि यह पुनर्सीमन कौन करेगा ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जब यह बिल बन जायेगा तो सरकार करेगी।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यही तो कह रहा हूं कि जब केन्द्र को अधिकार मिल जायेंगे तो आप करेंगे या केन्द्र करेगी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : करेंगे तो अपन ही। जब कानून बन जायेगा तो करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक क्यों नहीं किया ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मन्त्री महोदय आप इस बिल को तो छोड़िये। आप तो कटौती प्रस्तावों का जवाब दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि पुनर्सीमन कौन करेगा ? जो अधिकार मिल रहे हैं यह केन्द्र करेगी या स्टेट करेगा।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सारी राज्य सरकारें करेंगी। सारी सरकारें पाबन्द होंगी, देश में एकसा कानून बनने के बाद। यह मन मर्जी नहीं चलेगी, कोई प्रांत ने कर दिया, किसी ने नहीं किया। इसलिए एकरूपता लाने के लिए वह कानून बनाया गया है।

फिर इस के बाद विकास कार्यों में कृषि की योजना तैयार करने की जो बात कही गई थी कि योजनाएं नीचे बननी चाहिए। नीचे योजनाएं बनाने के लिए योजनाओं का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। कुछ मित्रों ने इसकी जो आलोचना की है शायद उनको इसकी जानकारी नहीं है। पहले पंचायत समिति सुझाव देगी योजनाओं का वह योजनाए जिला परिषद् में जाकर के जिला स्तर की योजनाएं हो जायेंगी। उनसे केवल वही योजनाएं बाहर रहेंगी जो प्रांत स्तर की या राष्ट्र स्तर की हों बाकी जिला स्तर की सभी योजनाएं विकेन्द्रीयकृत रूप के अन्दर बनायी जायेंगी। यही संस्थायें योजनाओं का पालन करेंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक बात बता दीजिए कि आठवीं पंचवर्षीय योजना पंचायतों की मार्फत बनेगी, यह बात सही है न ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : और यही संस्थायें योजनाओं का पालन करेंगी।.... (व्यवधान) अब जो व्यवस्था की जा रही है, वह तो यही की जा रही है। अब उसमें हम कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, यह बात सिद्धान्ततः तय की जा रही है। आज नहीं, तो कल शुरू होगा, इसमें क्या बात है ?

संस्थाओं के करारोपण सम्बन्धी शक्तियों में वृद्धि, वित्त आयोग का गठन, पंचायतों के लेखों की व्यवस्था नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से करवाना, संस्थाओं के चुनाव-कार्य चुनाव आयोग के नियन्त्रण में लाना इत्यादि ये जो ग्यारह बातें हैं इससे सारे देश में एकरूपता का सिद्धान्त लागू होगा। पंचायती राज तेजी से आगे बढ़ेगा। एक और, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने यह भी कहा कि इसमें क्या नई बातें हैं, यह तो साधारण सी बातें हैं। इसी से हम 29 बातों का अधिकार आगे देने जा रहे हैं पंचायतों को। कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है–पहला है। दूसरा है, भूमि सुधार और मृदा संरक्षण। तीसरा, लघु सिंचाई। जल प्रबन्ध और

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

जलाच्छादन, चौथा पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन। पांचवां मत्स्य उद्योग–ये सारी बातें पंचायती राज के उस बिल के अन्तर्गत लाये जा रहे हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं यानि एक तरह से सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। केवल नाममात्र का नहीं है। आप चाहें तो यह पढ़कर सुनाऊं, नहीं तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इन बातों के होने के बाद वास्तव में राजकीय हिस्सेदारी पूरी तौर पर पंचायती राज में होगी, केवल नाममात्र का पंचायती राज नहीं रहेगा।

श्री यदुनाथ सिंह : आप क्या करेंगे फिर ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : केवल प्रान्त का काम करेंगे। आप और हम दोनों। उनके ऊपर जो हम छाती पर बैठे हैं न, आप और हम सब मिल कर के विकेन्द्रीकरण को रोक रहे थे, इसीलिए तो यह सारा मामला राजीव गांधी ने उठाने की बात की है।

श्री दिग्विजय सिंह : इसीलिए एक जगह कर दिया है। इसीलिए उस मामले को केन्द्रीकृत कर दिया है, केन्द्र में उसको ले लिया है, विकेन्द्रीकरण का केन्द्रीकरण कर दिया है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : 29 बातें जो मैंने बतायीं, यह सारे अधिकार जो मैंने और आपने ले रखे थे, यह सब पचायती राज को जाकर के विकेन्द्रीकरण हो रहा है या केन्द्रीकरण हो रहा है ? इससे बड़ा कोई विकेन्द्रीकरण हो नहीं सकता।

माननीय सदस्यों ने कुछ एतराज पेश किये हैं, कुछ मामले उठाये हैं, उनके बारे में भी कुछ सफाई मैं देना चाहूंगा। पहले प्राथमिक शिक्षा पंचायतों के हाथ में थी, अब उच्च प्राथमिक शिक्षा भी पंचायत राज को दे दी गयी है। इस मौके पर शिक्षा के मामले में जो कमियां और खामियां माननीय सदस्यों ने बतायी हैं, उसमें कई बातों में सत्यता है। परन्तु मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कई लोग यह वातावरण बनाना चाहते हैं कि पंचायती राज में प्राथमिक शिक्षा के आने के बाद स्तर गिरा है। यह पीछे की तरफ नहीं देखते कि प्राथमिक शिक्षा आज भी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है तथा वही उसका बजट देता है शिक्षा विभाग ही उसका केरीकुलम तय करता है टीचरों की पोस्ट वह देता है, केवल पचायती राज इसकी व्यवस्था मात्र करता है। अब यदि कहीं कोई खामी है तो यह बात सही है। हमने शिक्षा विभाग को बड़ी गम्भीरता से निवेदन किया है कि जो नार्म्स शिक्षा विभाग के हैं, वह पूरे के पूरे पंचायती राज को देने के बाद भी लागू रहने चाहिए। शिक्षा विभाग के नार्म्स बने हुए हैं, अध्यापक इस हिसाब से मिलने चाहिए। शिक्षा का यह स्तर होना चाहिए, यह कार्य होना चाहिए। आखिर, जब शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हमारे यहां पंचायती राज में आ गयी, तो फिर वह के वह नार्म्स नहीं रहते हैं। तो अनेक दिक्कतें पैदा होती हैं। आपने कहा है कि अध्यापक नहीं हैं, मैं मानता हूं कि अध्यापकों की

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

कमी है। उसको हमने गये टाइम के बाद दूर करने की कोशिश की है, मगर बहुत सारी कमियां आज भी हैं। परन्तु, हमने शिक्षा विभाग को बड़ी गम्भीरता से निवेदन किया है कि वह अपने हिसाब से पूरे अध्यापक दे और सारे एज्यूकेशन के जो नार्म्स बने हुए हैं, वो के वो लागू किये जायें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह बता दीजिए कि कितने अध्यापकों की कमी है ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यापकों की कमी है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपने मान तो लिया।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जिनको काफी निकाला है, अब भी काफी कमियां हैं, जिनको हम शीघ्र ही दूर करने जा रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छः हजार अध्यापकों की कमी है। इससे बड़ा शिक्षा व्यवस्था के लिये ग्रामीण क्षेत्र में क्या अन्याय होगा ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जो कमियां आप बता रहे हैं, मैं एक्चुअल फीगर्स तो आपको नहीं दूंगा, पर आपकी बात मान लेता हूं। यदि यह छः हजार अध्यापकों की कमी है, उसको हम निकालेंगे और नीचे लाने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं आइन्दा कमी और निकालेंगे।

श्री नवरंग सिंह : कम से कम 15 हजार अध्यापकों की कमी है। छः से कुछ नहीं होना जाना है, 15 हजार।

श्रीमती सुमित्रासिंह : विपक्ष के नेता ने गुमराह कर दिया। (व्यवधान)

श्री हंसराज मिढा : पांच सौ की सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ही कमी है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं आपसे निवेदन कर रहा था अध्यापकों की संख्या के बारे में कुछ लोगों ने एतराज किया। माननीय नवरंग सिंह जी ने भी किया। कुछ लेने की प्रक्रिया में भी गलतियां, कमियां और खामियां हैं यानि अध्यापकों के चयन में भी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : जब आपने मान लिया कि छः हजार की कमी है, तो अब तक भर्ती क्यों नहीं हुई छः हजार की। किसी को कहा क्यों नहीं करने को।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैंने तो कहा कि इस समय मेरे पास फीगर्स नहीं हैं। छः हजार तो मैं मान लेता हूं जब विपक्ष के नेता कहते हैं। उसको हम कम करेंगे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह तो ज्यादा बेहतर है कि छः हजार तो आपने मान लिया। लेकिन भर्ती कब तक कर लेंगे, अब तक भर्ती क्यों नहीं की ? क्या आपत्ति थी ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : शीघ्र ही की जाएगी। मैं अध्यापकों के लेने के बारे में निवेदन कर रहा था जैसा कि नवरंग

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

सिंहजी ने कहा हमारे पास कुछ इस तरह की शिकायतें आयीं कि चयन प्रक्रिया में कहीं कुछ कमियां खामियां हैं । हमने इस चयन प्रक्रिया को ठीक करने के लिए नये आदेश जारी किये हैं और हमने कुछ तो वरीयताएं तय की हैं, लेकिन पहले से सेलेक्ट हो चुके थे या जो पहले से काम कर रहे थे, हाईकोर्ट ने भी ऐसे दिशा निर्देश दिये हैं और सरकार ने भी दिशा निर्देश दिये हैं कि जो पहले से काम करते आ रहे थे उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये । फिर हमने यह कहा है कि जिसकी उम्र निकल रही है....

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह चयन प्रक्रिया कब तय की है और कब से लागू हो जायेगी ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप मेरी बात तो सुन लो, तो प्रश्न ही नहीं करोगे । सुनने की कोशिश कीजिए ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मन्त्री महोदय, एक प्रश्न है अध्यापकों के बारे में । आपने जो अधिकार लेने का कहा है जिला परिषद् में उनकी सर्विस होगी या गवर्नमेंट की होगी यह बता दें । यह बताना मुश्किल नहीं है, यह सर्विस किसकी होगी ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सारी बातों पर प्रकाश डालूंगा, थोड़ी-सी आप शान्ति रखें ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं तो प्रकाश में हूं । आप सोचो ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं अध्यापकों की बात पूरी की पूरी बताऊंगा । मैं बता रहा हूं न, मैं आपको एक-एक कर बात कहूंगा, या एक ही बार कहूगा ।

श्री सभापति : सुनें माननीय सदस्य ।

श्री हंसराज मिढ़ा : माननीय मन्त्री महोदय, तीन साल से नब्बेटीबी में मास्टर नहीं गया और तनख्वाह ले रहे हैं पंचायत समिति से । तीन तहसीलों की एक पंचायत समिति है ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यापकों की चयन प्रक्रिया को न्यायसगत बनाने के लिये हम ने निर्देश दिये हैं कि जो सेलेक्टेड थे और पोस्टों की कमी थी, नई पोस्टों में पहले उनको भर्ती किया जाए । दूसरा यह किया कि जो पंचायत समिति में काम कर रहे थे द्वितीय वरीयता उनको मिले तीसरी वरीयता उन लोगों को मिलेगी, जो निकट भविष्य के अन्दर ओवरएज होने जा रहे हैं, चौथे जो सरकारी कर्मचारी मर गये हैं और उनके आश्रित हैं उसको भी कायदे के हिसाब से प्राथमिकता मिलेगी । इसके बाद जो पोस्टें बचेंगी, उन सब को बाकायदा मेरिट फार्मूले से पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा ताकि किसी प्रकार की शिकायत चयन के मामले में न आवे, हमने इस प्रक्रिया को ठीक किया है । अब जो अध्यापक लिये जा रहे हैं, उसी प्रक्रिया के तहत लिये जा रहे हैं ताकि किसी को इस तरह की गुंजाइश नहीं रहेगी कि किसी के साथ अन्याय हुआ है ।

श्री नवरंग सिंह : प्रधानमंत्री जी की तीन महीने में अनुसूचित जाति और जन-

(श्री नवरंग सिंह)

जातियों के पदों को भरने की जो घोषणा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इन सारी बातों का ध्यान रख करके जो हम अध्यापक ले रहे हैं, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के भी अलग से मेरिट से पूरे कोटे को भरेंगे।

श्री नवरंग सिंह : अब तक तो आपका कोई सर्कुलर ही नहीं पहुंचा, अगस्त में तीन महीना हो जाएगा उनकी घोषणा को ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हम पूरे कोटे को भरेंगे, जो अध्यापक लेंगे।

श्री रामदेव चौधरी : मंत्री महोदय, आप एक बात का जवाब दीजिए। एक मिनट मेरी सुन तो लें आप। आपने जो यह प्रायोरिटी बता दी ...

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : थोड़ा सा लिख कर फिर मैं कहूंगा। मुझे बोलने तो दीजिए।

श्री रामदेव चौधरी : एक मिनट सुन तो लें आप। अब मैं बता रहा हूं। आपने सब प्रायोरिटी बता दी कि इतने ले लिये आपने मास्टर पर राजस्थान के बाहर के जो इतने ले लिये, उनका क्या करोगे ? यह किसने लिये ? जिला परिषद् ने लिये हैं, उनकी जिम्मेवारी किस पर है, मन्त्री पर है या कोई और पर है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : पहले मेरी सुन तो लो। उत्तर अब मैं दे रहा हूं। एक साथ तंग कर रहे हो। ले लिये जिनका पता नहीं। जहां तक आप लेने की बात कहते हैं....

श्री दिग्विजय सिंह : राष्ट्र एक है तो फिर....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : राष्ट्र एक है।

श्री दिग्विजय सिंह : राष्ट्र एक है तो फिर प्रायोरिटी काहे की है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मन्त्री महोदय, इस प्रांत के अनुसूचित जाति और जनजाति के गांव के मास्टर तो बैठे हैं, और राजस्थान के बाहर के लोगों को ले लिया है। जगह सारी भर ली उनसे और बात कर रहे हो प्रगतिशीलता की ? स्कूलें खाली पड़ी हैं मास्टर आते नहीं छोरे बेकार बैठे हैं और प्रगतिशील का भाषण दे रहे हैं आप। किसको सिखा रहे हो यह भाषण ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सभापति महोदय, इसीलिए तो संशोधन किया है चयन प्रक्रिया में क्योंकि ये कमियां सामने आयीं।

श्री सुन्दरलाल : राष्ट्र तो एक है, मगर हम घर के लोग तो भूखे मरेंगे और बाहर वाले खीर खायेंगे। यह क्या बताया कि राष्ट्र एक है ?

श्री रामदेव चौधरी : बाहर के जो लिये जा रहे है, उनको रोकने की कोशिश कीजिए। अपने यहां पी. एस. टी सी. और

(श्री रामदेव चौधरी)

यह जो लोग हाई पर्सेण्ट ला रहे हैं, बाहर में तो यहां की सरकार की डिग्री भी फर्जी है....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह शिकायत आयी, इसलिए ही तो यह व्यवस्था की है।

श्री नारायण राम बेड़ा : आपकी पंचायत समितियों में रहने वाले कौन थे साहब ? आपके ही लोग थे। पहले वह आयेंगे, इसीलिए तो वरीयता दी है। यह बात ठीक है पहले रहने चाहिये। मगर जो बाहर के आ रहे हैं, अब कई लोग जो 1985 से बराबर अध्यापक थे....

श्री दिग्विजय सिंह : आन ए पाइण्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। माननीय पंचायत राज्य मन्त्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस सदन में कही है और कहा है कि राष्ट्र एक है। राष्ट्र एक होने के नाते बाहर से भी हम अध्यापक ले सकते हैं। क्या हम यह मानकर चलें कि आपने यह निर्णय किया है कि आप जो टीचर अपोइन्ट करेंगे उसमें राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, यह कोई जरूरी नहीं है ? हम यह मानकर चलें क्योंकि आप जिम्मेदारी का भाषण दे रहे हैं फ्लोर ऑफ दी हाऊस पर। यह प्रेस में जायेगी, दूसरे स्टेट के लोग इसको पढ़ेंगे तो वो इसको क्या लेंगे। वो यहां नहीं आयेंगे भर्ती के लिए....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सदस्य, मैं उस बात का उत्तर दे रहा था कि कुछ लोग बाहर से आ गये हैं ...

श्री दिग्विजय सिंह : बात तो जिम्मेदारी से कहिए। हम मानते हैं कि राष्ट्र एक है। राजस्थान के बाहर के लोग आपके यहां एम्पलॉय करेंगे जबकि राजस्थान के जो टीचर हैं वो अनएम्पलोइड बैठे हैं, आप भी मानेंगे इसको।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इसीलिए तो यह नई व्यवस्था लागू की है सरकार ने। जो पंचायत समितियों में पहले लगे हुए हैं पहले उनका नम्बर आयेगा। इसमें बाहर से कहां आ गये ? यह तो आपके सब राजस्थान के, गांवों के लड़के हैं....
(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : सभापतिजी, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पर सरकार को बहुत सीरियसली बोलना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था कि इस नीति को स्पष्ट करे सरकार। यह बहुत ही नीतिगत प्रश्न है.... (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अगर नियमों के विपरीत कोई काम हुआ है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री नारायण राम बेड़ा : जब नियमों में यह है कि राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए .. (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : यह नियम का नहीं, नीति का प्रश्न है। आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, माननीय सदस्यों का तात्पर्य यह है कि आपने कहा

(श्री सभापति)

कि राष्ट्र एक है तो सभी लोग बाहर के आ जायेंगे। इसको क्लीयर कर दें कि राजस्थानियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : राष्ट्र एक इसलिए है कि इन्होंने यह कहा कि अब की नई प्रक्रिया में तो गुंजाइश ही नहीं है। नई प्रक्रिया में तो माननीय सभापतिजी गुंजाइश ही नहीं है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि बाहर से आ गये तो मैंने उसका यह जवाब दिया कि इसलिए आ जायेंगे कि राष्ट्र एक है, इसलिए आ गये होंगे, ले लिये होंगे प्रक्रिया में। अब यदि मौजूदा नियमों के खिलाफ आये होंगे तो मैं जांच करा लूंगा और अगर नियमों में होंगे तो ले लिये गये। कोई पाकिस्तानी हैं क्या वे ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं तो नियमों के मुताबिक ही बात कह रहा हूं। उनमें हमारे राजस्थान के गावों के ही आदमी आयेंगे।

श्री नारायण राम बेड़ा : सभापति महोदय, इस सलेक्शन की एक प्रक्रिया होती आई है और उसमें यह था कि जो भी आपका एम्पलोयमेंट ... (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह जो नई प्रक्रिया है इसमें राजस्थान के मूल निवासियों को ही प्राथमिकता मिलेगी।

श्री सभापति : राजस्थानियों की बात क्लीयर कर दी है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बता दिया न कि राजस्थानियों को ही प्राथमिकता मिलेगी।

श्री नारायण राम बेड़ा : जो आदमी राजस्थान के नहीं हैं उनके एम्पलायमेंट आॅफिस में नाम एनरोल कैसे हो गये विदाउट बोनाफाइड, यह बताओ आप तो। जब आपके, उस जिले के लोग नहीं हैं, बाहर के लोग हैं ... (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह जांच का विषय है। अगर किसी यू. पी. के आदमी ने राजस्थान लिखा दिया हो और नागौर का प्रमाण-पत्र दिया हो.... (व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : मन्त्री महोदय, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बोला और पहले कई बार मुख्यमन्त्रीजी ने भी कहा है कि जहां तक होगा उसी पंचायत समिति के मास्टरों को रोजगार दिया जायेगा, उसी जिले के अन्दर, उसी पंचायत समिति में क्योंकि स्कूलों के अन्दर मास्टर पहुंचते नहीं हैं ? तो क्या....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप पूरी बात सुनेंगे तो साफ हो जाएगा....

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : आपने जो बातें बताई, आपने बताया जिले का....

(व्यवधान)

श्री नारायण राम बेड़ा : राजस्थान के लोगों को लीजिए और जिनका गलत रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके खिलाफ क्या

(श्री नारायण राम बेड़ा)

कार्यवाही करेंगे.... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मन्त्री महोदय आप शांति से सुनिये । एक लिस्ट आपकी निकल चुकी है और वो नौकरी पर चले गये, दूसरी लिस्ट और निकल रही है..

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मेरी बात तो सुनिये....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जो लोग राजस्थान के नहीं हैं कैसे तो वो एम्प्लायमेंट में चले गये, कैसे उनको आपने भर्ती कर लिया । आप इनको स्ट्रिक्टली निकालिये । (व्यवधान)

श्री नारायण राम बेड़ा : आप अपने पर्टीकुलर जिले की बात कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप भी सुनेंगे ? आप सुनना ही नहीं चाहते ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जवाब आ गया उनका ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक बात कह दी और उसको आप सुनना नहीं चाहते ---

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : माननीय मंत्रीजी, मेरा निवेदन सुन लीजिए । बार-बार मुख्य मन्त्रीजी ने भी और सदस्यों ने भी आज जो अपनी भावनाएं बताई उसमें यह बताया है कि जहां तक हो उसी पंचायत समिति के लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाय ताकि स्कूल समय पर खुल सकें । जैसे बसों के टाइमिंग्स और कई कारण से मास्टर आते नहीं दूसरी पचायत समितियों से और मुख्य मन्त्रीजी ने भी कहा–सही भी है, प्रेक्टिकल भी है । अभी आपने जो फार्मूला बताया कि पहले उनको दिया जायेगा जो पहले से नौकरी पर हैं, बाद में उनको दिया जायेगा जो उनके आश्रित हैं या जो भी हैं उसमें तो आता नहीं है यह । मेरिट वाला जो आपने बताया उसमें तो पंचायत समिति के आयेंगे ही नहीं । जयपुर जिले के मान लीजिए, भीलवाड़ा जिला मान लीजिए, कोटा जिला मानिये तो मेरिट तो जिले की बनेगी । तो मेरा निवेदन करना है कि क्या इस ओर भी आपने ध्यान दिया कि जो पहले मुख्य मन्त्रीजी ने चार सौ रुपये का भर्ती करने का मास्टर का था उसमें यही भावना थी कि जहां तक हो उसी पंचायत समिति में वहां के अगर ट्रेंड टीचर हैं तो उनको पहले प्राथमिकता दी जायेगी । इसको कृपया थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए आप ।

श्री सभापति : कृपया सुनें । आर्डर प्लीज ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यदि माननीय सदस्य पूरी बात शिक्षकों को लगाने की व्यवस्था की सुन लेते तो इसमें से एक बात भी नहीं उठती ...

श्री सभापति : अब बता दें ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने जो व्यवस्था की है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । कृपया सुनें ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हमने जो वरीयता में यह दिया था न कि पंचायत समितियों में लगे हुए लोगों को वरीयता मिलेगी यानि अभी तक जो लग चुके थे वे कहां के लगे हैं आदमी गांवों के आदमी लगे हैं यू पी. के नहीं लगे हैं, पंचायत समितियों में और यदि पंचायत समिति ने भी टेम्प्रेरी यू.पी. के लगा लिये तो यह मेरी समझ में नहीं आती बात । यानि सारे आदमी गांवों के लगे हैं । अब फिर इससे एक कदम और आगे हम बढ़ रहे हैं । हम अब जो एक योजना ला रहे हैं शिक्षा की, वह बिल्कुल आपकी पंचायत समिति से भी नीचे उतरकर पंचायत को ला रहे हैं ...(व्यवधान)

हद हो गई । सुनना ही नहीं चाहते ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । पहले उनको सुन लीजिए । बीच में नहीं बोलेंगे, पहले सुन लीजिए । (व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : साहब, इनकी बात सुन लीजिए फिर जवाब दिलवाइये । कोई पर्टिकुलर शिकायत कर रहे हैं तो इनकी बात सुनकर जवाब दिलायें....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, यह तो यों ही करते रहेंगे, मैं आपको योजना बताता हूं । हम जो आईन्दा स्कूल खोल रहे हैं उनमें पचायतें ही अपने यहां से अध्यापक रखेंगी, आप तो पंचायत समिति की बात कह रहे हो ।....

(व्यवधान)

मैं तो पंचायत समितियों से ऊपर उठ कर पंचायतों की बात कर रहा हू । वे पंचायतों के अण्डर रहेंगे और यदि पंचायतों को शिक्षित मास्टर नहीं मिले तो अशिक्षित भी लगा सकेंगे....(व्यवधान)

इसलिए न तो गैरहाजिरी का प्रश्न है, न किसी अध्यापक को गलत लगाने का सवाल है । गांव की गांव के अन्दर पंचायत उसका अपोइन्टमेंट करेगी और पंचायत ही उसकी देखरेख करेंगी । इसलिए कोई गलती करने का सवाल ही नहीं है....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कुछ मित्रों ने जवाहर रोजगार योजना के बारे में अनेक..

श्री सभापति : संक्षिप्त में कहें ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बातें, चाहे उन्हें जानकारी नहीं होने से कही हों, मैं यह कहना चाहता हूं कि वैसे तो जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अलग से डिमाण्ड आ रही है उस पर खुलकर के सारी बातें होंगी पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत....

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : आपने मास्टर जो पंचायतों को बताये हैं, वह पंचायत शब्द आप करेक्ट कर लें....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अब आयन्दा हम खोल रहे हैं उसमें पंचायतें ही करेंगी । ग्राम पंचायत रखेगी । ग्राम पंचायत को दे रहे हैं हम तो अधिकार....

श्री सभापति : जोशीजी, आपको क्या एतराज है ? (व्यवधान)

श्री हंसराज मिढ़ा : जवाहर रोजगार योजना के सम्बन्ध में आप क्या समझे हैं ?....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री सी पी. जोशी : बिना एक्ट में प्रोविजो किये कैसे करेंगे ? एक्ट में प्रोविजो पंचायत समिति का है । प्रधान बी. डी. ओ. को एपाइन्ट करने की पावर है सरपंच कैसे करेगा ?

श्री नारायणसिंह (मालपुरा) : एपाइण्ट होता है तो वह रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह तो गवर्नमेण्ट आर्डर निकाल देंगे । (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में ही इस बात की जानकारी दी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन्त्री महोदय यह जानकारी करा दें कि क्या स्थायी अध्यापकों का चयन व नियुक्ति पंचायत करेगी ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : नयी योजना के तहत । अभी तक तो पंचायत समितियां अस्थायी तौर पर करती हैं जैसा जोशीजी ने कहा और स्थायी तौर पर डी. ई. सी. करती है । परन्तु हम जो नयी योजना ला रहे हैं । इस बजट में जो तीन हजार स्कूल खोल रहे हैं उसमें यह व्यवस्था कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत ही अध्यापक नियुक्त करेगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्थायी अध्यापक ? (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : नयी योजना में ग्राम पंचायत करेगी । अगर बजट भाषण पढ़ते तो शायद इतना अचम्भा नहीं करते । बजट भाषण में इसका इशारा किया गया है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बजट भाषण में ही यह लिखा हुआ है कि जहां नये स्कूल खोले जायेंगे जब तक स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं होती या कोई चला जाय उस बीच के अन्दर ग्राम पंचायत गांव के आदमी को स्कूल चलाने के लिए कह सकती है ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : नहीं, नहीं । अब जो तीन हजार अध्यापक लगायेंगे उसमें ग्राम पंचायत ही लगायेंगी ।

श्री नारायण राम बेड़ा : शिक्षा का भट्टा ऐसे ही बैठायेंगे । .05 प्रतिशत पर लायेंगे । (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : 17(4) की कार्यवाही जो अनुशासन की कार्यवाही है उस पर भी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा । मैं इसको भी स्पष्ट करना चाहता हूं । मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि इस अनुशासन की कार्यवाही को लेकर जो प्रक्रिया चलती है उसमें हमारे यहां बहुत स्पष्ट है । यू. पी. में एक चुने हुए सरपंच को एक एस. डी. ओ. केवल सस्पेण्ड ही नहीं कर सकता है. हटा भी सकता है । हमारे यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है । हमारे यहां जांच होने के

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

बाद सरकार से नीचे के किसी स्तर पर किसी सरपंच को कोई उसको सजा नहीं दे सकता है। उसके बाद भी उसको सुनने का मौका दिया जाता है, दुबारा जांच करायी जाती है उसके बाद आप कुछ लोग तो यह कहते हैं कि यह रखो ही मत

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चुने हुए पंचों को आपका सरपंच हटा सकता है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक तरफ तो यह कहते हैं कि सरपचों में कोई अनुशासन नहीं है। यह बेइमानी कर गया यह गड़बड़ कर गया सरपंच वह खा गया। यही तो आप सारे लोग आवाज लगाते हो। आवाज लगाते हैं ना ? अब जब अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन मत रखो यह तो 17(4) की कार्यवाही कर रहे हो। सच बात यह है कि किसी की गम्भीर शिकायत आती है तो जांच के बाद उसको सजा देना भी सरकार का काम है इसके बिना व्यवस्थायें बिगड़ती हैं और इससे पंचायती राज की छवि भी धूमिल होती है। इसलिए गड़बड़ करने वाले को सजा दी जायेगी और 17(4) की कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहन छंगाणी (फलोदी) : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपके पास इस तरह के कितने मामले आये गबन के सरपंचों के और आपने कितनों को माफ किया ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वह मैं अभी बताता हूं, गबन करने वाले किसी को माफ नहीं किया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय एक बात का मेरा भी जवाब दे दीजिए ...

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सदन की परम्परा यह रही है कि रिप्लाई देने के बाद प्रश्न करें। ऐसे तो रिप्लाई में व्यवधान हो रहा है बार-बार।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे प्रश्न का भी जवाब दे दीजिए साथ-साथ....(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, पहले सुन लें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, सरपंचों के विरुद्ध जो जांच के मामले हैं वह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। इस विभाग में कुल प्रकरण निम्न प्रकार हैं–प्राथमिक जांच के मामले 1560, विभागीय जांच के मामले 777 और मन्त्री स्तर पर हैं 446, गबन एवं अनियमितताओं के मामले 68 सरपंचों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है। अन्य मामलों में 154 सरपंचों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति के मामले विचाराधीन हैं।

श्री शोपतसिंह : चुनाव तक कितने कर दोगे ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : निपटारा 53 का किया गया है। दोषमुक्त 36 को किया गया है, दंडित 17 को किया गया है। श्रीमान् यह बिल्कुल स्पष्ट है, किसी प्रकार की कोई राजनैतिक पार्टी का सवाल नहीं है। अभी जीप वितरण के मामले में कुछ लोगों ने कहा अपने-अपने आदमियों को

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

जीप दे दी। मैं यह रिकार्ड लेकर आया हूं। अभी तक मैंने 20 जीपें वितरण की हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें 9 विरोधी पक्ष के सदस्यों के इलाके में दी गयी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उनियारा से कौन एम. एल. ए. है ?

श्री सी. पी. जोशी : बताओ ?

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : एम. एल. ए. मैं हू लेकिन प्रधान को दी है विधायक को नहीं। मैं प्रधान नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपके क्षेत्र में दी है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति महोदय, एम. एल. ए. को अलॉट करी है क्या ? आपने जीप पंचायत समिति को दी है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप यह कहते हैं कि पचायत समिति को दी है तो वह एम. एल. ए. पंचायत समिति का सदस्य है और यदि उसमें गुण हों तो सारी पंचायत समिति वह जैसा कहता है करती है और यदि गुण न हों तो फिर बात अलग है। डेगाना में....

श्री सभापति : आप काहे को सूची दे रहे हैं ? सूची की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : सवाई माधोपुर जिले में महुआ, जयपुर में कोटपूतली, नागौर जिले में मूंडवा, बीकानेर जिले में कोलायत....

श्री रामदेव सिंह : सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मूंडवा में जीप किस तारीख को दी....

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मेरा जवाब दिलायें मैं यह पूछना चाहता हूं कि मूंडवा पचायत समिति में पहली जीप किस तारीख को दी ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : आप यह बताइये....(व्यवधान)

जिला परिषद् के प्रमुखों को नयी कारें दी हैं। 27 में से हमारे तो 23 ही हैं पर सबको नयी कारें दी हैं। सारे सी. ओज. को जीप दे रहे हैं। कोटा को भी दी है, जोधपुर को भी दी है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह बताइये जमवा रामगढ़ के एम. एल. ए. हैं वह शिकायत कर रहे थे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में गाड़ी नहीं दी है। यह बतायें कि वहां दी है क्या ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वह निम्बाहेड़ा को भी दी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, दी है तो कोई अहसान नहीं। आप जमवा रामगढ़ की बतायें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक बात मैं कहना चाहता हूँ माननीय मित्रों से। एक बात यह कही है, विपक्ष के नेता ने एक बात कही। सुझाव तो उनका ठीक है लेकिन इसको थोड़ा गम्भीरता से लें।

श्री सभापति : मंत्री महोदय संक्षिप्त में कह दें।

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : संक्षिप्त ही कह रहा हूँ। मोटे मुद्दे उठाये हैं। जिला स्तरीय सरकार बनाने की बात, आपके कहने के मुताबिक, विदेशी कण्ट्री में तो मुझे मालूम नहीं है। पर आपके कहने का मतलब यह है कि आप जिला राज्य स्थापित करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि यह अच्छी बात है परन्तु इसके खतरों को भी हमें देखना पड़ेगा देश की राष्ट्रीय एकता के लिए। कहीं ऐसा न हो कि तमिलनाडु आज न्यारा दे रहा है, कोई नाम अपना तेलगुदेशम् लिखाता है कोई क्या देशम् लिखाता है देश तो एक ही है, हिन्दुस्तान। अब यह दूसरी बात है कि जनता का और इस देश का जनता का दबाव ऐसा है। इन लोगों की मंशा नहीं पहचानते हैं, आप। आज तो तमिलनाडु बोलते हैं, तमिल कोई देश है हमारा प्रान्त है देश का और तेलगुदेशम् है कोई ? अगर इस तरह की प्रक्रिया चले....

श्री नत्थीसिंह . संविधान में क्या नाम लिखा हुआ है तामिलनाडु या कुछ और ? यह बतायें।

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : इसलिए हम यह चाहते हैं जैसा जोशीजी ने कहा हम क्यों नहीं आम आदमी तक नीतियां पहुंचायें....

श्री मोहन छंगाणी : सभापति महोदय, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप इन जिला राज्यों के जरिये आज जो प्रान्त हैं, स्टेट्स हैं उनको खत्म करना चाहते हैं ? क्या करना चाहते हैं आप ? जिला राज्य बना-कर के, जैसा इनको कोट करके कह रहे है। हम जिला राज्य बना रहे हैं, लोगों का दवाब है तो क्या प्रान्त खत्म हो जायेगा ? महाराष्ट्र खत्म हो जायेगा, आन्ध्र खत्म हो जायेगा, क्या राजस्थान खत्म हो जायेगा, क्या बगाल खत्म हो जायेगा। जिलों का राज्य हो जायेगा।

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : आप इस खतरे को महसूस कीजिए। जब प्रान्तों में हेराफेरी चलने लगती है और जो लोग केन्द्र में गड़बड़ी करते हैं। केन्द्र जब कभी कमजोर हो जाये जैसी कि लोगों की मशा है तो आप उस समय, कल्पना कीजिए कि यह जो अलग-अलग नाम निकालने, वाले अलग भावना प्रान्तीयवाद और भाषावाद को भड़का करके नयी सरकारों का जमावड़ा जगाया है उन लोगों का क्या हाल होगा ? यह भी देखें कि अगर हम सारे जिले के आप 650 राज्य स्थापित कर दें और इसी प्रकार के राज्य कायम कर दें तो क्या कहीं इस तरह की समस्यायें न पैदा हो जायें। इसलिए जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों को अधिक अधिकार वितरण करें ताकि नीचे तक, अधिकार पहुंच जायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह बताइये कि क्या यह सही है कि कामराज के जमाने में मद्रास का नाम तामिलनाडु हुआ था ?

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : क्या, क्या ? दुबारा बोलिये मैंने सुना नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि स्वर्गीय श्री कामराज के जमाने में मद्रास का नाम तामिलनाडु हुआ था ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इसका दुरुपयोग कामराज के जमाने में नहीं हुआ आज हो रहा है। तामिलनाडु के नाम का दुरुपयोग आज हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : मंत्री महोदय आप विषयान्तर नहीं हो।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : हमने सत्ता का विकेन्द्रीकरण ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर पंचायतों के पूरे काम ग्राम पंचायत को तहसील लेवल के काम पंचायत समिति को और जिला लेवल के सारे काम जिला परिषद् को देने की बात की है। इसमें अलग स्टेट की बात नहीं होगी.... (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : आपके पास गलत ब्यौरा है। आपके पास बुनियादी बात थी कि पंचायतों को माइक्रो लेवल पर डवलपमेण्ट करने का अधिकार था, जो इन्होंने दिया नहीं, अभी भी सैण्ट्रलिटी है जिला परिषद् के पास, हमारी पंचायतें फेल क्यों हुयी ? पचायत अपने लेवल पर, ग्रास रुट लेवल पर कोई प्लान नहीं कर सकती थी, उनको प्लान ऊपर से थोंपा जाता था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अब कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन छंगाणी : मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि पंचायत डवलपमेण्ट का इन्स्ट्रूमेण्ट है या डवलपमेण्ट पंचायत का इन्स्ट्रूमेण्ट है। एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय कुछ सदस्यों ने एक पचायत को एक सचिव की बात भी कही है। यह बड़ी कीमती बात है। जब तक ग्राम पंचायत को एक सचिव नहीं मिलेगा तब तक पंचायत अपना काम नहीं कर सकेगी। यद्यपि हमने उसमें एक तरीका निकाला था कि हमारे पास जितने सचिव थे उनके अलावा हमने कृषि पर्यवेक्षकों को लगाने की परन्तु उससे काम सही नहीं हुआ। चारों तरफ से शिकायतें आयी हैं और मुख्य मंत्रीजी इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। हम आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि एक पंचायत में एक सचिव पूर्णकालिक दिया जायेगा। जहां तक अनुदान बढ़ाने की बात है। कुछ मित्रों ने यह कहा कि साहब सुविधायें आप सोचिए एम. एल. ए. के भत्ते फटाफट बढ़ते हैं, एमपीज के भत्ते फटाफट बढ़ते हैं। प्रधानों, प्रमुखों के हमने शुरू किया। प्रधानों के चार सौ से हजार और प्रमुखों को 600 से 1500 रुपया किया तो उसी समय प्रश्न यह आया कि प्रधान प्रमुखों के बढ़ा दिये तो इन साढ़े सात हजार जो सरपंच हैं और जो 85 हजार पंच हैं जिनके जरिये सारा पंचायत राज चलता है इन × × × ने क्या पाप किया है ? इन्होंने क्या पाप किया है ? इसलिए राजस्थान सरकार ने इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखकर उन नीचे के जन–प्रतिनिधियों को जो जनता से रात दिन जुड़े रहते हैं इनको प्रोत्साहन देने के लिये 200 रुपया महीना सरपंचों को, पंच को 15 रुपया सिटिंग का देना तय किया है। लोगों ने शिकायत की....(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : पाईंट ऑफ आर्डर।

× × × शब्द माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शिवराम शर्मा)

मेरा निवेदन है कि पंचों को और सरपंचों को मंत्री महोदय ने शब्द से सम्बोधित किया है । ××× शब्द एक्सपंज किया जाय ।

श्री सभापति ; एक्सपंज कर दें। (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : भावना लीजिए, मेरी आत्मीयता उनसे है, आप सब ऊपर-ऊपर हैं। मेरे पंच सरपंच नजदीक हैं, मैं भी पंच बना हुआ पहले, मेरे नजदीक के लोग हैं, इसलिए मेरी आत्मीयता का शब्द है। आप क्यों उड़ाते हो, एक्सपंच कीजिए, एक्सपंज कीजिए मेरी भावना देखिए।

(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय सरपंचों का अपमान करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : पहले सुनिये जवाब।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कितने सरपंचों को पैसा दिया गया....(व्यवधान)

श्री सभापति : बीच बीच में नहीं पूछेंगे। आॅर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कोई जवाब नहीं दूंगा मैं। पंचायतों को जो अनुदान मिलता है..(व्यवधान)अकाल राहत में सामग्री पहले वह अनुदान चला गया था। मगर अब आप लोगों की जो चिन्ता है उसको मैं भलीभांति जानता हूँ और यह बहुत जरूरी है। इसलिए जो अनुदान पंचायतों का है पंचायतों को दिया जा रहा है ? पूरा का पूरा। (व्यवधान)

मैं यह कह रहा हूं कि अब जो पैसा दिया जायेगा वह पंचायतों को जल्दी भेजें। आप यह कह सकते हैं कि मार्च के बाद भेजा क्यों नहीं ? तो माननीय सदस्य बजट तो आप अब पास कर रहे हो। ज्योंहि जुलाई में बजट पास हुआ तुरन्त ही हम यह पैसा पंचायतों को दे रहे हैं। (व्यवधान)

जो निजी आय मिल रही है 2.75 पैसा, पहले 2.25 पैसा था, 50 पैसे गये साल बढ़ाये उसको 2.75 किया गया और अब हम जो पैसा देंगे पंचों सरपंचों को देंगे वह इस 2.75 में नहीं लगेगा। हम इसको बढ़ा रहे हैं और इतना बढ़ा रहे हैं कि वह न केवल भत्ते वगैरह बल्कि थोड़ा बहुत और पंचायतों को लाभ मिलेगा। इसलिए प्रति व्यक्ति अनुदान बढ़ाया जा रहा है। और पंचायत कोष में वह जमा होता है इसलिए पैसा पंचायत कोष से मिलेगा।....

(व्यवधान)

अब मैं केवल न्याय व्यवस्था के बारे में बात निवेदन करना चाहूंगा। बहुत से लोगों ने इसकी चिन्ता व्यक्ति की है। पहले पहल जब सन् 53 के अन्दर हमारी जब पंचायतें बनी थी, पंचायत और तहसील पचायतें, उस समय पंचायत पूरी दीवानी, फौजदारी और प्रशासनिक सारे प्रकार के मुकदमें लेती थी। इसके बाद जब विकेन्द्रीकरण हुआ 59 में तो न्याय पंचायतों का अभ्यु-

××× शब्द माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

दय हुआ। एक पंचायत में एक आदमी पंचायत भेजती थी, 5 या 7 पंचायतों पर एक न्याय पंचायत होती थी, वह बहुत अच्छी व्यवस्था थी पर वह चल इसलिए नहीं पायी कि उसकी अलग से अर्थ-व्यवस्था न करके यह किया गया कि उसका खर्चा संबंधित ग्राम पंचायतें देगी। जबकि ग्राम पंचायतों के पास खुद के पास ही फण्ड नहीं था तो कैसे देती ? इसलिए न्याय पंचायत का ढर्रा चलता। उसमें सुधार करने के बजाय 77 में सरकार बदली और 78 में उस न्याय पंचायत को नेस्तनाबूद कर दिया गया और अब आज लोग कहते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है व्यवस्था तो है पर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। आज जो न्याय की उप-समिति पंचायत की बनायी हुई है वह कारगर ढंग से काम नहीं कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने इसको बड़ी गम्भीरता से लिया है। अभी हमने इंदिरा गांधी पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान में इसकी गोष्ठी दो दिन तक की है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश ने उसका उद्घाटन किया है। दो दिन में हाई-कोर्ट के दो जज, दो सेशन जज, दो नीचे के मंसिफ मजिस्ट्रेट, दो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला परिषद् के सदस्य, विधायक, सरपंच एक प्रतिनिधि और सबने मिलकर दो दिन तक जो एक सरकार को सिफारिश की है वह इतनी बढ़िया सिफारिश है कि उसकी एक प्रति माननीय राजीवजी के पास भी मैंने भिजवायी है कि राजस्थान ने एक नयी व्यवस्था को इस प्रकार से सिफारिश की है। वह न्याय-व्यवस्था भी जो हम कायम करने जा रहे हैं उससे तमाम गाँवों की इस समय जो हजारों, लाखों मुकदमें छोटी छोटी बातों के आधार पर कायम हैं को नियंत्रित करके न्याय पंचायत की सुचारू रूप से व्यवस्था करेंगे। उसको अधिकार भी देंगे उसकी आर्थिक व्यवस्था भी करेंगे और गांवों के मुकदमों को गांव तक ही सीमित रखकर लोगों के द्वारा फैसले करायेंगे। मैं आप सबने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये, बहुत से मैंने आपके माने हैं...

श्री शोपत सिंह : पंचायतों के डी-लिमिटेशन के बारे में क्या कह रहे हैं ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वैसे संविधान में हमने इसको स्पष्ट कर रखा था कि बारह महीने में कम से कम दो बार ग्राम-सभा होगी और एक बार बजट बनाने, योजना बनाकर बजट बनाने का और दूसरी बात बजट की क्रियान्विति में क्या-क्या हुआ, कैसे किया पंचायत ने दोनों हाजरियां देनी पड़ेंगी मगर जैसा कि आम-तौर पर देखा गया वह ग्राम सभाएं ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकीं, लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया इसलिए अब हम इस व्यवस्था को भी देखने जा रहे हैं कि जब ग्राम पंचायतों में पच और सरपंचों को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं तो ग्राम सभा का चित्र कुछ लोगों के मस्तिष्क में खास नहीं हैं। जैसा कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने यह कहा कि पहले तो ग्राम-सभा बनाओ फिर ग्राम-सभा बनाओ फिर ग्राम-सभा पंचायत बनाओ इसका अर्थ क्या मैं यह समझूं कि दो हजार मतदाताओं में कोई 100 आदमियों की ग्राम-सभा बना

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

हैं, ऐसा नहीं है। पूरे मतदाता ग्राम-सभा के सदस्य होंगे और सब मिलकर के ग्राम-सभा बनेगी और पूरे मतदाताओं का अधिकार कुछ लोगों को ग्राम-सभा के नाम पर नहीं दिया जा सकता। ग्राम-सभा का मतलब है पूरे मतदाता मण्डल, पंचायत के, हम उसको शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं। आप सबने शान्ति से मेरी बात सुनी, इसके लिए धन्यवाद।

मैं आपके सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि यह जो सामुदायिक विकास की मांगें रखी गयी हैं आपके सामने कृपा करके उसको पास करवाइयेगा।

मांग संख्या 41 का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41, सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,71,14,000 (तेइस करोड़, इकहत्तर लाख, चौदह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान कर दी जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 4 जुलाई प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6 बजकर 22 मिनिट पर मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई, 1989 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

204

परिशिष्ट–3 जुलाई, 1989–

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 41

राज्य में गत दो वर्षों में हुए साम्प्रदायिक दंगों का वि.

क्र. सं.	स्थान	जिला	दिनांक	मृत्यु	चोटग्रस्त	सम्पत्ति नष्ट हुई	सहायता दी गई	मुकदमे दर्ज हु-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मनोहरपुर	जयपुर	26.8.87	—	12	—	—	8
2.	पिंडवाड़ा	सिरोही	22.9.87	1	7	1000	—	2
3.	मनोहरथाना	झालावाड़	5.2.88	—	12	—	35,000	2
4.	नवलगढ़	झुंझुनूं	4.3.88	—	23	रु. 1.60 लाख	72,400	[illegible]
5.	बालधाड़ा	कोटा	5.6.88	1	10	—	—	
6.	उदयपुर	उदयपुर	6.9.88	—	11	—	—	
7.	कैरावाड़ा	उदयपुर	24.1.89	1	30	40 लाख	5.92 लाख	[illegible]
8.	सरूपगंज	सिरोही	29.1.89	—	6	8 लाख	1,96,000	
9.	कैथूनें	कोटा	18.3.89	—	10	—	3,000	

205

8	9	10	11	12	13	14	15
! लाख	34	5 एक चालान और पेश किया जा रहा है।	83	2	27	—	स्वामी भीकियानन्दजी की मूर्ति को खंडित करने से।
7,000	12	तीन चालान पेश किए जा रहे हैं।		1	11	—	शीतलाष्टमी के जुलूस पर पथरावके कारण।
',950	11	9	59	—	2	—	श्री जगदीश गुर्जर की हत्या में व्यक्ति विशेष के हाथ की आशंका के कारण।
,000	6	4	62	1	1	—	श्री नरेन्द्र सिंह पर हुए आक्रमण के कारण।

परिशिष्ट–2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

सूरसागर (बीकानेर) तालाब

43. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर शहर के सूरसागर तालाब को गन्दगी व बाढ़ की स्थिति से बचाव हेतु सन् 1981 में क्या वर्तमान व तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की गई थी ? यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सूरसागर व इसके गन्दे नालों की सफाई व पानी निकासी पर गत आठ वर्षों में लाखों रुपये व्यय कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1981 से 1988 तक किये गये व्यय का वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार इसके स्थाई समाधान हेतु वर्ष 1989–90 में कार्य करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि रेल्वे क्षेत्र के गन्दे नाले से पानी कई बार बहकर सड़कों व मकानों में चला जाता है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या का क्या स्थाई समाधान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। समिति का गठन 1983 में किया गया था। समिति की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूरसागर नाले की सफाई व गंदे पानी के निकासी के लिए किए गये व्यय का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) इसके स्थाई समाधान के लिए अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है।

(4) हां, यह सही है कि सन् 1982 से पूर्व रेल्वे क्षेत्र के गंदे नाले का पानी कई बार बहकर सड़कों व मकानों में चला जाता था, क्योंकि पूर्व में इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के मकानों का लैट्रिन कनेक्शन इस नाले से था, जिसकी वजह से नाला ओवरफुल होने से पानी वापिस मकानों में चला गया था। यह नाला नगर-परिषद के कार्यक्षेत्र में नहीं है। यह नाला रेल्वे कैम्पस में है। वर्तमान में इस नाले का पानी सड़कों व मकानों में नहीं जाता है, क्योंकि मकानों के लैट्रिन व अन्य गंदे पानी के कनेक्शन अलग से नाली बनाकर सीवरेज में मिलान कर दिया गया है। अतः वर्तमान में यह समस्या नहीं है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खेल-कूद प्रतियोगितायें

44. श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : क्या खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष राष्ट्रीय सब-जूनियर बास्केट बाल प्रतियोगिता में राज्य की सीकर की टीम ने चैम्पियनशिप जीती ? यदि हां, तो विजेता टीम को सरकार ने क्या प्रोत्साहन दिया ?

(2) क्या यह सही है कि खेल परिषद् द्वारा खिलाड़ियों को खाना भी समय पर नहीं दिया गया तथा अच्छा व्यवहार नहीं किया गया ?

(3) सरकार प्रतियोगिताओं को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में भविष्य में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । जिले की टीम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेती है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य की टीम ने भाग लिया जिसमें सीकर जिले के 2 खिलाड़ी थे।

(2) खेल परिषद् खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु खाना न देकर 18/-रुपये प्रति खिलाड़ी के हिसाब से दैनिक भत्ता देती है। खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) किसी भी खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। सम्बन्धित खेल के राष्ट्रीय महासंघ के निर्देशानुसार राज्य संघ द्वारा आयोजन किया जाता है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन

45. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन करना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं । अब उन्हीं गृह निर्माण सहकारी समितियों का पंजीयन किया जाता है जिनके सदस्यों के पास गृह निर्माण योजना हेतु आबादी भूमि है या उन्हें जिलाधीश या नगर परिषद्, नगर विकास न्यास या जयपुर विकास प्राधिकरण का लिखित आश्वासन है कि पंजीयन के बाद उन्हें भूमि उपलब्ध करा दी जावेगी।

सरस घी की बिक्री

46. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)
श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह)
डॉ. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :
क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले चार माह में डेयरी द्वारा सरस घी के भावों में कुछ बढ़ोतरी या कमी की गई है ? यदि हां, तो कब-कब व कितनी-कितनी व क्यों ?

(2) क्या उक्त कमी करने के कारण सरस घी की बिक्री पर असर पड़ा है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी हां। सरस घी के भावों में पिछले चार माहों में निम्न प्रकार कमी एवं बढ़ोतरी की गई।

कमी/बढ़ोतरी की दिनांक	पैकिंग विवरण	कमी	बढ़ोतरी
11.4.89	एक किलो पोली पैक	3/–रु0 प्रति किलो	—
	500 ग्राम पोली पैक	3/–रु0 प्रति किलो	—
	200 ग्राम पोली पैक	2/–रु0 प्रति किलो	—
16.5.89	एक किलो पोली पैक	—	3/–रु0 प्रति किलो
	500 ग्राम पोली पैक	—	3/–रु0 प्रति किलो
	200 ग्राम पोली पैक	—	2/–रु0 प्रति किलो

सरस घी के भावों में उक्त कमी/वृद्धि बाजार में अन्य प्रतियोगी देशी घी के भावों को देखते हुये की गई।

(2) जी हां।

11 अप्रैल, 1989 से 15 मई, 1989 के बीच (जिस अवधि में सरस घी के भाव कम रहे) डेयरी फैडरेशन ने 130 मैट्रिक टन घी बेचा जबकि इससे पूर्व माह जनवरी 1989 में 93.249 मैट्रिक टन, फरवरी, 1989 में 67.383 मैट्रिक टन और मार्च, 1989 में 66.867 मैट्रिक टन सरस घी की बिक्री रही।

चूली बांध

47. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में चूली बांध का कार्य सिचाई विभाग ने अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत करवाया था? यदि हां, तो इस बांध पर अब तक कितना व्यय हो चुका है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त बांध को पूर्ण करवाने हेतु विभाग ने तखमीना बनाकर प्रस्तुत कर दिया है? यदि हां, तो किस योजना में सम्मिलित कर पूर्ण करवा दिया जावेगा व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। इस बांध पर अब तक 5.16 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

(2) जी नहीं। इस अपूर्ण कार्य के तखमीने को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्य को जवाहर रोजगार योजना अथवा लघु सिंचाई योजना के तहत धनराशि की उपलब्धता के अनुसार पूर्ण करने पर विचार किया जावेगा।

जालौर जिले में पशु आहार वितरण

48. श्री नाथू सिंह (टोडा रायसिंह) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों में अकाल राहत के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जालौर जिले में पशु आहार वितरण करने के लिए कुछ अनुदान दिया गया था ? यदि हां तो कब व कितना ?

(2) क्या यह सही है कि पशु आहार खरीदा गया ? यदि हां तो, कब-कब क्या-क्या व कितनी राशि का ?

(3) उक्त खरीद में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(4) क्या उक्त आहार की खरीद हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त मामले की कोई शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या इसमें कुछ व्यक्ति दोषी पाये गये ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार से प्राप्त व्यय सीमा के तहत प्राप्त राशि में से विशेष पशु आहार योजना के अन्तर्गत जालौर जिले को दिनांक 18.3.88 को 62.00 लाख रुपये दिनांक 23.5.88 को 90.00 लाख रुपये तथा दिनांक 2.6.88 को 103.30 लाख रुपये कुल 255.30 लाख रुपये अनुदान के रूप में व्यय हेतु आवण्टित किये गये थे।

(2) जी हां। पशु आहार अप्रेल, 88 से जुलाई, 88 तक की अवधि में कुल दो करोड़ इकसठ लाख सत्ताइस हजार 688.75 रुपये का प्रयुक्त अनुदान दिया गया। शेष राशि विभागीय निर्देशों के अनुसार पांच लाख, बानवे हजार 688.75 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा उनके प्रशासनिक व्यय/छीजत आदि के रूप में वसूल की गई। इसके अन्तर्गत पैलेट्स, ग्वार, चूरी, ग्वार कोरमा तथा बाजरा खरीदा गया।

(3) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 9 3 88 के अनुसार जिलेवार कमेटियों का गठन किया गया। जालौर में पशु आहार का क्रय कमेटी के मार्ग दर्शन द्वारा किया गया।

(4) राज्य सरकार के आदेशानुसार केवल कमेटी के माध्यम से ही खरीद के निर्देश थे।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

गंगानगर जल विस्तार योजना

49. प्रो. केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर शहर में मौजूदा वाटर वर्क्स की विस्तार (augmentation) स्कीम कब, कितनी रकम की तैयार की गई ? यह स्कीम कब तक पूर्ण हो जानी चाहिए थी ?

(2) क्या यह सही है कि इसके तहत शहर के सब भागों में नये बड़े पाइप डाल दिये गये ?

(3) इस स्कीम से कितना गैलन साफ पानी शहर को उपलब्ध होगा ?

उत्तर

(1) गंगानगर शहर के लिये 138.05 लाख रुपये की संवर्धन पेयजल योजना जुलाई, 87 में स्वीकृत की गई थी। योजना का कार्य मार्च, 1989 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था ।

(2) शहर के सभी भागों में बड़ी पाइप लाइन डालने का प्रावधान योजना में नहीं था, किन्तु स्वीकृत योजना के अनुसार जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन प्रस्तावित थी वह कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है।

(3) योजना के पूर्ण होने पर शहर को 22 लाख गैलन पानी अतिरिक्त उपलब्ध हो सकेगा।

भीलवाड़ा जिले के खान मालिकों को अतिरिक्त भूमि

50. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)
श्री नाथूसिंह (टोडा रायसिंह) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में जिन लोगों को खानों के पट्टे दिये गये हैं उन खान मालिकों को पट्टे के निर्धारित क्षेत्र के अतिरिक्त 'स्ट्रीप ओपन लैंड' के नाम से अतिरिक्त भूमि दी गई ? यदि हां, तो ऐसे खान मालिकों की सूची खान मालिकों के नाम, पतों सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक पट्टाधारी के पास पट्टे की कितनी-कितनी जमीन है तथा स्ट्रीप लैंड के नाम से कितनी-कितनी भूमि और दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भीलवाड़ा जिले में ऐसा कोई खनन पट्टा नहीं है जिसमें स्वीकृत क्षेत्र से अतिरिक्त ओपन लैंड दी गई हो।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य में बेरोजगार

51. श्री यदुनाथ सिंह (नदबई)
श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़)
श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)
श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)
श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(211)

(श्री यदुनाथसिंह)

(1) राज्य में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले 3 वर्षों में कितने शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार पंजीबद्ध थे ? इनमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिलाओं की क्या संख्या है तथा इनमें से कितनों को रोजगार दिया गया ? वर्षवार संख्या, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बेरोजगारों में डॉक्टर, इन्जीनियर, तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कितने हैं ?

(3) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से अब तक राज्य में बेरोजगारी की औसतन वृद्धिदर क्या रही ?

उत्तर

(1) राज्य में पिछले तीन वर्षों में पंजीबद्ध शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों एवं उनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं की संख्या तथा दिलाये गये रोजगार के वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न हैं।

(2) उक्त बेरोजगारों में डॉक्टर, इन्जीनियर एवं तकनीकी एवं प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या परिशिष्ट 'ब" में संलग्न है।

(3) राज्य में बेरोजगारों के प्रतिशत के लिये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1972–73 से जनसंख्या में बेरोजगारों के प्रतिशत का सर्वेक्षण करवाया जाता है जो परिशिष्ट 'स" पर संलग्न है।

परिशिष्ट–अ

राज्य में पिछले तीन वर्षों में पंजीबद्ध शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं की संख्या तथा इनमें से दिलाये गये रोजगार का वर्षवार विवरण :—

1. पंजीबद्ध शिक्षित/अशिक्षित आवेदकों का विवरण :

वर्ष	1986	1987	1988
शिक्षित	4,73,287	4,48,391	5,70,249
अशिक्षित	3,79,936	3,92,662	2,91,577
योग	8,53,223	8,41,053	8,61,826

2. पंजीबद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला आवेदकों का विवरण :

वर्ष	1986	1987	1988
अनुसूचित जाति	1,09,888	1,11,055	1,16,051
अनुसूचित जनजाति	48,848	50,091	52,042
महिलायें	62 972	63,166	79,462

3. दिलाये गये रोजगार का वर्षवार विवरण :

वर्ष	1986	1987	1988
अनुसूचित जाति	2,210	2,404	1,437
अनुसूचित जनजाति	803	1,037	885
महिलायें	3,808	3,189	3,776

परिशिष्ट–ब

राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर पंजीबद्ध तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त आशार्थियों की संख्या :—

वर्ष	1986	1987	1988
आई. टी. आई. प्रशिक्षित	9,579	10,233	10,021
इंजीनियर	1,391	1,498	1,902
डाक्टर	154	210	195
बी. एड. प्रशिक्षित	23,540	24,401	29,700

परिशिष्ट–स

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के आधार पर आयु वर्ग (5+) की जनसंख्या में बेरोजगारों का प्रतिशत

(जनवरी–जून)

वर्ष एवं दौर	कुल जनसंख्या (5+) में बेरोजगारों का प्रतिशत			
	शहरी		ग्रामीण	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1972–73 (27वां दौर)	1.25	3.53	1.80	3.25
1977–78 (32वां दौर)	0.52	2.87	0.99	2.65
1983 (38वां दौर)	0.55	3.18	0.92	3.09

1988 (43वां दौर) उपलब्ध नहीं ।

स्त्रोत : सर्वेक्षण, वोल्यूम 1×, नं. 4
अप्रेल, 1986
सांख्यिकी विभाग
योजना मंत्रालय, भारत सरकार

ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन

52. श्रीमती डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : क्या खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं की खेलकूद प्रतियोगिताओं एवं पंचायत समिति स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में सरकार क्या आर्थिक सहायता प्रदान करती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को छांटने की क्या प्रक्रिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पिछले दशक में कितनी प्रतिभाओं का चयन कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय खेल जगत में उतारा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि प्रतिभायें तैयार नहीं हुई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं की खेलकूद प्रतियोगिता हेतु खेल विभाग अनुदान नहीं देता है क्योंकि शालाऐं शिक्षा विभाग के नियन्त्रण में हैं। केन्द्रीय सरकार व भारतीय खल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित संख्या में पंचायत समितियों को 1,000/–रुपये प्रति पचायत समिति के हिसाब से पंचायत समिति स्तर के खेलकूद हेतु परिषद अनुदान देती है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के 16 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों का चयन प्रशिक्षण शिविर लगाकर पंचायत समिति स्तर की प्रतियोगिता, जिला स्तर की प्रतियोगिता एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिता आयोजित कर किया जाता है।

(3) पिछले दशक में ग्रामीण क्षेत्र की दो तीरंदाजी की प्रतिभाओं सर्वश्री लिम्बाराम तथा श्यामलाल का चयन कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय खेल जगत में उतारा गया।

भरतपुर, बूंदी व डूंगरपुर केन्द्रीय सहकारी बैंकों का पुनर्वास

53. श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शीर्ष सहकारी बैंक तथा सहकारी विभाग राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार को भरतपुर, बूंदी व डूंगरपुर केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पुनर्वास की कोई योजना स्वीकृति हेतु भेजी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी उक्त बैंकों को सुदृढ़ करने हेतु अपनी ओर से उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए तत्पर है ?

(3) क्या यह सही है कि नाबार्ड उक्त सहायता देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सहायता देने की सहमति राज्य सरकार से चाही गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। राज्य सरकार ने योजना के लिये सिद्धान्त: सहमति नाबार्ड को पठा दी है।

कंचखाल बांध का निर्माण

54. श्री रघुवर दयाल (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मेवात विकास मण्डल की ओर से कंचखाल बांध मिलकफ (रामगढ़) जिला अलवर को बंधवाने हेतु पिछली बार कब-कब और कितनी-कितनी धन राशि व्यय किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई ? कितनी-कितनी धन राशि कब-कब व्यय हुई ?

(2) क्या स्वीकृत शुदा राशि का उपयोग नहीं हुआ ? यदि हां, तो किस कारण ?

(3) अब कब तक किस-किस कार्य पर कितनी धन राशि व्यय करना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) मेवात विकास मंडल की ओर से कंचखाल बांध के लिए 4.23 लाख की धनराशि की स्वीकृति वर्ष 1988-89 में प्राप्त हुई परन्तु परियोजना के लाभप्रद नहीं पाये जाने से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के अभाव में परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया गया।

(2) जी हां। जिसका कारण प्रश्न भाग एक के उत्तर में दिया गया है।

(3) अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

लैण्ड टैक्स

55. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार लैण्ड टैक्स को किस प्रकृति का कर मानती है ? यदि गैर खनन कर मानती है तो इसका प्रशासनिक दायित्व खनन विभाग पर डालने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कर की बकाया के कारण खनन पट्टाधारियों के खनन पट्टे सम्बन्धी विभिन्न आवेदनों, जैसे सरेण्डर, नामान्तरण आदि पर "बकाया नहीं" अथवा 'आपत्ति नहीं" के प्रमाण-पत्र नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

(3) क्या राज्य सरकार लैण्ड टैक्स की बकाया राशि को किश्तों में वसूल करने की सोच रही है ? यदि हां, तो इसका निर्णय कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) लैण्ड टैक्स राजकीय भूमि पर जो नगरीय नहीं है, देय है एवम् भूमि के उपयोग के फलस्वरूप है। इस प्रकार यह गैर

(खनिज राज्य मंत्री)

खनन कर है। उन भूमियों के मामलों में जिनमें खनन पट्टे स्वीकृत हैं, टैक्स की वसूली का दायित्व खनिज विभाग को दिया गया है, क्योंकि खान विभाग पट्टाधारियों को पट्टा आवंटित करता है व रायल्टी, डेडरेन्ट आदि की वसूली करता है।

(2) जी हां। चूंकि लैण्ड टैक्स वसूली का दायित्व खान विभाग को दिया गया है अतः टैक्स के बकाया होने पर विभाग को बकाया माना जाता है एवम् "बकाया नहीं" अथवा "आपत्ति नहीं" प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाते हैं।

(3) जी नहीं।

कोलायत तहसील में प्राथमिक शालाएं

56. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल), श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर की तहसील कोलायत में ग्राम करनीसर उर्फ भाटियों का बेरा, मीरनवाला, नारायणसर सादोलाई, केहरली, जवाहरजी का नाडा, विकेन्द्रीढढ कलां, ढढ खुर्द, डाबली, सुथारों का बेरा, भूरासर, तंवरावाला, ममूवाला, सवाई वाला, जागरण वाला, अखूसर, शास्त्रीनगर, ए एम. 820 आर. डी. में नये भू-आवण्टी आकर बस गये हैं व इनकी जनसंख्या 250 से ऊपर हैं? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1989–90 में उक्त गांवों में नये प्राथमिक विद्यालय का प्रावधान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में राज्य सरकार ने 1984 के बाद गैर-राजस्व गांव व ढाणियों में जिनकी जनसंख्या 250 नहीं थी वहां भी विद्यालय खोले हैं? यदि नहीं, तो मूल राजस्व गांव की जनसख्या का गैर राजस्व गांव में कितने, क्षेत्रफल की दूरी का आधार अन्य आधार मानते हुए विद्यालय खोले गये हैं?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सदन में दि. 23-3-1988 के प्रश्न के उत्तर में कोई नया प्राथमिक विद्यालय नहीं खोलने का कहा था? क्या यह सही है कि सरकार ने फरवरी, 1989 में 1500 नये स्कूल खोलने की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त सारे गांवों में विद्यालय क्यों नहीं खोले गये? अब कब तक नये स्कूल खोलेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्न में अंकित ग्रामों में से ग्राम करणीसर उर्फ भाटियों का बेरा एव ग्राम भूरासर में वर्ष 1988–89 में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा अन्य ग्रामों में स्कूल खोले जाने के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं। विद्यालयों की आवश्यकता व वरीयता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में जब विद्यालय खोले जायेंगे तो इन सभी प्रस्तावों पर उपलब्ध साधनों के हिसाब से विचार किया जावेगा।

(2) जी नहीं। जिन ग्रामों/ढाणियों में जिनकी जनसंख्या 250 या इससे अधिक है और राजस्व गांव से लगभग दो कि.मी.

(पंचायत राज्य मंत्री)

की दूरी पर स्थित हैं, उनमें कुछ स्थानों पर जनहित को ध्यान में रखकर प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं।

(3) जी हां। वर्ष 1987-88 में राज्य मे भयंकर अकाल की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कोई नया प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया था। यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1988-89 में लगभग 3000 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी। पंचायत समिति कोलायत में वर्ष 1988-89 में 16 प्राथमिक विद्यालय आवश्यकता वरीयता एवं औचित्यता के आधार पर खोले जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसमें प्रश्न में वर्णित ग्रामों में से भी कुछ ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। शेष ग्रामों में साधन व वरीयता के क्रम में इस वर्ष भी कुछ प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रयास किया जावेगा।

खिलाड़ियों को सेवा में आरक्षण

57. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : क्या खेल राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्तमान में नौकरी में स्थान देने के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है ?

(2) क्या राज्य सरकार सभी तरह की नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के ऐसे पदों पर जो लोक सेवा आयोग की परिधि में न हों और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जाती है, खिलाड़ियों को निम्न सुविधाऐं देने का प्रावधान है :—

[1] रोजगार कार्यालय द्वारा नियुक्ति अधिकारी के पास नाम भेजते समय प्राथमिकता दी जाती हैं।

[2] राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले वरीयता/प्राथमिकता दी जाती हैं और यदि चयन क्रमांक के आधार पर होता हो तो उनकी खेलों में उत्कृष्टता के लिए 10 प्रतिशत तक क्रमांक अतिरिक्त दिए जाते हैं।

[ ] यदि रोजगार कार्यालय से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम प्राप्त नहीं हों तो भी ऐसे खिलाड़ियों के प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया जाता है।

(2) जी नहीं।

सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़

58. श्री के. सी. विश्नोई (सांगरिया) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही हैं कि सहकारी स्पिनिंग मिल हनुमानगढ़ श्री गंगानगर द्वारा ठेकेदारों को अनियमित अग्रिम भुगतान

(श्री के. सी. विश्नोई)।

किये जाने बाबत रजिस्ट्रार कार्यालय से पत्र क्रमांक एफ. 3/सविरा/प्रोसंसिग 83, दिनांक 13-6-1984 के द्वारा कुछ गम्भीर आरोप लगाये गये थे ? यदि हां, तो पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) इन गम्भीर आरोपों पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार लाखों रुपयों का गबन व अनियमितता करने वाले तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [परिशिष्ट--अ]

(2) रजिस्ट्रार के आदेश दिनांक 13.6.84 द्वारा संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां बीकानेर को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 24.4.86 को प्रेषित की। रजिस्ट्रार के आदेश दिनांक 7.4.88 द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 (6) के अन्तर्गत जांच रिपोर्ट के परिणामों को स्वीकार करते हुए मिल प्रशासन को निर्देशित किया गया कि वह अनियमितता बरतने के लिए उत्तरदायी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करे।

उक्त निर्देशों की अनुपालना में मिल्स के प्रबंध निदेशक ने निर्देशित कार्यवाही प्रारंभ की एवं मामले सम्बद्ध विभागों के पास अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विचाराधीन हैं।

(3) मिल प्रशासन ने 5 लाख रुपये की राशि मय ब्याज जमा करवाने हेतु तत्कालीन अध्यक्ष को नोटिस दिया है। यह राशि अभी तक जमा नहीं हुई है।

परिशिष्ट--अ

सहकारी विभाग राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक : फा 1 (3) सविरा/प्रोसे./83 दि. 13-6-84

आदेश

गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ़ के निर्माण कार्य में ठेकेदारों को आवश्यकता से अधिक अग्रिम भुगतान करने एवं स्टाफ की नियुक्तियों के सम्बन्ध में अनियमितताएं बरतने के मामले जानकारी में आये हैं। जिनके लिए

नियमानुसार जांच करवाया जाना आवश्यक है। अतः राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां बीकानेर खंड, बीकानेर के उक्त मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जांच के बिन्दु निम्न हैं :—

1. बी. के. कन्सट्रक्शन जो कि मिल में निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार हैं, को लगभग 13 लाख रुपये की आवश्यकता से अधिक अग्रिम भुगतान किया गया है।
2. दिनांक 23-2-82 को ठेकेदार को 5 लाख रुपये का भुगतान लेखाधिकारी मिल की विपरीत टिप्पणी होने पर भी किया गया।
3. मिल में सुरक्षा अधिकारी एवं कार्य अभियंता की नियुक्तियों के सम्बन्ध में।

जांच अधिकारी उपरोक्त मामलों के विस्तृत जांच अधिनियम के अन्तर्गत करते हुए अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख करेंगे कि अनियमितताओं के लिए कौन-कौन दोषी हैं।

जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट आदेश प्राप्ति के एक माह में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश आज दिनांक 13 जून, 1984 को मेरे हस्ताक्षर एव मोहर से जारी किया गया।

ह०/—
(एम. के. खन्ना)
रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक : फा. 1 (3) सविरा/प्रोसे./83 दि. 13-6-84

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां बीकानेर
2. प्रबन्ध संचालक, गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि. हनुमानगढ़
3. रक्षा पत्रावली

ह०/—
रजिस्ट्रार
सहकारी समितियां
राजस्थान, जयपुर

सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें

श्री उम्मेदसिंह (शिव)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) विभाग द्वारा प्रदेश में शराब की दुकान किन-किन सार्वजनिक स्थानों से कितनी दूरी पर रखनी चाहिए ? निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) शराब की दुकानों के खुलने व बन्द करने के समय के लिए क्या नियम/निर्देश हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर में सादूलसिंह सर्किल, हास्पिटल रोड, गजनेर रोड, चुंगी चौकी, रेल्वे स्टेशन के सामने स्थित शराब की दुकानें रात को बारह बजे तक खुली रहती हैं ? यदि हाँ तो इन दुकानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि सादूल सिंह सर्किल के पास देशी शराब की दुकान एक राष्ट्रीयकृत बैंक के पास तथा गजनेर रोड पर अंग्रेजी शराब की दुकान महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय के पास निर्धारित दूरी के अन्दर चल रही है ? नियमों के विपरीत उपरोक्त स्थानों पर दुकानें खोलने की स्वीकृति किस अधिकारी ने दी तथा इन दुकानों को कब तक हटाने की कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) आबकारी विभाग द्वारा प्रदेश में शराब की दुकानों की स्थिति की स्वीकृति जारी करने सम्बन्धी नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) विवरण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) यह सही है कि सादूलसिंह सर्किल के पास स्थित देशी शराब की दुकान महाराष्ट्र बैंक की शाखा के पास चल रही है। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1956 के नियम 75 के अन्तर्गत बैंक के पास शराब की दुकान खोलने की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार गजनेर रोड पर विदेशी मदिरा दुकान स्थित है जो महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय से काफी दूर है। उक्त दोनों दुकानों की लोकेशन वर्ष 89-90 के लिए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई थी जो नियमानुसार है। सादूलसिंह सर्किल के पास स्थित देशी मदिरा की दुकान राजस्थान आबकारी नियमों के नियम 75 के अन्तर्गत उपयुक्त स्थान पर है। गजनेर रोड पर स्थित विदेशी मदिरा के लिए कोई प्रतिबन्ध नियमों में नहीं है। अतः इन दोनों दुकानों को हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(221)

Rule 75 of the Rajasthan Excise Rules, 1956 :

75. LOCATION OF SHOPS:

(1) A licence for the retail sale of country liquor or hemp drugs shall have his shop only at a place approved by the District Excise Officer.

(2) A Shop for the retail sale of country liquor shall not be located :—

(a) in close proximity to a (Collegiate educational institutions), hospital, dispensary or place of worship (or public entertainment or public resort), or

(b) in the neghbourhood of (the factory or a labour or harijan colony).

Explanation : For the purpose of clause (b) sub-rule (2) of state 75 "Harijan Colony" shall mean a municipal ward in which population of persons belonging to scheduled castes according to the latest census exceeds fifty percent of the total population of that ward).

* *

देशी मदिरा लाईसेन्स की शर्त संख्या–11

(क) लाईसेन्सधारी को शराब की दुकान का स्थान अपने हलके के जिला आबकारी अधिकारी से स्वीकार कराना होगा। बिना ऐसी स्वीकृति के दुकान एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदली जा सकेगी। पर्याप्त कारण होने पर जिला आबकारी अधिकारी को स्वीकृत स्थान से दुकान हटवाने का अधिकार होगा। इस प्रकार अन्यत्र दुकान स्थानान्तरित करने पर किसी प्रकार का हर्जाना या क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(ख) लाईसेन्सधारी शराब की दुकान अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों तथा सार्वजनिक मनोरंजन स्थल से 500 मीटर के अन्दर नहीं लगा सकेगा, परन्तु एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में धार्मिक स्थानों से दूरी सम्बन्धी प्रतिबन्ध जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में रखी हुई सूची में उल्लेखित धार्मिक स्थानों पर ही लागू होगा।

(ग) लाईसेन्सधारी शराब की दुकान सिंचाई एवं विकास परियोजनाओं के निर्माण स्थल तथा औद्योगिक संस्थान के स्थान से 2 किलोमीटर के अन्दर दुकान नहीं लगा सकेगा। इसी प्रकार सूती मिलों, कारखानों, मजदूर बस्तियों तथा हरिजन बस्तियों से 500 मीटर के अन्दर दुकान नहीं लगा सकेगा।

(घ) लाईसेन्सधारी राष्ट्रीय राज्य मार्ग के मध्य से 150 मीटर एवं राज्य मार्ग के मध्य से 100 मीटर सड़क के दोनों ओर दुकान नहीं लगा सकेगा। परन्तु नगर-परिषद, नगरपालिका अथवा अन्य शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(ङ) दुकानों की अवस्थिति लोकेशन, बाबत उक्त प्रतिबन्धों में पर्याप्त कारण होने पर आबकारी आयुक्त शिथिलता प्रदान कर सकेंगे।

देशी मदिरा लाईसेन्स की शर्त संख्या–12

(क) आबकारी आयुक्त द्वारा अन्य आदेश नहीं होने तक दुकान खुली रहने का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक रहेगा। परन्तु बिना पूर्व सूचना के समय में परिवर्तन किया जा सकेगा जब-जब भी इसकी विभाग आवश्यकता समझे। किन्तु महाविद्यालय स्तरीय शिक्षण संस्थानों को छोड़कर अन्य विद्यालयों के निकट की दुकानों के लिये यह प्रतिबन्ध रहेगा कि शिक्षा संस्थान बन्द होने के एक घण्टे बाद ही दुकान खोली जा सकेगी।

(ख) इसके अतिरिक्त दुकान को शुष्क दिवसों को भी जो इस समय नियत है या जो भविष्य में आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किये जायें, बन्द रखना होगा। शुष्क दिवसों की सूचना लाईसेन्सधारी सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक से प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त दुकान को बन्द रखने व बिक्री समय पर जो नियन्त्रण समय-समय पर लगाये जावेंगे उनका भी पालन लाईसेन्सधारी को करना होगा और उसके लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी और न एकाकी विशेषाधिकार की राशि में कोई कमी ही की जावेगी। शुष्क दिवसों की पठनीय सूची दुकान के काउन्टर के पास लगानी होगी।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा जिले में खाद्य सामग्री का वितरण

60. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) : क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले में रसद विभाग द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में प्रति व्यक्ति को खाद्य तेल व गेहूं वितरित किया जाता है ? प्रत्येक जिले में इसके लिए क्या अलग-अलग व्यवस्था है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले के कमाण्ड व नॉन-कमाण्ड एरिया में एक व्यक्ति या परिवार को कितना-कितना गेहूं दिया जाता है ? इस क्षेत्र में खाद्य एवं रसद सामग्री वितरण की पृथक् से क्या व्यवस्था है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के निर्धारित मापदण्ड के आधार पर बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 कि.ग्रा गेहूं दिया जाता है। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा कम आवण्टन प्राप्त होने पर यह मात्रा घट सकती है। डूंगरपुर जिले में प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम गेहूं एवं प्रति राशन कार्ड पर 5 किलो ग्राम खाद्य तेल वितरण किया जाता है। बांसवाड़ा जिले में प्रति व्यक्ति 5 से 6 कि.ग्रा. तक गेहूं वितरित किया जाता है। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल के भाव आयातीत खाद्य तेल के समकक्ष होने से मांग नहीं होने के कारण खाद्य तेल का वितरण नहीं हो रहा है। प्रत्येक जिले में इसके वितरण की अलग-अलग व्यवस्था नहीं है। विभाग से वितरण सम्बन्धी जारी निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) बांसवाड़ा जिले में कमाण्ड व नॉन-कमाण्ड एरिया में प्रति व्यक्ति 10 कि. ग्रा. गेहूं दिये जाने के आदेश हैं। परन्तु राज्य का आवण्टन कम प्राप्त होने पर जिले को भी आवण्टन कम करने से 5 से 6 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रतिमाह वितरित किया गया है। इस क्षेत्र का कोई विभाजन नहीं किया हुआ है। पूरे क्षेत्र में खाद्य एवं रसद सामग्री वितरण की एक ही व्यवस्था है। अतः विवरण सदन की मेज पर रखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक एफ 7 (2) खावि/खाद्य तेल/86–86 जयपुर, दिनांक 12-12-86

समस्त जिला कलक्टर,
जिला रसद अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :—खाद्य तेल वितरण कराये जाने बाबत।

महोदय,

विभाग के ध्यान में आया है कि कतिपय जिला रसद अधिकारी द्वारा आयातीत खाद्य तेल का वितरण अभी 500 ग्राम प्रति यूनिट एवं अधिकतम 5 कि. ग्रा. प्रति राशन कार्ड किया जा रहा है जबकि यह 500 ग्राम प्रति यूनिट की सीमा विभागीय पत्र संख्या एफ 24 (2) खावि/खाद्य तेल/84–85, दिनांक 22-12-84 द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि कृपया विभागीय आदेशों को मद्दे नजर रखते हुए 5 कि. ग्रा. प्रति राशन कार्ड की दर पर आयातीत खाद्य तेल वितरण कराने की व्यवस्था करें।

विभाग द्वारा जारी किये गये पत्र दिनांक 22-12-84 की प्रतिलिपि पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

संलग्न :– एक प्रति।

भवदीय
ह०
उपायुक्त (खाद्य)

225

राजस्थान सरकार

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग

क्रमांक एफ 13 (28) खावि/आवंटन/87 जयपुर, दिनांक 8-9-87

समस्त जिलाधीश (राजस्थान)

समस्त जिला रसद अधिकारी (राजस्थान)

विषय :—सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकानों से राशन कार्ड धारी उपभोक्ताओं को गेहूं का वितरण कराने के सम्बन्ध में।

इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्ता आवश्यकतानुसार गेहूं राशन कार्ड पर प्राप्त कर सकता है। जिलों में खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांग एवं उपलब्धि को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि माह सितम्बर, 1987 से सारे राज्य में उपभोक्ताओं को गेहूं का वितरण 10 किलो प्रति यूनिट प्रति माह की दर से किया जायेगा। चावल का वितरण पूर्ववत 6 किलो प्रति माह प्रति राशन कार्ड की दर से कराया जाता रहेगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

ह०

शासन सचिव

खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

ग्राम आंधी (जमुवा रामगढ़) खनन् क्षेत्र में सड़क निर्माण

61. श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : क्या खान एवं खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले में जमुवा रामगढ़ के पास आंधी गांव के समीप सफेद संगमरमर तथा चूना पत्थर की कई खानों पर खनन् कार्य चल रहा है ?

(2) क्या इन खान मालिकों से करीब 60 लाख रुपया रायल्टी तथा इतना ही डेडरेण्ट के रूप में सालाना सरकारी खजाने में जमा होता है ?

(3) क्या खनिज क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क का होना अनिवार्य है ? यदि हां, तो फिर इस क्षेत्र में अभी तक सड़क क्यों नहीं बनी ? अब कब तक बना दिये जाने की उम्मीद है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इन खानों से 15.00 लाख रुपया डेडरेन्ट तथा 20 लाख रुपया एक्सेस रोयल्टी प्रत्येक वर्ष सरकारी खजाने में जमा होते हैं।

(3) जी हां। नकचीघाटी से नायला की करीबन 20 कि. मी. सड़क का निर्माण खनिज विभाग द्वारा कराया जा चुका है। इसमें से मानोता की ढ़ाणी से नायला की ओर करीबन 5 कि. मी. सड़क पर डामर बिछाने का कार्य शेष है।

निवाई नगरपालिका को आय

62. श्री ग्यारसीलाल (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निवाई नगरपालिका की प्रति वाहन चुंगी कितनी है व कब से ? वर्ष 1986-87, 1987-88 व 1988-89 में 20 जून तक कितनी आय रही विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) दवाई तथा कपड़ा, जूता चप्पल, सोना, चांदी, बर्तन, तांबा, पीतल, गुड़, शक्कर, तेल, दाल एवं लोहा पर वर्ष 1988-89 में 20 जून तक अलग-अलग कितनी-कितनी माहवार चुंगी काटी गई ? नाकेवार माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका निवाई में दिनांक 6.10.89 से प्रति वाहन 5/- रुपये मार्ग-रक्षा शुल्क लिया जाता है। वर्ष 1986 से 20 जून, 1989 तक का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 1988-89 से 20 जून, 1989 तक अलग-अलग मदों पर वसूल की गई चुंगी की आय का नाकेवार, माहवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

कार्यालय नगरपालिका निवाई, जिला टोंक

क्र. सं.	आय का विवरण / वर्ष	1986–87	1987–88	1988–89	1989–90 में 20 जून, 89 तक	अन्य विवरण
1.	मार्ग दर्शक शुल्क	4,78,827.00	6,68,445.00	9,40,940 00	2,14,035.00	

ह./–
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, निवाई

228

परिशिष्ट-3 जुलाई,

चुंगी नाका स्टेशन से प्राप्त चुंगी आय

नाम जिन्स	अप्रैल 88	मई 88	जून 88	जुलाई 88	अगस्त 88	सितम्बर 88	अक्टूम्बर 88	नवम्ब
दवाई	740.47	888.40	1413.70	948.90	1285.40	811.00	2348.50	223
कपड़ा	2160.20	1625.65	2382.90	1906.65	932.10	946.90	1659.05	401
जूता चप्पल	1615.40	963.50	994.10	1222.00	751.60	591.80	1574.80	20
सोना	—	—	—	—	—	—	—	
बर्तन	429.90	414.80	584.00	490.40	652.00	454.20	606.30	46
ताम्बा	—	—	—	—	—	—	—	—
पीतल	—	—	—	—	—	—	—	
गुड़	1341.50	418.50	837.90	504.05	403.95	210.65	754.40	31
शक्कर	2642.40	2180.10	3490.80	697.00	2464.20	491.80	1593.15	28
तेल	2764.45	1464.25	1248.60	1312.05	2458.30	2016.20	2112.40	9
दाल	321.00	177.50	254.60	229.00	185.50	92.50	115.00	1
लोहा	3709.80	3466.60	2252.35	3516.20	2618.30	3165.90	7838.50	48

229

चुंगी नाका पहाड़ी से प्राप्त चुंगी आय

जिन्स का नाम	अप्रेल 88	मई 88	जून 88	जुलाई 88	अगस्त 88	सितम्बर 88	अक्टूबर 88	नवम-
दवाई	82.40	—	0.80	1260.00	—	—	—	
कपड़ा	2932.50	2136.10	1272.50	2202.35	1999.00	2177.15	2507.20	3?
जूता चप्पल	—	—	—	—	—	—	—	
सोना	—	—	—	—	—	—	—	
बर्तन	—	14.00	—	80.00	200.00	—	20.00	
ताम्बा	—	—	—	—	—	—	—	
पीतल	—	—	—	—	—	—	—	
गुड़	—	2.00	2.00	—	13.00	156.00	223.00	
शक्कर	—	—	220.00	478.00	880.00	450.00	1308.00	5
तेल	—	1.50	1128 00	1533.05	860.50	370.95	264.05	
दाल	438.00	117.00	166 00	40.00	67.50	243.00	118.00	
लोहा	81.10	86.80	104 10	39.60	92.00	—	71.00	

परिशिष्ट–3 जुलाई, 1

चुंगी नाका वेयर हाउस से प्राप्त चुंगी आय

जिन्स का नाम	अप्रेल 88	मई 88	जून 88	जुलाई 88	अगस्त 88	सितम्बर 88	अक्टूबर 88	नवम्बर
दवाई	905.30	3784.20	1009.80	1133.35	793.50	479.10	581.20	612.
कपड़ा	16534.15	20829.50	16734.75	15011.50	10190.25	9445.75	16777.40	23327,
जूता चप्पल	41.35	139.80	—	10.00	93.60	—	—	—
सोना	—	—	—	—	—	—	—	—
बर्तन	—	—	—	—	—	—	133.70	—
ताम्बा	—	—	—	—	—	—	—	—
पीतल	—	—	—	—	—	—	—	—
गुड़	—	—	—	—	—	—	—	—
शक्कर	—	—	—	—	—	—	—	—
तेल	5.20	—	52.95	—	—	—	142.50	—
दाल	—	—	—	—	—	—	—	—
लोहा	273.90	180.90	226.80	291.30	381.30	729.70	290.40	698.4

चुंगी नाका झिलमा से प्राप्त चुंगी आय

जिन्स का नाम	अप्रेल 88	मई 88	जून 88	जुलाई 88	अगस्त 88	सितम्बर 88	अक्टूबर 88
दवाई	—	—	—	—	—	—	—
कपड़ा	—	—	—	—	—	—	—
जूता चप्पल	—	—	—	—	—	—	—
सोना	—	—	—	—	—	—	—
बर्तन	—	—	—	—	—	—	—
ताम्बा	—	—	—	—	—	—	—
पीतल	—	—	—	—	—	—	—
गुड़	—	—	—	—	5.00	—	—
शक्कर	—	—	—	—	—	—	—
तेल	21 25	38.50	94.00	94.50	101.95	116.25	112.25
दाल	46.00	—	17.50	—	23.50	73.00	8.00
लोहा	—	58.00	5.00	—	—	—	—

232

नाम चुंगी नाका बस स्टेण्ड से प्राप्त चुंगी आय

जिन्स का नाम	अप्रेल 88	मई 88	जून 88	जुलाई 88	अगस्त 88
दवाई	534.80	145.50	128.10	159.60	268.30
कपड़ा	161.05	39.40	93.40	72.90	103.70
जूता चप्पल	—	—	4.00	110.50	3.50
सोना	—	—	—	—	—
बर्तन	24.00	35.00	38.00	38.00	48.80
ताम्बा	—	—	—	—	—
पीतल	—	—	—	—	—
गुड़	—	—	—	—	—
शक्कर	—	—	—	120.00	—
तेल	—	—	—	—	—
दाल	—	—	—	—	—
लोहा	2.80	9.00	6.00	—	1.60

राजगढ़ (चूरू) में कारागृह

63. श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़) : क्या जेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील राजगढ़ (चूरू) में कोई कारागृह है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार तहसील राजगढ़ (चूरू) में नया कारागृह भवन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

( ) जी हां। तहसील राजगढ़, चूरू में एक उप कारागृह स्वीकृत है परन्तु उप-कारागृह भवन के असुरक्षित घोषित किए जाने के कारण उप-कारागृह कार्यरत नहीं है।

(2) तहसील राजगढ़ (चूरू) में नया उप-कारागृह भवन बनाया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए आवश्यक भूमि एवं धन राशि उपलब्ध किए जा रहे हैं।

रावी-व्यास नदी जल समझौता

64. सुश्री पुष्पा जैन (पाली)
श्री मोहन छंगाणी (फलौदी)
श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि 31–12–1981 को हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के मुख्य मंत्रियों के बीच रावी व्यास नदियों के अतिरिक्त पानी के बंटवारे के संबंध में एक समझौता हुआ था ? यदि हां, तो इस समझौते के अनुपालन में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है और क्या कार्यवाही शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समझौते के अनुसार उस 6 मि. ए. फी. पानी को, जिसका अभी राजस्थान द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परि-योजना में उपयोग नहीं किया जा सकता भरतपुर पहुंचाना संभव है ? यदि हां तो क्या इसके लिये योजना तैयार की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इसमें पानी के बंटवारे से राजस्थान से सम्बन्धित बिन्दुओं पर वर्तमान स्थिति की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं, 0·6 मि. ए. फी. पानी को जिसे अभी इन्दिरा गांधी नहर परि-योजना में उपयोग नहीं किया जा सकता, भरतपुर पहुंचाना संभव नहीं है और न ऐसी कोई योजना ही तैयार की गई है, क्योंकि इस सम्पूर्ण पानी को इन्दिरा गांधी नहर सिद्धमुख व नोहर परियोजनाओं व गंग व भाखड़ा नहरों पर उपयोग में लाया जायेगा।

दिनांक 31.12.1981 के समझौते के अनुपालना में सम्बन्धित बिन्दुओं के सम्बन्ध में विवरण

अनुबन्ध वर्ष 1981 के निर्णय	अनुबन्ध वर्ष 1981 के निर्णयों की अनुपालना
1. रावी-व्यास नदियों के अधिशेष 17.17 एम. ए. एफ. अनुमानित पानी की उपलब्धि होने पर 0 85 एम ए. एफ दिल्ली व जम्मू-कश्मीर का हिस्सा घटा कर शेष 16.32 एम. ए. एफ. में से राजस्थान का हिस्सा 8.6 एम. ए. एफ. निर्धारित किया गया जो पानी की उपलब्धि घटने या बढ़ने पर इसी अनुपात में बढ़ाया या घटाया जायेगा। 2. राजस्थान के कुल 8.6 मि. ए. फीट पूरे हिस्से में से 0.6 मि. ए. फी. हिस्से को पंजाब उस समय तक काम में लेता रहेगा जब तक राजस्थान अपने पूरे हिस्से को अपने काम में लाने हेतु अपनी क्षमता नहीं बढ़ा लेगा।	1 व 2–1981 के अनुबन्ध के अनुसार जम्मू व कश्मीर तथा दिल्ली को आवंटित जल की मात्रा को सुरक्षित रखने के पश्चात् कुल मात्रा 16.32 एम. ए. एफ. में से राजस्थान का हिस्सा 8.6 एम. ए. एफ. यानि 52.696 प्रतिशत होता है। उक्त अनुबन्ध के पश्चात् पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के पानी के फिलहाल के बंटवारे के लिए भाखड़ा व्यास प्रबन्ध मण्डल ने एक फोरमुलेशन प्रस्तावित किया। इसमें राजस्थान का फिलहाल का भाग 8 6 मि. ए. फी. के स्थान पर 8.0 मि. ए. फी. किया गया, जिसके फलस्वरूप राजस्थान का फिलहाल का हिस्सा 52.696 प्रतिशत से घटकर 49 प्रतिशत रह जाता है। राजस्थान सरकार ने इस विषय पर केन्द्र सरकार को आपत्ति प्रस्तुत की जिसके लिए राज्य सरकार भारत सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त करने में प्रयत्नशील हैं। पानी के बंटवारे का विवाद माननीय प्रधानमंत्री व अकाली दल के अध्यक्ष के बीच 1985 के समझौते के अन्तर्गत इराडी ट्रिब्यूनल में विचाराधीन हैं जिसकी रिपोर्ट के अनुसार 1981 के समझौते के अनुरूप राजस्थान

का 8.6 मि. ए. फी. जल का हिस्सा बरकरार रखा गया है। रावी-व्यास प्रबन्ध मण्डल के फोरमुलेशन से राजस्थान के फिलहाल के हिस्से में 3.696 प्रतिशत अस्थाई कमी करने के फलस्वरूप राजस्थान ने इराडी ट्रिब्यूनल को संशोधित फोरमुलेशन प्रस्तुत करके आगे से राजस्थान का पूर्ण हिस्सा सुनिश्चित करने हेतु स्पष्टीकरण चाहा है।

3. भाखड़ा व्यास प्रबन्ध मण्डल को यह अधिकृत किया गया कि वह निर्धारित हिस्से में सदस्यों के बीच जल वितरण सुनिश्चित करने हेतु नियन्त्रण स्थलों का चुनाव करके सही गैंजिग हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा किन्तु यदि कोई राज्य बोर्ड के निर्णय से असहमत हो तो मामला केन्द्र सरकार को निर्णयार्थ भेजा जावेगा।

3. भाखड़ा व्यास प्रबन्ध मण्डल ने जल की मात्रा को नापने के लिए 46 गैज स्थलों का चुनाव किया था, लेकिन पंजाब राज्य के मतभेद के फलस्वरूप भाखडा व्यास प्रबन्ध मण्डल ने यह मामला केन्द्र सरकार को निर्णयार्थ 17.1 83 को प्रेषित कर दिया है, जिस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है।

4. राजस्थान द्वारा 0.57 मि. ए. फीट पानी सतलज यमुना लिंक (भाखड़ा सिस्टम) के माध्यम से देने बाबत निवेदन पर सिंचाई सचिव भारत सरकार को पंजाब हरियाणा व राजस्थान सरकार से वार्ता करके फैसले हेतु अधिकृत किया गया।

4. श्री सी. सी. पटेल, तत्कालीन सिंचाई सचिव भारत सरकार ने सम्बन्धित राज्यों से वार्ता करके दिनांक 15 1.82 को निर्णय दिया, इसके अनुसार राजस्थान को सिद्धमुख व नोहर क्षेत्रों की सिंचाई के लिए 0.47 एम ए. एफ. पानी उपलब्ध हो सकेगा।

सरदारशहर तहसील के श्रमिकों के भुगतान

65. **श्री भंवर लाल शर्मा** (सरदारशहर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1988-89 में सरदार शहर तहसील में अकाल राहत के तहत कार्य कर रहे मजदूरों का भुगतान किन-किन कैम्पों का नायब तहसीलदार व किन-किन कैम्पों का भुगतान तहसीलदार द्वारा उठाया गया है ?

(2) कितने मजदूरों का भुगतान मस्ट्रोलों में नाम होने के बावजूद भी नहीं किया गया व किस कारण ? सूची नामानुसार सदन की मेज पर रखें ।

(3) अब उनको बकाया का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1988-89 में सरदार शहर तहसील में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, (राजस्व, सहायता) द्वारा उठाये गये भुगतान का विवरण मय कैम्पों की संख्या के सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट–क I, क II, क III)

(2) 223 श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जा सका है । जिसका मुख्य कारण मजदूरों का भुगतान के समय मौके पर नहीं मिलना है । नामानुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) यथा शीघ्र ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्रामों में पेयजल सुविधा

66 **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) राज्य में पेयजल समस्याग्रस्त कितने गांव हैं ? उनमें से अब तक कुल कितने गांवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है ?

(2) वर्ष 1988-89 में कितने गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया तथा इनमें से कितने गांवों को लाभान्वित किया गया ?

उत्तर

(1) राज्य में 27589 समस्याग्रस्त गांव थे इनमें से मार्च 89 तक 26273 ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई है, एवम् वर्ष 1989–90 में 1285 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित करना प्रस्तावित है ।

(2) वर्ष 1988–89 में कुल 1800 ग्रामों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था । इस लक्ष्य के विरुद्ध 2212 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है ।

ग्रामीण शालाओं में प्राथमिक कक्षाओं का परीक्षा परिणाम

67. **श्रीमती रतन कंवर** (शेरगढ़), **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या

(श्रीमती रतन कंवर)

पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के निर्णयानुसार ग्रामीण अंचल की प्राथमिक शाला में पांचवीं तक विद्यार्थी की उपस्थिति पूरी होने पर किसी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जावेगा ? यदि हां, तो इस निर्णय का आधार मुख्यतया क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के 70 प्रतिशत विद्यार्थी से अधिक उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो औसतन कितने प्रतिशत विद्यार्थी उच्च प्राथमिक से आगे शिक्षा ग्रहण करते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थी का अपने कोर्स का ज्ञान प्राप्त करने का कोई मापदण्ड नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या मापदण्ड रखे गये हैं ?

(4) क्या उक्त निर्णय से ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के मुकाबले सरकारी सेवाओं के अवसर से वंचित रह रहे हैं ?

(5) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्राथमिक शिक्षा तक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कक्षा 2 अविभक्त इकाई से कक्षा 3 में जाने के लिए जो परीक्षा ली जानी है वह यथावत रहेगी, परन्तु अब किसी छात्र को इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जावेगा। जो छात्र किसी कारणवश दूसरी कक्षा की अन्तिम परीक्षा में नहीं बैठ पाये हैं उनके लिए अगली जुलाई में पूरक परीक्षा में बैठना आवश्यक होगा।

कक्षा 3 से 4 में जाने के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना तो अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु इसके लिए वांछित मात्रा में (सत्र की कुल उपस्थिति की 60%) की उपस्थिति आवश्यक होगी। जो छात्र/छात्रा कक्षा 3 की वार्षिक परीक्षा में किसी कारणवश नहीं बैठ पाये हैं उनके लिए माह जुलाई में पूरक परीक्षा आयोजित की जायेगी। जो छात्र इस पूरक परीक्षा में नहीं बैठेंगे उनको कक्षा 4 में नहीं जाने दिया जायेगा।

कक्षा 4 से 5 में जाने के लिए परीक्षा प्रणाली यथावत लागू रहेगी।

किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण न किये जाने की नीति निर्धारण के कारणों की जानकारी के लिए शिक्षा विभाग से सम्पर्क किया जा रहा है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र के 70% विद्यार्थी से अधिक उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं अथवा नहीं इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कोई सर्वे नहीं करवाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी गरीब होने के कारण अभिभावक छात्रों की पढाई का खर्चा वहन नहीं कर पाते, बालक-बालिकाओं को कृषि कार्यों, पशुओं एवं घर के छोटे बच्चों की देखभाल में लगा दिया जाता है। लड़कियों को परिवार का कमजोर सदस्य माना जाता है। ग्रामीण समाज में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति

(पंचायत राज्य मंत्री)

नकारात्मक दृष्टिकोण, बाल-विवाह के कारण 18% बालिकायें शिक्षा पूरी नहीं कर पाती, महिला शिक्षकों का अभाव, अभिभावकों की शिक्षा के प्रति अज्ञानता, बालक-बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय भवनों का अभाव, प्राथमिक शिक्षा के अध्ययन के बाद उच्च प्राथमिक कक्षाओं के अध्ययन की सुविधाओं का अभाव, एकल अध्यापकीय होना, अध्यापकों का मुख्यालय पर निवास न करना ऐसे कारण हैं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के बालक/बालिकायें उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं।

(3) जी नहीं। शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है उसी के आधार पर पाठ्य-पुस्तकें लिखाई जाती हैं जिन्हें कक्षा में पढ़ाया जाता है तथा समय-समय पर आयोजित कक्षा द्वारा जांच के माध्यम से पाठ्यक्रम पूर्ण कराने की जांच भी की जाती है।

(4) जी नहीं। क्योंकि पाठ्यक्रम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए एक समान है।

(5) जी नहीं। इस सम्बन्ध में प्रचलित शिक्षा नीति के परिवर्तन की औचित्यता पर शिक्षा विभाग से सम्पर्क किया जायेगा।

(239)

परिशिष्ट–3

अतारांकित प्रश्न सं. 64 की सूची

देश में जिलेवार अत्यधिक घुलनशील लवण (खारा पानी) व क्लोराइड वाले गांवों की सूची

क्र. सं.	जिला	निर्धारित मापदण्ड से अधिक घुलनशील लवण (खारा पानी) पाये जाने वाले ग्रामों की संख्या	निर्धारित मापदंड से अधिक क्लोराइड वाले ग्रामों की संख्या
1	2	3	4
1.	जयपुर	738	580
2.	अलवर	603	417
3.	भरतपुर	618	452
4.	सवाईमाधोपुर	329	211
5.	टोंक	213	238
6.	सीकर	220	233
7.	झुन्झुनू	249	225
8.	कोटा	96	19
9	बून्दी	108	52
10.	झालावाड़	85	14
11.	अजमेर	195	213
12.	भीलवाड़ा	276	517
13.	नागौर	514	304
14.	बीकानेर	236	76
15.	चूरू	452	110
16.	श्रीगंगानगर	320	236
17.	जोधपुर	271	152
18.	पाली	238	244
19.	सिरोही	133	213

1	2	3	4
20.	जालौर	229	226
21.	जैसलमेर	149	86
22.	बाड़मेर	477	376
23.	उदयपुर	217	284
24.	चित्तौड़गढ़	99	149
25.	डूंगरपुर	44	125
26.	बांसवाड़ा	43	62
		7152	5914

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न सं. 67 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	क्र. सं.	ग्राम पंचायत समिति	वर्ष 88-89 में खोले गये प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या।
1	2	3	4	5
1.	जोधपुर	1.	बाप	11
		2.	ओसिया	12 – 1/2
		3.	बिलाडा	8
		4.	शेरगढ़	6 (–) 3
		5.	लूणी	20+3
		6.	फलौदी	15+1
		7.	भोपालगढ़	15

1	2	3	4	5
		8.	मण्डौर	13 (–) 5
		9.	बालेसर	2
			योग :–	102+11=110
2.	जैसलमेर	1.	सांकडा	11
		2.	सम	9
		3.	जैसलमेर	10
			योग :–	30
3.	सिरोही	1.	रेवदर	15
		2.	पिन्डवाडा	7
		3.	शिवगंज	8
		4.	आबूरोड	7
		5.	सिरोही	8
			योग :–	45
4.	बाड़मेर	1.	बाड़मेर	16
		2.	बालोतरा	10
		3.	शिव	10
		4.	शिवाना	10
		5.	बायतु	14
		6.	सिणधरी	15
		7.	धौरीमन्ना	10
		8.	चौहटन	8
			योग :–	93

242

1	2	3	4	5
5.	जालोर	1.	आहोर	7
		2.	जालोर	6
		3.	सायला	12
		4.	सांचोर	18
		5.	जसवन्तपुरा	5
		6.	भीनमाल	15
		7.	रानीवाड़ा	2
			योग :–	65
6.	नागौर	1.	मूण्डवा	15
		2.	नागौर	18
		3.	परबतसर	10
		4.	लाडनूं	9+1
		5.	मेड़ता सिटी	1
		6.	डीडवाना	17
		7.	मकराना	9
		8.	जायल	9
		9.	कुचामन सिटी	15
		10.	रियाबडी	15
		11.	डेगाना	10
			योग :–	138+1
7.	पाली	1.	जैतारण	15
		2.	सोजत	17+1
		3.	रायपुर	16
		4.	पाली	5

1	2	3	4	5
		5.	मारवाड़ जक्शन	12
		6.	देसूरी	6
		7.	रानी	7
		8.	बाली	14
		9.	सुमेरपुर	4
		10.	रोहट	5
			योग :–	101+1
8.	चूरू	1.	डूंगरगढ़	12
		2.	सुजानगढ़	10
		3.	चूरू	13
		4.	रतनगढ़	6
		5.	तारानगर	10
		6.	सरदारशहर	8
		7.	राजगढ़	14
			योग :–	73
9.	बीकानेर	1.	बीकानेर	23
		2.	नोखा	16+2
		3.	लूणकरणसर	20
		4.	कोलायत	16
			योग :–	75+2

1	2	3	4	5
10.	झुंझुनू	1.	नवलगढ़	10
		2.	झुंझुनू	17
		3.	अलसीसर	15
		4.	बुहाना	13
		5.	खेतड़ी	14
		6.	उदयपुरवाटी	14
			योग :–	98
11.	सीकर	1.	लक्ष्मणगढ़	10
		2.	फतेहपुर	16
		3.	पीपराली	14
		4.	धोंद	13
		5.	दांतारामगढ़	9
		6.	श्रीमाधोपुर	14
		7.	खण्डेला	13
		8.	नीमकाथाना	10
			योग :–	99
12.	गंगानगर	1.	रायसिंहनगर	17
		2.	करणसर	19
		3.	सादुलशहर	12
		4.	गंगानगर	10
		5.	हनुमानगढ़	13
		6.	नोहर	17
		7	सुरतगढ़	13
		8.	पदमपुर	13

1	2	3	4	5
		9.	भादरा	11
		10.	अनुपगढ़	18
			योग :-	141+2
13.	अजमेर	1.	जवाजा	12
		2.	मसूदा	15
		3.	पिसांगन	11
		4.	केकड़ी	16
		5.	भीनाय	11
		6.	सिलोरा	10
		7.	श्रीनगर	7
		8.	अराई	9+1
			योग :-	91+1
14.	अलवर	1.	उमरैण	10
		2.	थानागाजी	16
		3.	बहरोड़	11
		4.	नीमराणा	12
		5.	कोटकासिम	9
		6.	किशनगढ़वास	11
		7.	लक्ष्मणगढ़	12
		8.	राजगढ़	9
		9.	रैणी	9
		10.	कठूमर	13
		11.	रामगढ़	5

1	2	3	4	5
		12.	बानसूर	5
		13.	तिजारा	10
		14.	मुण्डावर	10
			योग :-	142
15.	धौलपुर	1.	धौलपुर	12
		2.	बसेड़ी	15
		3.	बाड़ी	10
		4.	राजाखेड़ा	13
			योग :-	50
16.	भरतपुर	1.	नगरपहाडी	5
		2.	सैवर	15
		3.	बयाना	15
		4.	नदबई	2
		5.	रूपवास	13
		6.	बैर	9
		7.	डीग	5
		8.	कांमा	13
		9.	कुम्हेर	8
			योग :-	85
17.	जयपुर	1.	बस्सी	24
		2.	सांगानेर	16

1	2	3	4	5
		3.	झोटवाड़ा	12
		4.	फागी	18
		5.	बांदीकुई	21
		6.	सांभर	14
		7.	दूदू	22
		8.	गोविन्दगढ़	13
		9.	आमेर	22
		10.	जमवारामगढ	29
		11.	शाहपुरा	17
		12.	सिकराय	13+4
		13.	जयपुर ग्रामीण	14
		14.	दौसा	24
		15.	विराटनगर	22
		16.	लालसोट	20
		17.	कोटपूतली	15
		18.	चाकसू	23
			योग :-	339+4
18.	बून्दी	1.	तालेड़ा	16
		2.	हिण्डौली	11
		3.	नैनवा	18
		4.	केशोरायपाटन	08
			योग :-	53
19.	झालावाड़	1.	झालावाड़	7+6
		2.	खानपुर	8

1	2	3	4	5
		3.	डग	13
		4.	पिडावा	8+4
		5.	बकानी	8
		6.	मनोहरथाना	11
			योग :–	55+10
20.	सवाई माधोपुर	1.	महुआ	9
		2.	हिण्डौन	15
		3.	गंगापुर	15
		4.	सवोटीरा	20
		5.	करौली	10
		6.	टोडाभीम	15
		7.	सवाई माधोपुर	15
		8.	खण्डार	10
		9.	बौली	13
		10.	बमनवास	11
		11.	नादौती	10
			योग :–	143
21.	कोटा	1.	लाडपुरा	16
		2.	अन्ता	8
		3.	बांरा	7
		4.	अटरू	5
		5.	शाहबाद	10
		6.	चेचट	5
		7.	सांगोद	5

1	2	3	4	5
		8.	सुलतानपुर	4
		9.	ईटावा	2
		10.	छीपाबड़ौद	11
		11.	छबड़ा	12
		12.	किशनगंज	6
			योग :-	91
22.	टोंक	1.	मालपुरा	7+2
		2.	टोंक	13
		3.	निवाई	12
		4.	देवली	10
		5.	उनियारा	11
		6.	टोडारायसिंह	14
			योग :-	67+2
23.	उदयपुर	1.	कोटडा	6
		2.	राजसमन्द	10
		3.	कुम्भलगढ़	8
		4.	रेलमगरा	6
		5.	आमेट	14
		6.	गिर्वा	12
		7.	बडगांव	8
		8.	खमनौर	15
		9.	धरियावद	10
		10.	सलूम्बर	3

1	2	3	4	5
		11.	सराडा	13
		12.	मावली	15
		13.	खेरवाडा	6
		14.	भीण्डर	16
		15.	गोगुन्दा	10
		16.	झाडौल	8
		17.	देवगढ़	13
		18.	भीम	12
			योग :-	184+1
24.	चित्तौड़गढ़	1.	बेगूं	10
		2.	चित्तौड़गढ़	10
		3.	राशमी	13
		4.	कपासन	8
		5.	प्रतापगढ़	13
		6.	निम्बाहेड़ा	8
		7.	भदेसर	10
		8.	डूंगला	8
		9.	छोटी सादड़ी	9
		10.	बडी सादड़ी	11
		11.	अरनोद	10
		12.	भैंसरोडगढ़	8 (—) 1
		13.	भोपालसागर	5
		14.	गंगरार	8
			योग ;-	131 (—) 1=130

1	2	3	4	5
25.	डूंगरपुर	1.	सांगवाडा	15
		2.	सीमलवाडा	17
		3.	बीछीवाडा	11
		4.	डूंगरपुर	9
		5.	आसपुर	11
			योग :-	63
26.	भीलवाड़ा	1.	मण्डलगढ़	25
		2.	शाहपुरा	14
		3.	सुवाणा	17
		4.	माण्डल	18
		5.	आसिन्द	12
		6.	हुरडा	10
		7.	बनेडा	12
		8.	जहाजपुर	17
		9.	कोटडी	18
		10.	रायपुर	13
		11.	सुहाडा	17
			योग :-	173
27.	बांसवाड़ा	1.	गढी	7
		2.	कुशलगढ़	10
		3.	सज्जनगढ़	10
		4.	बागीडौरा	4

(252)

1	2	3	4	5
27.	बांसवाड़ा	5.	आनन्दपुरी (मुखिया)	10
		6.	घाटोल	12
		7.	पिपलखूट	3
		8.	बांसवाडा	11
			योग :–	67
			कुल योग	2825

भाग 2 से संबंधित प्रतिलिपि

प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु आधार (ग्रामीण)

1. प्राथमिक विद्यालय 1 कि. मी. के वर्किंग डिस्टेन्स पर उन सभी गांवों में उपलब्ध कराया जाना है जिनकी न्यूनतम जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 250 तथा पहाड़ी/रेगिस्तानी/जनजाति क्षेत्र में 200 हों। प्रथम प्राइरीटी में स्कूल गांवों में ही खोले जाये न कि ढाणियों में।

2. एक कि. मी. की दूरी में दूसरी प्राथमिक विद्यालय तभी खोला जाना है जबकि वर्तमान प्राथमिक शाला की छात्र संख्या 220 से अधिक हों यह तभी खोला जावे जब नं. एक के सभी गांव कवर हो चुके हों।

(सज्जन राज मेहता)
विशेषाधिकारी

निदेशक,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
अ. शा. टीप संख्या पं 13/61/शिक्षा/88/
जयपुर, दिनांक :–1.5.88

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 69 की सूची

पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़–सीकर वर्ष 1985 से मार्च 1989 तक

विकास अधिकारी	ग्रामों का नाम जहां भ्रमण किया	पंचायतों का नाम जिनका निरीक्षण किया	वर्ष वार उठाये गये टी. ए. व डी. ए. की राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
के. डी. शर्मा	सीकर, नेछवा, काछवा, प्रतापपुरा, जसरासर, मानासी, अलखपुरा, खुडी. बठोठ, खातीपुरा, भूमा, जाजोद, धानन्नी, हापास, नेछवा, तिडवा, जेवली, दन्तुजला,	नेछवा, जाजोद		अप्रेल 85
	लालासी, डूडवा, बऊ बगडियों का बास, रूल्यापामाली, भूमा, नरसास, प्रतापपुरा, बगडी, खींवासर, बिदासर, बिड़ोदी, खींरवा, पालडी, नरोदड़ा, सुठोट,	रूल्यापामाली, खींवासर		मई 85
	डूडवा, घानन्नी, खेडो, काछवा, नेछवा, बीदासर, पाटोदा, गाड़ोदा, मिर्जवास, मंगलुपा, सीकर, डूडवा, रहनावा, सीकर	पाटोदा,, रहनावा		जून 85

1	2	3	4	5
के. डी. शर्मा	सीकर, खुडी, बठोठ. तिड़ोकी, मुंगलुपा, धाननी, नरोदड़ा, खुडी, बऊ, लालासी, आन्तरोली, सिगोदड़ा, बिड़ोदी, खींरवा, बठोठ, रहनावा,	धाननी, लालासी, मंगलुपा		जुलाई 85
	गनेडी, बोची, कुमासजाटान, प्रतापपुरा, लालासी, यालसर, सीकर, बीदासर, जाजोद, पालडी, पोषपणी, बिडोदी रहनावा, खेडी	गनेडी, बीदासर		अगस्त 85
	यालसर, लालासी, गाड़ोदा, बगडी, पाटोदा, डूडवा, गनेडी, नेछवा, रहनावा, खेडी, बीदासर, पनलावा, खेडी, नरोदड़ा, धाननी, नेछवा	खेडी, नरोदड़ा, बगडी		सितम्बर 85
	गनेडी, सुतोद, तिड़ोकी, मंगलुपा, जाजोद, बठोठ; मिरण्ड़, सिगोदड़ा, पनलावा, जसरासर, मगलुपा, रूल्यापामाली	बठोठ, मिरण्ड़		अक्टूबर 85
	रहनावा, खींवासर, मंगलुपा, तिड़ोकी, जसरासर, आन्तरोली, हमीरपुरा, सीकर, धाननी, जाजोद, बिड़ोदी, सनवाली, सीकर, पोषाणी, गोड़ोदा	खींवासर, जाजोद		नवम्बर 85
	गनेड़ी, सुतोद, तिड़ोकी, मंगलुपा, जाजोद, बठोठ, मिरण्ड़, गाड़ोदा, सिगोदड़ा, पनलावा, जसरासर;	सुतोद, धिरणिया		

1	2	3	4	5
के. डी. शर्मा	सीकर, नरवाली, नरोदड़ा, नेछवा, काछवा, पाटोदा, अलखपुरा, गाड़ोदा, सूतोद, धिरखिया			दिसम्बर 85
	सीकर, लालासी, जाजोद, बीदासर, खोरू, खुडी, गाड़ोदा, सुटोट, काछवा, भिलुण्ड़ा, सिगोदड़ा, आन्तरोली, डूडवा	खुडी, भिलुण्ड़ा		जनवरी 86
	सीकर, जाजोद, नेछवा, बीदासर, धाननी, मगलुपा, जसरासर, भूमा, नरोदड़ा, रहनावा, खुडी, विजयपुरा, तिड़ोकी	तिड़ोकी, मंगलुपा		फरवरी 86
	खुडी, डूडवा, कन्टेवा, हमीरपुरा, बीदासर, मंगलुपा, जयपुर, बगडी, सिगोदडा, लालासी, डूडवा, गाड़ोदा, मिरण्ड़, पालडी, खींवासर	लालासी, डूडवा, गाड़ोदा, मिरण्ड़, पालडी, खींवासर		मार्च 86
			5,710.00	
	मानासी, कुमास, यालसर, छीछांस, गनेडी, बोची, बिड़ोदी, पिपलो, मंगलुणा, तिड़ोकी, लालासी, पालडी, सीकर, धिरपिया, काछवा, सिगोदड़ा, गनेडी	कुमास, काछवा		अप्रैल 86
	धाननी, गाडोदा, मंगलुणा, तिड़ोकी, भुरियों का बास,	बीदासर, भुमा		

1	2	3	4	5
के. डी. शर्मा	खींवासर, बिदासर, रहनावा, बिडोदी, पालडी, डूडवा, लालासी, भुमा			मई 86
	डूडवा, खींवासर, सीकर, नेछवा, तिड़ोकी, बिड़ोदी, खुडी, जसरासर, नरोदड़ा, भुमा, नेछवा, गनेडी, सुतोद, सीकर	बिड़ोदी, गनेडी		जून 86
	खेडीराड़ान, औलों की ढाणी, सीकर, रूल्याणी, सौला, गाड़ोदा, पनलावा, खुडी, रूल्याणी, सीकर, हमीरपुरा, नरोदड़ा, धिरणिया	धिरणिया, रूल्याणी, हमीरपुरा		जुलाई 86
	सीकर, खुडी, तिड़ोकी, जसरासर, नरोदड़ा, मिरण्ड़, डूडवा, सुठोट, खींवासा, भुमा, ढ़हर का बास अलखपुरा, लालासी, धाननी, पालडी, सुतोद	भुमा, अलखपुरा		अगस्त 86
	गाड़ोदा, सुतोद, हमीरपुरा, जाजोद, खेडी, डडवा, गनेडी, रूल्याणी, बीदासर, धस्सु, प्रतापपुरा, बठोठ, रूल्याणामाली, बगडी, मिरण्ड़, धाणा, गनेडी	बठोठ, डूडवा		सितम्बर 86
	मंगलुणा, तिड़ोकी, काछवा, खुडी, बठोठ, पाटोदा, नेछवा, सुतोद, सीकर, धाननी, जुलियासर, रहनावा, बीदासर, काछवा, सुतोद	सुतोद, धाननी, काछवा		अक्टूबर 86

1	2	3	4	5
के. डी. शर्मा	नेछवा, लालासी, खींवासर, बीदासर, बिड़ोदी, मंगलुणा, खेडीराड़ान,	नेछवा लालासी		नवम्बर 86
	गनेडी, सुतोद, जाजोद, धानती, अलखपुरा, दिनवा, सीकर, तिड़ोकी बीदासर, बासनी, सिगोदड़ा, बगडी, लालासी, जयपुर, खेडी, नेछवा, लालासी, यालसर	सिगोदड़ा, जाजोद, बगडी		दिसम्बर 86
	खुडी, बीदासर, सुतोद, जयपुर, रहनावा, जयपुर, बगडी सीकर, अलखपुरा, जाजोद, हमीरपुरा, बठोठ भोजासर, नेछवा, गनेडी, जाजोद, खींवासर	रहनावा, खींवासर		जनवरी 87
	खुडी, पालडी, डूडवा, बिड़ोदी, जाजोद, गाड़ोदा, सुटोट, नेछवा, नरोदड़ा, बीदासर, सीकर, मानासी, खुडी, जाजोद, तिड़ोकी, मंगलुणा, रहनावा, नेछवा, जाजोद, गनेडी	गनेडी, नरोदड़ा		फरवरी 87
	सिगोदड़ा, अलखपुरा डूडवा, दन्तुजला, खुडी, विजयपुरा, भोजासर, ड़ालमास, लालासी, पालडी, सिगोदड़ा, नरोदड़ा, बगडी, नेछवा, जाजोद, ढ़हर का वास, भूमा, नेछवा, सुतोद, अलखपुरा	भोजासर, पालडी	7,048.50	मार्च 87

(257)

258

पंचायत समिति, लक्ष्मणगढ़–सीकर वर्ष 1985 से मार्च 1989 तक

विकास अधिकारी का नाम	ग्रामों का नाम जहां भ्रमण किया	पंचायतों का नाम जिनका निरीक्षण किया	वर्षवार उठाये गये टी. ए. व डी. ए. की राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
के. डी. शर्मा	सीकर, बोदासर, नेछवा, मंगलुणा, खुडी, नरोदड़ा, पोषाणी, खींवासर, जाजोद, रहनावा, हापास, पाटोदा, बठोठ, धिरणिया, उबड़ा, गाड़ोदा, सुठोठ, नेछवा, गनेडी, रूल्याणी	बठोठ, धिरणिया		अप्रेल 87
	सीकर, बिड़ोदी, झाड़ेवा, सुठोठ, नेछवा, सीकर, तिड़ोकी, मंगलुणा, जाजोद, नरोदड़ा, लालासी, जयपुर, उदयपुर	मंगलुणा, जाजोद, तिड़ोकी		मई 87
	सीकर, गनेडी खेडी, मिरजवास, बठोठ, पाटोदा, गनेडी, नेछवा, सुठोठ, मिरण्ड, हापास, डूडवा, खीरवा, जाजोद, भोजासर, डूडवा, लालासी, पालड़ी, भुमा, मंगलुणा	पाटोदा, डूडवा		जून 87

1	2	3	4	5
के. डी. शर्मा	भोजासर, हमीरपुरा, लालासी, आन्तरोली, खेडी, बठोठ, मोरण्ड़, तिड़ोकी, मंगलुणा, डूडवा, नरोदड़ा, जुलियासर, ड़ोटासरा, कुमास जाटान, पाटोदा, बठोठ, धिरणिया, सुतोद, नरोदड़ा	हमीरपुरा, सुतोद, नरोदड़ा		जुलाई 87
	लालासी, बऊ, जूलियासर, डूडवा, पनलावा, नरोदड़ा, काछवा, गनेडी, भोजासर, सीकर, मंगलुणा, सूतोद, मानासी, गनेडी, धिरणिया, कुमास जाटान	गनेडी, कुमास जाटान		अगस्त 87
	खेडी राड़ान, मिर्जवास, गाड़ोदा, बीदासर, डूडवा, पनलावा, खुडी, पालड़ी, सुठीट, बठोठ, किरड़ोली, सीकर, खेडीराड़ान	बठोठ, खेडीराड़ाम, गाड़ोदा		सितम्बर 87
	सीकर, काछवा, मंगलुणा, भोजासर, लालासी, सीकर, बठोठ, धिरणिया बड़ा, रहनावा, मंगलुणा, भोजासर बड़ा, जुलियासर, सुतोद, सनवाली	रहनावा, काछवा,		अक्टूबर 87
	मंगलुणा सीकर, पाटोदा, मिरण्ड़, बीदासर, रहनावा, गाड़ोदा, नेछवा, ढ़हर का बास, बीकानेर, मंगलुणा, पाटोदा, गाड़ोदा	बीदासर, नेछवा		नवम्बर 87

259

1	2	3	4	5
के. डी. शर्मा	खेडी राड़ान, डूडवा जाजोद, प्रतापपुरा, घिरणिया, खींवासर, धाननी, मंगलुणा, बिड़ोदी, सौता, काछबा, भुमा, पालडी, सुठोट, रूल्याणी	धाननी, बिड़ोदी, रूल्याणी		दिसम्बर 87
	डूडवा, खुडी, मिर्जवास, बऊ, गाड़ोदा, बाजड़ोली, खींवासर, सुतोद, जाजोद, धाननी, पिपली, भोजासर, धिरिणिया, तुनवा, नेछवा, सुतोद, हमीरपुरा	डूडवा, हमीरपुरा		जनवरी 88
	चारण की ढाणी, रूल्याणी, गाड़ोदा, सीकर, धस्सु, खुडी, बठोठ, भुमा, काछवा, बीकानेर, पाटोदा, रहनावा, नेछवा, बठोठ	बठोठ, पाटोदा		फरवरी 88
	डूडवा, रहनावा, भोजासर, बठोठ, रूल्याणा माली, पुनली, अलखपुरा बोगन, मिर्जवास, पालड़ी, लालासी, पनलावा, जाजोद, नरोदड़ा, हमीरपुरा, गनेड़ी, भुमा	अलखपुरा, लालासी		मार्च 88
			8,764.69	
	कृपाराम की ढाणी, सुतोद, जाजोद, पुनली, धाननी, बिड़ोदी, भाड़ेवा, ढ़हर का बास बीकानेर, जाजोद, मगलुणा, रहनावा, खेडीराड़ान, धाननी, माधोपुरा, जाजोद, दन्तुजला, विजयपुरा	ढ़हर का बास, जाजोद		अप्रेल 88

1	2	3	4	5
के. डी. शर्मा	सौंला, भोजासर, काछवा, जाजोद, गाड़ोदा, रहनावा, आन्तरोली, गनेडी, बिरणिया, किरड़ोली, तुरकासिया, सिंगड़ोली, भुमा, खुडी, नरोदड़ा, जाजोद, जुलियासर	काछवा, रहनावा, भुमा		मई 88
	माधोपुरा, बीदासर, पनलावा, काछवा, ढ़हर का बास, नेछवा, गनेडी, सुतोद, मगलुणा, कृपाराम की ढ़ाणी, भाड़ेवा, तुनवां, बनाई, खींवासर, विजयपुरा, जाजोद, फुननी, खालीपुरा, लालासी, नरोदड़ा, तिड़ोकी, दन्तुजला, भूमा			जून 88
	सुठोट, कल्याणी, सुतोद, माधोपुरा, नरोदड़ा, भोजासर, चारण की ढ़ाणी, गाड़ोदा, जाजोद, खुडी, सेवदड़ा, बठोठ, डूडवा, तिड़ोकी, काछवा, भूमा, मंगलुणा, लालासी	लालासी, गाड़ोदा		जुलाई 88
	सीकर, मिरण्ड़, बठोठ, खुडी, जाजोद, तुनवां, नेछवा, गनेडी, काछवा, डूडवा, तिड़ोकी, सुतोद, नरोदड़ा, बगडियों का बास	बठोठ, सुतोद		अगस्त 88
	सीकर, गाड़ोदा, सौंला, पाटोदा, हांपास, मंगलुणा, सिंगोदड़ा, रहनावा, सुतोद, जाजोद, बठोठ, मिरण्ड़,	सिंगोदड़ा, पाटोदा		

261

1	2	3	4	5
के. डी. शर्मा	कुमासजागीर, जसरासर, लालासी, पाटोदा			सितम्बर 88
	नेछवा, गनेडी, सीकर, जयपुर, लालासी, रूल्याणी, कुमासजागीर, गनेडी, कुमास, जयपुर	कुमास, रूल्याणी		अक्टूबर 88
	जयपुर, डूडवा, लालासी, सूतोद, गनेडी, काछवा, नेछवा, कुमासजागीर, बिड़ोदी, खुडी बड़ी, लालासी, बऊ	डूडवा, काछवा		नवम्बर 88
	तिड़ोकी, मंगलुणा, सुतोद, काछवा, रूल्याणामाली, बगड़ी, कुमासजाटान, हमीरपुरा, नरोदड़ा, लालासी, डूडवा, खेडी, बीदासर	सुतोद, कुमासजाटान		दिसम्बर 88
	पालड़ी, जाजोद, धानती, भोजासर, जसरासर, सिंगोदड़ा, मिरण्ड़, बठोठ, कन्टेवा, कन्टेवा, डालमास, बऊ, यालसर	बठोठ, जाजोद, मिरण्ड़		जनवरी 89
	भूमा, पाटोदा, हापास, सुटोठ, नामनवा, अलखपुरा, भोजासर, प्रतापपुरा, सिगड़ोला, धिरणिया, मिर्जवास, घाणा, रूल्याणी, तिड़ोकी, जुलियासर, मंगलूणा, हापास, तिड़ोकी	धिरणिया, पाटोदा, भोजासर		फरवरी 89
	गाड़ोदा, चारण का बास, नेछवा, बगडी, रूल्याणी, भिलुण्ड़ा, ढ़हर का बास, डूडवा, सुतोद, पोषाणी, गनेडी, बोची, नरसास	गाड़ोदा, गनेडी		मार्च 89
			6,373.00	

विशेष विवरण :—इस समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों का विजिट एव निरीक्षण किया गया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम (अल्प बचत एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम) हर वर्ष लक्ष्य से अधिक प्राप्ति की गई है। समय-समय पर विकास अधिकारी द्वारा अनौपचारिक प्रशिक्षण इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण तथा जिला मुख्यालय की सभी बैठकों में भाग लिया है। उपरोक्त भ्रमण कार्य में सभी प्रकार के कार्य सम्मिलित हैं। वर्ष 85–86 में पाइलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम में विशेष अभियान में प्रशस्ति पत्र तथा इनाम प्राप्त किया है। तथा वर्ष 85–86, 86–87, 87 88 में विशेष कार्यक्रम 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं अल्प बचत में जिला स्तर से प्रशस्ति पत्र सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्राप्त हुए हैं। एवं अल्प बचत कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000/– रुपये का नगद पुरस्कार प्राप्त किया है।

इस समिति में महालेखाकार के केवल छ (6) बकाया अवक्षेप एवं स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग के कुल 37 अक्षेप बकाया हैं। वर्ष 88 89 तक का अंकेक्षण भी करवा लिया गया है।

ह०/–
विकास अधिकारी
पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़–सीकर

263

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 70 की सूची

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर
क्रमांक/–सामान्य/सी.एम.एच.ओ./88/9231-36 दिनांक 28-10-88
श्रीमान् पुलिस अधीक्षक,
बीकानेर ।

ग्राम जामसर में दिनांक 25-8-88 से 31-8-88 तक भिवानी नेत्र एवं सामान्य अस्पताल, अम्बेडकर सर्किल के पास बीकानेर के द्वारा "आई" केम्प लगाया था । उस कैम्प के प्रचार पेंपलेट की फोटो स्टेट की प्रति इस पत्र के साथ लगाई जाती है ।

"आई" केम्प बीकानेर जिले में किसी भी जगह लगाने से पहले निम्न हस्ताक्षरकर्ता की परमीशन लेनी जरूरी है परन्तु भिवानी नेत्र अस्पताल द्वारा जामसर में "आई" कैंप लगाने की परमीशन नहीं ली गई व उस केम्प में आखों के आपरेशन भी किये गये थे व एक मरीज श्री रगुशाह पुत्र श्री राज्जू शाह जाति मुसलमान निवासी जामसर की आंख का आपरेशन करने के बाद आंख खराब हो गई और वह पी. एम. एम. अस्पताल बीकानेर में (एच) वार्ड में डा. यू. के. सत्संगी साहब से इलाज कराया ।

डा. सत्संगी साहब की रिपोर्ट की फोटो स्टेट कोपी इस पत्र के साथ लगाई जा रही है । कृपया "आई" आपरेशन केम्प लगाने से पहले निम्न हस्ताक्षरकर्ता की परमीशन नहीं लेने के बारे में उचित कार्यवाही करावें ।

संलग्न :–3 (तीन)

ह० /–
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर ।

क्रमांक/सामान्य/सी.एम.एच.ओ./88 दिनांक/–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है ।

1. श्रीमान् प्रधानाचार्य, सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर ।
2. श्रीमान् कलक्टर महोदय, बीकानेर ।

3. श्रीमान् निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाएं, बीकानेर।
5. डा. यू. के. सत्संगी, नेत्र विभागाध्यक्ष, एस.पी. मेडिकल कालेज, पी. बी. एम. होस्पीटल, बीकानेर।

सप्त प्रतिलिपि
पुलिस अधीक्षक
जिला बीकानेर

ह०/–
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर।

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 78 की सूची

थाना डूंगरगढ़ जिला चुरू में वर्ष 1988-89 में दर्ज मुकदमे व उनका निस्तारण

क्र. सं.	अभियोग संख्या	दिनांक	जुर्म धारा	नतीजा पुलिस	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	43	5–4–88	279, 337 भा०दं०सं०	चालान	
2.	44	6–4–88	54 एक्सा. एक्ट	,,	
3.	45	7–4–84	,,	,,	
4.	46	7–4–48	25 आर्मस एक्ट	,,	
5.	47	8–4–88	,,	,,	
6.	48	9–4–88	25 (1बी/ए, आर्मस एक्ट	,,	
7.	49	19–4–88	447 भा०दं०सं०	,,	
8.	50	20–4–88	341, 323 भा०दं०सं०	,,	
9.	51	21–4–48	341, 323 भा०दं०सं०	,,	
10.	53	28–4–88	376, 323 भा०दं०सं०	,,	
11.	54	5–5–88	342, 321 भा०दं०सं०	,,	
12.	55	6–5–88	279, 337 भा०दं०सं०	,,	
13.	56	6–5–88	419, 420, 468, 4771 भा०दं०सं०	अदम सबूत	रिओपन होकर तफ० जारी है।

266

1	2	3	4	5	6
14.	52	24–4–88	341, 323, 147, 148, 149 भा०दं०सं०	चालान	
15.	57	9–5–88	341, 323 भा०दं०सं०	चालान	
16.	58	9–5–88	,,	,,	
17.	59	13–5–88	54 आबकारी एक्ट	,,	
18.	60	20–5–88	341, 336, 337, 427, 349 भा०दं०सं०	,,	
19.	61	20–5–88	451, 323, 427 भा०दं०सं०	,,	
20.	62	21–5–88	341, 323 भा०दं०सं०	,,	
21.	63	22–5–88	457, 380, 511 भा०दं०सं०	,,	
22.	64	24–5–88	447, 379 भा०दं०सं०	अ०व०कू०	
23.	65	27–5–88	279, 337, 338 भा०दं०सं०	चालान	
24:	66	31–5–88	341, 323, 34 भा०दं०सं०	,,	
25.	67	2–6–88	451, 332, 353, 379, 147, 149 व 131, 132 आर पी एक्ट 1951	चालान	
26.	68	5–6–88	336, 323, 47, भा०दं०सं०	अदम वकू	
27.	69	5–6–88	336, 323 341, 147, 148, 179 भा०दं०सं०	चालान	
28.	70	11–6–88	447, 448, 454, 427 भा०दं०सं०	,,	
29.	71	12–6–88	341, 323 भा०दं०सं०	,,	
30.	72	16–6–88	302, 341 भा०दं०सं	चालान	
31.	73	16–6–88	279, 337, 427 भा०दं०सं०	चालान	
32.	74	16-6–88	379 भा०दं०सं०	,,	
33.	75	17–6–88	341, 323, 34 भा०दं०सं०	चालान	
34.	76	18-6–88	,,	अदम वकू	
35.	77	19–6–88	,,	चालान	
36.	78	19–6–88	341, 323 भा०दं०सं०	,,	

1	2	3	4	5	6
37.	79	22-6-88	341, 323, 34 भा०दं०सं०	चालान	
38.	80	23-6-88	457, 380,511 भा०दं०सं०	,,	
39.	81	23-6-88	379 भा०दं०सं	,,	
40.	82	26-6-88	341, 323 भा०दं०सं०	,,	
41.	83	28-6-88	457, 380 भा०द०सं०	एफ.आर. अदमपता	
42.	84	29-6-88	441, 323, 34 भा०दं०सं०	चालान	
43.	81	30-6-88	451, 323, भा०दं०सं०	,,	
44.	86	30-6-88	341, 323, 34 भा०द०सं०	,,	
45.	87	2-7-88	341, 323, 34 भा०दं०सं०	,,	
46.	88	2-7-88	447, 341, 323 भा०दं०स०	,,	
47.	89	9-7-88	379 भा०दं०सं०	एफ.आर. अदमपता	
48.	90	,,	341, 323 भा०दं०सं०	चालान	
49.	91	12-7-88	447, 303 एव 34 भा०दं०सं०	,,	
50.	92	12-7-88	341, 323 भा०दं०संहिता	,,	
51.	93	,,	,,	,,	
52.	94	13-7-88	457 भा०दं०सं०	,,	
53.	95	17-7-88	457, 380 भा०दं०सं०	एफ. आर. अदमपता	
54.	96	18-7-88	279, 304ए भा०दं०सं०	चालान	
55.	97	19-7-88	54 आबकारी अधिनियम	,,	
56.	98	19-7-88	,,	,,	
57.	99	20-7-88	448, 34 भा०दं०सं०	एफ. आर. अदम वकू	
58.	100	22-7-88	457, 380 भा०दं०सं०	चालान	
59.	101	22-7-88	379 भा०दं०सं०	,,	
60.	102	24-7-88	325, 323 भा०दं०सं०	चालान	
61.	102	25-7-88	454, 354, 342 भा०दं०सं०	,,	
62.	104	30-7-88	279, 304, ए भा०दं०सं०	,,	
63.	105	1-8-88	341, 323 भा०दं०स०	,,	

1	2	3	4	5	6
64.	106	1-8-88	379, भा०दं०सं०	एफ.आर.	अदम पता
65.	107	4-8-88	325, 323, 341 भा०दं०सं०	चालान	
66.	108	4-8-88	341, 323 भा०दं०सं०	चालान	
67.	109	6-8-88	447, 427, भा०दं०सं०	,,	
68.	110	6-8-88	447, 352, 341 भा०दं०सं०	,,	
69.	111	7-8-88	341, 323, 34 भा०दं०सं०	,,	
70.	112	8-8-88	409, भा०दं०सं०	,,	
71.	113	9-8-88	354, 341, 323 भा०दं०सं०	,,	
72.	114	11-8-88	341, 323, भा०दं०सं०	,,	
73.	115	13-8-88	25 आई०ए०एक्ट	,,	
74.	116	15-8-88	,,	,,	
75.	117	,,	,,	,,	
76.	118	,,	341, 323	,,	
77.	119	16-8-88	25 आई०ए०एक्ट	,,	
78.	120	16-8-88	452, 323, 34 भा०दं०सं०	,,	
79.	121	16-8-88	341, 323, 34 भा०दं०सं०	,,	
80.	122	,,	147, 323 भा०दं०सं०	एफ.आर.	अदम वकू
81.	123	22-8-88	341, 324, 323, 325 भा०द०सं०	चालान	
82.	124	22-8-88	337, 323, 504 भा०द०सं०	,,	
83.	125	25-8-88	341, 323 भा०दं०सं०	,,	
84.	126	,,	447, 325, 323 भा०दं०सं०	एफ आर.	अदम वकू
85.	127	27-8-88	457, 341, 323 भा०दं०सं०	,,	
86.	128	28-8-88	447, 427 भा०दं०सं०	,,	
87.	129	31-8-88	279, 337 भा०दं०सं०	एफ.आर.	अदम पता
88.	130	1-9-88	147, 148, 149, 341, भा०दं०सं०	,,	अदम वकू
89.	131	2-9-88	379 भा०दं०सं०	चालान	

1	2	3	4	5	6
90.	132	2-9-88	447, 341, 323 भा०दं०स०	चालान	
91.	133	,,	309, 325, 324 भा०दं०सं०	,,	
92.	134	3-9-88	279, 304 ए०आई०पी०सी०	,,	
93.	135	7-9-88	20 एन०पी०पी०एस० एक्ट	,,	
94.	136	4-9-88	447, 147, 427 भा०दं०सं०	,,	
95.	137	12-5-88	279, 304 ए भा०दं०सं०	एफ०आर०अदम पता	
96.	138	13-9-88	279, 337 भा०दं०स0	चालान	
97.	139	14-9-88	341, 323 भा०द०सं०	,,	
98.	140	17-9-88	447, 323 भा०द०सं०	,,	
99.	141	18-9-88	380 भा०दं०स०	एफ० आर० अदम वकू	
100.	142	20-9-88	341, 323, 34 भा०द०सं०	चालान	
101.	143	21-9-88	447, 323 भा०दं०सं०	..	
102.	144	22-9-88	382, 324, 341, 34 भा०द०सं०	चालान	
103.	145	23-9-88	341, 324, 323 भा०द०सं०	,,	
104.	146	25-9-88	279 भा०दं०स०	,,	
105.	147	27-9-90	341, 324 भा०दं०सं०	,,	
106.	148	27-9-88	454, 380 भा०दं०स०	एफ०आर० अदम पता	
107.	149	28-9-88	41, 323 भा०द०स०	चालान	
108.	150	29-9-88	447, 325, 323, 38 भा०द०सं०	चालान	
109.	151	3-10-88	54 आबकारी एक्ट	चालान	
110.	152	,,	,,	,	
111.	153	4-10-88	336, 504 भा०दं०सं०	,	
112.	154	5-10-88	332, 353, 504 भा०दं०सं०	एफ०आर० अदम वक	
113.	155	6-10-88	498ए, 406, भा०दं०सं०	,,	
114.	156	8-10-88	147, 323, 34 भा०दं०सं०	चालान	

1	2		3 4	5	6
115.	157	11–10–88	279, 337 भा०दं०सं०	चालान	
116.	158	11–10–88	147, 148, 149, 323 भा०दं०सं०	,,	
117.	159	,,	447, 324, 147, 149 भा०दं०स०	,,	
118.	160	17–10–88	447, 341, 323 भा०दं०सं० व 25 फारन एक्ट	जैर तफतीश	
119.	161	17–10–88	457, 380 भा०दं०सं०	एफ०ग्रार० ग्रदम वकू	
120.	162	22–10–88	341, 323, 43 भा०दं०स०	चालान	
121.	163	23–10–88	307, 109, व 27 ग्रा०ए०	,,	
122.	164	24–10–88	447, 323, 34 भा०दं०सं०	,,	
123.	165	26–10–88	448, 457, 380 भा०दं०स०	एफ०ग्रार० ग्रदम वकू	
124.	166	26–10–88	447, 379, 147, 323, 504 भा०दं०सं०	,,	
125.	167	,,	450, 373, 342, भा०दं०स०	,,	
126.	168	28–10–88	447, 427 भा०दं०सं०	चालान	
127.	169	,,	451, 323 भा०दं०स०	,,	
128.	170	29–10–88	448, 147, 323 भा०दं०स०	एफ०ग्रार० ग्रदम बकू	
129.	171	1–11–88	454, 380 भा०दं०सं०	एफ०ग्रार० ग्रदम पता	
130.	172	2–11–88	457, 366, 497 भा०दं०सं०	जैर तफतीश	
131.	173	2–11–88	308 भा०दं०सं०	एफ०ग्रार०ग्रदम वकू	
132.	174	3–11–88	379 भा०दं०सं०	चालान	
133.	175	4–11–88	279, 337, 338 भा०दं०सं०	चालान	
134.	176	7–11–88	447, 379 भा०दं०स०	,,	
135.	177	7–11–88	13 ग्रार० पी० जी० ग्रो०	,,	
136.	178	7–11–88	447, 379 भा०दं०सं०	एफ० ग्रार० ग्रदम वकू	
137.	179	16–11–88	447, 427, भा०दं०सं	चालान	
138.	180	,,	406, 420, 34 भा०दं०सं०	एफ०ग्रार०ग्रदम बकू	

1	2	3	4	5	6
139.	181	17-11-88	147, 148, 149, 323, 341 भा०दं०सं०	चालान	
140.	182	,,	341, 323 34 भा०दं०सं०	,,	
141.	183	18-11-88	341, 323 भा०दं०सं०	एफ.ग्रार. ग्रदम वकू	
142.	184	19-11-88	457, 380 भा०दं०सं०	एफ.ग्रार. ग्रदम पता	
143.	185	22-11-88	54 एक्स०एक्ट	चालान	
144.	186	28-11-88	147, 323, 448 भा०दं०सं०	एफ.ग्रार. ग्रदम वकू	
145.	187	,,	147, 148, 149, 323, 307 भा०दं०सं०	चालान	
146.	188	28-11-88	447, 323, 34 भा०दं०सं०	एफ.ग्रार. ग्रदम वकू	
147.	189	1-12-88	341, 447, 323, 504 34 भा०दं०स०	चालान	
148.	190	2-12-88	457, 380 भा०द०स०	एफ.ग्रार. ग्रदम वकू	
149.	191	6-12-88	457, 380 भा०दं०सं०	एफ.ग्रार. ग्रदम वकू	
150.	192	14-12-88	448, 323 भा०दं०सं०	चालान	
151.	193	16-12-88	447, 147, 379 भा०दं०सं०	एफ.ग्रार. ग्रदम वकू	
152.	194	16-12-88	435, 323, 147 भा०दं०सं०	चालान	
153.	195	25-12-88	365, 147, 323 भा०द०सं०	जैर तफतीश	
154.	196	26-12-88	25 ग्राई०ए०	चालान	
155.	197	28-12-88	54 एक्स० एक्ट	,,	
156.	198	28-12-88	25 ग्रा०ए०	,,	
157.	1	1-1-89	341, 323 भा०दं०स०	चालान	
158.	2	1-1-89	54 ग्राब०एक्ट	,,	
159.	3	4-1-89	436 भा०दं०सं०	एफ ग्रार. ग्रदम पता	
160.	4	8-1-89	457, 380 भा०दं०स०	चालान	
161.	5	16-1-89	4/7 पी.सी.ग्रार. एक्ट व 323, 504 भा०दं०सं०	,,	
162.	6	,,	2 ग्रा० एक्ट	,,	
163.	7	17-1-89	341, 325, 323 भा०दं०सं०	,,	

1	2	3	4	5	6
164.	8	18-1-89	308 भा०दं०सं०	चालान	
165.	9	19-1-89	447, 147, 379 भा०दं०स०	एफ आर. अदम वकू	
166.	10	20-1-89	436 भा०दं०सं०	चालान	
167.	11	20-1-89	279, 204 भा०दं०सं०	,,	
168.	12	21-8-89	451, 325, 323 भा०दं०सं०	,,	
169.	13	23-1-89	447, 379, 457, 380 भा०दं०सं०	एफ.आर. अदम यकू	
170.	14	1-2-89	457, 454, 380 भा०दं०सं०	जैर तफतीश	
171.	15	4-2-89	336, 323, 457 भा०दं०सं०	चालान	
172.	16	5-2-89	457 भा०दं०सं०	जैर तफतीश	
173.	17	6-2-89	354, 380 भा०दं०सं०	एफ.आर. अदम पता	
174.	18	6-2-89	406, 420 भा०दं०सं०	एफ.आर. अदम वकू	
175.	19	6-2-89	406 भा०दं०सं०	,,	
176.	20	,,	341, 323 भा०दं०सं०	चालान	
177.	21	8-2-79	325, 323 भा०दं०सं०	चालान	
178.	22	10-2-89	379 भा०दं०सं०	एफ.आर. अदम पता	
179.	23	10-2-89	447, 427, 323 भा०दं०सं०	,, अदम वकू	
180.	24	12-2-89	20 एन. डी. पी. एस. एक्ट	चालान	
181.	25	13-2-89	341, 323 भा०दं०सं०	चालान	
182.	26	14-2-89	409, 467, 468 फा०दं०स०	,,	
183.	27	15-2-89	451, 323 भा०दं०सं०	चालान	
184.	28	16-2-89	54 आब० एक्ट	चालान	
185.	29	17-2-89	341, 323 भा०दं०सं०	,,	
186.	30	18-2-89	341, 323 भा०दं०सं०	,,	
187.	31	19-2-89	341, 323 भा०दं०सं०	एफ.आर. अदम पता	
188.	32	21-2-89	4 आर पी.सी.ए. एक्ट व 9/5 डब्लू.एल.पी. एक्ट	चालान	

1	2	3	4	5	6
189.	33	21–2–89	332, 353 भा०दं०सं०	चालान	
190.	34	,,	448, 323 भा०दं०सं०	,,	
191.	35	22–2–89	448, 427, 379, 504 भा०द०सं०	एफ.आर. अदम वकू-	
192.	36	2–3–89	363, 380 भा०दं०सं०	जैर तफतीश	
193.	37	4–3–89	457 भा०दं०सं०	चालान	
194.	38	7–3–89	279, 337, 304ए भा०दं०सं०	एफ.आर. अदम वकू	
195.	39	8–3–89	341, 323 भा०दं०सं०	चालान	
196.	40	10–3–89	341, 323 भा०दं०सं०	,,	
197.	41	13–3–89	304ए भा०दं०सं०	चालान	
198.	42	15–3–89	5 आ. ए.	,,	
199.	43	16–3–89	341, 327 भा०दं०सं०	जैर तफतीश	
200.	44	16–3–89	379, 447, 323 भा०दं०सं०	एफ.आर. अदम वकू	
201.	45	18–3–89	54 एक्सा. एक्ट	चालान	
202.	46	19–3–89	,,	,,	
203.	47	,,	,,	,,	
204.	48	22–3–89	341, 323, 147, 148, 149 भा०दं०सं०	चालान	
205.	49	22–3–89	341, 323 भा०दं०सं०	,,	
206.	50	22–3–89	341, 336 भा०दं०सं०	,,	
207.	51	22–3–89	341, 323, 427 भा०दं०सं०	,,	
208.	52	23–3–89	341, 323 भा०दं०सं०	,,	
209.	53	25–3–89	54 आ० एक्ट	,,	
210.	54	30–3–89	147, 323	एफ.आर. अदम वकू	

274.

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 80 की सूची

तहसील नैनवा जिला बूंदी बीसलपुर बांध में दांई मुख्य नहर के सिंचित क्षेत्र में आने वाले प्रस्तावित गांवों की सूची ।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	अरनिया	23.	कांकरिया
2.	संडेला	24.	माणी
3.	रघुनाथपुरा	25.	कुशालपुरा
4.	मानपुरा	26.	श्रीपुरा
5.	गम्भीरी	27.	कुम्हारिया
6.	खांसपुरा	28.	जरखोदा
7.	गम्भीरा	29.	करवर
8.	रामपुरा	30.	खजूरा
9.	नाहरी	31.	खजूरी
10.	चावड़पुरा	32.	सहन
11.	जगदीशपुरा	33.	मुंरडया
12.	बोरदा	34.	साडेला
13.	करीरी	35.	बिहारीपुरा
14.	रैटोपा	36:	अर्जुनपुरा
15.	मालेड़ा	37.	पटपुड़ा
16.	देवपुरा	38.	पीपरवाला
17.	मालेड़ा	39.	आतरदा
18.	बनसोली	40.	अरनेठा उर्फ बिहारीपुरा
19.	बावड़ी	41.	खुर्दकरवर
20.	फतेहगंज	42.	शिवपुरा
21.	सूंसा	43.	शिवदानपुरा
22.	केथूदा		

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 83 की सूची

परिशिष्ट "क"

राहत कार्य के भुगतान से अवशेष राशि

क्र. सं.	नाम कृषक	नाम राहत कार्य	भुगतान से अवशेष राशि
1.	श्री छोटू ग्रा. कवरिया माली	नवकूप	6825.00
2.	श्री शोपाल ग्रा० धन्ना माली	,,	6500.00
3.	श्री रामचन्द्र ग्रा० नारायण माली	कूप गहरा	1509.87
4.	श्री सुवा ग्रा० नूरा तेली	,,	1117.65
5.	श्री पांचू ग्रा० बंजरंगा माली	,,	2676.38
6.	श्री प्रहलाद ग्रा० केसरा गूजर	नवकूप	2955.50
7.	श्री मोती ग्रा० बजरंगा गूजर	,,	4002.40
8.	श्री कजोड़ ग्रा० बरधा बैरवा	कूप गहरा	2844.44
9.	श्री हजारी ग्रा० नन्दा माली	,,	891.80
10.	श्री लक्ष्मीनारायण ग्रा० कंवरीलाल बारेठ	,,	395.44
11.	श्री जन्सी मंगला मीणा	,,	1571.82
12.	श्री कल्याण ग्रा० किशना माली	,,	1763.93
13.	श्री मांगीलाल ग्रा० गोरधन तेली	नवकूप	7150.00
14.	श्री लादू ग्रा० गोपी तेली बटावली	,,	2063.00
15.	श्री बजरंगा/जगदीश मीणा, नि. गम्भीरा	,,	1467.40
16.	पंचायत समिति के कार्य		6715.00
		योग	50449.63

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 87 की सूची

इस पत्र के द्वारा राज्य सरकार को किस प्रकार कुछ अधिकारियों एवं खनिज पट्टाधारियों द्वारा गुमराह कर राज्य कोष को हानि पहुंचायी जा रही है एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये अप्रधान खनिज रियायती नियम 1977 एवं 1986 की किस तरह खुली अवहेलना की जा रही है के कुछ उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं एवं आशा करता हूं कि आप राज्य हित को ध्यान में रखते हुए अब उस पर तुरन्त रूप से रोक लगाने के आदेश प्रदान करेंगे।

यह है कि अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1977 व 1986 के नियम 11 के अनुसार कोई भी पट्टाधारी क्रमश: 15 वर्ग किलोमीटर व 10 वर्ग किलोमीटर अधिकतम क्षेत्र ही रख सकता है।

यह कि नियम 11 (4) में स्पष्ट उल्लेख है कि उपरोक्त क्षेत्र निर्धारित करते समय हिन्दू अविभाज्य परिवार या किसी फर्म में भागीदार होने पर पट्टेधारी के हिस्से में आने वाले क्षेत्र को उसके अधिकतम क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए लेकिन किसी भी दशा में उसका क्षेत्र नियम 11 (2) की निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

यह है कि तहसील सोजत जिला पाली में सोजत लाइम कम्पनी के नाम ग्राम अटवड़ा में 15 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है व इसी फर्म के भागीदार राजेन्द्र सिंह के नाम ग्राम मण्डला में 1-3-74 से 15 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है यह दोनों ही पट्टे एक ही परिवार द्वारा अलग-अलग नाम से संचालित की जा रही है एवं कब-कब इनमें रद्दोबदली हुई या नवीनीकरण हुए उसका विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है :—

	सोजत लाइम कम्पनी		राजेन्द्र सिंह मण्डला लीज
1-9-69	10 वर्गमील (22.5 वर्ग कि.मी.)		
	भागीदार (1) शिवजी सिंह		
	(2) प्रकाश सिंह		
	(3) राजेन्द्र सिंह		
	(4) गोविन्द सिंह		
30-9-71	भागीदार (1) शिवजी सिंह	7.5 वर्ग कि. मी.	
	(2) प्रकाश सिंह	7.5 वर्ग कि. मी.	
	(3) राजेन्द्र सिंह	7.5 वर्ग कि. मी.	

२ (278)

1.3.74	भागीदार (1) शिवजी सिंह	7.5 वर्ग कि. मी.	
	(2) प्रकाश सिंह	7.5 वर्ग कि. मी.	
	(3) राजेन्द्र सिंह	7.5 वर्ग कि. मी.	राजेन्द्र सिंह को 1-3-74 से मण्डला की लीज 10 वर्ग मील की स्वीकृत की गई।
22-10-83	भागीदार (1) प्रकाश सिंह	7.5 वर्ग कि. मी.	,, ,,
	(2) राजेन्द्र सिंह	7.5 वर्ग कि. मी.	,, ,, राजेन्द्र सिंह के हिस्से में मण्डला का 15 वर्ग कि. मी. का क्षेत्र व अटवड़ा का 7.5 क्षेत्र सम्मिलित किये जाने पर 22.5 वर्ग कि. मी. क्षेत्र रहता है।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि किस प्रकार पट्टाधारी द्वारा एवं अधिनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकार को गुमराह किया जाकर गैर कानूनी कार्यवाही को चालू रखा जा रहा है। मेरा आपसे राज्य हित में अनुरोध है कि इसकी विस्तृत जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे एवं सरकार को धोखा देने वाले पट्टाधारियों के पट्टे भी रद्द किये जावे।

मैं इस मौके पर आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की नवीनतम नीति के अनुसार 300 मी. × 300 मी. के प्लाट्स बनाकर इस क्षेत्र को अगर नये उद्यमियों को आवंटित किया जायेगा तो 300 व्यवसायों को रोजगार मिलेगा व आमदनी भी 300 × 45,000 = 1,35,00,000 की होगी जबकि आज उक्त दोनों पट्टों से सरकार को मात्र 5,00,000 के आस-पास ही आय होती है।

अतः आशा है इस बात पर आप तुरन्त कार्यवाही कर आप द्वारा लिये गये निर्णय से मुझे भी अवगत कराने का कष्ट करेंगे। चूंकि पट्टाधारी द्वारा संविदा की शर्त संख्या 22 एवं अप्रधान खनिज रियायती नियमों की अवहेलना है, इसलिए सरकार को ऐसी गलत कार्यवाही पर पट्टा खण्डित करने का पूर्ण अधिकार है।

सधन्यवाद।

भवदीय,

ह/-

(खंगार सिंह विधायक)

विधायक मारवाड़ जंक्शन

खंगार सिंह चौधरी,
विधायक खारची,
विधायक नगर 2/4,
जयपुर।

राजस्थान विधान सभा

जयपुर,
13-4-1987

आदरणीय श्रीमान् इन्दौरा साहब,

राज्य सरकार की यह नीति रही है कि खनिज उत्पादन में अधिक से अधिक छोटे उद्यमियों को लाया जाय एवं बड़े पट्टाधारियों का एकाधिपत्य समाप्त किया जाये। इसी नीति के अनुसार चूने के पत्थर के पट्टे जो पहले 10 वर्ग मील (22.5 वर्ग किमी.) के होते थे उन्हें घटाकर 15 वर्ग किलोमीटर किया फिर एक वर्ग किलोमीटर किया बाद में 100 × 300 मीटर का किया इससे एक तरफ अधिक लोगों को रोजगार मिलना सम्भव हुआ तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की आय में बढ़ोतरी हुई है।

राज्य सरकार के अधिनस्थ कर्मचारी राज्य सरकार की इस नीति को किस तरह अपनी निष्कमंण्यता एवं पक्षपात पूर्ण नीति से असफल कर रही है उसका एक उदाहरण नीचे पेश किया जा रहा है, जिसके बारे में मेरे द्वारा उठाये गये मुद्दों पर जांच की जाकर उचित व न्याय संगत निर्णय राज्य हित में शीघ्र ही लिया जावे ताकि राज्य सरकार की जो छवि धूमिल होती जा रही है, उस पर जनता में पुनः आस्था बन सके एवं जनता यह मानने लगे कि वास्तव में कानून का राज है।

यह कि तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में ग्राम मण्डला तहसील सोजत में राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवजी सिंह कच्छावा को दिनांक 1-3-74 से ग्राम मण्डला में 10 वर्गमील की लीज स्वीकृत की गई है, यही राजेन्द्र सिंह सोजत लाइम कम्पनी के नाम की ग्राम हटवडा में जो 15 वर्ग किमी. की लीज स्वीकृत है का भी भागीदार 1-3-74 को था। जिस क्षेत्र में राजेन्द्र सिंह का 1/3 हिस्सा था व दिनांक 22-10-83 से श्री सोजत लाइम कम्पनी के भागीदार श्री शिवजी सिंह का स्वर्गवास हो जाने से राजेन्द्र सिंह का 1/2 हिस्सा हो गया इस तरह राजेन्द्र के नाम मण्डला व हटवडा के क्षेत्रों को शामिल किया जाने से 22½ वर्ग किमी. क्षेत्र धारण करता है जो अप्रधान खनिज रिआयती नियम की खुली अवहेलना है।

२७ (280)

यही नहीं अधिनस्थ खनिज विभाग सोजत किस हद तक गैर कानूनी कार्यों को संरक्षण दे रहा है वह इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि श्री राजेन्द्र सिंह के नाम मण्डला लीज का नवीनीकरण 16-1-1986 को हुआ, तो क्या श्री राजेन्द्र सिंह ने अप्रधान खनिज रियायती के नियम 19 (4) के अनुसार संविदा निष्पादन की औपचारिकताएं निर्धारित समय में कर दी ? यदि नहीं की तो क्या पट्टाधारी ने राज्य सरकार से समय बढ़ाने की मांग की, यदि मांग की तो कितने समय बाद की और क्या नियम 19 (4) के वित्तीय परन्तुक के बावजूद भी पट्टाधारी को उक्त नियमों में समय दिये जाने का प्रावधान है। इसकी विस्तृत जांच की जानी चाहिए। यह लिखते हुए बड़ा आश्चर्य होता है कि पार्टी सीधी राज्य सरकार से दरख्वास्त करती है कि उसने संविदा निष्पादन की तमाम औपचारिकताएं पूरी कर दी है। राज्य सरकार इस पर सहायक अभियन्ता सोजत से उसकी टिप्पणी मांगती है, और सहायक खनि अभियन्ता भी राज्य सरकार को अपनी टिप्पणी भेजता है। इसमें प्रश्न यह है कि क्या राजेन्द्र सिंह कच्छावा ने राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र देते वक्त औपचारिकताएं पूरी की या नहीं। इसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि जो स्टाम्प पेश किये गये हैं. वे प्रार्थना पत्र की अवधि के बाद में पेश किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा निदेशक महोदय को उनकी सिफारिश को रद्द करने के लिए बाध्य करना भी उचित नहीं है। फिर भी कम से कम मेरे द्वारा उठाये मुद्दों की विस्तृत जांच की जानी आवश्यक है और क्या नियम 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत संविदा निष्पादन की औपचारिकता पूरी करने की कोई सीमा भी है और यदि है तो उसकी पालना हुई। अतः इसकी जांच की जाकर मुझे अवगत करावें।

भवदीय,
ह/–
(खगार सिंह चौधरी)

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 88 की सूची

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

(नियम 286 रा. मु. रे.) नं....... ....

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म में हस्ब दफा 146 जा. फौ.
थाने पर चाक होती है)

थाना—पादूकलां जिला—नागौर (राजस्थान) जुर्म नं० (सुर्खी में) F.I.R. No. 119 6-12-88 u/s 147, 498 A, 1304 B, 201 I.P.C. तारीख और वक्त वकुआ 2-12-88 रात्रि 8 बजे ।

तारीख और वक्त जब इत्तिला हुई मय रिपोर्ट नं. रोजनामचा आम	जाय वकुआ और फासला और सिम्त थाने से मय नाम हल्का अगर कोई दूसरा हो	तारीख व वक्त रवानगी आगे से
दिनांक 6.12.88 समय 1 P.M. R.R. No. 158	ग्राम पुरोहितासनी बरूख दक्षिण बफासला करीब 15 km. दूर तहसील मेड़ता शहर	6-12-88

२ (282)

नाम व नम्बर हल्का 34 A. हल्के में वकुआ अन्दर साजा नम्बर 1/88

नाम और सकूनत इत्तिला कुनिन्दा और मुस्तगीस (सूचना देने वाले और अभियोगी का नाम और निवास स्थान)	नाम और सकूनत मुल्जिमान (निवास स्थान अपराधी)	मुख्तसिर हालात जुर्म मय दफा और माल अगर कोई गया हो	कार्रवाई तफसील जो अमल में लाई गई और वजह देरी जो इत्तिला करने में हुई हो	नतीजा मुकदमा
श्री शेतानसिंह S/o. भोमसिंह कौम पुरोहित, निवासी धरम-धारी P. S. करला, जिला पाली।	(1) पोकरसिंह S/o लादूसिंह पुरोहित साकिन (2) किशोरसिंह S/o पोकरसिंह ,, पुरो- (3) वासुदेव S/o पोकरसिंह ,, हितासनी (4) इन्द्रा W/o पोकरसिंह ,, (5) बाईजी D/o ,, (6) ,, D/o किशोरसिंह ,,	मुलजिमानों ने एक राय होकर मुस्यात शांति के पीहर वालों द्वारा दहेज कम देने के कारण तंग, परेशान किया व मार-पीट कर हत्या की। वगैरा u/s 147, 498 A, 304 B, 201 I.P.C.	रपट देहन्दा को सूचना मिलते ही थाना रिपोर्ट पेश की। जिस पर मुकदमा दर्ज कर तफतीश जाना शुरू की।	Challan 29 30/4/89 u/s 49A 306 201, 176 I.P.C. पेश अदालत रोड 38 1-5-89 Add C.J.M. Court Merta City

दस्तखत Sd/– लालचन्द ओहदा SHO PS पादूकलां

रिपोर्ट जुबानी या तहरीरी (पुश्त पर)

श्रीमानजी निवेदन है कि श्री शेतानसिंह S/o. भोमसिंह कौम पुरोहित, निवासी धरमधारी ने उपस्थित थाना होकर अपनी लिखित रिपोर्ट पेश की। नकल हस्त जैल है।

श्रीमान पुलिस थानेदार साहब
पुलिस थाना पादूकलां

मुस्तगीस

शेतानसिंह S/o भोमसिंह, कौम
पुरोहित, सा. धरमधारी
जिला—पाली

मुलजिमान

(1) पोकरसिंह S/o लादूसिंह
(2) किशोरसिंह S/o पोकरसिंह
(3) वासुदेव S/o पोकरसिंह

(283) ३६2

(4) इन्द्रा w/o पोकरसिंह
(5) बाईजी D/o पोकरसिंह
(6) बाईजी W/o किशोरसिंह कौम पुरोहित सा० पुरोहितासनी

मुस्तगीस निम्न दरख्वास्त पेश करता है।

यह है कि मुस्तगीस ने अपनी लड़की शांति उम्र करीब 30 साल का विवाह करीब चार साल पहले हमारे समाज के रीति-रिवाज से श्री वासुदेव S/o पोकरसिंह पुरोहित सा. पुरोहितासनी के साथ की थी। उस वक्त शांति के पांव में चांदी की छड़ें करीब 40।।) तोला व कणडोरा काजरी 25।।) तोला जेवर चांदी के व सोने के टोपस, रकड़ी व कण्ठी करीब 2।।) तोला दूसरे सामान के साथ चढाये थे। शादी के बाद शांति जब भी पीहर आई तो वह कहती थी कि मुझे मेरा पति, सास, ससुर, जिठानी व नणद वगैरा तंग व परेशान करते हैं। जिसका कारण दहेज में कुछ नहीं देना बताती रही है। जिस पर एक बार "मैं पुरोहितासनी आया व गांव के मौजीज प्रेमसिंह S/o कालूसिंह व मोहनसिंह S/o माधोसिंह को लेकर उक्त मुलजिमानों से मिला तो उन्होंने यही कहा कि तुमने दहेज में कुछ भी नहीं दिया। इसलिए हम तो ऐसा ही करेंगे। इस पर मैं मेरी लड़की को अपने साथ गांव ले गया। जो करीब चार महिना तक मेरे पास रही। अभी करीब दो माह पहिले पुरोहितासनी का शकरसिंह मेरे पास आया व विश्वास भी दिलाया कि शांति को उसके ससुराल वाले अब तंग नहीं करेंगे। मैं विश्वास में आ गया व शांति को शंकरसिंह के साथ उसके ससूराल भेज दी। तारीख 4–12–88 को मैं मेरी छोटी लड़की पप्पु को छोड़ने के लिए उसके ससुराल गांव पांचडोलिया त० मेड़ता आया व कल तारीख 5–12–88 से शांति से मिलने ग्राम पुरोहितासनी शाम के बाद पहुंचा व गांव के लोगों से रिश्तेदारी के नाते से बातचीत की तो प्रेमसिंह S/o कालूसिंह व मोहनसिंह S/o माधोसिंह सा० पुरोहितासनी व दो तीन और आदमी जिनके नाम नहीं जानता। शांति के ससूराल श्यामजीवाला बेरा सरहद पुरोहितासनी के खेतों के पड़ौसी होंगे, मिले जिन्होंने मुझे बताया कि तारीख 2-12-88 की रात में करीब 8 बजे मुलजिमाव ने मिलकर शान्ती को मारपीट की। जिससे वह मर गई व 3-12-88 को मुलजिमानों ने जला दी है। तब मैंने रोना-पीटना शुरू किया तो गांव के और भी काफी आदमी इकट्ठे हो गये। जिनमें प्रमुख जवारसिंह व चन्द्रसिंह व नेनसिंह न० कालूसिंह पुरोहित सा० पुरोहितासनी थे। जिनको साथ लेकर मैं शांती के बेरा पर गया। जहां मुलजिमान मिले। व मैंने उनको कहा-सुनी की तो मुलजिमान ने मुझे कहा कि जो होना था वह हो गया। अब गम खाओ और मामले को रफा-दफा कर दो। कल रात में कोई साधन नहीं मिलने से व घटना की पूरी तसल्ली करने के लिए रूक गया। गांव के लोगों ने उक्त

२

(284)

घटना होने बाबत हो बातें बताई। अत: रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सजा दिलावें। तारीख 6-12-88 o मि. अ. शेतानसिंह पुरोहित।

R. R. No 158
6-12-88 वक्त 1 P.M.

:— कार्यवाही पुलिस :—

श्री शेतानसिंह S/o भोमसिंह कौम राज पुरोहित साकिन धरमधारी पुलिस थाना केरला जिला पाली उम्र करीब 60 साल, पेशा खेती ने हाजिर थाना होकर अपनी लिखित रिपोर्ट पेश की। जिसने तकरीरन दरियाफत पर बयान किया कि यह रिपोर्ट मेरे कहे मुताबिक पांदूकला के श्री नारायणसिंह ने लिखी। शादी के बाद दहेज में शांति के ससुराल वालों ने और कुछ देने की बात नहीं कही थी। वैसे ही टीके में सब परिवार वालों को दस्तूर के करीब दो हजार रूपये दिये थे। मगर मुझे वे लोग खुश नजर नहीं आये। घटना की जानकारी में मैंने गांव के हर वर्ग से सम्पर्क किया जिनके नाम तो नहीं जानता। उन्होंने यही घटना होने की मुझे तसल्ली दी।जिस पर अब रिपोर्ट पेश की है। o L.T.I. शेतानसिंह

रिपोर्ट व तकरीर दरियाफ्त रपट देहन्दा को शब्द बशब्द पढकर सुनाई गई। सही तस्लीम कर निशान अंगुस्त किया। L.T.I. शेतानसिंह o

मजमून रिपोर्ट व तफसील दरियाफ्त पर F.I.R. No. 119 6-12-88 u/s 147, 498 A, 304 B, 201 I.P.C. में कायम कर तफतीश जाब्ता शुरू की गई। नकल FIR रपट देहन्दा को निःशुल्क दी गई। व SR जारी की गई। 6-12-88 o L.T.I. शेतानसिंह

प्रमाणित	Sd/– लालचन्द
एस. एच. ओ. पादूकलां (मारीजा)	S.H.O. P. S. पादूकलां

284

राजस्थान पुलिस

चार्जशीट

जिला नागौर चार्जशीट नं० 29 तारीख 30-4-89 रिपोर्ट इत्तला अव्वल नं० 119 तारीख 6-12-88

1.	नाम पता मुस्तगीस या इत्तिला कुनिन्दा		श्री शेतानसिंह S/o भोमसिंह कौम पुरोहित नि० धरमधारी P.S केरला जिला—पाली
2.	नाम पता मुल० जिनका चालान 299 C.R. P.C. में किया गया है।		—
3.	नाम पता मुल० जिनका चालान किया गया है।	जेर हिरासत	(1) श्रीमति इन्द्रा W/o. पोकरसिंह कौम पुरोहित नि० पुरोहितासनी उम्र.......
		जमानत मुचलका पर	(2) पोकरसिंह S/o लादूसिंह (3) किशोरसिंह S/o पोकरसिंह (4) वासुदेव S/o पोकरसिंह, कौम पुरोहितों सा० पुरोहितासनी
4.	माल मय असलाह		—
5.	नाम पता गवाहान्		सूची संलग्न है।

महोदय जी,

निवेदन है कि वाकियात मुकदमा हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 6-12-88 को श्री शेतानसिंह S/o भोमसिंह कौम पुरोहित नि० धरमधारी P.S. केरला जिला पाली ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैंने अपनी लड़की शांती का विवाह चार साल पहले हमारे समाज के रीति-रिवाज से श्री वासुदेव S/o पोकरसिंह पुरोहित सा० पुरोहितासनी के साथ की थी। उस वक्त शांती के पांवों में चांदी की छड़ें, कन्दोरा झालरी, सोना के टोपस, रकड़ी व कण्ठी करीब ढाई तोला, दूसरे सामान के साथ चढाये थे। शादी के बाद शांति जब भी

285

पीहर आई तो वह कहती कि मुझे मेरा पति, सास, ससुर, जिठानी व ननद वगैरा तंग व परेशान करते हैं। जिसका कारण दहेज में कुछ नहीं देना बताती रही है। जिस पर एक बार मैं पुरोहितासनी आया व गांव के मौजीज प्रेमसिंह S/o कालूसिंह व मोहनसिंह S/o माधोसिंह को लेकर उक्त मुलजिमानों से मिला तो उन्होंने यही कहा कि तुमने दहेज में कुछ भी नहीं दिया। इसलिए हम तो ऐसा ही करेंगे। इस पर मैं मेरी लड़की को अपने साथ गांव ले गया। जो करीब चार महीने तक मेरे पास रही। अभी करीब दो माह पहले पुरोहितासनी के शंकरसिंह मेरे पास आया व विश्वास भी दिलाया कि शांती को उसके ससुराल वाले अब तंग नहीं करेंगे। मैं विश्वास में आ गया व शांति को शंकरसिंह के साथ उसके ससुराल भेज दी। तारीख 4-12-88 को मैं मेरी छोटी लड़की पपू को छोड़ने के लिए उसके ससुराल गांव पाचड़ोनलिया आया व कल तारीख 5-12-88 को शांति से मिलने ग्राम पुरोहितासनी शाम के समय पहुंचा व गांव के लोगों से रिश्तेदारी के नाते बातचीत की तो प्रेमसिंह, मोहनसिंह, सा. पुरोहितासनी दो तीन और आदमी जिनके नाम नहीं जानता। शांति के ससुराल श्यामजी वाला बेरा सरहद पुरोहितासनी के खेतों के पड़ौसी होंगे। मिले जिन्होंने मुझे बताया कि तारीख 2-12-88 की रात में करीब 8 बजे मुलजिमान पोकरसिंह, किशोरसिंह, वासुदेव, इन्द्रा, बाईजी व किशोरसिंह की औरत ने मिलकर शांति को मारपीट की। जिससे वह मर गई व 3-12-88 को मुलजिमानों ने जला दी है। तब मैंने रोना पीटना शुरू किया तो गांव के काफी आदमी इकट्ठे हो गये। जिनमें प्रमुख जवारसिंह, नेनसिंह थे। जिनको साथ लेकर मैं शांति के बेरा पर गया। जहां मुलजिमान मिले मैंने उनको कहा सुनी की तो मुल० ने कहा कि जो होना था वो हो गया अब गम खाओ और मामले को रफा-दफा कर दो। कल रात में कोई साधन नहीं होने से व घटना की तसल्ली करने के लिए रुक गया। गांव के लोगों ने उक्त घटना होने बाबत ही बातें बताई। वगैरा-2 पर उपरोक्त मुकदमा दर्ज कर तफतीश जाब्ता शुरू की गई।

दौराने तफतीश घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। बयान गवाहान सर्वश्री शेतानसिंह, मोहनसिंह, प्रेमसिंह, जवारसिंह, नेनसिंह, रतनसिंह, रामचन्द, कचरू, समदर, देवाराम, राजूसिंह, श्रीमति सुधा, जोरसिंह, शंकरसिंह के लिये गये। मुलजिमान इन्द्रा W/o पोकरसिंह को गिरफ्तार कर तफतीश की गई। तो पाया कि मृतका शांति D/o शेतानसिंह ग्राम धरमधारी की शादी श्री वासुदेव S/o श्री पोकर सिंह के साथ करीब चार साल पहले की थी। मृतका शांति अपने ससुराल आती जाती रही। इस अवधि में उसके द्वारा अपने माता-पिता को बताया कि उसे उसकी सास, मुस्मात इन्द्रा अकारण नाजायज तरीके से तंग व परेशान करते हैं। के फलस्वरूप मृतका शांति उसकी परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकी और तारीख 2-12-88 की शाम अपने खेत में स्थित रहवास के करीब आये हुए बेरा में गिरकर आत्महत्या कर ली व पोकरसिंह, किशोरसिंह व वासुदेव ने मृतका शांति की मृत्यु के

(287) 286

बाबत सक्षम अधिकारी को सूचना नहीं देकर लाश का दाह संस्कार कर दिया। वगैरा फैल मुलजिमा मुस्मात इन्द्रा का धारा 498 A, 306 IPC व मुलजिमान पोकरसिंह, किशोरसिंह व बासुदेव का धारा 201, 176 IPC की हद को पहुंचता है। जो बखुबी साबित है।

अत: चार्जशीट हाजा बर खिलाफ मुलजिमा मुस्माता इन्द्रा W/o पोकरसिंह राजपुरोहित जैर हिरासत पुलिस व मुलजिमान पोकरसिंह S/o लादूसिंह, किशोर सिंह, वासुदेव पिसाराम, पोकरसिंह अकबाम राजपुरोहित साकिनान पुरोहितासनी जो पुलिस जमानत पर है। के पेश कर अर्ज है कि बाद तजबीज अदालत कानूनी सलूक फरमाने की कृपा करावें।

कागजात हमराह चार्जशीट :—

(1) F.I.R. वर्क / 2

(2) बयान गवाहान सर्वश्री शेतानसिंह, मोहनसिंह, प्रेमसिंह, जवाहरसिंह, नेनसिंह, रतनसिंह, रामचन्द, कचरू, समदर, देवाराम, राजूसिंह, श्रीमति सुवा, जोरसिंह, शंकरसिंह वर्क 15

(3) फर्दात नक्शा व मुआयना मौका वर्क / 2

(4) फर्द गिरफ्तारी मुलजिमा मुस्मात इन्द्रा वर्क / 1

(5) जमानत मुचलका मुज० पोकरसिंह, किशोरसिंह व वासुदेव वर्क / 3

Sd/-लालचन्द
थाना अधिकारी
पुलिस थाना पादुकलां,
जिला—नागौर (राज०)

२ (238)

सूची गवाहान C.R. No. 119/88 u/s 498 A, 306, 201, 176 I.P.C. P.S. पादूकलां

क्र. सं.	नाम पता गवाहान	क्या शहादत देना
1.	श्री शैतानसिंह S/o भोमसिंह कौम पुरोहित निवासी धरमधारी P.S. केरला जिला पाली	ताईद F I.R.
2.	श्री मोहनसिंह S/o माधोसिंह कौम पुरोहित निवासी पुरोहितासनी	सुनी सुनाई बात कहेगा
3.	श्री प्रेमसिंह S/o कालूसिंह कौम पुरोहित निवासी पुरोहितासनी	—do -
4.	श्री जवाहरसिंह S/o चन्द्रसिंह कौम पुरोहित निवासी पुरोहितासनी	—do—
5.	श्री नेनसिंह S/o कालूसिंह कौम पुरोहित निवासी पुरोहितासनी	—do—
6.	श्री रतनसिंह S/o कल्याणसिंह कौम राजपूत निवासी रियां बड़ी	मृतका को कुआ से निकालना
7.	श्री रामचन्द्र S/o धनाराम कौम जाट निवासी केरीया	—do—
8.	श्री कचरू S/o दियालराम कौम माली निवासी रियाबड़ी	—do—
9.	श्रीमती समदर w/o घासीसिंह कौम पुरोहित निवासी पुरोहितासनी	घटना के पहले मिलना
10.	श्री देवाराम S/o भागुजी कौम जाट निवासी सेसड़ा	चश्मदीद गवाह
11.	श्री राजूसिंह S/o शैतानसिंह कौम पुरोहित निवासी धरमधारी P S. केरला जिला पाली	मृतका को तग करना कहेगा
12.	श्रीमती सुवा w/o शैतानसिंह कौम पुरोहित नि० धरमधारी PS. केरला जिला पाली	—do—
13.	श्री जोरासिंह S/o मघसिंह कौम पुरोहित नि० धरमधारी PS. केरला जिला पाली	—do—

14.	श्री शंकरसिंह S/o कालूसिंह कौम पुरोहित निवासी पुरोहितासनी	मृतका को पीहर लाना कहेगा
15.	श्री नन्दाराम R.P.S. Dy. SP. वृत्त मेड़ता शहर	हालात तफ०
16.	श्री डूंगरसिंह R.P.S. Dy. SP. वृत्त ,, ,,	—do—
17.	लालचंद S.I. S.H.O. P.S. पादूकलां	,,

Sd/-लालचंद
थाना अधिकारी
पुलिस थाना पादूकलां
जिला नागौर (राज०)

प्रमाणित
लालचंद
एस. एच. ओ. पादूकलां (नागौर)

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 91 की सूची

थाना लाडनू जिला नागौर

क्रम सं.	अपराध स.	धारा	तारीख कायमी	नतीजा व धारा व चालान पेश करने की तिथि	नाम व्यक्ति जिसका चालान हुआ
1	2	3	4	5	6
1.	65/82	447/420 भा० दं० सं०	28-5-82	चालान 26-6-89 धारा 467/468/471/420/120 बी	1. श्री शिवदान सिंह 2. श्री जमाल 3. श्री सोहन सिंह
2.	70/82	447/379 ,, ,,	31-5-82	एफ. आर. अदम सबूत दि. 29-9-82 —	—
3.	71/82	447/427 ,, ,,	,,	एफ. आर. 29-9-82 — अदम सबूत	—
4.	1/83	467/420/468 ,, ,,	5-1-83	एफ. आर. 20-3-89 — अदम वकू	—
5.	19/84	467/468/420/120 बी ,,	1-2-84	चालान 26-6-89 धारा 467/468/470/471 भा.दं. सं.	1. श्री शिवदान सिंह 2. श्री मोहम्मद हुसेन

1	2	3	4	5	6
6.	20/84	467/468/420/120 बी	1-2-84	चालान 26-6-89 धारा 467/468/420 भा. दं. सं.	1. श्री शिवदान सिंह 2. श्री बने खां
7.	21/84	420/467/468/471 ,,	1-2-84	चालान 19-12-86 धारा 467/468/471/120 बी भा दं.सं.	1. श्री इब्राहिम मोहम्मद 2. श्री शिवदान सिंह
8.	84/84	467/468/471/120 बी ,,	2-7-84	चालान 23-1-87 धारा 467/468/420/120 बी भा.दं.सं.	1. श्रीमती जीवनी 2. श्री मातू सिंह 3. श्री भंवर सिंह
9.	50/85	467/468/471/420/120 बी	1-5-89	अभियुक्त शिवदान सिंह, भीमराज व गणपत देवी के खिलाफ चालान पेश करने की हिदायत के साथ पत्रावली सी. आई. डी. से एस. एच. ओ. लाडनूं को भेजी गई। पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब की गई है। चालान धारा 420/467/468/120 बी भा. दं. सं. में पेश करने की हिदायत हुई है।	
10.	138/85	406/420/467	8-11-85	एफ. आर. दिनांक 31-12-87 अदम वकू	—

अतारांकित प्रश्न सं. 91 का विवरण

क्रम सं.	मुकदमा नं. व थाना	धारा	तारीख कायमी	नतीजा	नाम व्यक्ति जिसका चालान किया गया
1	2	3	4	5	6
1.	66/82 लाडनूं	447/420 भा.दं.सं.	28-5-82	चालान 26-6-89 467/468/420/471 भा.द.सं.	श्री शिवदान सिंह श्री जमाल श्री सोहन सिंह
2.	19/84 ,,	467/468/420/120 बी	1-2-84	चालान 26-6-89 467/468/471/470 ,,	श्री शिवदान सिंह श्री मोहम्मद हुसेन
3.	20/84 ,,	467/468/420	1-2-84	चालान 26-6-89 467/468/420 ,,	श्री शिवदान सिंह श्री बन्ने खां
4.	21/84 ,,	420/467/468/471	1-2-84	चालान 19-12-86 467/468/471/120 बी ,,	श्री इब्राहिम मोहम्मद श्री शिवदान सिंह
5.	84/84 ,,	467/468/471/120 बी	23-1-81	चालान 25-1-87 467/468/420/120 बी ,,	श्रीमती जीवनी श्री मातू सिंह श्री भंवर सिंह

292

1	2	3	4	5
6.	50/85 ,,	467/468/471/120 बी भा.दं सं.	1-5-89	मुल्जिम शिवदान सिंह, भीमराज व गरणपती देवी के खिलाफ चालान पेश करने की हिदायत के साथ पत्रावली सी. ग्राई डी. सी. बी. से एस. एच. ग्रो. लाडनूं को भेजी गई। पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तलब की गई है। चालान धारा 20/467/468/120 बी भा०दं०सं० में पेश करने की हिदायत हुई है।

क्रम सं.	ग्रपराध संख्या थाना व धारा		तारीख कायमी	नतीजा
1.	70/80 लाडनूं	447/379 भा०दं०सं०	31-5-82	एफ.ग्रार. ग्रदम सबूत दिनांक 29-9-82
2	71/82 ,,	447/427 ,,	,,	,, ,, ,, ,,
3.	1/83 ,,	467/420/468 ,,	5-1-83	एफ.ग्रार. ग्रदम वकू दिनांक 20-3-89
4.	138/85 ,,	406/420/467 ,,	8-11-85	एफ.ग्रार. ग्रदम सबूत दिनांक 31-12-87

२१

(२९५)

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 92 की सूची

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
"IRRIGATION DEPARTMENT"

No. F 3 (17) AS/I/Cell/83/395 Date : 11-1-85

From : The Addl. Secretary Cum
Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur.

To : The Addl Chief Engineer,
Irrigation Zone,
Udaipur.

Sub. : Estimate for the construction of Mohammad Phalasia Irrigation Project Tehsil Jhadol Distt. Udaipur.

Ref : Your letter No. CEU/TW ( )/Camp--Udaipur/19 date 10-1-85.

Sir,

I am directed to convey the administrative sanction of the Government to take up construction of Mohammad Phalasia Irrigation Project Tehsil Jhadol Distt. Udaipur at an estimated cost not exceeding to 19.64 lacs (Rs. Nineteen lacs sixty four thousand only) with B.C. ratio 1.41:1 at 10% interest.

The expenditure for the current financial year (1984-85) will be chargeable to N.R.E.P. funds provided by special schemes organisation vide thair letter No 5/विमोस/रा ग्रा शे का/84 dated 9-11-84 through collector, Udaipur. The head of expenditure will be.

314–सामुदायिक विकास ग–गामीण निर्माण कार्यक्रम (क) राष्ट्रीय ग्रामीण

रोजगार कार्यक्रम (III) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के सहायतार्थ अनुदान (II) अन्य कार्यक्रम (आयोजना व्यय)

This bears the concurrance and approval of the Finance Department (Exp. III) vide their I. V. No. 2463 dated 12-12-84.

Chargeable head for this work for year 1985-86 will be indicated later.

Yours faithfully,
Sd/-
Deputy Secretary & T. A.
to Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur.

No. F. 3 (17) AS/I/Cell/83/396–400 Dated : 11-1-85

Copy forwarded to :—

1. The Commissioner & Secretary to the Govt., Irrigation Deptt., Rajasthan, Jaipur.
2. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
3. Finance Department (Exp. III) Rajasthan, Jaipur.
4. The Joint Director (Stat.) Office of the Chief Engineer, Irrigation, Rajasthan, Jaipur.
5. Guard file.

Sd/-
Deputy Secretary & T. A.
to Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur.

२

(296)

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 93 की सूची

नवीन प्रस्तावित पंचायतों के नाम

1. सुन्दलाव पंचायत समिति, पाली
2. झाला की चौकी पंचायत समिति, रायपुर
3. कालन कलां ,, ,, ,,
4. बगडी ,, ,, ,,
5. रातडिया ,, ,, ,,
6. प्रतापगढ़ ,, ,, ,,
7. मेघदडा ,, ,, ,,

परिशिष्ट–15

परिशिष्ट–क

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 की सूची

कार्यालय पंचायत समिति, रामगढ़ (अलवर)

पंचायत समिति, रामगढ़ (अलवर) में वर्ष 1986 से 89 में अकाल राहत के अन्तर्गत पंचायत समिति एव पचायतों के माध्यम से प्रारम्भ कराये गये कार्यों का विवरण

क्रमांक	कार्य का नाम	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4
1.	जोहड़ खुदाई सुख निवाली	4891-00	पूर्ण
2.	,, ,, सुनेहड़ा	6742-14	,,
3.	,, ,, शेरपुर	5003-50	,,
4.	,, ,, सालपुरी	14305-20	,,
5.	,, ,, भर्जोट	10533-65	,,
6.	,, , डावरी	9156-00	,,
7.	,, ,, रसूलपुर	6973-08	,,
8.	,, ,, रघुनाथगढ़	5935-00	,,
9.	,, ,, नीकच	1507-00	,,
10.	,, ,, बगड़राजपूत	890-00	,,
11.	,, ,, ऊटवाल	1550-00	,,
12	,, ,, मुबारिकपुर	13561-00	,,
13.	,, ,, मीणापुरा	1592-00	,,
14.	,, ,, गोलेटा	7685-00	,,
15.	,, ,, विलासपुर	343-78	,,
16.	,, ,, नशीपुर	4497-54	,,
17.	,, ,, वाम्बोली	4605-10	,,
18.	,, ,, खेडलीसैयद	2493-50	,,
19.	,, ,, नंगलीमेघा	792-91	,,

1	2	3	4
20.	जोहड़ खुदाई देसूला	469-90	पूर्ण
21.	,, ,, गूंदपुर	8500.00	,,
22.	सार्व० कूप सालपुरी	2551,00	,,
23.	कूप गहरा हरीजन-कूप भजीट	2332-00	,,
24.	हरीजन कूप मरम्मत पाली	1447-80	,,
25.	अपूर्ण कार्य पुलिस वांको नोगावां	6437-00	,,
26.	जोहड़ खुदाई साहडोली	7045-00	,,
27.	सार्व० कूप निर्माण रामगढ़	7480-00	,,
28.	ग्रामसेवक क्वाटर निर्माण बगड राजपूत	30896-46	अपूर्ण
29.	ग्रामसेवक क्वाटर निर्माण डावरी	31707-73	,,
30.	जोहड़ खुदाई खिलोरा	18,506-50	पूर्ण
31.	,, ,, चोड़वा	6,801-05	,,
32.	,, ,, ललांवडी	8,619-65	,,
33.	,, ,, बहाला	11,344-15	,,
34.	हरी० कूप मरम्मत नोगावां	2,415-15	,,
35.	हरी० कूप (मेहतर) नोगावां (मरम्मत)	946-00	,,
36.	जोहड़ खुदाई खोह	9,913-05	,,
37.	,, ,, रसगण	5,366-70	,,
38.	,, ;, पाटा	13,276-60	,,
39.	नला खुदाई मुबारिकपुर	24,307-25	,,
40.	जोहड़ खुदाई साहडोली	4,650.70	,,
41.	कूप मरम्मत खिलोरा	8,321-90	,,
42.	हरी० कूप मरम्मत रामगढ़	4.862-00	,,
43.	,, ,, नाड़का	4,855-50	,,
44.	सार्व० कूप मरम्मत आदि नाका	1.837-00	,,
45.	हरी० कूप मरम्मत करोरिया	5,720-00	,,
46.	पेयजल कूप मरम्मत चोरांटी पहाड़	5,364-50	,,

1	2	3	4
47.	जोहड़ खुदाई मदनपुरी .	7,690-05	पूर्ण
48.	,, , घेघोली	16,205-75	,,
49.	हरीजन कूप मरम्मत देसूला	2,760-00	,,
50.	हरीजन कूप मरम्मत केसरोली	1,680-00	,,
51.	सार्व० कूप मरम्मत मदनपुरी	1,050-00	,,
52.	सार्व० कूप मरम्मत गूंदपुर	4,679-00	,,
53.	सार्व० कूप मरम्मत नीकच	1,100-00	,,

ह०/–
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, रामगढ़
(अलवर)

परिशिष्ट–ख

पंचायत समिति क्षेत्र रामगढ़ अकाल राहत के अन्तर्गत वर्ष 1986–87 से 1989 तक के कार्यों का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	लागत (राशि रु० में)	पूर्ण/अपूर्ण	कच्चा/पक्का
1	2	3	4	5
1.	नवीन कूप निर्माण ,, ग्राम साहडोली	9680.00	पूर्ण	पक्का
2.	,, ,,	9999.00	,,	,,
3.	,, ,,	10000.00	,,	,,
4.	,, ग्राम नाड़का	9922.00	,,	,,
5.	,, रामगढ	9999.00	,,	,,
6.	,, ,,	9999.00	,,	,,

२ (३८०)

1	2	3	4	5
7.	नवीन कूप निर्माण सरहेटा	9944.00	पूर्ण	पक्का
8.	" ऊँटवाल	9988.00	"	"
9.	" "	9988.00	"	"
10.	" "	2860.00	"	"
11.	" "	2860.00	अपूर्ण	"
12.	" बहाला	9988.00	पूर्ण	"
13.	" नाकचपुर	3300.00	अपूर्ण	"
14.	" "	9702.00	पूर्ण	"
15.	" करीरिया	9922.00	"	"
16.	" "	5280.00	अपूर्ण	"
17	" "	5280.00	"	"
18.	" नंगला बंजरिका	9940.00	पूर्ण	"
19.	" घनेटा	7920.00	"	"
20.	" बामणीखेड़ा	9999.00	"	"
21.	" "	9999.00	"	"
22.	" सैंथली	990.00	अपूर्ण	"
23.	" "	9999.00	पूर्ण	"
24.	" "	9999.00	"	"
25.	" बगडमेव	9999 00	"	"
26.	" अग्यारा	9966.00	"	"
27.	" पाली	10000.00	"	"
28.	" "	9999.00	"	"
29.	" "	9999.00	"	"
30.	" "	9999.00	"	"
31.	" बाम्बोली	9999.00	"	"
32.	" मीणापुरा	9350.00	"	"
33.	" "	9999.00	"	"
34.	" "	9999.00	"	"

1	2		3	4	5
35.	नवीन कूप	मीणापुरा	9999.00	पूर्ण	पक्का
36.	"	कानोट	9999.00	"	"
37.	"	निर्माण केसरोली	2860.00	अपूर्ण	"
38.	"	"	2860.00	पूर्ण	"
39.	"	बलवण्डका	2746.00	"	"
40.	"	"	3520.00	"	"
41.	"	ललावड़ी	9394 00	"	"
32.	"	नौगांवा	7590.00	"	"
43.	"	बांधोली	9570.00	"	"
44.	"	नंगला नंगली	6160.00	"	"
45.	"	सरहेटा	9999.00	"	"
46.	"	नंगला बंजीरका	9020.00	"	"
47.	"	कानोट	9999.00	"	"
48.	"	सैंथली	9999.00	"	"
49.	"	"	9999.00	"	"
50.	"	नाकचपुर	1320.00	"	"
51.	"	धनेटा	8090.00	अपूर्ण	"
52.	"	"	8920.00	"	"
53.	कूप गहरा ग्राम साहडोली		2992.00	पूर्ण	कच्चा
54.	"	"	2992.00	"	"
55.	"	ऊटवाल	1930.00	"	"
56.	"	करीरिया	1594.00	"	"
57.	"	"	3000.00	"	"
58.	"	रामगढ़	2991.00	"	"
59.	"	"	2232.00	"	"
60.	"	"	2992.00	"	"
61.	"	"	2970.00	"	"

1	2	3	4	5
62.	कूप गहरा ग्राम रामगढ़	2992.00	पूर्ण	कच्चा
63.	” नंगली मेघा	2222.00	”	”
64.	” ”	3000.00	”	”
65.	” अग्यारा	2992.00	”	”
66.	” पिपरोली	2750.00	”	”
67.	” साहडोली	3000.00	”	”
68.	” ”	2992.00	”	”
69.	” ”	2992.00	”	”
70.	” बगड़ राजपूत	11100.00	”	”
71 से 74	राजस्व भवन की मरम्मत कार्य–4 रामगढ़ व नंगली मेघा	5709 70	पूर्ण	पक्का

पंचाय

सड़क का नाम	स्वीकृत सम्वत्	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत	
			श्रम	मै
1. सम्पर्क सड़क खेडी	2043	2 किमी.	—	
उपरोक्त	2044	2 ,,	1.00	
2. देहली सड़क से देसुला	,,	1 ,,	0.50	
3. केसरोली से चौरोटी पहाड़	,,	3 ,,	1.50	
4. देहली सड़क से बहाला मुख्यालय	,,	1 ,,	1.00	
5. शेरपुर से रसगण	,,	3 ,,	1.00	
6. औधोगिक क्षेत्र मजीट	,,	15 ,,	0.75	
7. अलवर भरतपुर से बगड़ राजपूत	,,	1 ,,	0.50	
8. बाम्बोली से औधोगिक क्षेत्र वाया धनखेड़ा की बगीची	,,	4 ,,	2.00	

परिशिष्ट–क

सिंचाई विभाग के माध्यम से कराये गये कार्य का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	कार्य पर किया गया व्यय
1.	मरम्मत तथा सुधार कार्य नंगला बजीर बांध	14617.00
2.	मरम्मत एवं सुधार कार्य नौगांवा टेक	8871.10
3.	मरम्मत तथा जीर्णोद्धार कार्य अतारिया बांध तथा पुलियाओं का निर्माण कार्य ।	39542.00
4.	मरम्मत तथा जीर्णोद्धार कार्य करोली की बटाई	23353.00
5.	मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य हंस सरोवर बांध	34396.47

नोट :—उक्त 5 कार्य करवाये गये जिनमें से 4 कार्य पूर्ण हुए एवं एक कार्य अपूर्ण है ।

वन विभाग के माध्यम से करवाये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	नाम कार्य	कार्य पर किया गया व्यय		
		श्रम	सामग्री	योग
1.	रसगण, 87	53852	3146	56998
2.	नकचा का बांस, 87	61603	3816	65419
3.	नर्सरी नौगांवा	9981	—	9981
4.	नर्सरी केवूलांबा	21187	—	21187
	योग	146623	6962	153585

नोट :—उपरोक्त 4 कार्य करवाये गये । यह कार्य वृक्षारोपण के कार्य हैं ।

परि-

क्र

(दर्शाइ गई मा:

क्र. सं.	नाम माह	वर्ष 1985				वर्ष 1986		
		गेहूं	चीनी	चावल	खाद्य तेल	गेहूं	चीनी	चा:
1.	जनवरी	—	21	—	22	120	15	–
2.	फरवरी	—	22	—	—	185	16	–
5.	मार्च	—	8	—	—	60	15	—
4.	अप्रेल	—	8	—	—	190	15	—
5.	मई	—	10	—	—	—	15	—
6.	जून	—	15	—	—	—	15	—
7.	जुलाई	—	15	—	—	—	15	—
8.	अगस्त	—	15	—	—	—	—	—
9.	सितम्बर	—	16	—	—	—	15	—
10.	अक्टूबर	45	15	—	30	—	15	—
11.	नवम्बर	121	15	—	—	—	15	—
12.	दिसम्बर	101	15	—	20	—	15	—

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न सं. 98 की सूची

पंचायत समिति, निवाई (टोंक)

क्र. सं.	नाम ऋणी	ग्राम का नाम	ऋण की राशि	योजना का नाम जिसके तहत ऋण दिया गया	राशि देने का दिनांक	ऋण से लगाये गये उद्योग का नाम	उद्योग लगाने का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मदनलाल/राधाकिशन जाट	गोपालपुरा चन्नाजी	3000/–	आईआरडी	31.10.88	परचूनी दुकान	गोपालपुरा
2.	अनिल/सुलतान	चन्नाजी	6000/–	,,	,,	कम्प्रेशर	चन्नाजी
3.	बनवारीलाल/जगदीश जाट	लुहारा	3000/–	,,	19.1.89	परचूनी	लुहारा
4.	बापू/छीतर शर्मा	मनमोहनपुरा	4500/–	,,	27.9.88	जनरल स्टोर	मनमोहनपुरा
5.	हिम्मतसिंह/कानसिंह	भुरटिया	3000/–	,,	30.9.88	परचूनी	भुरटिया
6.	शिवदयाल/केसरा कुम्बर	हरभांवरा	4000/–	,,	,,	कुम्हारी	हरभांवता
7.	मदनमोहन/जगदीश शर्मा	,,	4500/–	,,	,,	जनरल स्टोर	,,
8.	विनोदकुमार/कुंदनमल जैन	चन्नाजी	8000/–	,,	,,	,,	चन्नाजी

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	रामकरण/सुखदेव खाती	मुण्डिया	6500/–	आई.आर.डी.	8.12.88	खाती कार्य	मुंडिया
10.	रामसहाय/रघुनाथ शर्मा	हरभगतपुरा	4000/–	,,	16.12.88	सिलाई दुकान	हरभगतपुरा
11.	उम्मेदसिंह/रघुनाथसिंह	करेड़ा	3000/–	,,	16.6.88	परचूनी	करेड़ा
12.	लक्ष्मीनारायण/कालू	विचपड़ी	3000/–	,,	10.3.89	जनरल स्टोर	विचपड़ी
13.	सीताराम/परमा कोली	दयालपुरा	3000/–	,,	8.12.88	हैण्डलूम	दयालपुरा
14.	भंवरलाल/गुलाबचन्द	दयालपुरा	3000/–	,,	8,12.88	हैण्डलूम	दयालपुरा
15.	अलादीन/नेन्दूखां	करेड़ा	9000/–	,,	8.12.88	वैल्डिंग मशीन	करेड़ा
16.	रूपनारायण/गुलाबचन्द	करेड़ा	8000/–	,,	8 12.88	पत्थर स्टोन	,,
17.	गेन्दीलाल/रघुनाथगढ़ी	सेदरिया	3000/–	,,	28.3.89	नाई की दुकान	सेदरिया
18.	भागचन्द/कपूरचन्द	,,	8000/–	,,	30 3.89	जनरल स्टोर	,,
19	रामजीलाल/रामनारायण लोधा	,,	8000/–	,,	30 3.89	,,	,,
20.	भगवानसहाय/रामकिशोर शर्मा	,,	4000/–	,,	30.3 89	साइकिल दुकान	,
21.	हीरालाल/रामचन्द्र गुनी	,,	3000/–	,,	30.3.89	परचूनी दुकान	,,
22.	लक्ष्मण/फुलाराम गुनी	सेदरिया	3000/–	,,	30.3.89	,,	,,
23.	बैजनाथ/रामकिशन जाट	डहलोद	4500/–	,,	6.4 89	मोटर वाईंडिंग	दहलोद
24.	सलामुदीन/चांदखां	दतवास	8000/–	,,	29.12.88	वैल्डिंग मशीन	दतवास

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	रामावतार/शिवसहाय शर्मा	आनिया	3000/–	आई.आर.डी.	28.3.89	परचूनी	आनिया
26.	कैलाश/नारायण शर्मा	भरथला	8000/–	,,	31.3.89	जनरल स्टोर	लाखना
27.	अनोख/प्रहलाद खत्री	नरवाड़ा	3000/–	,,	11.6.88	खाती कार्य	नरवाड़ा
28.	हीरालाल/रूपनारायण गूर्जर	,,	8000/–	,,	27.9.88	जनरल स्टोर	,,
29	रामप्रसाद/नारायण जाट	,,	10000/–	,,	23.2.89	फोटोग्राफी	,
30.	मदन/नाथ सुनार	,,	8000/–	,,	30.10.88	जनरल स्टोर	,,
31.	रामेश्वर/मदनदास	,,	8000/–	,,	27.10.89	रिटेल कार्य	,,
32.	शान्तिदेवी/बद्रीलाल मीना	,,	8000/-	,,	30.3.89	,,	,,
33.	नूरमौहम्मद/रमजान खां	,;	8000/-	,,	19.1.89	रूई पीदने की मशीन	,,
							,,
34.	रामप्रकाश/मुरलीधर सैन	,,	3000/-	,,	30.3.89	पत्तल दोना	,,
35.	मजरुदीन/बशीर लुहार	,,	5000/-	,,	30.3.89	वैल्डिंग मशीन	,;
36.	कंचनदेवी/चोनेल तेली	,,	8000/-	,,	30.3.80	जनरल स्टोर	,,
37.	बाबूलाल/मूलदास बाबाजी	नोहरा	3000/-	,,	12.4.89	परचूनी	नोहरा
38.	घीसी/बड़ी गुर्जर	रजवास	3000/-	,,	23.4.79	चाय शॉप	रजवास
39.	नाथू/गोपाल जाट	,,	3000/-	,,	30.4.89	,,	,,

308

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	रमेशचन्द्र/रामनिवास विजय	झिलाय	7000/-	आई आर डी.	31.10.88	जनरल स्टोर	झिलाय
41.	शम्भूसिह/लक्ष्मणसिंह	,,	7000/-	,,	30.9.88	,,	,,
42.	जगदीश/केसरा कुम्हार	,,	3000/-	,,	30.3.89	कुम्हारी कार्य	,,
43.	बद्रीलाल/छोटूलाल सिंह	,,	7000/-	,,	2.12.88	जनरल स्टोर	,,
44.	बाबूलाल/घन्नालाल खाती	,,	7000/-	,,	17.9.88	गलीचा कार्य	,,
45.	सत्यनारायण/मूलचन्द लुहार	,,	10000/-	,,	12.1.89	आरा मशीन	,,
46.	रमेशचन्द/श्यामलाल गुर्जर	,,	6500/-	,,	1.9.88	गलीचा	,,
47.	हेमराज/नत्थू रैगर	गंगापुरा	1600/-	,,	24.10.88	चर्म कार्य	गंगापुरा
48.	सीताराम/रामेश्वर जांगिड़	श्रीसुखपुरा	6000/-	,,	27.10.88	कारपेंटरी	श्रीसुखपुरा
49.	रमेश/रामगोपाल महाजन	ललवाड़ी	7000/-	,,	18.10.88	जनरल स्टोर	ललवाड़ी
50.	कैलाशचन्द/गौरीशंकर शर्मा	झिलाय	4500/-	,,	28.3.89	परचूनी	झिलाय
51.	रामकिशोर/भागीरथ बेरवा	संग्रामपुरा	4500/-	,,	17.3.89	,,	संग्रामपुरा
52.	बाबूलाल/भंवरलाल	सिरस	1200/-	,,	24.5.88	चाय दुकान	सिरस
53.	प्रभू/पीरू खाती	सिरस	4500/-	,,	24.5.88	खाती कार्य	,,
54.	प्रभूलाल/देवालाल कुम्हार	,,	3000/-	,,	24.5.88	कुम्हारी कार्य	,,
55.	रामस्वरूप/देवा कुम्हार	,,	3000/-	,,	,,	,,	,,

(310)

1	2	3	4	5	6	7	8
56	रतनलाल/लादू कुम्हार	सिरस	3000/-	आई.आर.डी.	24.5.88	कुम्हारी कार्य	सिरस
57.	हीरालाल/केसरा कुम्हार	,,	3000/-	,,	,,	,,	,,
58.	पीरूमल/इब्राहीम	,,	9000/-	,,	1.9.88	रूई पींदने की मशीन	,,
59.	कजोड़/नाथू रैगर	,,	3000/-	,,	,,	चर्म कार्य	,,
60.	बालचंद/रामनिवास सैनी	,,	6500/-	,,	29.3.89	गोल्ड स्लिम यूनिट	,, ,,
61.	कैलाश/चन्दालाल लखेरा	डागरथला	1000/-	,,	12.8.85	लखेरा कार्य	डागरथला
62.	सत्यनारायण/रूपनारायण	,,	4000/-	,,	17.2.89	जनरल स्टोर	,,
63.	श्योकरण/जयनारायण लुहार	,,	6000/-	,,	20.2.89	वैल्डिंग मशीन	,,
64.	रमेशचन्द/सूरजमल खत्री	,,	3000/-	,,	29.11.88	साई० दुकान	,,
65.	अशोक कुमार/कन्हैयालाल	राहोली	3000/-	,,	31.1.89	परचूनी दुकान	राहोली
66.	त्रिलोकचन्द/कन्हैयालाल	राहोली	750/-	,,	31.1.89	,,	,,
67.	मांगीदेवी/नेहनूलाल बैरवा	खण्डवा	3000/-	,,	6.5.88	कशीदा मशीन	खण्डवा
68.	भूरी/मागुता बैरवा	नला	3000/-	,,	6.5.88	साई० दुकान	,,
69.	भूरा/हरनाथ बैरवा	,,	3000/-	,,	30.5.88	परचूनी दुकान	नला

1	2	3	4	5	6	7	8
70.	बद्री/जगदीश खाती	खण्डवा	3000/-	आई.आर.डी.	6.5.88	खाती कार्य	,,
71.	बाबूलाल/भैरू बैरवा	नला	3000/-	,,	6.5.88	साई० दुकान	,,
72.	राधेश्याम/हीरा मीना	जामडोली	3000/-	,,	19-5-88	घड़ी रिपेयर	जामडोली
73.	रामफूल/मैवा बैरवा	,,	3000/-	,,	19.5.88	साई० दुकान	,,
74.	बजरंग/जगदीश मीना	,,	3000/-	,,	9,6.88	परचूनी दुकान	,,
75.	प्रहलाद/जगदीश मीना	,,	3000/-	,,	25.4.88	,,	,,
76	बालू/अम्बालाल खटीक	,,	3000/-	,,	6.4.88	ऊन व्यापार	,,
77.	प्रहलाद/मोतीराम बैरवा	करेड़ा	3000/-	,,	25.4.88	परचूनी दुकान	करेड़ा
78.	धूलचन्द/मोरपाल मीना	जामडोली	3000/-	,,	9.5.88	,,	जामडोली
79.	छोटू/कल्याण बलाई	,,	3000/-	,,	9.5.88	दरी, फर्श बनाई	,,
80.	बदरुद्दीन/बशीर	,,	3000/-	,,	19.5.88	,,	,,
81.	सांवलराम/रामकरण मीणा	,,	3000/-	,,	9.5.88	साई० दुकान	,,
82.	किशना/मांगीलाल कुम्हार	,,	3000/-	,,	9.5.88	कुम्हारी कार्य	,,
83.	सत्यनारायण/बद्रीनारायण शर्मा	,,	3000/-	,,	19.5.88	परचूनी दुकान	,,
84.	रामफूल/केसरलाल जाट	बरेड़ा	3000/-	,,	19.5.88	,,	बरेड़ा
85.	रामदयाल/रामनाथ बैरवा	,,	3000/-	,,	30.5.88	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	कैलाश/रामसुख हरिजन	बरेड़ा	1000/-	आई.आर.डी.	30.5.88	बांस टोकरी	बरेड़ा
87.	रामकिशोर/रामसहाय जाट	,,	3000/-	,,	,,	परचूनी दुकान	,,
88.	लक्ष्मीनारायण/जगशी जाट	,,	3000/-	,,	,,	,,	,,
89.	लालचन्द/पन्ना जाट	,,	3000/-	,,	,,	,,	,,
90.	वीरेन्द्र कुमार/निरंजन पारीक	,,	6000/-	,,	,,	हाऊस वार्यरिंग	,,
91.	लालू/ओंकार रैगर	,,	8000/-	,,	,,	जनरल स्टोर	,,
92.	रामप्रसाद/कल्याण	,,	8000/-	,,	,,	,,	,,
	योग		4,20,050				
	ट्राईसेम		निल				

कुल योग : 4,20,050

(512)

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न सं. 100 की सूची

पंचायत समिति नवलगढ़

	नवीन प्राथमिक शाला का नाम	नवीन उ०प्रा० शाला का नाम	प्रारम्भ करने का दिनांक	विशेष विवरण
1.	चैनगढ़ (मोहनवाड़ी)		20.4.89	
2.	भानावाली ढाणी (चिराना)		17.4 89	
3.	डालाना जोहड़ा (भोजनगर)		12.5.89	
4.	कन्या शाला बिरोल		26.4.89	
5.	ढाणी मातका वाली (बाय)		6.5.89	
6.	कन्या शाला सौटवारा		13.4.89	
7,	कन्या शाला कारी		20.4.89	
8.	कन्या शाला जैजूसर		13.4.89	
9.	केशा की ढाणी (परशुरामपुरा)		20.4.89	
10.	संस्कृत शाला कुमावास		20.4.89	चालू करने का मामला विचाराधीन है।
11.		मोहनवाड़ी	24.12.88	
12.		कन्या उ०प्रा० शाला ढिगाल	3.1.89	

(314)

पं. स. नवलगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों की सूची :—

क्र. सं.	प्राथमिक शाला का नाम	छात्र संख्या	कार्यरत अध्यापक संख्या	छात्रों के अनुपात से अध्यापकों की कमी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	डूंडलोद	270	7	—	
2.	छतरी की ढाणी	71	3	—	
3.	पीपल की ढाणी	148	3	1	
4.	बलवन्तपुरा	71	2	—	
5.	पुनिया की ढाणी	56	2	—	
6.	मोहब्बतसर	144	3	1	
7.	नवलडी	313	8	—	
8.	चौबदार की ढाणी	222	4	2	
9.	मिश्रा व ग्रन्ट वाली ढाणी	187	4	1	
10.	कानाकाकी ढाणी	204	4	1	
11.	खीचड़ों की ढाणी	45	1	—	
12.	जाटावाला जोहड़ा	120	2	1	
13.	दूदाना का बास	50	2	—	
14.	लाख की ढाणी	37	1	—	
15.	गूगाजी की ढाणी	22	3	—	
16.	बडवासी	340	6	3	
17.	नेहरों की ढाणी	101	3	—	
18.	कलवानिया	93	2	1	
19.	भीलों का बास	79	2	—	
20.	सुल्तानपुरा	104	2	1	

1	2	3	4	5
21.	सेवादास की ढाणी	138	3	1
22.	जयसिंहपुरा	81	2	—
23.	भगेरा	240	4	2
24.	मैनास	164	4	—
25.	ढाका का बास	102	2	1
26.	पनिया की ढाणी	86	2	1
27.	हनुमान जी की ढाणी	68	2	1
28.	जाखल	367	8	1
29.	खेदडों की ढाणी	131	2	2
30.	डूडियों का बास	87	2	—
31.	ढाणिया सौंथली	65	1	1
32.	धायलों का बास	120	2	1
33.	बुगाला	187	4	1
34.	कन्या जाखडा	124	2	1
35.	कन्या सौथली	126	1	2
36.	माण्डासी	161	5	—
37.	अजीतपुरा	67	3	—
38.	डूडियों की डाणी	53	2	—
39.	फतेसरी	53	2	—
40.	हिम्मतपुरा	51	2	—
41.	घोडीवारा	152	3	1
42.	कन्या ढीगाल	138	4	—
43.	मोहब्बतसरी	72	3	—
44.	जाटवाली	138	4	—
45.	ढीगाल	162	4	0
46.	कन्या सोटवारा	32	1	—
47.	जैजूसर	304	7	4
48.	चौराडी	91	4	—

316

1	2	3	4	5
49.	कुमावास	294	5	3
50.	डूमरा	365	7	2
51.	स्वामी की ढाणी	46	1	—
52.	डाबली बरोदा	123	5	—
53.	देलसर खुर्द	50	2	—
54.	देलसर कलां	70	2	—
55.	बार दोलिया जोडा	29	1	—
56.	कन्या जैजूसर	20	1	—
57.	झाझड़	376	6	3
58.	दानसिंह की ढाणी	56	2	—
59.	रानोली जोहडी	84	2	—
60.	रानोडा जोहडा	126	1	2
61.	रामदान की ढाणी	88	2	—
62.	गोठडा	175	3	2
63.	कन्या गोठडा	127	2	1
64.	कालीरावण्या की ढाणी	111	2	1
65.	ओला का बास	115	2	1
66.	पुरोहितों का बास	58	2	1
67.	सेठवाला कुआ	62	1	1
68	भानपुरा	52	2	—
69.	ढाका का बास	117	3	—
70.	खोजावास	100	1	2
71.	मालवा वाली ढाणी	26	1	—
72.	केशा की ढाणी	27	1	—
73.	कन्या बिरोल	20	1	—
74.	परसरामपुरा	173	4	1
75.	कन्या नया परसरामपुरा	64	1	1

1	2	3	4	5
76.	ध्येवा की ढाणी	49	1	—
77.	चमारों की ढाणी	36	1	—
78.	गिरधरपुरा	56	1	1
79.	चारां का बास	115	2	1
80.	चारण की ढाणी	113	2	1
81.	धोलाबेरा	53	1	1
82.	देवगांव परसरामपुरा	110	2	1
83.	झासलसर	230	5	1
84.	रावां की ढाणी	58	1	1
85.	चौढाणी	148	2	1
86.	भोजनगर	193	3	1
87.	नया परसरामपुरा	60	1	1
88.	भरहवाटी	51	1	1
89.	टौंक्छीलरी	112	1	2
90.	कन्या डालाना जोहड़ा	25	1	—
91,	सिरोड	227	4	2
92.	तुरकानी जोहड़ा	93	1	2
93.	डेमरी की ढाणी	93	2	1
94.	गढवालों की ढाणी	112	2	1
95.	मोहनवाडी	171	3	1
96.	भामूं की ढाणी	44	1	1
97.	मिठार वालों की ढाणी	83	1	1
98.	चैनगढ	20	1	1
99.	चिराना	159	3	1
100.	रामपुरा	217	2	3
101.	खबोरियों की ढाणी	84	1	1
102.	ढ्हर चिराना	81	2	—

1	2	3	4	5
103.	देवीपुरा	117	2	—
104.	लोहारगल	75	1	1
105.	मीवां की ढाणी	132	2	2
106.	बागोरियों की ढाणी	175	2	3
107.	किरोडी	147	3	1
108.	भगवानपुरा	83	1	1
109.	पहाडिला	73	1	1
110.	पूर्वी ढहर चिराना	63	1	1
111.	भाना वाली ढाणी	15	1	1
112.	कन्याकारी	10	1	—

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 103 की सूची

कार्यालय नगर विकास न्यास, बीकानेर।

सूची

निर्माण स्वीकृति न दिये जाने वाले आवेदन करदाताओं की सूची

क्र. सं.	नाम	भूखण्ड सं.	आवेदन पत्र	निर्माण स्वीकृति नहीं देने का कारण
1.	श्रीमती भंवरी देवी पत्नी नसीरूदीन	5-ई-37	15-1-88	लीज लाईसेन्स की अवधि समाप्त हो गई थी।
2.	श्री भंवरलाल जोशी पिता रामकुमार	2-डी-30	31-12-87	
3.	श्री अमरदीन पति मांगे खां	3-ई-104		"
4.	श्रीमती नर्बदा यादव पत्नी भंवरसिंह यादव	4-ई-70	29-12-87	"
5.	श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी बजरंगसिंह	3-ई-317	7-1-88	"
6.	श्री प्रहलादराम जोशी पुत्र भागीरथ जोशी	4-ई-184	28-12-87	"
7.	श्रीमती शारदा देवी पत्नी बैजनाथ पारीक	3-ई-98	29-12-87	"
8.	श्री प्रभूदयाल पुत्र अमानमल	3-ई-43		"

(३१०)

1	2	3	4	5
9	श्री चन्द्रशेखर जोशी पुत्र दाऊदयाल जोशी	3-ई-57	15-1-87	लीज लाइसेन्स की अवधि
10.	श्रीमती मगनी देवी पत्नी मनसुख सोलंकी	5-ई-139	6-1-88	समाप्त हो गयी थी।
11.	श्रीमती निर्मला कुमार पुत्री चुन्नीलाल	5-ई-116	15-1-88	,,
12.	श्री शान्तिदास पुत्र हीरदीन	4-ई-102	6-1-88	,,
13.	श्री राजकुमार अरोड़ा ज्ञानचंद अरोड़ा	2-ई-6	25-11-87	,,
14.	श्री ओमप्रकाश बालूराम	4-ई-1 2	15-1-88	,,
15.	श्री तिरलोकीनाथ राजवंशी	2-ई-158		पत्रावली पूर्ण नहीं थी।
16.	श्री देवकिशन हरिकिशन	3-ई-326	13-6-88	,,
17	श्री अशोक कुमार गिरधरलाल	5-ई-10	15-1-88	लीजलाईसेंस की अवधि
18.	श्रीमती सोहिनी देवी भतमाल	3-ई-97	13-6-88	अवधि समाप्त हो गई।
19.	श्री जयश्री भाटी लालसिंह भाटी	5-ई-13	29-1-88	,,
20.	श्री नन्दकिशोर गंगुराम	4-ई-148	19-1-88	,,
21.	श्री हरीराम विशनदास	4-ई-199	28-6-88	मानचित्र शुल जमा नहीं करवाई।
22.	श्री जगनकंवर सज्जनसिंह	1-डी-155	4-6-88	पत्रावली पूर्ण नहीं थी। लीजमनी बकाया है।

1	2	3	4	5
23.	श्री रामचन्द्र दुलीचन्द	2-ई-285	20-6-88	अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण करवा लिया गया।
24.	श्रीमती भगनी देवी मनसुख	5-ई-139	2-6-88	"
25.	श्री विष्णु कुमार सियाराम	5-ई-41	15-6-88	मानचित्र अनुमोदन शुल्क जमा नहीं कराया गया।
26.	श्री तुलछीराम श्रीकृष्ण	2-ई-311	27-6-88	मानचित्र गलत था।
27.	श्रीमती शारदा देवी परशोदमदास	4-ई-333	6-1-88	"
28.	श्री मनोहरलाल रामचन्द्र	2-ई-186	20-6-88	अनुमति प्राप्त किये बिना ही निर्माण करवा लिया गया।
29.	श्री श्रवण कुमार घनश्याम गुप्ता	5-बी-8	28-6-88	मानचित्र गलत था।
30.	श्रीमती हरीदेवी धीरूमल	1-ई-108	27-6-88	मकान के संशोधन नक्शे मांगे गये जो पेश नहीं किये गये।
31.	श्री रामदास निर्मलचन्द	2-डी-33	30-6-88	मानचित्र अनुमोदन शुल्क जमा नहीं कराया।

1	2	3	4	5
32.	मेजर महावीरसिंह बलदाश	5-सी-146	10-6-88	मानचित्र अनुमोदन शुल्क जमा नहीं कराया ।
33.	श्री कृष्णलाल टिकमचन्द	3-ई-88	24-6-88	,,
34.	श्री ओमप्रकाश श्री रामचन्द्र	4-ई-115	28-6-88	लीजलाईसेन्स की अवधि समाप्त ।
35.	श्री आर. आर. राय	4-ई-158	19-5-88	मानचित्र गलत था ।
36.	श्री ,, ,,	4-ई-157	24-5-88	,,
37.	महावीरप्रसाद भगवानदास	5-ई-143	29-6-88	लीजमनी बकाया थी
38.	हरवंशलाल	6-डी-140	14-7-87	मानचित्र गलत था ।
39.	श्री मोहनलाल	1-ई-27		पत्रावलीं देर से पेशगी ।

322

परिशिष्ट-20

अतारांकित प्रश्न संख्या 105 की सूची

परिशिष्ट "अ"

तहसील निवाई जिला टोंक के ऐसे गांव जहां मानव के पीने के लिये पानी की आंशिक समस्या है ।

क्र०स०	गांव का नाम	क्र०सं०	गांव का नाम
1.	काचरिया	22.	महाराजपुरा
2.	चेनानी	23.	गन्सी
3.	आकोडिया	24.	रजवास
4.	रचकपुरा	25.	सकतपुरा
5.	सवाई जयसिंहपुरा	26.	खण्डवा
6.	श्योसिंहपुरा	27.	नला
7.	बाठपथराज	28.	मण्डालिया
8.	रम्भा	29.	खेडा
9.	बाढगोर खुर्द	30.	नोहटा
10.	महासिंहपुरा	31.	जगसरा
11.	मनमोहनपुरा	32.	हिंगोनिया
12.	राधा गोविन्दपुरा	33.	राय दामोदरपुरा
13.	जयसिंहपुरा	34	सहदरियाखुर्द
14.	बहादुरपुरा	35.	सिरोही
15.	वनस्थली	36.	भगतरामपुरा
16	झिलाई	37.	गोपालपुरा
17.	डांगरथल	38.	जुगलपुरा
18.	नटवाडा	39.	करेडा बुजुर्ग
19	चोरपुरा	40.	देवपुरा
20.	खूण्डदेवत	41.	अलियाबाद
21.	भावानपुरा		

जानवरों के लिये पीने का पानी की समस्या वाले ग्राम

1. मूण्डिया 2. चनानी 3. कोरडा बुजु'ग 4 झिलाय

परिशिष्ट "ब"

स्थाई तौर पर खराब हैण्ड पम्पों का विवरण

क्र०सं०	गांव का नाम	क्र०सं०	गांव का नाम
1.	भगवानपुरा	10.	हिंगोनिया
2.	मुन्सी	11.	राय दामोदरपुरा
3.	रणव	12.	सहदरिया खुर्द
4.	खण्डवा	13.	सिरोही
5.	नला	14.	भगतरामपुरा
6.	मण्डालिया	15.	गोपालपुरा
7.	खेड़ा	16.	जुगलपुरा
8.	नोहटा	17.	करेडा मुजुग
9.	जगसरा	18.	देवपुरा

B25

324 **शुद्धि-पत्र**

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	9	1	(मुख्यमंत्री)	(श्री शिवचरण माथुर)
2.	27	1	(सुश्री पुष ा जैन)	(सुश्री पुष्पा जैन)
3.	42	12	(12.00 म०)	(12.00 म. प.)
4.	171	28	श्री मोहनलाल चौहान	(श्री हंसराज मिढ़ा)
5.	207	1	(श्री हरिशकर भाभड़ा)	(श्री 'हरिशंकर भाभड़ा)
6.	313	25	श्री हरिशंकर भाभडा	श्री हरिशंकर भाभड़ा
7.	341	28	श्री रघुनाथ परिहार	श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक)
8.	405	फोलियो	4^5	405
9.	418	8	(रामगढ़	(रामगढ़)
10.	437	3	नि र्यों	निर्णयों